राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 11] आठवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का चौदहवां दिवस [संख्या : 10

बुधवार,

दिनांक 12 जुलाई, 1989

राजस्थान विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न

हरिजन दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने देने विषयक स्थगन प्रस्ताव लिये जाने व प्रश्न काल स्थगित करने की मांग

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन आवर आरम्भ करने से पूर्व मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर जिले में हरिजनों की बरात के साथ जिस तरह असामाजिक तत्वों ने, मार-पीट की है और बरात को निकलने नहीं दिया गया और आने वाली बरात को आस-पास के गांवों में पीटा गया। अध्यक्ष महोदय, यह एक घटना नहीं है. पिछले दिनों में यह तीसरी घटना है और मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न, प्रश्न काल से और जीरो आवर से भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों हरिजनों के साथ जिस प्रकार की ज्यादतियां हुई हैं, हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार करना, उनकी हत्यायें करना, इस प्रकार का एक वातावरण बना है आज। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि संविधान को लागू हुये 40 वर्ष से ज्यादा हो गये। हमने संविधान में छुआ-छूत को खतम करने की गारंटी दी थी, भेद-भाव के बिना लोगों के साथ व्यवहार किया जाये इस प्रकार की गारंटी दी थी लेकिन दुर्भाग्य है कि 45 वर्षों के बाद भी आज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि....

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आज....

श्री भंवरलाल शर्मा : आप खड़े क्यों हो ? बिना मतलब.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, एक मिनट आज इस पर स्थगन प्रस्ताव आये हैं माननीय भैरोंसिंह जी का और घनश्याम जी का दो का, इसमें मैंने देखा है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सरकार को इस बारे में स्टेटमेण्ट देना चाहिए.... (व्यवधान) आप बैठिये, यह गलत बात है। मैं सरकार से स्टेटमेंट इसमें दिलाना चाहता हूं कि यह स्टेटमेंट इसमें दे इसलिए इसमें डिसक्शन हो उस समय आप इस पर देख लेना, अभी प्रश्न काल है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह क्या कह रहे हैं, क्या मतलब है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुन लीजिए, आपका कोई मतलब नहीं, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : मतलब काहे का नहीं ? क्या कह रहे है अध्यक्ष महोदय, ये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि, साढ़े नौ बजे के पहले व्यवस्था कर रखी है कोई भी सदस्य यदि एडजोर्नमेण्ट मोशन देना चाहे तो साढ़े नौ बजे दें, हमने साढ़े नौ बजे एडजोर्नमेण्ट मोशन दे दिया। मुझे इस सरकार की तरफ से खेद होता है कि आज इस सरकार को स्टेटमेंट देने से पहले, हम कहें उससे पहले तैयार रहना चाहिए इस सरकार को। इस सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको मालूम क्या है ? साढ़े नौ बजे अध्यक्ष महोदय को दिया है अध्यक्ष महोदय व्यवस्था कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप दीजिए स्टेटमेंट।

श्री सी. पी. जोशी : अभी तो क्वेश्चन आवर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हरिजनों के साथ अन्याय हो रहा है, हरिजनों के साथ मार-पीट, हत्यायें हो रही हैं और हम उनको सामाजिक अधिकार नहीं दें, क्या जीने का अधिकार भी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : ले रहे हैं, भैरोंसिंह जी साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता देऊं कि तीन कापियां भेजते हैं। एक कापी सरकार के पास जाती है, सरकार को क्या मालूम ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार के पास जायेगी साढ़े नौ बजे, यहां से जायेगी तब होगी ना। विधान सभा से सरकार के पास रिसीव तो होगी कि नहीं होगी ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको लेनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सी पी. जोशी : माननीय विपक्ष के नेता ने बात कर दी, यह क्वेश्चन आॅवर है.... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आखिर सदन की व्यवस्था है, कुछ नियम हैं....

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए कि हरिजनों की बरात को किस तरह से नहीं जाने दिया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप देख लें, महिलाओं के साथ बलात्कार, लूट-पाट, बरात नहीं निकलने देते इस प्रकार का अन्याय इस राजस्थान में आज से पहले नहीं हुआ जिस प्रकार का अन्याय हो रहा है। मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, अभी इसका वक्तव्य हो.... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तुरन्त, अभी का अभी हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आपने विपक्ष के नेता महोदय को सुन कर व्यवस्था दे दी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप तो तैयार हो ना तो स्टेटमेंट दो, वी वान्ट स्टेटमेंट।

श्री दाऊदयाल जोशी : We want statement. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री जगतसिंह दायमा : हरिजनों में बड़ा आतंक और भय है....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पुलिस कत्ल कर रही है हरिजनों का, आपने क्या किया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : इस प्रकार के मामले हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय, हरिजनों के साथ। इस प्रकार अत्याचार होता जा रहा है। पिछले दिनों में छोटी सादड़ी में हुआ वहां पर भी हरिजन दूल्हे को घोड़ी पर से उतार दिया गया, उनके बैंड नहीं बजने दिये गये....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पुलिस मौके पर थी, एस. पी मौजूद, कलेक्टर मौजूद। चार दिन पहले उनको सूचना मिली थी....

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले ही कह दिया आप लोगों से, स्टेटमेंट होगा इसका, माननीय घनश्याम जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पूरी रात भर बरात को नहीं निकलने दिया, उनको मारा गया। दूल्हे का बाप हॉस्पिटल में भर्ती है, दुल्हे का चाचा हॉस्पिटल में भर्ती है, विवाह का मुहूर्त टल गया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, कृपया बिराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पूरी रात भर बरात वहां पड़ी रही और उसके बाद में सुबह बरात को पुलिस के संरक्षण में निकाला। न बैन्ड था न दुल्हा था यह किस तरह की बरात। यह जंगल का राज है, कांग्रेस के इस राज ने हरिजनों को जंगल में चला दिया है। बरात नहीं निकाल सकते, बैन्ड नहीं बुला सकते.... (व्यवधान) घोड़ी नहीं ले जा सकते, मुहूर्त पर शादी नहीं कर सकते। आप क्या करना चाहते हो ? हरिजनों के नाम पर वोट मांगने वालों, आज आप बात करते हो, आप जंगल का राज पैदा कर रहे हो, आप 14वीं शताब्दी के इन्सान हो। इन्सान के साथ भेद-भाव करने वाले लोगों, शर्म नहीं आती, फिर सत्ता पर बैठे हो आप।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिये, मैं कह रहा हूं स्टेटमेंट इसमें होगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : आश्चर्य तो यह है कि इतनी घटना हो जाने के बाद भी सरकार कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, आखिरकार सरकार चाहती क्या है ? हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों को सरकार नजरअन्दाज करती है....मंत्री नहीं हैं, मुख्य मंत्री नहीं हैं।

श्री हीरालाल आर्य : हरिजनों के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। नारायणपुर के दूल्हे को घोड़ी से उतारा गया, बैन्ड नहीं बजने दिया गया और आश्चर्य की बात है कि एक भी अपराधी को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। क्या पुलिस केवल तमाशा देखती है ? हरिजनों के साथ इस प्रकार अन्याय और अत्याचार होता रहे और प्रशासन क्या उस तमाशे को खड़ी होकर देखता रहता है ? अध्यक्ष महोदय, हरिजन

(श्री हीरालाल आर्य)

आखिर अपनी सुरक्षा के लिए गुहार किससे करें ? हरिजनों के साथ अत्याचार और हत्यायें हो रही हैं, उनके साथ मार-पीट की जा रही है, उनके मकान जलाये जा रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : आप बैठें, आप बैठिये, बहुत हो गया। (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : हरिजनों के साथ इस प्रकार अत्याचार होता रहे, उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके मकान जलाये जा रहे हैं, उनकी शादियां नहीं होने दी जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : आप मेरी बात तो सुनिये पहले....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, यह अच्छा है क्या ? यह बिल्कुल गलत है....(व्यवधान) आप सरकार की सुनिये तो सही। यह गलत है।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान के मुख्य मन्त्री को हाउस में आकर जवाब देना पड़ेगा, मुख्य मन्त्री को बुलवाइये, मुख्य मन्त्री आयें और जवाब दें हाउस में।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, शान्त रहें।

अनेक माननीय सदस्य : मुख्य मन्त्री को बुलवाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आप सरकार की सुनिये पहले। (व्यवधान) आप अपनी कह रहे हैं, सरकार की सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे ? (व्यवधान) यह तरीका ठीक नहीं है, गलत तरीका है, यह हड़बड़ भी ठीक नहीं है इसका मतलब यह है कि लोग सुनना नहीं चाहते हैं, सरकार बोलना चाहती है, बोलने नहीं देना चाहते हैं ... (व्यवधान) आप बैठिये, आप बैठिये। आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे ? यह गलत सिस्टम है। आप समस्या का हल नहीं चाहते हैं, कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। आपके बोलते रहने से समस्या का हल हो जायेगा क्या ? (व्यवधान) आप बैठकर के सरकार की सुनिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछा ही नहीं गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं किया जाये। यह गलत बात है। सरकार की नहीं सुनना चाहते हैं। नोट नहीं किया जाये। मैं समस्या का हल चाहता हूं। इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा।

श्री जगतसिंह दायमा : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री हीरासिंह चौहान : × × ×

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करता हूं कि आपने तो कहा लेकिन चेयर का भी कुछ

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

होता है कि चेयर हल निकालना चाह रहा है, सरकार बोलना चाह रही है, यह बोलने नहीं देते इसका क्या मतलब है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का मामला है आप अगर मेरी जगह होते तो मैं ऐसा समझता हूं कि उत्तेजित होकर इस मेज पर कूदकर के उधर चले जाते। आप अन्दाज लगाइये कितना धैर्य हम रखे हुये हैं।

श्री अध्यक्ष : जिस समय आपका आया उसी वक्त मैंने सरकार से बात की स्टेटमेंट की, मैंने कही इतनी चिन्ता मुझे है। जब हल मैं निकालना चाहता हूं, सरकार भी बोलना चाहती है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप बुलवाइये।

श्री अध्यक्ष : यह जो परिपाटी है यह गलत है। आप जब बोल रहे थे तो आपका नहीं मान रहे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, वह सब मानते हैं लेकिन मामला इतना संवेदनशील है।

श्री अध्यक्ष : चेयर की भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : चेयर तो हमारे सर माथे पर है, सब मानते हैं आप क्या बात कर रहे है। हम तो आपको दूल्हा बनाकर ले जायें, आप चिन्ता ही मत करो। इसकी छोड़ो, आप तो दूल्हे की पिटाई हुई इसका जवाब....

श्री जगतसिह दायमा : अध्यक्ष महोदय, नारायणपुर में पुलिस ने हत्या कर दी हरिजन की। सात तारीख को एक हरिजन गया रिपोर्ट लिखवाने कोतवाली में, उसको मारा पीटा, हर रोज नये-नये हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका तो कुछ है ही नहीं, आपने तो लिखकर ही नहीं दिया है ?

श्री जगतसिह दायमा : कैसे नहीं दिया है ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : सबका है, यह सबका मामला है।

श्री हीरासिह चौहान : हमारा सबका है।

श्री सम्पत सिह : एक एक राजस्थानी का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : वह अलग से प्रश्न है।

श्री जगतसिह दायमा : अध्यक्ष महोदय, वह नारायणपुर में लालपुर का व्यक्ति था, वह बानसूर विधान सभा क्षेत्र का आदमी था, आप कह रहे हो आपका कुछ नहीं है। एक-एक हरिजन को मारा है आप क्या समझते हैं हमारा कुछ नहीं है। (व्यवधान)

श्री सम्पत सिह : अकेले एक वर्ग और पूंजीपति वर्ग को आपने डण्डा हाथ में थमा रखा है, इनको शादी ब्याह के संस्कार करने की मोहलत नहीं है फिर कहते हो कि आप हिन्दुस्तान में रहो, आप नागरिक बनो हिन्दुस्तान के। पाकिस्तान क्रिकेट में जीतता है तो क्यों उछालते हैं टोपी ? फिर आप पचासों किस्म की बंदिशें लगाते हो कमजोर

(श्री सम्पत सिंह)

आदमी पर और उसको उसकी मां, बहन, बहू-बेटी के सामने, सबके सामने बेग्राबरू करते हो, पाणिग्रहण संस्कार जैसी हरकत नहीं होने देते और फिर कहते हो हिन्दुतान में रहो, अखण्ड भारत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब सरकार की सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं ? माननीय विपक्ष के नेता ने भी कहा....

श्री सम्पत सिंह : गांव, देहात, शोषित, किसान, मजदूर, हरिजन सबका मुल्क है यह सड़कों पर जुलूसों में उसको पीटेंगे। उसकी हैसियत इतनी है जितनी टाटा और बिड़ला की है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, अब मैं नोट नहीं करवाऊंगा। नोट नहीं किया जायेगा। नो एण्ड टू इट।

श्री सम्पत सिंह : ×××

श्री नाथू सिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : नो नोटेड।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री अध्यक्ष : मैंने बोल दिया, विपक्ष के नेता ने बोल दिया, आप सरकार की नहीं सुनना चाहते हैं। नोट नहीं करेंगे।

श्री जगतसिंह दायमा : ×××

श्री सम्पत सिंह : अमिताभ बच्चन की शादी होती तब ऐसे ही डण्डे पड़वाते क्या ?

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, घटना बड़ी गम्भीर है, सरकार खुद भी इस पर स्टेटमेंट देना चाहती थी और आप से भी रिक्वेस्ट यही है कि आप समय का निर्धारण कर दीजिए....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई समय नहीं, अभी जवाब दो। अध्यक्ष महोदय, यह स्टेटमेंट का ही गवर्नमेंट चाहती थी कि हमको समय दे दीजिए....

श्री अध्यक्ष : मैं यह कहता हूं.... (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : उन लोगों ने उनके साथ ज्यादती की है, उन लोगों ने जनता के सामने उनके बाल पकड़-पकड़कर सड़कों पर घसीट कर मारा है।

श्री अध्यक्ष : सुनिये, पूरा सुनिये तो सही। मन्त्रीजी के अलावा किसी का नोट नहीं करेंगे।

श्री विजय सिंह : ×××

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ×××

श्री सम्पत सिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : जब माननीय मन्त्रीजी बोल रहे हैं उनको बीच में इण्टरप्शन कर रहे हैं। वह बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ×××

श्री अध्यक्ष : भैरोंसिंहजी, सुनिये तो सही। और भी सुनना चाहते हैं उनको। यह गलत बात है, भैरोंसिंहजी, यानी सरकार को आप बोलने ही नहीं देना चाहते

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

हैं, समस्या का हल नहीं निकालने देना चाहते हैं। यह गलत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : × × ×

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री भंवरलाल शर्मा : × × ×

श्री यदुनाथ सिंह : × × ×

श्री डूंगरराम पंवार : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अब मेरी सुनिये। पहले मेरी सुनिये। आसन की भी सुन लीजिए। नोट नहीं हो रहा है। भाई, सरकार की नहीं आसन की तो सुनो।

श्री मांगीलाल मेघवाल : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री मदन महाराजा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं किसी का नोट नहीं करवा रहा हूं, किसी का नोट नहीं कराऊंगा। (व्यवधान)

श्री भूदरमल वर्मा : × × ×

श्री भंवरलाल शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : वह भी हरिजन बोल रहे हैं, वह भी हरिजन हैं। कृपया आप बैठें। बिराजिये। आप बैठो, बैठो।

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री यदुनाथ सिंह : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : डूंगररामजी, बैठिये कृपया। आप बैठिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

(व्यवधान)

श्री मांगीलाल मेघवाल : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें स्टेटमेंट होगा। अब मैं प्रश्न लेता हूं....(व्यवधान) आप तो हरिजनों को यहां ही नहीं बोलने देना चाहते हैं।....

(व्यवधान)

श्री दीपचन्द राठौड़ : × × ×

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : × ×

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री डूंगरराम पंवार : × × ×

श्री यदुनाथ सिंह : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हंसराज मिढा : X X X

श्री जगतसिंह दायमा : X X X

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बैठें। मैं प्रश्न लेता हूं। (व्यवधान) इसमें स्टेटमेण्ट हो जायेगा, मैं प्रश्न ले रहा हूं। (व्यवधान) वह हरिजन हैं उनको तो बोलने दीजिये आप। (व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : X X X

श्री हीरालाल आर्य : X X X

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : X X X

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों ने हिन्दू और मुसलमानों को लड़ाकर राज किया....(व्यवधान)

श्री दीपचन्द राठौड़ : सदन में आपने व्यवस्था दे दी है, आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : X X X

श्री दाऊदयाल जोशी : X X X

श्री हंसराज मिढा : X X X

श्री विजयसिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। माननीय सदस्य, देखिये इसमें स्टेटमेण्ट होगा। मैं यह चाहता हूं कि अलग-अलग माननीय सदस्यों के जो प्रश्न हैं, कृपया.... अब मैं प्रश्नों को लेता हूं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में स्टेटमेण्ट आयेगा। मैं चाहता हूं कि आगे के प्रश्न लिये जायं। (व्यवधान) सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पूर्व 11.35 पर आधे घण्टे के लिये स्थगित हुई।)

(पुन: समवेत होने पर)

(समय 12.05 म. प.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, अभी पहले जब चर्चा हो रही थी तो विपक्ष के माननीय सदस्यों के सारे ही माइक बन्द करा दिये थे, अब तो चालू करवा दीजिये कम से कम।

श्री माधवसिंह दीवान (चिकित्सा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके निदेशानुसार सरकार 1 बजे, जो वाकया हुआ है उस पर स्टेटमेंट देने को तैयार है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल तो समाप्त हो ही गया है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:–

(1) श्री नवनीतलाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से माही डैम की दायीं मुख्य नहर की शाखा माईनर 47 कि. मी. पर सवाका पाडला नाम की खुदाई कार्य की मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में।

(2) श्री डूंगरराम पंवार, सदस्य,

X X X माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र टीबी के रावतसर तहसील के बड़े-बड़े गांवों को बिजली और पक्की सड़क से नहीं जोड़े जाने के संबंध में।

(3) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से संभाग आयुक्त, कोटा के पास लम्बे समय से 2000 से अधिक मामले विचाराधीन पड़े रहने से किसानों को होने वाली कठिनाई के संबंध में।

(4) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में मंहगाई और मिलावट में निरन्तर बढ़ोतरी के कारण जनता को होने वाली कठिनाई के संबंध में।

(5) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले की कापरेन नगरपालिका द्वारा जनविरोधी कार्यों से राहत दिलवाने के संबंध में।

(6) श्री यदुनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विभिन्न अन्तर्राज्यीय बैठकों में गंगा यमुना नदियों के पानी का बंटवारा नहीं होने तक योजना तैयार नहीं करने का निर्णय होने के उपरान्त भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना बनाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री लालचन्द डूडी और श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा तस्करों से मिलकर सरकार को भारी हानि पहुंचाने के संबंध में।

(8) श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था में निरन्तर कमी आने से दुर्घटनायें बढ़ने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है, और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(9) श्री भैरोंसिंह शेखावत और श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले के मसारी गांव में एक हरिजन दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ाने पर असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट किये जाने के संबंध में।

इस संबंध में सरकार 1 बजे अपना स्टेटमेंट देगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री रघुवर दयाल गोयल, श्री नारायणराम बेड़ा, श्री अर्जुनसिंह देवड़ा, श्री रतनलाल ताम्बी, श्री प्रतापसिंह सिंघवी, श्री मोहनलाल बारूपाल, श्री मोहनलाल चौहान, श्री रामधन मीणा, श्री हीरासिंह चौहान, श्री किरोड़ीलाल मीणा, श्री गिरधारीलाल भार्गव, श्री नवरंगसिंह, श्री माणक डाणी, श्रीमती विद्या पाठक।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को केवल पढ़ने की अनुमति होगी। श्री रघुवरदयाल गोयल।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री रघुवरदयाल गोयल (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो 295 के

(श्री रघुवर दयाल गोयल)

तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव है उसके माध्यम से मैं स्वास्थ्य मन्त्री और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, हमारे यहां रेफरल अस्पताल के सम्बन्ध में है।

अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में रामगढ़, विधान सभा मुख्यालय....(व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था और आपने उसको जानकारी के लिये भेजा है। अध्यक्ष महोदय, जानकारी पता नहीं कब आयेगी लेकिन यह बहुत इम्पार्टेंट है। करोड़ों रुपये महीने सरकार के टैक्स के खत्म हो रहे हैं, उसके ऊपर आप हमें बोलने की इजाजत दें।

श्री डूंगरराम पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैंने सात दिन पहले स्थगन प्रस्ताव दिया था....उसमें आपने जानकारी के लिये भेजा था परन्तु अभी तक जानकारी नहीं आई है....

श्री लालचन्द डूडी : आपने यही फरमाया था कि जल्दी से जल्दी जानकारी मंगाई जायेगी, अध्यक्ष महोदय, यह सारी जानकारी हमारे पास है....

श्री अध्यक्ष : श्री डूंगररामजी, कृपया एक मिनट के लिये बैठें। हरजीराम जी....

श्री हरजीराम बुरडक : इस पर स्टेटमेंट दिलाने की व्यवस्था करायें, जानकारी तो आयेगी ही नहीं। अभी तक 60 करोड़ रुपये का घोटाला तो हो चुका और हर महीने करोड़ों रुपये का घोटाला होता है। अब ऐसे मामले में आप सरकार से जानकारी चाहेंगे, जानकारी से क्या होगा। आप यह व्यवस्था दीजिये कि सरकार इस पर स्टेटमेंट देगी।

श्री डूंगरराम पंवार : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था वह एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है रावतसर तहसील के अन्दर दो तरह की कीमतें,....(व्यवधान) बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। सात दिन हो गये, आपने कहा था कि जानकारी मंगा रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, आप इस पर व्यवस्था दिलावें कि सरकार इस पर स्टेटमेंट दें।

श्री अध्यक्ष : अगर जरूरत हुई तो स्टेटमेंट दिलायेंगे।

श्री लालचन्द डूडी : यह बहुत जरूरी है। इसके बारे में आपको निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्डर एरिया पर जो बेरियर्स हैं वहां पर केलकुलेटेड तरीके से टैक्स की चोरी हो रही है। इसके बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज एक ट्रक चने का जाता है तो इसके ऊपर पांच हजार रुपये का टैक्स बनता है। मूंग, मोठ का जाता है तो करीब एक हजार रुपये का टैक्स बनता है। अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह बना रखी है राजस्थान और हरियाणा के बोर्डर पर जैसे लुढाना राजगढ़ तहसील में राजस्थान का बार्डर है, उसके आगे हरियाणा में भुसका बोर्डर है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान से ट्रक जाते हैं और राजस्थान के बेरियर पर उनकी टी. पी. पर मोहर लग जाती है और रजिस्टर में इन्टरी नहीं करते हैं। सरकार को पता

(श्री लालचन्द डूडी)

नहीं, कितने ट्रक गये और कितने नहीं गये। इस तरह से पीपली का बेरियर है, इसी तरह से सीपलू का बेरियर है, इसी तरह से हरियाणा के साथ मिलने वाले और 6-7 बेरियर हैं। उनके ऊपर जाकर आप रिकार्ड देखते हैं और अपने यहां के राजस्थान के बेरियर का रिकार्ड देखते हैं, तो आप ताज्जुब करेंगे कि हरियाणा के बेरियर के ऊपर सारे ट्रकों के नम्बर, बिल और टी. पी. नम्बर दर्ज होते हैं और राजस्थान के अन्दर किसी भी प्रकार का कोई दर्ज नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, इसकी कहीं किसी तरह की जांच करने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई इन्क्वायरी करने की जरूरत नहीं है। केवल एक बात करने की है कि हमारे अधिकारी राजस्थान की सीमा पर जो बेरियर हैं उनका रिकार्ड देख लें और उसके बाद हरियाणा की सीमा पर जो बेरियर हैं उनका रिकार्ड देख लें, अगर पांच हजार ट्रक की इन्टरी हरियाणा के बेरियर पर है तो राजस्थान के बेरियर पर पांच ट्रकों की इन्टरी आपको नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, एक महिने में कम से कम हजारों ट्रक जाते हैं, इतने बेरियर तो मैं एक एरिया में बता रहा हूं, राजस्थान की बाउण्डरी दूसरी तरफ भी है, वहां से कितनी टैक्स की चोरी होती है। यह केलकुलेट तरीके से हो रहा है। हमारे उपायुक्त बीकानेर में हैं, उपायुक्त जयपुर जोन में है। उन्होंने हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखी कि राजस्थान से इस तरह से माल जा रहा है, चने की भारी फसल हुई है, राजस्थान से तस्करी करके हरियाणा की मार्फत देहली माल ले जा रहे हैं, इन पर आप सख्ती करो और उनके टी. पी. पर राजस्थान के बेरियर की मोहर नहीं लगी हुई तो उसको गलत मानें। मोहर लगा देते हैं। साबित कर देते हैं कि हम इतनी कार्यवाही कर रहे हैं। हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिख देते हैं। कम से कम एक दिन में एक लाख रुपये के टैक्स का माल जाता है। चार-चार महिने तक चैक नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां एक इन्स्पेक्टर की पोस्ट है जो तीन साल से खाली है क्योंकि ऊपर वाले आपस में मिलकर यह सारी की सारी चोरी कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण बताऊं। एक बार इन बेरियर वालों ने क्या किया? सरकार को चिट्ठी लिखी चूंकि हम जंगल में है और हमें आतंकवादियों से डर है इसलिये यहां पर पुलिस चौकी बिठा दें। सरकार ने वहां पुलिस चौकी कायम कर दी। गलती हो गई। 5-6 दिन बाद पुलिस वालों के समझ में आगया कि किस तरह से लूट हो रही है। उन्होंने कहा कि आधा हिस्सा हमें भी दो। अब उनको परेशानी हो गई। तीसरे दिन वहां से पुलिस चौकी हटाने के लिये लिख दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा हूं कि जनवरी से लेकर आज तक इन 5-6 बेरियर्स पर जिसमें भादरा का बेरियर है, सीपलू का बेरियर है, पीपली का है, थान मिटाई का बेरियर है और लुठाना का बेरियर है, इन बेरियर के ऊपर कम से कम 60 करोड़ रुपये की मार्च से लेकर आज तक टैक्स की चोरी हो रही है।

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार से कहूंगा कि और फैक्ट्स मंगवा लें। मैं सरकार से कहूंगा कि इसकी और जांच करा लें।

श्री लालचन्द डूडी : यह जानकारी मैं सरकार को दे रहा हूं। सरकार इसमें कुछ और भी जानकारी न ले केवल इतना काम कर दे कि हरियाणा बेरियर का रिकार्ड और राजस्थान के बेरियर का रिकार्ड मिला लें इससे सारा का सारा साफ हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, खुले आम इस तरह टैक्स की चोरी हो रही है।....

श्री चम्पालाल बांठिया : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश की सीमा पर भी इस तरह से लाखों रुपयों की चोरी हो रही है।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो यह हो रहा है, दूसरी तरफ मैंने 295 के तहत यह कहा था कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। वे अपने घर से माल बेचने जायें तो उनको कहते हैं कि हनुमानगढ़ जाकर ए. सी. टी. ओ. को दरख्वास्त देकर फार्म 18 सी. सी. लो। दरख्वास्त देने के बाद महिनों तक यह फार्म किसानों को नहीं मिलता है। किसान के माल पर कोई टैक्स नहीं है, उस पर कोई पाबन्दी नहीं है, उसको माल ले जाने के लिये इस तरह से पाबन्द किया जाता है और व्यापारी तस्करी से माल ले जाते हैं और इस तरह सरकार की करोड़ों रुपयों की टैक्स की चोरी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस चोरी को रोका जाये। धन्यवाद।

श्री रघुवर दयाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, कृषकों को अपनी उपज बाहर ले जाने में किसी तरह की पाबन्दी नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे 295 का अभी तक जवाब नहीं आया है। दस दिन हो गये। आसन से यह डाइरेक्शन दिये गये थे और विधि मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि तीन दिन के अन्दर जवाब मंगवा देंगे। आज दस दिन हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : शायद आ गया होगा। आप चेम्बर में देख लें।

श्री देवीसिंह भाटी : हमें इससे क्या मतलब है। यह हमारे अधिकारों का सवाल है। चेयर को हमारे अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये, पैरवी करनी चाहिये और सरकार को ताड़ना देनी चाहिये।...

श्री अध्यक्ष : मैं करूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, चेयर के बार-बार डाइरेक्शन देने के बाद सरकार गौर नहीं करे....

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं आ गया है चेम्बर में आ जायें।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मान कर चलें कि जवाब आ गया है और आपके चेम्बर में पड़ा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं आया तो मैं दिखवा लूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : यह मान कर चलें कि सरकार का जवाब आ गया और विधान सभा सचिवालय में पड़ा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं ऐसा नहीं है। डाइरेक्ट सदस्यों को भी जवाब जाता है। माननीय सदस्य को नहीं पहुंचा होगा तो हमारे यहां से दे देंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : आप सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।

(13)

श्री अध्यक्ष : चेम्बर में आ जायें।

श्री देवीसिंह भाटी : चेम्बर में किस लिये आवें ? यह सारी व्यवस्था चेयर के हाथ में है कि किस प्रकार जवाब आ जाये और माननीय सदस्यों को चला जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय देवीसिंह जी, आप चेम्बर में आकर देख लें औरों को भी अधिकार है।

श्री देवीसिंह भाटी : किसलिये आवें चेम्बर में ? हम तो नहीं आयेंगे। यह हमारा अधिकार है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : औरों का भी अधिकार है। वे पढ़ लें इस समय। मैं आपके अधिकारों को डिनाई नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था गलत है....(व्यवधान) चेयर से आपने निर्देश दिये और हम चुप करके बैठ गये। आज 10 दिन बाद भी वही का वही। (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। टौंक में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और महामन्त्री दोनों के विरूद्ध उन्होंने एक बयान दिया अखबारों में कोतवाल के विरूद्ध और पुलिस के विरूद्ध, किये लोग कई मामलों में सम्मिलित हैं। बदले की भावना से दोनों के विरूद्ध गलत केस बनाया। केस बनाकर उनको 29 तारीख दी चालान पेश करने के लिये। 29 तारीख के पहले आई. जी. क्राइम से दफ्तर में आकर मिला डेपूटेशन। आई.जी. ने वहां से फाइल मंगाने के लिये वायरलैस टौंक पुलिस को कहा, चिट्ठी भेजी। जब टौंक पुलिस को यह पता लगा कि वायरलैस से फाइल जा रही है–मंगाई है आई. जी. क्राइम ने जांच के लिये तो 29 तारीख के बजाय काटकर 27 तारीख करके और 27 तारीख को कोर्ट के अन्दर चालान पेश कर दिया.... (व्यवधान) सब जूडिस है इसलिये....।

श्री अध्यक्ष : नो, नो, माननीय सदस्य मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री नाथू सिंह : लेकिन यह बदले की भावना से... (व्यवधान) पालिटिकल कार्यकर्ताओं का फंसाना पुलिस का....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नाट अलाउड।

श्री नाथू सिंह : मैं तो केवल उसका प्रोटेक्शन चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। आप सरकार को कोई डाइरेक्शन दें कि उन लोगों के विरूद्ध पुलिस और कुछ कार्यवाही नहीं करे नहीं तो गलत केस उनके विरूद्ध बनायेगी और उनको बन्द करेगी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं सरकार से कहूंगा कि गलत केस नहीं बनायेगी। (व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक आधी मिनिट का व्यवस्था का प्रश्न है। केवल आधी मिनिट का। मैं पूरी व्यवस्था का प्रश्न नहीं ले रहा हूं आपसे। नहीं, आधी मिनिट का। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, कि जयपुर शहर में यातायात की व्यवस्था यूं ही निकम्मी थी और इस समय और भी बिगड़ी हुई है। सरकार ने कुछ बसेज़ चलाई हैं लेकिन वह अपर्याप्त है। मैं किसी की बात न कहते हुए निवेदन यह

(14)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

करना चाहूंगा जयपुर शहर में पिछले 11 दिन से आटो रिक्शा वालों की हड़ताल चल रही है। लोग रिक्शा में आने जाने में अस्पताल भी जाते हैं, स्टेशन भी जाते हैं आते है। बगैर आटो रिक्शा के मैं समझता हूं कोई वैकल्पिक व्यवस्था है ही नहीं। राज्य सरकार ने सी टी एस चलाई वह बिलकुल अपर्याप्त है इसलिये मेरा निवेदन करना है आटो रिक्शा वाले राज्य सरकार से बार बार मिले है। राज्य सरकार ने आटो रिक्शा वालों की मांग पर क्या विचार किया है या विचार नहीं किया है या विचार करना ही नहीं है।

श्री नाथू सिंह : आटो रिक्शा वालों को भी कहा जाय कि वे भी मीटर से चलें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह आप जो कुछ भी चाहे, जो करें। बिलकुल मीटर से चले। मैं भी यह चाहता हूं पर दिल्ली की रेट यदि उनको मिल जाय।

श्री अध्यक्ष : नाथूसिंहजी, इनको आप हस्तक्षेप न करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन है राज्य सरकार ने क्या किया है ?

श्री अध्यक्ष : इनकी अपनी समस्यायें है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे मीटर से न चले, वे मीटर से चले। जो कुछ भी आपने एक बार बात तय कर दी और राज्य सरकार गम्भीरता से उनके साथ बैठ करके बात कर ले लेकिन 11 दिन से जयपुर शहर में आटो रिक्शा की स्ट्राइक, सरकार सीटीएस व्यवस्था को चला नहीं सके लोगों का कष्ट जो बढ़ रहा है 11 दिन से उस ओर मैं निवेदन करना चाहता हूं। राज्य सरकार चिन्तन करके मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में जो कुछ उन्होंने विचार किया है, वह सदन में व्यक्त करेंगे। यही मुझे आपकी सेवा में निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवर दयाल।

श्री मानिकचन्द सुराना : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : रघुवर दयाल जी।

श्री मानिकचन्द सुराना : अध्यक्ष जी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न विधान सभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों से सम्बन्धित है। हाल ही में आपने जो सशोधन नियमों में किया है उसमें जिस सत्र में एनुअल फाइनेनसियल स्टेटमेंट पर बहस होनी है उसमें 40 प्रश्न तारांकित और 60 अतारांकित हमें भेजने का अधिकार है उससे अधिक हम भेजेंगे तो विधान सभा सचिवालय उसको निरस्त कर देगा और उसके प्रश्न को प्रश्न आया हुआ नहीं मानेंगे। हमारी समस्या यह है कि जो सवाल हमने तारांकित भेजे है और अतारांकित भेजे हैं उन सारे सवालों को यह प्रायरिटि की प्राथमिकता अंकित करने का जो नियमों में यह है कि तारांकित प्रश्नों में है लेकिन अतारांकित प्रश्नों में प्राथमिकता मार्क करने का कोई नियम नहीं है। देखा यह गया है और अनुभव यह किया गया है और तथ्यात्मक

(श्री मानिकचन्द सुराना)

रूप से सही है कि हमारे अतारांकित सवाल भी राज्य सरकार को नहीं भेजे जाते हैं वे यहीं रोक लिये जाते हैं और जिस दिन सूची में वह छपते हैं तीन-चार दिन पहले तब वह राज्य सरकार को भेजा जाता है इससे एक बड़ी परेशानी हम जो 200 विधायक यहां बैठते है जिसमें से 20-25 मंत्री होंगे उनके अलावा हम सबके लिये बड़ी परेशानी यह है कि जिन प्रश्नों के माध्यम से हम राज्य सरकार को अवगत कराना चाहते है विधान सभा सचिवालय द्वारा वह अतारांकित सवाल और तारांकित सवाल उनको न भेजना....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, मेरी बात सुनिये (व्यवधान) यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। कोई कठिनाई है तो चेम्बर में बात कर लेंगे। You connot discuss it here.

श्री मानिकचन्द सुराना : नहीं, कठिनाई नहीं....

श्री अध्यक्ष : मैं चेम्बर में बात कर लूंगा-कोई कठिनाई है तो।

श्री मानिकचन्द सुराना : यह रूल्स के तहत है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसका भी हल करेंगे। (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : अधिकारों का तो इनका हनन हो रहा है जो प्रायः बहुत कम बोलते हैं। (व्यवधान) कह रहा हूं. हनन तो इनका हो रहा है जो बहुत कम बोला करते है.... (व्यवधान) मैं तो इनके हनन की रक्षा नहीं कर सकता जो कभी कभी बोलते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराना : दो मिनिट बाद बोल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह दिक्कत तो है ही। मैं कह रहा हूं यह मैंने सुन लिया।

श्री मानिकचन्द सुराना : अध्यक्ष जी आप प्रोटेक्ट करें।

श्री अध्यक्ष , हां, मैंने सुन लिया।

श्री मानिकचन्द सुराना : मुझे प्रोटेक्ट करें आप।

श्री अध्यक्ष : मैं करूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराना : यह सवाल केवल मेरा ही नहीं है। यह सारे ही विधायकों का सवाल है। मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि आपने जो नियम बनाये, जो संविधान के नियम हैं, हम उन नियमों के तहत जो हमारे अधिकार पैदा हुए है, एक सरक्यूलर विधान सभा सचिवालय ने जारी किया। हमारी परेशानी उस सरक्यूलर से है। सरक्यूलर में यह लिख दिया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सुराना जी, आप बहुत विद्वान हैं। मैं कहता हूं कि यह पाइन्ट आफ आर्डर जब होता है जिस समय कि अभी हमें क्या कठिनाई है, एट मूवमेंट, इस समय।

श्री मानिकचन्द सुराना : पाइन्ट आफ आर्डर, नियम संविधान के तहत जो बने....।

श्री अध्यक्ष : दिस इज नाट प्रापर टाइम।

श्री मानिकचन्द सुराना : नहीं, नहीं प्रक्रिया व कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में हमारा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : यू केन नाट डिसकस इट। नो, नो।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह षडयन्त्र है सरकार का.... (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : जो सवाल देते हैं, विभागों के पास जाने आवश्यक हैं.... (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : इससे हमारे सामने दुविधा हो गई। किसी सवाल को हम देना चाहते हैं और सरकार को उसकी जानकारी भी न हो।

श्री मानिकचन्द सुराना : सवाल चले जायं। कोई प्रश्न आयेगा तो विधान सभा.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उसकी व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराना : तब तक सत्र खत्म हो जायेगा। हमारे सवाल आज की तारीख तक तो गये नहीं हैं। हम आपसे यह डाइरेक्शन ही चाहते हैं कि हमारे सवालों को अतारांकित को और तारांकित को राज्य सरकार को भेज दिया जाय और वे बेलेट में आये तारांकित तो लगे और नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा लेकिन कम से कम राज्य सरकार और उसका विभाग ऊपर से नीचे तक उन सारे सवालों के प्रति और हमारे मंत्रियों को भी कोई जानकारी नहीं होती है अध्यक्ष जी। उनको ढेर सारी जानकारियां उन प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त होती है और मंत्री खुद भी ओबलाइज फील करते है कि ये सवाल आयें जिससे कि हमारी जानकारियां बढ़े। इसलिये इसकी सारी फंक्शनिंग जो है विधान सभा सचिवालय और विधान सभा की और हमारे प्रश्न भेजने की सेंक्टिटि और हमको जो अधिकार है माननीय अध्यक्ष जी कि हम 40 सवाल भेजे तारांकित और 60 सवाल भेजे अतारांकित, उसकी रक्षा और उसमें जो राज्य सरकार के द्वारा कार्यवाही होकर उसका जो समाधान हो जाता है, वह रुक रहा है इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इसमें जो भी हमारे प्रश्न आयेंगे, वे राज्य सरकार को भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको देख करके कर दूंगा।

श्री नाथू सिंह : नहीं, देखे नहीं अध्यक्ष महोदय, अब से पहले शुरू से ही यह व्यवस्था थी।

श्री अध्यक्ष : वह उन्होंने कह दिया।

श्री नाथू सिंह : नहीं, नहीं। जितने क्वेश्चन आते थे, सब भेजे जाते थे। यह अभी क्यों बदली गई है और आप कह रहे है व्यवस्था देंगे, देख लेंगे क्या सदन.... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया है या तो आप इसको निरस्त कर दीजिये या इसके ऊपर व्यवस्था दीजिये। देख लेंगे, क्या देख लेंगे।

श्री नाथू सिंह : क्या वर्तमान सैशन समाप्त हो जायेगा उसके बाद आप देखेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मैं इसको जा करके चेम्बर में.... (व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : व्यवस्था हेज आलरेडी बीन गिविन, नाट हर्ड।

श्री अध्यक्ष : चेम्बर में जा करके, इसको देख करके, इसकी फाइल देख करके फाइनल कर दूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराना : हम सब लोग चेम्बर में इकट्ठे हो जायेंगे माननीय अध्यक्ष जी आपके जाते ही। (व्यवधान) और इसका निर्णय आज ही आप कर दें।

श्री नाथू सिंह : यह तीसरी बार हमने सदन में मामला उठाया है। सरकार का षड़यन्त्र है कि हमारे सवाल राज्य सरकार के पास नहीं पहुंचते हैं।

श्री डूंगरराम पंवार : यह मुख्यमंत्री वाली भाषा मत बोलो कि देख लेंगे, दिखवा लेंगे, देख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी भी करीब-करीब यही मंशा है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं कहता हूं आधा घंटा फिर गया। आधा घंटा फिर गया। मैं कहता हूं काम में ले लूं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो चेम्बर में कर सकते हैं।

श्री नत्थी सिंह : 6 महिने से हम कहते आ रहे हैं। आप सुनते तो हो नहीं। देख लेने के बाद आप देख नहीं पाते। आप समाधान क्यों नहीं करते हैं। पहले सवालों को भेज दें, आज ही समस्यायें हल हो जायेंगी।

श्री सम्पत सिंह : आप आधा घंटे की बात कर रहे हैं, हम 6 महीने से इन्तजार कर रहे हैं, विधान सभा आयेगी, कोई समस्या उठायेंगे। कार्यालय से जानकारी करी, उन्होंने कहा कम सवाल भेजे थे। आप बताइये, ज्यादा सवाल भेजें। हम अपने नाम के आगे से सिंह काट दें तब तो हमारे सवाल आ जायं। ऐसा ही कुछ है। लाल, फाल, बाल, शर्मा, सराफा अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को बहुत गंभीरता से निवेदन कर रहा हूं कि हमारे सवाल तो लगने चाहिये। इनके इसलिये लग रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी में हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानकारी चाह रहा हूं, प्रोटक्शन चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने कह दिया मैं चेम्बर में देख कर इसको फाइनल करूंगा। फाइल भी देखे लेते हैं कन्सर्निग, नियम भी देखे लेते हैं। सारी चीजें देख करके करूंगा।

श्री सम्पत सिंह : इस चीज की परवाह ही नहीं है।

श्री नाथू सिंह : आप कहेंगे कि स्टाफ नहीं है इसलिये नहीं भेज पा रहे हैं। स्टाफ की व्यवस्था करना सरकार का काम है, हमारी यह जिम्मेदारी नहीं है।

श्री नत्थी सिंह : आधी समस्या तो सदस्यों की वैसे ही हल हो जाय अगर प्रश्न चले जायं तो।

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गंभीरता से निवेदन कर रहा हूं, मेरे

(श्री सम्पत सिंह)

प्रश्न की भाषा को तोड़ मरोड़ कर रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं भी गंभीरता से ले रहा हूं। आपकी बात को बहुत गंभीरता से ले रहा हूं।

श्री सम्पत सिंह : चार साल से मैं लगातार पूछ रहा हूं, राजस्थान हाई कोर्ट में जजों का। आप बताइये विस्तार से कौन कौन हैं, क्या-क्या हैं ? यही सुबह जो जातिगत दंगा था, इस बारे में मैं जानना चाहता था। यह व्यवस्था है और इसको बनाये रखने में आपकी दिलचस्पी है।

श्री देवीसिंह भाटी : हर मामले को आप पैंडिंग कर देते हैं, कोई भी निर्णय नहीं लेते। कल विरोधी दल के नेता ने भी मसले उठाये तो हमारे जितने भी मोशन आये हुए हैं सारे देख लेंगे, देख लेंगे। चेम्बर में मिल लेना। विरोधी दल के नेता का दावा है तो वह भी आपने लटका कर छोड़ा हुआ है, वह भी देख लेंगे। आज प्रश्न का मामला उठाया जो नियमों से संबंधित है वह भी देख लेंगे। अब आधा घंटा कौन खराब करना चाहता है, कोई खराब नहीं करना चाहता है। बार-बार हमें मुद्दे उठाने पड़ते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, हमेशा यही परम्परा रही है कि चेयर पर कभी आरोप नहीं लगे हैं पर अब परम्परा शुरू हो गई है दुबारा।

श्री देवीसिंह भाटी : यह कौन चालू कर रहा है ? कौन मौका दे रहा है ? हमें भी बड़ी तकलीफ होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिये लेकिन यहां तो छूट दे रखी है कि खेलो, खुला मैदान है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी, आपको कई बार कह दिया.... (व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप इसके मंत्री है, आप कह दीजियेगा, व्यवस्था कर देंगे। यह आपके कारण हमारे सम्माननीय अध्यक्ष महोदय को सुनना पड़ रहा है। आप जब यहां बैठे हुए हैं, आप कह दीजियेगा, सारे प्रश्नों को भेज दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अब यह नोट नहीं किये जायेंगे। नोट नहीं करेंगे। नोट नहीं करेंगे कृपया नोट नहीं करेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : XXX

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री सम्पत सिंह : XXX

श्री डूंगरराम पंवार : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। समय को काम में लें। समय को उपयोग में लें। नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। किसी को अलाउ नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। 35 मिनट....

श्री नाथू सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : नो नो, हाफ एन आवर, नाट इवन हाफ मिनट— ना ना, कृपया

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

बैठें। अन्त ही नहीं है इसका। अन्त नहीं है। किसी का नहीं करेंगे। श्री रघुवर-दयाल।

श्री नाथू सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : किसी का नोट नहीं करेंगे। नो नो, नोट अलाउड। नो क्वेश्चन बिफोर मी, नथिंग। नोट नहीं करेंगे। नथिंग बिफोर मी।

श्री नाथू सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह भी कोई अधिकार रखते हैं। यह भी अधिकार रखते हैं। आप ही नहीं रखते....नाट अलाउड। नोट नहीं किया जाय किसी का। रघुवरदयाल जी नोट नहीं किया जायेगा। कतई नोट नहीं किया जायगा।

श्री नाथू सिंह : × × ×

श्री डूंगरराम पंवार : × × ×

श्री नाथू सिंह : × × ×

श्री सम्पत सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं हो रहा है। नोट नहीं हो रहा है। कृपया समय को उपयोग में लेने दीजिये। कृपया समय को उपयोग में लेने दीजिये। किसी का नोट नहीं हो रहा है। जिसकी टर्न है उसको बोलने दीजिये। कृपया जिसकी टर्न है उसको बोलने दीजिये।....माननीय रघुवर दयाल जी। किसी का नोट नहीं किया जाय। माननीय नाथूसिंहजी, आज क्या इरादा करके आये हैं। आप चाहते क्या हैं ? समय को उपयोग में नहीं लेने दे रहे हैं। आपने ले रखा है और किसी मेम्बर का तो कोई अधिकार ही नहीं है। जो नहीं बोलते हैं उनका तो अधिकार ही नहीं है आपने पूरे उसका ठेका ले रखा है क्या कि मैं ही बोलूंगा। और किसी को नहीं बोलने दूंगा। यह टर्न आ रही है। आप क्या इरादा लेकर आये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इरादा यही लेकर आये हैं कि सदन में जो सवाल पूछा जाये उसका उत्तर दिया जाय। अब प्रश्न तो खत्म हो गये। हम आपसे चाहते हैं कि आप सरकार को निर्देश दें कि जो सवाल पूछे जाय उनका उपयुक्त समय पर जल्दी सरकार उत्तर दें। यह निर्देश जरा सख्ती से दीजिए यही चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष : जरा सरकार देखें, माननीय मिर्धा साहब कह रहे हैं, जवाब दिया जाय वह जल्दी दिया जाय और सही दिया जाय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उनके बारे में तो व्यवस्था दे दी लेकिन जो प्रश्न हम लोग देंगे, उनको सरकार को भेजेंगे उसके बारे में तो कोई व्यवस्था दी नहीं आपने। प्रश्न तो यह था हमारा, उसको डाइवर्ट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, + + + जो मैं पूछ रही हूं उसकी व्यवस्था दीजिए।

श्री अध्यक्ष : सुन लिया मैंने। श्री रघुवरदयाल जी।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : केवल सुनने से काम नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे चुका हूं। आप थी नहीं।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा। हम साफ-साफ निवेदन करना चाहते हैं, वर्तमान व्यवस्था पर करारी चोट करना चाहते हैं। हम यह पूछ रहे हैं कि मंत्रिमण्डल के सदस्यों की संपत्ति का ब्यौरा दिलवाइये, हम इसमें क्या गलती कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह मेरे सामने कोई प्रश्न नहीं है। नोट नहीं करेंगे।

श्री सम्पत सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप जैसा मर्जी आये सवाल करें–What is before me ? Nothing There is nothing before me. आप एल. एल. बी. हैं, वकील भी हैं, नियम भी देखे हैं आपने। नियम बतलाइये मुझे।

श्री सम्पत सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे इनकी बात .

श्री सम्पत सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप नियमों में मुझे कहीं बतला दीजिए, जो सवाल मेरे सामने नहीं है मुझे बतला दीजिए, आइ विल नाट अलाऊ। अंकित नहीं करें।

श्री नाथूसिंह : आप नियम 33 में देखिये, जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उनके जवाब दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : यह सवाल नहीं है, वह कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। अभी 295 चल रहा है। यह प्रश्नकाल नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : × × ×

श्री मानिकचन्द सुराना : × × ×

श्रीमती सुमित्रा सिंह : × × ×

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे। श्री रघुवरदयाल जी।

श्री रघुवर दयाल (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख कर रहा हूं। अलवर जिले में रामगढ़ विधान सभा मुख्यालय पर तहसील, पंचायत समिति, पुलिस स्टेशन, रा. उ मा. विद्यालय, पशु चिकित्सालय, स्टेट बैंक, पंजाब बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक आदि सुविधाएं वहां की जनता को उपलब्ध है किन्तु खेद है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के नाम पर यहां केवल एक डिस्पेंसरी है। कोई आयुर्वेदिक औषधालय भी नहीं है और डिस्पेंसरी में केवल एक चिकित्साधिकारी एवं एक कम्पाउण्डर का पद स्वीकृत है। यह डिस्पेंसरी अलवर स्टेट के समय की है। स्टेट के समय यहां एक डाक्टर, दो कम्पाउण्डर व अन्य नर्सिंग स्टाफ स्वीकृत था। स्टेट के समय के बाद से आज जब जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है चिकित्सा सेवाएं अति-

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रघुवर दयाल)

आवश्यक हो गई है लेकिन स्टेट के समय के मुकाबले चिकित्सा स्टाफ में भारी कमी हुई है जबकि बढ़ोतरी होनी आवश्यक थी। दवाइयां और मरीजों के लिए आवश्यक सामान जो स्टेट के समय मिलता था वह अब बिल्कुल ही सरकार नहीं देती। राजस्थान सरकार अन्य स्थानों पर चिकित्सा सेवाएं बढ़ा रही है। नई खुलने वाली डिस्पेंसरी में अब स्टेट के समय के स्टाफ के मुकाबले स्टाफ भी अधिक लगाया जाता है किन्तु अफसोस है कि यह डिस्पेंसरी जो काफी समय पूर्व ही रेफरल हास्पीटल में क्रमोन्नत हो जानी चाहिए थी, आज तक नहीं हुई है। अनेक बार विधान सभा में एवं व्यक्तिगत सम्पर्क से भी चिकित्सा मंत्री एवं राज्य सरकार से अस्पताल के लिए अनुरोध किया गया किन्तु परिणाम कुछ नहीं निकला। राजनैतिक भेदभाव यदि चिकित्सा सेवा, मानव सेवा में किया जाता रहा तो यहां रामगढ़ में बिल्डिंग भी इसके लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। मरीजों की संख्या भी प्रतिदिन 200 तक हो जाती है फिर क्या कारण है कि यहां चिकित्सा सुविधाओं में रेफरल हास्पीटल खोलकर बढ़ोतरी नहीं की जाती। यह मामला अत्यन्त लोक महत्व का है। इस सम्बन्ध में बहुत ही उदारतापूर्वक विचार करें और रामगढ़ में रेफरल हास्पीटल क्रमोन्नत करें।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणराम बेड़ा।

श्री नारायणराम बेड़ा (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर टेण्डर व तबादलों में गबन, घोटालों आदि पर विशेष उल्लेख की सूचना बाबत।

(12.45 बजे अपराह्न)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

महोदय जी, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अधिकारियों व मंत्री महोदय ने खिलौना समझ कर परीक्षण के तौर पर कार्य किया जा रहा है व राजकीय कोष को पानी की तरह फिजूल खर्ची में बहाया जा रहा है। पूर्व में एक लाख से लेकर बीस लाख से ज्यादा कोई टेण्डर नहीं किया जाता था और छोटा कार्य ठेकेदार समय पर पूरा कर देते थे व इन ठेकेदारों से 2 प्र. श अमानत राशि भी विभाग में जमा होती थी और कार्य आरम्भ न करने पर 1 प्रतिशत राशि जब्त की जाती थी। यह पूर्व व्यवस्था थी।

परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, आज तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष सागरमल गोपा ब्राच पर 190 आर. डी. से 313 आर. डी. पर लाइनिंग के कार्य पर 13 करोड़ का टेण्डर किया गया और फिर खारिज किया गया। ठीक समय पर कार्य नहीं हो सका। इस टेण्डर के साथ दो प्रतिशत राशि एडवांस ठेकेदारों को देने की शर्त नहीं थी इसलिए उन ठेकेदारों के अधिकारियों को कमीशन नहीं दे सकने के कारण वह टेण्डर खारिज हुआ परन्तु इस बार फिर इसी आर. डी. 190 से 313 पर 8 करोड़ का टेण्डर आमंत्रित किया जिसके लिए 2 प्रतिशत राशि भी एडवांस ठेकेदार को देने की तय की। उपाध्यक्ष महोदय, समझिये आप, 8 करोड़ का टेण्डर और उसके अमेन्स्ट में

(श्री नारायणराम बेड़ा)

गवर्नमेंट की तरफ से काम करने के लिए पैसा दे रहे हैं। बड़े टेण्डर करके पूंजी-पतियों को बढ़ावा देने का यह एक नमूना है। अतः इस प्रकार से राज्य सरकार के कोष में से बड़े अधिकारियों को कमीशन भी एडवांस में ठेकेदारों को दे दिया जायेगा बाकी कार्य हो या नहीं हो, भाग्य फूटे राजस्थान की जनता के....

एक माननीय सदस्य : भाग्य फूटे जनता के....

श्री नारायणराम बेड़ा : हां, काम हो नहीं हो भाग्य फूटे राजस्थान की जनता के, यह लिखा है मैंने, बिल्कुल लिख दिया है। ठीक इसी प्रकार से सीमेण्ट खरीद में भी विभाग ने दो पर्सेन्ट राशि एडवांस दी थी वहां एक थैला भी सीमेण्ट नहीं आयी। इस प्रकार से अधिकारियों द्वारा विभाग को लूटा जा रहा है। ऐसे ही बड़े टेण्डर देवा में भट्टा तीन करोड़ का था जिसमें सिर्फ 25 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है समय पूर्ण हो चुका है। (2) सदराउ में इसी प्रकार के दो कार्य पी. सी. सी. ब्लाक के थे जो एक, 3 करोड़ का था और दूसरा, 1.5 करोड़ का था उसमें दोनों कार्य 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हुए हैं मियाद पूरी हो चुकी है। इसी प्रकार से फलौदी लिफ्ट पर 3 करोड़ का टेण्डर एक वर्ष हो चुका है कार्य आरम्भ ही नहीं हुआ है।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चाहते क्या हो ? चेयरमैन को लगाया ही इसलिए है कि लूटो....

श्री नारायणराम बेड़ा : अगर यही करना है तो पहले ही 5 पर्सेन्ट रखो और चेयरमैन को देते रहो, कमीशन लेता रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये।

श्री नारायणराम बेड़ा : अतः इस प्रकार के कार्य करने से पिछले वर्ष भी बजट लैप्स हुआ था और आज तक चेयर-मैन के स्टेण्डिंग आदेश हैं कि बड़े टेण्डर ही किये जावें जिससे कार्य में विलम्ब हो तथा राजकोष को भी हानि हो रही है। इस प्रकार छोटे-छोटे टेण्डर करके कार्य को तुरन्त कराया जाय।

साथ ही सी. ए. डी. के फलौदी वृत–III का बार-बार हैड क्वार्टर बदलने से लगभग 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। निम्न प्रकार से बदला गया है :–

30.10.1988 को बीकानेर, 12.4.1989 को बीकानेर से मोहनगढ़ और 25.5.1989 को मोहनगढ़ से जैसलमेर और 2.6.1989 को जैसलमेर से फिर फलौदी और 30.6.1989 को पुनः फलौदी से बीकानेर। उपाध्यक्ष महोदय, दो महीनों में पांच बार सर्किल हैड क्वार्टर के बदले जाते हैं। इस प्रकार हैड क्वार्टर्स बदलना अपने आप में साबित करता है कि नहर का कार्य बिल्कुल नहीं करें एवं राज कोष को सिर्फ यात्रा में खर्च कर देवें।

उपाध्यक्ष महोदय, जबकि उक्त सर्किल का कार्य क्षेत्र सिर्फ मोहनगढ़ है। अधीक्षण अभियन्ता, सी.ए.डी. बीकानेर से मोहनगढ़ चैकिंग करेगा तो 400 किलोमीटर की यात्रा भत्ता उठायेगा। इस प्रकार विभाग

(श्री नारायणराम बेड़ा)

में लगातार हो रही हानि से बचाया जावे एवं इसको राजनैतिक रूप से नहीं जोड़ा जावे।

अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि विभाग में छोटे टेण्डर करवाये जायं एवं सी.ए.डी. का अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय फलौदी में ही रखा जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनसिंह देवड़ा।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के गांव रामसीण सब स्टेशन पर बड़ी क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाने हेतु मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था वह निम्न प्रकार है :—

महोदय, निवेदन है कि रानीवाड़ा विधान सभा के गांव रामसीण में 33 के. वी. का सब स्टेशन बना हुआ है जिसमें 1.6 क्षमता वाले दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। लेकिन इस समय इन ट्रांसफार्मरों पर भार अधिक होने से करीबन 200 होर्स पावर से अधिक इन पर भार है। ऐसी सूरत में एक तो सरकार द्वारा वैसे भी बिजली कम दी जाती है वह दूसरी जब यहां के किसानों को कृषि कार्य हेतु बिजली दी जाती है तो उस समय ट्रांसफार्मरों पर पर अधिक भार होने के कारण ट्रांसफार्मर गर्म हो जाते हैं तथा अलग से आवाज आने लगती है जिससे कर्मचारियों को इसकी सप्लाई काटनी पड़ती है। जिससे किसानों को अपनी फसल में सिंचाई करने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब घण्टे डेढ़ घण्टे में पानी ही फसल तक पहुंचता है व उसके बाद में बिजली बन्द कर देने पर पानी मात्र नहर तक ही जाता है और पहले जो पानी चला उसका कुछ भी फायदा नहीं होता मात्र किसानों को परेशानी जरूर होती है।

इस पर विद्युत विभाग स्वयं ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इन ट्रांसफार्मरों पर भार क्षमता अधिक है इस कारण से यहां पर 3.5 एम. वी. के. का ट्रांसफार्मर लगा दिया जाये जिसके आदेश पिछली साल ही हो चुके थे। लेकिन इस पर आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब चूंकि काफी समय बीत चुका है तथा वर्षा भी इस क्षेत्र में अभी तक नहीं हुई है। ऐसी सूरत में थोड़ी बहुत फसल तो कुएं द्वारा सिंचाई करके भी किसान ले सकते हैं। इसलिए जनहित को ध्यान में रखते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि रामसीण सब स्टेशन पर 3.5 एम. वी. के. के क्षमता वाले ट्रांसफार्मर अभी लगाने के आदेश दे दिये जाये तो किसानों को काफी राहत मिलेगी।

साथ ही मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि रामसीण, जसवन्तपुरा, करड़ा, रानीवाड़ा आदि सब स्टेशनों पर ओ. सी. बी. की भी व्यवस्था नहीं है जिसके कारण वहां पर विद्युत विभाग के बड़े ट्रांसफार्मर जल चुके हैं पर विद्युत विभाग को तो नुकसान हुआ लेकिन किसानों को जो नुकसान हुआ वह उससे भी अधिक हुआ क्योंकि बड़ी मेहनत करके किसान जब फसल को तैयार करता है और जब बीच में ट्रांस-

(24)

(श्री अर्जुनसिंह देवड़ा)

फार्मर जल जाते हैं तो उनकी फसल सूख जाती है। इस सभी स्थिति को देखते हुए मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो रामसीण में कम क्षमता के ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसकी जगह 3.5 एम. वी. के. का ट्रांसफार्मर लगाया जाय तथा जिन-जिन सब स्टेशन पर ओ.सी.बी. की व्यवस्था नहीं की गई है वहां पर ओ. सी. बी. की व्यवस्था कर दी जाये ताकि राज्य सरकार को भी घाटा नहीं लगे और किसानों को उससे राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रतनलाल ताम्बी। (अनुपस्थित)

माननीय श्री प्रतापसिंह सिंघवी।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश हमारा पड़ौसी राज्य है किन्तु मध्य प्रदेश की शिक्षा का स्तर राजस्थान से बहुत निम्न है इस कारण राजस्थान के युवकों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। राजस्थान की तुलना में मध्य प्रदेश की बी.एड. परीक्षाओं का स्तर भी निम्न है। इसलिए मध्य प्रदेश से बी.एड. करने वाले छात्रों के राजस्थान की अपेक्षा अधिक अंक आते हैं। दुःख का विषय यह है कि राजस्थान में मध्य प्रदेश से बी.एड. किये हुए छात्रों को अध्यापकों के पद पर नियुक्ति मिल जाती है व राजस्थान के छात्रों को अपने ही प्रदेश में नौकरी नहीं मिल पाती व दूसरे प्रदेशों के छात्र नियुक्तियां पा जाते हैं। यह हमारी अव्यवस्था के कारण से है। इस स्थिति को देखते हुए मेरा सुझाव है कि राजस्थान से बी.एड. किये हुए छात्रों को बोनस अंक दिये जावे व हर दृष्टि से राजस्थान के छात्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए अन्यथा हमारा प्रदेश बेरोजगार अध्यापकों का एक अटूट गढ़ बन जायेगा।

माननीय, नवीन खोले गये विद्यालयों के लिए फिर से सभी जिला परिषदों द्वारा साक्षात्कार लिए जायेंगे। यदि तत्काल समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो उसका मूल्य राजस्थान के बेरोजगार युवकों को चुकाना पड़ेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मोहनलाल बारूपाल।

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला पहले भी आया था। आज अपने डिप्लोमा होल्डर्स, डिग्री के भी हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य थोड़ा नियमों में चलियेगा। प्लीज सिट डाउन।

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में डिग्री होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, बी.एड. ये सभी बेरोजगार हो रहे हैं और यू. पी., एम. पी. के लड़के यहां पर आते हैं उनको....

श्री उपाध्यक्ष : मोहनलालजी बोल रहे हैं, पहली बार बोल रहे हैं। आप बैठिये।

श्री हरीश शर्मा : मेरी बात सही है। उपाध्यक्ष महोदय, सी. पी. जोशीजी ने भी यह मामला उठाया था और सदस्यों ने भी उठाया, सारा सदन एक मत है इस बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पूरे राजस्थान के युवक बेरोजगार हो रहे हैं, युवकों की स्थिति बहुत खराब हो रही है, युवक बेकार हो रहे हैं।....

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, माननीय सदस्य। कभी तो अहसास कीजिये, माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं।

श्री हरीश शर्मा : उनको मैं नहीं रोक रहा हूं। मेरा निवेदन आपसे है कि इस बारे में आप विशेष जोर दें सरकार पर कि राजस्थान के लोग बेरोजगार और बाहर के लोग यहां पर नौकरियां कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बैठिये। श्री मोहनलाल जी।

श्री मोहनलाल बारुपाल (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव की सूचना निम्न है —

महोदय, बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील की उरमूल इकाई में पिछले वर्ष भयंकर अकाल के वक्त में मजदूरों को व ऊंट गाड़ों को मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। भुगतानकर्ता कमेटी ने मजदूरों की खून व पसीने की कमाई में से पैसे सरकारी कोष से धन राशि उठाकर गबन कर लिया है जो लगभग 25-30 हजार की राशि है। मैं इस विशेष उल्लेख के द्वारा भुगतानकर्त्ता कमेटी का एक दस्तावेज जो फर्जी भुगतान दिखा कर गबन किया है, प्रस्तुत कर रहा हूं जो मैं सदन की पटल पर आपकी आज्ञा से रख रहा हूं। मजदूरों के धन का गबन किया जाने से मजदूरों में भारी आक्रोश एवं असन्तोष फैलता जा रहा है। यह मजदूर नागौर जिले के तहसील जायल के ग्राम सुरपालिया के निवासी हैं।

मैं मांग करता हूं कि उन लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करा कर सजा दी जावे एवं मजदूरों की मजदूरी का भुगतान भी जल्दी से जल्दी दिलाया जावे। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये निवेदन करूंगा कि इस विषय में संग्राम दास जी महाराज क्या कहते थे : धनवन्त धर्म नहिं करे, नरपत करे न न्याय, भजन करे नहीं भगत होय, कीज्यो कौन उपाय ।। कीज्यो कौन उपाय सला ऐक मान्यो म्हारी, जामेंतो के मांय नही आवे जद्म्हारी, जायगजीन्वा खांवता, वह पगल्यारी केनठाय, धनवंत धर्म नहीं करै, नरपत करे न न्याय ।।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। मैं सदन की राय लेना चाहता हूं कि 295 के कुल 8 और हैं, आप अगर आज्ञा दें, तो सब मेम्बरों की राय.... (व्यवधान)

श्री नारायणराम बेड़ा : यह गबन का सीरियस मामला है। मस्टरोलों पर फर्जी हस्ताक्षर कराके पैसे उठा लिये हैं कमेटी के। इन मजदूरों का पेमेंट नहीं होगा, बड़ा अन्याय हो रहा है उनके साथ।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा ठीक है।

श्री नारायणराम बेड़ा : इन्होंने जो रखा है, वास्तव मे दस्तावेज है उसको आप देख सकते हैं, और उनके साथ अन्याय हुआ है। इसके लिये कुछ सरकार को कहें, साहब।

श्री डूंगरराम पंवार : गबन करने

(श्री डूंगरराम पंवार)

वालों के कान खींच-खींच कर पैसा वापस ले लो।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप। माननीया मंत्री जी, आप स्टेटमेंट देंगी। (व्यवधान) प्लीज, आप माइक से थोड़ा दूर हो जाइये।

श्रीमती कमला : आपकी आज्ञा से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले के मसारी गांव के एक....

श्री नाथू सिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि माननीया मंत्री महोदया स्टेटमेंट दे रही हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति यह है कि जब भी कोई केबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है, उस विभाग का, गृह मंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिये था, वह नहीं हैं. तो जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं, उनको जवाब देना चाहिये सदन में।

श्री उपाध्यक्ष : I over rule your objection. कई बार जब होम मिनिस्टर बयान देते रहते हैं, तो आप मुख्य मंत्री की मांग करते हैं और जब हम सीनियर केबिनेट मिनिस्टर से करवाते हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। Please sit down.

श्री नाथू सिंह : पी. एच. ई. डी. में ऐसा ही हुआ। भारद्वाज जी से स्टेटमेंट दिलाया गया। या तो मुख्य मंत्री दें या गृह मंत्री दें।

श्री उपाध्यक्ष : I have overruled your objection.

श्री नाथू सिंह : नहीं, नहीं ओवररूल्ड क्या है? फिर इन इनकम्पीटेंट लोगों को मिनिस्टर क्यों बनाते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : नाऊ प्लीज सिट डाउन।

शासकीय वक्तव्य

ग्राम मसारी जिला अलवर में हरिजन दूल्हें को घोड़ी पर न बैठने देने विषयक

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले के सम्बन्ध में जो सूचना पूरे प्रयत्न करने के सन्दर्भ में उपलब्ध हो सकी है, उसका मैं सदन के अन्दर पूरा विवरण प्रस्तुत कर रही हूं।

दिनांक 9.7.89 को ग्राम मसारी में कुंवरपाल जाटव, निवासी मसारी की भतीजी की शादी थी। बरात ग्राम कटारा, थाना नदबई से आनी थी। इसकी जानकारी मसारी के अन्दर जब बारात आवे और वह किस रास्ते से जिसके घर शादी है, उसके घर पहुंचे, इस सबंध में ग्राम के अंदर एक विवाद था। इस विवाद की सूचना मिलने पर दिनांक 8.7.89 को पुलिस स्टेशन कठूमर ने सरपंच छीतरमल, ग्राम पंचायत मसारी और कुंवरपाल जिसकी भतीजी की शादी थी, उन दोनों को बुला कर सारे मामले को समझने की और समझाइश करने की चेष्टा की। श्री कुंवरपाल ने मसारी के सरपंच पर सारी बात छोड़ दी कि जिस रास्ते से सरपंच कहेंगे, बरात उसी रास्ते से आ जायेगी। दिनांक 9.7.89 को सरपंच ने बरात की निकासी का रास्ता कुंवरपाल को बताया, तो सरपंच के फैसले को कुंवर-

(श्रीमती कमला)

पाल ने मानने से इनकार कर दिया। बरात के बारे में सूचना मिली कि दो ट्रैक्टर, मय ट्राली व जोंगा जीप के बारात खेडली कठूमर और बरुग्रा होते हुए मसारी पहुंचेगी। कुंवरपाल के अलावा अन्य हरिजन व ग्राम के अन्य जाति के लोग, निकासी यह गलत है, लेकिन बारात के आगमन के रास्ते पर सहमत हो गये कि बरेली, छोल या बरुग्रा की तरफ से आगे किसी भी रास्ते से बारात आ सकती है। बारात की सुरक्षा के लिये गांव वालों द्वारा तय किये गये रास्ते पर पुलिस जाप्ता लगा दिया गया था, आस पास के गांवों के लोग भारी संख्या में मसारी के आसपास इकट्ठे होने की स्थिति में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता भेजा गया। उसके अलावा राजगढ़ के उपअधीक्षक एवं एस. डी. ओ. राजगढ़ भी मौके पर पहुंच गये और काफी समझाइश करने का दोनों पक्षों का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कुंवरपाल जाटव किसी न किसी प्रकार बातचीत में गतिरोध पैदा करता रहा। ग्राम कटारा के कुछ लोग पैदल ग्राम भरीतल होकर खेतों के रास्ते से मसारी जा रहे थे तो भरीतल ग्राम के आस पास कुछ लोगों ने बारातियों को रोक लिया और उनके साथ मारपीट की। इस संबंध में हुक्मीपुत्र रामहेत जाटव निवासी कटारा की रिपोर्ट पर ग्राम भरीतल के 29 मुल्जिमान, जाति जाट, निवासी भरीतल के विरुद्ध अभियोग संख्या 81, धारा 147, 223, 369 भारतीय दण्ड संहिता तथा 4/7, पी. सी. आर. एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर तफतीश शुरू कर दी गयी। ग्राम भरीतल में गश्त के दौरान गांव वालों ने लीला पुत्र मोहन जाटव, निवासी हीजीपुर को मय एक 303 बोर के कट्टा व चार कारतूस के पेश किया। इस संबंध में लीला पुत्र मोहन जाटव के विरुद्ध अभियोग संख्या 82/89 दिनांक 9.7.89 धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ग्रामवासियों ने बताया कि लीला जाटव ने भरे हुए कट्टे से उन पर फायर करने का प्रयास किया। लीला ने अपने बयानों में बताया कि कुंवरपाल जाटव ने उसे बुलाया था। दिनांक 9.7.89 को ग्राम मसारी में कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, अलवर और कलेक्टर, अलवर भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। गांव वाले प्रस्तावित जाटों द्वारा बारात के रास्ते पर सहमत हो गये। बारात का जुलूस 10.7.89 को सुबह जाटव पार्टी द्वारा चाहे गये रास्ते पर निकाला गया। जुलूस के दौरान शांति रही। अब 18 मुल्जिमान की गिरफ्तारी की जा चुकी है और दोनों मुकदमात की तफ्तीश जारी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भैरोंसिहजी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानकारी करना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि फेरे पहले हुए और बारात बाद में आयी थी, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मैं यह जानना चाहूंगा कि बारात का विवाद क्या था। क्या विवाद यह था कि दूल्हा बारात में घोड़े की सवारी के ऊपर नहीं बैठे और प्रमुख रास्ते का सवाल नहीं है, बारात के आगे बैण्ड बाजा नहीं बजाया जाये? क्या यह विवाद था या यह विवाद था कि किस रास्ते से बारात निकले और किस रास्ते से नहीं निकले?

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जिस दिन बारात निकली है, क्या यह सही है कि उस बारात में दूल्हा नहीं था, बिना दूल्हे के वह बारात निकली, उस में बैण्ड बाजा नहीं था? घोड़े पर तो सवार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं यह जानकारी करना चाहता हूं, तीसरा क्वेश्चन, क्या यह सही है कि इस बात की जानकारी पुलिस को चार दिन पहले मिल गयी थी, और चार दिन में पुलिस ने कोई प्रीवेंटिव एक्शन नहीं लिया? अगर प्रीवेंटिव एक्शन ले लिया जाता, तो सम्भव है इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती। इस घटना को रोकने के संबंध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की है? यह बात जो आप बता रही हैं, मेरी जानकारी के अनुसार विवाद पहले इस बात पर शुरू हुआ था कि गांव में से जिस रास्ते से बारात निकलने वाली है, वहां पर कोई दो मण्डप और थे जिसकी हरिजनों को जानकारी नहीं थी कि यहां पर मण्डप है। अपने रीति रिवाज के अनुसार जहां मण्डप लगे हुए होते हैं, वहां से उधर से कोई दूल्हा दूसरी बारात लेकर नहीं निकल सकता, इस प्रकार की व्यवस्था है। जब यह बात हरिजनों को कही गई तो उन्होंने इस बात को मंजूर कर लिया कि जो भी सरपंच रास्ता तय करेगा और जिस रास्ते में मण्डप नहीं है, हम उस रास्ते से जाने के लिये तैयार हैं। उस स्थिति में यह बारात रात को क्यों नहीं गयी? रात को आपके ए. डी. एम वहां थे पुलिस वहां थी, रात को उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम उस रास्ते से, जो सरपंच ने सुझाव दिया है, उस रास्ते से निकलने को तैयार हैं, तो बारात रात को क्यों नहीं निकली? फेरे चुपचाप मजबूरी में क्यों करने पड़े और बारात सुबह क्यों निकली, मैं इन बातों की जानकारी करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और जानकारी चाहूंगा कि जहां पर आप कह रही है कि किसी आदमी के पास कट्टा मिला और यह मिला, यह कट्टा और यह सब मिलने के बाद क्या यह सही है कि उनकी मारपीट होने के बाद में कट्टा बरामद हुआ? पहले हरिजनों की मारपीट हो गई और बाद में कट्टा बरामद हुआ? आपने इम्प्रेशन यह क्रियेट करने की कोशिश की है कि कट्टे से फायरिंग किया उसके कारण से विवाद हुआ। फैक्ट यह है कि लोगों के साथ मारपीट पहले हो गई और बाद में कट्टा बरामद हुआ, यह भी आप जानकारी दें। क्या यह भी सही है कि भरतपुर और अलवर दोनों जगहों पर इस बात की इन्टेलीजेंस रिपोर्ट मिल गई थी कि जाटव पिछले पांच-छह दिन से गांव में घूम रहे हैं, उनको इस मसारी गांव से यह सूचना मिली है कि बरात को गांव में नहीं घुसने दिया जायेगा, गांव में घुसेंगे तो बैण्ड नहीं बजेगा, बैण्ड बजेगा तो दूल्हा घोड़ी पर सवारी नहीं कर सकेगा, इस बात की जानकारी अलवर और भरतपुर दोनों जगह थी। अलवर और भरतपुर के जिलाधिकारियों ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की? यह सही है कि कठूमर थाने में जाकर रिपोर्ट की, दोनों को बुलाया, बुलाने के बाद में समझौता हुआ, समझौता केवल एक बात का हुआ था कि मण्डप के रास्ते से, जहां मण्डप लगा हुआ है, उधर से दूल्हा नहीं निकलेगा। दूल्हा घोड़ी पर नहीं गया और दूल्हे के साथ बैण्डबाजा नहीं होगा। दूसरे दिन बारात निकली जिसमें दूल्हा नहीं था और दूल्हा था, घर पर था, उसका बैण्ड बाजा नहीं और दूल्हा घोड़ी पर सवारी

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

करके नहीं आया। तो यह तो आप मान लीजिए कि सरकार को सूचना मिलने के बाद भी उस हरिजन युवक को न तो घोड़ी पर चढ़ने की अनुमति दी और न बरात को बैण्ड बाजे के साथ चलने की अनुमति दी। उपाध्यक्ष महोदय, यह कुछ दुर्भाग्य है कि पिछले दिनों में एक वातावरण इस प्रकार का बना कि जिस वातावरण में लोग भयभीत हैं और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि यह भी सही है कि आज हरिजनों में कुछ युवक पढ़ गये, वे अपने अधिकारों का संरक्षण चाहते हैं, वे अधिकारों का जहां-जहां संरक्षण का प्रयत्न करते हैं, वहां दूसरे समाज के लोग, सारा समाज नहीं है, इस बरात में भी जिसमें आप निकले हैं, इस बरात के आगे सरपंच था, वहां के ब्राह्मण समुदाय के लोग थे, इस बरात के आगे वहां के जाट समुदाय के आदमी थे, राजपूत आगे थे, वहां के मेव आगे थे लेकिन दूसरे दिन जो बरात निकली उस समय पहले दिन की बरात निकलने के मामले में तो विवाद चलता ही रहा। तो आप यह तो मानेंगे कि शादी के पहले बरात नहीं निकली, बिना दूल्हे के बरात निकली, बिना घोड़ी पर चढ़े हुए बरात निकली और बिना बैण्ड बाजे के बरात निकली....

श्री जयकृष्ण तोषावड़ा : सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के नेता से यह निवेदन कर देना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : नो, प्लीज।

श्री जयकृष्ण तोषावड़ा : कि जब दूल्हा नहीं तो बरात नहीं और बैण्ड बाजा नहीं है तो बरात नहीं ...

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री जयकृष्ण तोषावड़ा : तो बरात किस बात की ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : यही तो मैं कह रहा हूं.... (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : यही तो है, बड़े-बड़े शहरों में ऐसा होता है।

श्री सम्पत सिंह : यह हिन्दी नहीं समझते....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन, प्लीज, सम्पत सिंहजी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह समझते सब हैं, ये संस्कृत समझते हैं, वह मुझे आती नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन बातों का आप जवाब दीजिए और यह घटना एक नहीं है। पहले चित्तौड़ जिले में घटना हुई, उसके बाद दौसा के पास एक गांव में इसी प्रकार की घटना हुई। इन घटनाओं के कारण से एक समाज में इस प्रकार की विकृति पैदा हो रही है, इस विकृति को सख्त हाथों से यदि आपने रोकने की कोशिश नहीं की तो उसका परिणाम जगह-जगह इस प्रकार के झगड़े होंगे। मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा—आपने वक्तव्य दिया है उससे मुझे ऐसा लगता है कि या तो सरकार के पास जानकारी.... उपाध्यक्ष महोदय, हमने एडजोर्नमेंट मोशन दिया था, तुरन्त सरकार को तैयार होना चाहिए। उस समय मुझे यह जानकर बड़ा खेद हुआ कि सरकार के पास तथ्यात्मक विवरण भी नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सब कुछ सूचना मिलने के बाद भी इन हरिजनों को इनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनका संरक्षण नहीं दिला सकी, सरकार पूर्णतया असफल हुई है। आज भी सरकार के पास किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहूंगा कि मैंने प्रश्न पूछे हैं उनका स्पष्टीकरण कर दें, बाद में माननीय सदस्य पूछेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : घनश्यामजी बाद में पूछेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले जवाब आने दें।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जितना भी सीनियर स्टाफ है वे सारे के सारे मौके पर इस केस के सुपरविजन में, मॉनिटरिंग में और तफ्तीश में वहां पर लगे हुए हैं और अभी वायरलैस से भी कोशिश की है, टेलीफोन से भी कोशिश की है पर जितनी जानकारी इसमें होनी चाहिए थी वह पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है। जैसा माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा-मैंने भी यही पूछा अधिकारियों से कि परिवाद क्या था और किस तारीख को किस आदमी ने इस आशका की, घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद में यह सारी घटनायें, जो ब्यौरा दिया है वह हुई लेकिन जो इनिशियेट हुआ वह क्या चीज थी। वह अभी इनके पास पूरी जानकारी नहीं है और इसलिए मैंने उतनी ही जानकारी.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज (व्यवधान) माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : इससे ज्यादा शर्म की बात और हो नहीं सकती।

श्रीमती कमला : आप मुझे यह बताइये कि मैं यह कहूं कि जानकारी क्योंकि पूरी नहीं है इसलिए इस बारे में यह कहना सम्भव नहीं है कि परिवाद क्या था.... (व्यवधान) सुन लीजिए पहले।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : जानकारी पूरी क्यों नहीं है ? आपको पूरी जानकारी रखनी चाहिए थी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय ग्यारसीलालजी, बैठें।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : जानकारी पूरी नहीं है तो क्यों नहीं है ? आप सरकार में किस लिए बैठी हैं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : पूरी जानकारी नहीं है तो यहां स्टेटमेंट देने के लिए आईं क्यों ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : मुझे यह बताइये, जो चीज सम्भव नहीं हो पा रही है जिसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई तो या तो मैं अपने मन से कोई बयान गढ़कर आपको देऊं क्या, वह सही होगा क्या ? और फिर मैं उसकी जिद् करती रहूं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हीरासिंह चौहान : वाकया तीन दिन पूर्व का है, आज-कल का नहीं है, कुछ घण्टों पहले का नहीं है....

(31)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें आप।

श्री हीरासिंह चौहान : कुछ घण्टों पहले का नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। आप कह रही हैं जानकारी नहीं है, तीन दिन पहले के वाकये की जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। आपके नेता महोदय का जवाब दे रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते।

श्रीमती कमला : पूरा वायरलैस मैसेज आया, उसको भी हमने देखा, अधिकारियों के पास जो सूचना है उसको भी सारी को समझा। उसके बाद में जो अधिकारी आज मौके पर लगे हुए हैं उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की गई कि ये जो और बीच के डिटेल्स हैं इनकी भी जानकारी मिल सके। लेकिन वह जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई कि किस बात का विवाद था। ठेठ कटारा से लेकर मसारी तक के रास्ते का विवाद था या मसारी में आने के बाद में बरात किस रूट से लड़की के घर पहुंचे, उसका विवाद था? और उस विवाद की सूचना पुलिस थाने में किस तारीख को पहुंची? यह जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं हो पाई है इसलिए मैं आपको कह रही हूं....देखिये, ऐसी बात नहीं है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिहेव नाऊ, माननीय तिवाड़ीजी, आप बैठें। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप मेरी बात सुनिये। चाहे वह परिवाद की सूचना पांच दिन पहले पहुंची, चाहे दो दिन पहले पहुंची लेकिन पुलिस ने वहां पर मुकम्मिल इन्तजाम किया हुआ था। खुद सीनियर अधिकारी वहां मौजूद थे, सौ-सवा सौ के करीब पुलिस की स्ट्रैंथ वहां पर लगा रखी थी और जिस रास्ते का उन्होंने विवरण दिया, उस रास्ते के ऊपर पुलिस तैनात कर रखी थी ...

श्री चम्पालाल बांठिया : फिर भी लोगों के साथ मारपीट हुई....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : सुनिये, मेरी बात पूरी हो जाने दें, उसके बाद आप पूछ लें।

श्री डूंगरराम पंवार : फिर भी लोगों की मंजाई हो गई, यह क्या हुआ?

श्रीमती कमला : दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा–यह जो कट्टे वाला मामला है, मैं समझती हूं कि यह उस रास्ते से सम्बन्धित मामला नहीं है। कुछ बरात के लोग अनायास ही अपनी मर्जी से खेतों के रास्ते से मसारी पहुंचने के प्रयत्न में चल रहे होंगे, वे जिस....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, प्लीज।

श्रीमती कमला : भाई, आप बोलिये मत।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिहेव, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, वे शादी करने जा रहे थे, कोई हमला करने थोड़े ही जा रहे थे... मदद करनी थी....

श्रीमती कमला : अगर शादी करने जा रहे थे तो खेतों में से ही जा रहे थे न ... (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनको जाने ही नहीं देते, उनको गिरफ्तार करना था....

श्रीमती कमला : यह सदन तो अभी स्थगित नहीं हो रहा है, अभी तो समय सारा लगेगा, खूब आराम से पूछियेगा। मैं आपको बयान कर दूं कि मैं इसमें न किसी तथ्य को छिपाना चाहती हूं, न किसी को बढ़ाना चाहती हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि दूसरा पक्ष इस चीज का यह है कि बरात के कुछ लोग, जो रास्ते से जाना होता है चाहे वे ट्रैक्टर में जायें, ट्रोली में जायें, कच्ची सड़क से जायें, पक्की सड़क से जायें, वे रास्ते से न जाकर खेतों के रास्ते से निकल गये और खेतों के रास्ते से निकल गये तो जिन खेतों से निकले, वहां के किसानों और इनके आपस में कोई टकराहट हुई। यह बात सही है कि मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि टकराहट के बाद में उसका कट्टा नजर आया और पकड़ा गया या टकराहट के दौरान में उसका कट्टा पकड़ा गया लेकिन यह मैंने आपको पूरी तरह से बताया कि बरातियों को मारपीट की गई, उस मारपीट के करने का मुकदमा दर्ज हुआ और जो मुकदमा मारपीट का दर्ज हुआ उसके तहत 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया और दूसरी तरफ से एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ, कट्टे वाले के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया है, उसकी तफतीश जारी है। इसमें समय का संदर्भ जो है, मेरे पास नहीं जुड़ रहा क्योंकि अगर आपसे यह कह दूं कि पहले मारा और कट्टा बीच में बरामद हो गया या कट्टे की स्टोरी बाद में बनाई तो मैंने अपने अधिकारियों से यही पूछा कि कट्टा जो है, किसके पास में अन-अथाराइज्ड है, कई लोग अन-अथाराइज्ड लेकर घूमते होते हैं लेकिन उसकी पकड़ या जानकारी किसी न किसी कारण से होती है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कट्टा बड़ीथल में पकड़ा गया या मसारी में पकड़ा गया ?

श्रीमती कमला : इसका जो विवरण दिया गया है इसके मुताबिक से बड़ीथल में जो झड़प हुई उस झड़प के दौरान में उन्होंने इस कट्टे को देखा और मैं इसके मुताबिक जो कह रही हूं कि कहां पकड़ा, किस वक्त पकड़ा, पहले पकड़ा, पीछे पकड़ा, इसका इसके अन्दर अभी पूरा समय के हिसाब से विवरण नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि जो कट्टा पकड़ा गया है तो यह भी हम अन्दाज लगायें कि कहीं न कहीं कोई मुठभेड़ हुई और कोई न कोई आपस में क्लेश भी हुआ तभी अन्यथा साधारण तौर पर हथियार लेकर के घूमते रहते हैं कहीं किसी की कोई पकड़-धकड़ नहीं करता। तो या तो जो उसके वक्त में हुई है और या बाद में जिस तरह से मारपीट हुई उससे उत्तेजित होकर बाद में ऐसा कोई आमना-सामना हुआ जिससे हुई है लेकिन इसका ब्यौरा मेरे पास में उपलब्ध नहीं है कि वह कब हुआ। मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि पुलिस दल और जिला प्रशासन ने इस सूचना के पहले ही पूरे गांव में और उसके रास्तों में पुख्ता तौर पर इन्तजाम किया है और किसी प्रकार की घटना वहां पर नहीं घटने दी। लेकिन बीच के रास्ते में जो घटना घटी उसकी न तो किसी

(श्रीमती कमला)

को जानकारी थी, न कोई प्रयास कर सकता था कि कोई उधर से आयेंगे, इस तरह की घटना घट सकती है, वह घटना घट गयी उसकी कार्यवाही की जा रही है।

दूसरा आपने यह पूछा कि अगर बारात को जाने दिया और पुलिस का इन्तजाम था तो बारात मय घोड़े के मय गाजे बाजे के क्यों नहीं वहां पहुंची....

श्री उपाध्यक्ष : मय दूल्हे के ?

श्रीमती कमला : नहीं, दूल्हा तो था ही। दूल्हा तो पहुंच ही गया और शादी तो हो ही गयी लेकिन उसको घोड़े पर नहीं बैठने दिया गया, बाजा नहीं बजाने दिया गया। किसी को पता नहीं लगा कि बारात गांव में आयी और शादी हो गयी, चुपचाप ऐसी शादी हो गयी लेकिन इसमें यह बयान है कि निकासी जो वहां से हुई है वह 10 तारीख को हुई है तो उन्होंने या तो दूल्हा ने या उसके चाचा ने उस दूल्हे को रवाना ही नहीं किया और जो है ना कुछ बाराती पहले रवाना हो गया और दूल्हा जो है चुपचाप पहुंचा उसकी कोई सूचना नहीं...

श्री भैरोंसिह शेखावत : दूल्हा नहीं था, बारात निकली उसमें बैण्ड बाजा नहीं था, शादी पहले हो गयी, बारात बाद में निकली आप बता दीजिए।

श्रीमती कमला : यह तो बात पुख्ता है कि 10 तारीख को जिस रास्ते से कुंवर पाल चाहता था उस रास्ते से बारात को पहुंचाया गया है, 9 तारीख को जिस तारीख को शादी थी उस तारीख को नहीं पहुंचाया गया। तो शादी 9 तारीख को कर दी और बारात वापस 10 तारीख को उस रास्ते से निकली है तो यह बहुत कन्ट्राडिक्टरी बातें हैं....

श्री भैरोंसिह शेखावत : शादी के बाद बारात निकले....

श्रीमती कमला : लेकिन यह पुख्ता बात है कि बारात उस गांव में लड़की के घर पर 10 तारीख को दुबारा उस रास्ते से गयी है जिस रास्ते से कुंवरपाल ले जाना चाहते थे और 9 तारीख को गुपचुप जाकर शादी हो गयी इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो....

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, आप बैठिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले खड़ी हूं, मैंने प्रश्न किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका मोशन नहीं है, इनका मोशन है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जब हाउस में बात आ गयी तो मैं प्रश्न नहीं पूछ सकती ? मैं यह पूछना चाहती हूं कि यह पुख्ता प्रबन्ध जो था पुलिस का क्या इसलिए था कि बारात न जाये और व्यवस्थित रूप से न जाये ? क्या कोई पुख्ता प्रबन्ध मन्त्री महोदया बतायें। (व्यवधान)

39

श्री डूंगरराम पंवार : + + + इस रास्ते से बारात आयेगी, बारात नहीं जायेगी....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी का रिकार्ड होगा और किसी का नहीं होगा ।....(व्यवधान)

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : × × ×

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, यही बयान यदि आप कल ले लेते, शाम तक ले लेते तो सारी सूचना आ जाती । लेकिन आपने जितना तकादा किया उसके हिसाब से जितनी सूचना आ सकती थी उतनी आयी है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज ।

श्री माणक डाणी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय डूंगरराम जी पंवार को अस्पताल की तरफ भेज दिया जाय । यह कमेण्टरी करते-करते भाषण देने लग गये । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डूंगरराम जी पंवार, बैठें ।

श्री डूंगरराम पंवार : ....बारात उस रास्ते से जायेगी । गांव वाले कौन होते हैं यह तय करने वाले कि बारात इस रास्ते से नहीं जायेगी....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन । बैठिये आप । आर्डर प्लीज ।

श्रीमती कमला : मैं एक सूचना आपको दे दूं कि आपने पूछा था कि ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बार-बार खड़े हो जाते हैं यह भी कोई बात हुई ।

श्रीमती कमला : मैं सूचना देने जा रही हूं इस बीच में कि आप दूसरी बात पूछें लीला जाटव के खिलाफ जो कट्टा रखने का मुकदमा दर्ज हुआ है वह कैलाश ब्राह्मण निवासी मसारी ने किया है और उसने यह कह करके किया है कि इसने मुझ पर कट्टे से फायर किया गोली मेरे ऊपर से निकल गयी और.... (व्यवधान)....मैं सूचना दे रही हूं आप सुन लीजिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कैलाश वहां पहुंचा क्यों था ?

श्रीमती कमला : आप अपना इण्टरप्रिटेशन कुछ भी लगाइये । आप सुन लीजिए लेकिन जो तथ्य है वह आपको बता रही हूं । कैलाश नामक एक ब्राह्मण ने जो मसारी निवासी था रिपोर्ट दर्ज करायी है कि लीला जाटव ने मेरे ऊपर कट्टा फायर किया और वह मेरे ऊपर से निकल गया और मैंने उनको झपटकर पकड़ लिया, यह रिपोर्ट उसने दर्ज करायी और उससे कट्टा छीन लिया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बड़ीथल गांव में नहीं पकड़ा गया ।

श्रीमती कमला : हां, यह सही है जो सूचना अभी आयी है उसके अनुसार उसको

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्रीमती कमला)

बड़ीथल में गिरफ्तार नहीं किया गया। इसलिए मैंने कहा कि मुझे पुख्ता पता नहीं कि कहां हुआ कब हुआ ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, दो-चार सवाल पूछूंगा। माननीय मन्त्री महोदया एक बात तो यह साफ हो गयी कि यह गांव जो बड़ीथल है उसमें घटना पहले हुई और मसारी में आपके हिसाब से, यह कट्टों की कहानी बाद में दर्ज की गयी। एक बात। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि पुलिस का जाप्ता वहां कब पहुंचा ? थाना नदबई मसारी से कितनी दूर है और वहां से यह कब पहुंचा? नदबई से पुलिस पहले पहुंची है। एक मेरा प्रश्न यह है कि यह रिपोर्ट जो पहले की गयी वह किस आधार पर की गयी और सरपंच को किस आधार पर यहां बुलाया गया और सरपंच को बुलाने के बाद आपकी पुलिस कब पहुंची, और बड़ीथल गांव, मसारी गांव से कितनी दूर था? मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी पुलिस वहां पर पहुंच गयी, पुलिस पहुंचने पर 9 तारीख को उसकी शादी का मुहूर्त था। शादी का मुहूर्त टल गया और शादी के मुहूर्त पर प्रशासन उसकी शादी नहीं करा सका। या तो यह कहिए या आप यह कहिए यहां पर खड़े होकर कि गुपचुप कहीं शादी करादी गयी और जो रूट आपने तय किया शादी के दूसरे दिन उसका जुलूस निकाला गया। बरात का जुलूस जिसको कहते हैं वह शादी के दूसरे दिन निकाला गया। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपके इस प्रशासन की व्यवस्था वहां पर किसलिए थी? यह पुलिस क्यों आपने तैनात की थी और यह जुलूस जो निकाला गया उस जुलूस के अन्दर बैण्ड बाजे क्यों नहीं थे ? प्रशासन ने बैण्ड क्यों नहीं बजवाया, हरिजनों का ? उस जुलूस के अन्दर हरिजन को घोड़े पर बैठकर क्यों नहीं जाने दिया गया और शादी जब 9 तारीख की थी तो शादी के समय पर जुलूस को क्यों नहीं निकालने दिया ? मेरा प्रश्न यहां पर है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप कहते हैं कि खेतों में से होकर आये। माननीय मन्त्री महोदया अपन सब जानते हैं कि बरात में जब लोग आते हैं तो कुछ रास्ते से आते हैं कुछ पैदल आते हैं गांवों में आने पर इस बात पर कभी लड़ाई नहीं होती है खेतों में आने पर, लेकिन सवाल यह है कि आसपास के गांवों में प्रचार किया गया और 7-8 हजार आदमी वहां पर इकट्ठे हो गये। यह प्रशासन कह रहा है वहां मसारी गांव के अन्दर। यह भी आप साफ करिये कि यह जो इकट्ठे हुए यह सवर्ण थे या हरिजन थे।

श्री डूंगरराम पंवार : कट्टा सीमेण्ट का था या शक्कर का था, कट्टा तो उसको कहते हैं।

श्रीमती कमला : सब जातियों के थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह सही बात है यह लोग कह रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : अब सवाल पूछिए ना आप ? सवाल पूछिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सवाल पूछ रहा हूं। तीन दिन से लगातार लोग घूम-घूम कर इस बात का प्रचार कर रहे थे कि हरिजन के दूल्हे को घोड़े पर चढ़कर बरात

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं निकालने देंगे। तीन दिन से लोग गांवों में घूम-घूम कर इस बात का प्रचार कर रहे थे कि हरिजन के दूल्हे के आगे बैण्ड बाजे नहीं बजाने देंगे। इसके बाद आपके पास रिपोर्ट आ गयी आपका प्रशासन वहां चला गया। यह सरकार है या मजाक है। तीन दिन से जब आपको पता था तीन दिन के बाद में आपने इस बात की व्यवस्था नहीं की। मैं कहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, सरकार यह व्यवस्था करने में विफल रही है कि चार दिन पहले सरकार को सूचना मिलने के बावजूद भी हरिजन दूल्हे को सरकार घोड़ी पर नहीं बैठा सकी। चार दिन पहले पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी आपने बारात नहीं निकलने दी। पुलिस की मौजूदगी में भी मुहूर्त पर शादी नहीं हो सकी (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगतसिंह दायमा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दायमा जी, प्लीज सिट डाउन। सवाल पूछेंगे।

श्री जगतसिंह दायमा : आप कहते हैं हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी मशीनरी क्या कर रही थी, इस घटना की जांच करने के लिए पुलिस क्यों नहीं आई? जो आपने खेतों की बात कही कि वह बेचारे रास्ते छोड़कर खेतों में से गुजरे तो खेतों में भी उनको पीटा, आप उनके ऊपर अत्याचारों की सीमा तो देखें आपने जाने नहीं दिया और यही नहीं अलवर में तो हरिजनों के ऊपर अत्याचारों पर अत्याचार हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सवाल पूछें आप, पर्टिनेंट क्वेश्चन्स ही पूछें। इसके सम्बन्ध में जो सवाल पूछने हैं, पूछें, नो स्टेटमेंट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हरिजन दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया, मुहूर्त पर शादी नहीं होने दी, बरात नहीं निकलने दी।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छी बात है, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री भूदरमल वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विषय की गम्भीरता को इस तरह से वार्तालाप करके हल्का किया जा रहा है। मैं इसके बारे में दो क्वेश्चन पूछता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह रहा हूं नहीं, नाथूसिंह जी, सिर्फ सवाल पूछें।

श्री नाथू सिंह : क्या यह सही है कि वहां पर दोनों तरफ की भीड़ इकट्ठी हो गई उस समय आपका प्रशासन उस जुलूस को पहुंचाने के बजाय, शान्ति स्थापित कैसे हो उसमें लग गया और क्या यह भी सही है कि प्रशासन ने हरिजनों का जो राइट था बारात का जुलूस निकालने का, उस राइट को लागू करवाने में प्रशासन असफल रहा?

श्री उपाध्यक्ष : नो रिपीटेशन।

श्री नाथू सिंह : क्या यह भी सही है कि आजादी के 40 वर्षों के बाद भी आपकी सरकार जिनके वोटों से शासन में बैठती है उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकी? इसलिए क्या यह जरूरी नहीं है कि आप लोग इस्तीफा दे दें? क्या यह जरूरी नहीं

(श्री नाथू सिंह)

है कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि कमजोर वर्ग के अधिकारों की रक्षा सरकार नहीं कर पायी है ?

श्री उपाध्यक्ष : नाथू सिंह जी, बैठें, प्लीज सिट डाऊन। श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहती हूं कि आपने जो कहा कि हरिजनों का रास्ता रोका। यह तो आप मान कर चलिये कि हरिजन लोग भी इतने अनरीज़नेबल नहीं होंगे कि मंडप के नीचे से बरात नहीं निकालने का रिवाज है तो वह उसको डेलिबरेटली वायलेट करके जाना चाहेंगे तो यह रास्ता तय करने का क्या कारण था ? दूसरा आपने यह कहा कि बारात के साथ पुलिस थी और सारी जाति के लोग थे तो मैं कहूंगी कि यह बारात शादी के दूसरे दिन क्यों गई ? इस बारात को आप बारात कहेंगे या पुलिस कस्टडी में निकला हुआ जुलूस कहेंगे और इस प्रदर्शन की क्या जरूरत थी ? क्या पुलिस ने सिर्फ अपने बचाव के लिए यह ऐसी व्यवस्था नहीं की ?

तीसरी बात मैं यहां पर पूछना चाहती हूं कि जब इतना सेन्सेटिव टाइम चल रहा है, विधान सभा चल रही है, घटना 9 तारीख की है यहां हमारे पास दूसरे लोगों ने कागज लाकर दे दिये, पूरी जानकारी दे दी आपके पास वायरलैस है, पुलिस है सब कुछ है और पुलिस जो स्थानीय पुलिस है उसके पास ऐसे सेन्सेटिव इश्यू की जानकारी का यह एन्टीसिपेशन होना चाहिए था। विधान सभा में पूरी घटना की सूचना आपको क्यों नहीं मिल सकी ? यह चार प्रश्न हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले उनका जवाब दे दूं, फिर अगर आयेगा तो उसका भी दे दूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं आप बैठिये।

श्रीमती कमला : जो मुद्दा नया उठाया है उसका जवाब मैं दे देती हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस बात पर कोई शक नहीं है कि यह बहुत गम्भीर मामला है और समय-समय पर जो इस तरह की वारदातें होती रहती हैं वह आज भी समाज में कुत्सित भावनाओं का और समाज में अभी भी जिस प्रकार से ऊंच-नीच का भेद है और गरीबों को नीचे दबाने का अभी भी जो मन समाज के कुछ विशिष्ठ वर्गों का चलता रहता है यह उसका द्योतक है जो हमारे लिये, आपके लिए, सभी के लिए शर्मनाक है।

श्री उपाध्यक्ष : बीच में न बोलें, माननीय मंत्री जी, बैठें, माननीय मंत्री जी, प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : यह सरकार की विफलता नहीं है क्या ? और आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा दीजिए....

श्रीमती कमला : मैं इसलिए कह रही हूं कि जनता पार्टी के शासन में भी मेरे इलाके के अन्दर ऐसी घटना घटी है और यह मैं आपके सामने पेश कर सकती हूं। मैं बता रही हूं जनता शासन में इस तरह

(श्रीमती कमला)

की घटनायें बहुत हुई हैं लेकिन उसका मतलब यह तो नहीं कहा जा सकता है कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक घटना बता दीजिए आप जनता शासन की, बाबा आदम के जमाने की बात कर रही हो....

श्रीमती कमला : मैं उससे इसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूं लेकिन यह जो कह रहे हैं कि अगर कोई घटना घट गई तो इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री नाथू सिंह : दे देना चाहिए, आपको कोई राइट नहीं है सीट पर बैठने का।

श्री भूदरमल वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस विभाग, हमारे विषय की बात है आप हमारे को नहीं सुन रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : भूदरमल जी, बैठें, हम आपको सुन रहे हैं, ठहर तो जाइये।

श्री भूदरमल वर्मा : मंत्री जी हमारे बाद में जवाब दें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप हमें इस तरह दबा नहीं सकते। उपाध्यक्ष महोदय, जवाब में लीपा-पोती हो रही है, उच्च अधिकारियों को बचाया जा रहा है।

श्री मानिकचन्द सुराना : जो सवाल पूछने बाकी हैं वह सवाल पूछने दें, फिर माननीय मंत्री जी जवाब दे देंगे।

श्रीमती कमला : मैं तो बीच में इसलिए खड़ी हुई हूं कि कोई सवाल अगर रह जाता है तो मैं दुबारा जवाब देने को तैयार हूं तो माननीय सदस्यों को क्या तकलीफ है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह किसी सरकार के द्वारा भी कोई प्रोटेक्शन देने का मामला नहीं है न इस सरकार का, न पहले की सरकार का, लेकिन समाज की आम स्थिति के मुताबिक जब यह घटनायें घटती रहती हैं और उसका प्रबन्ध अगर हमने नहीं किया हो, उसका इन्तजाम हमने नहीं किया हो.... (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं किया, नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन।

श्रीमती कमला : ....और आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं करते, कोई कार्यवाही नहीं करते तो आप इस बात को कहते। लेकिन मार-पीट हुई है मैं मान रही हूं, बयान दे रही हूं और उस मार-पीट के मुकदमें में 18 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है....

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये।

श्रीमती कमला : ....और यहां तक मान रही हूं और तफ्तीश भी जारी है उसमें जितने भी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो लोग जुलूस नहीं निकलवा सके, जो लोग फेरे टाइम पर नहीं करवा सके उन दोषी लोगों के खिलाफ क्या कर रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : प्रशासन और पुलिस के होते हुए भी एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति घोड़ी पर नहीं बैठ सकता, फेरे नहीं हो सकते, उससे.... (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं, कह....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डूंगरराम पंवार का भाषण रिकार्ड नहीं होगा।

श्री डूंगरराम पंवार : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात रिकार्ड नहीं हो रही।

श्री डूंगरराम पंवार : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : वहां पर भी उनकी पोजिशन अच्छी नहीं है वैसे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजला जी बैठें आप, उजला जी का रिकार्ड नहीं किया जाये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से माननीय मन्त्री महोदया से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली और उन्होंने उस जाब्ते में, सभी वर्ग के आदमी होते हैं, उनमें जो जिम्मेदार आदमी हो सकते थे बारात में से, बेटे वाले की तरफ से और लड़की वाले की तरफ से उन लोगों के क्या जमानत मुचलके लेने की जाब्ता फौजदारी में जो अधिकार है, पुलिस को वह लेने की पेशकश की थी, क्या? अगर नहीं लिया तो स्थानीय पुलिस ने धारा 107, 151 जाब्ता फौजदारी में उन लोगों के जो असरदार लोग हो सकते थे या जो सीधे सीधे पार्टी हो सकते थे। इस घटना में उनके धारा 107, 151 में जमानत मुचलके लिये थे क्या कि भाई उस वक्त आप दंगा नहीं करेंगे या दंगा नहीं होने देंगे?

श्री जयकृष्ण तोषावड़ा : एक मिनिट मेरी सुनें तो....

श्री सम्पत सिंह : Let me complete; आप मुझ से सवाल जब करना जब मैं राजस्थान का गृह मन्त्री बन जाऊं।

श्री जयकृष्ण तोषावड़ा : मेरा निवेदन यह है कि छुआ-छूत का जो केस बनता है वह डी. वाई. एस. पी. रैंक का आदमी जांच करता है, स्थानीय पुलिस को काहे को घसीटते हो इसमें?

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : यह उन्हीं अधिकारियों को बचा रही है सरकार।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि चार दिन पहले जब इस घटना की सूचना मिल चुकी थी और पुलिस को जब इस बात की सूचना थी तो स्थानीय पुलिस कठूमर थाने में क्या उच्च अधिकारियों ने वह रोजनामचा देखा और उन्होंने एहतियात के तौर पर या कानूनी कार्यवाही के तौर पर क्या एकदम अमल दरामद किया?

उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने एक बहुत नीतिगत बात कही कि हमारे समाज में यह अभी तक इस बात का द्योतक है कि

× × ×—माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार, अंकित नहीं किया गया।

(श्री सम्पत सिंह)

हम हरिजनों को कबूल नहीं कर पाये। मैं इसीलिए एक बात निवेदन करना चाहता हूं यह जो दर्द है यह अपने आप में एक बीमारी नहीं होती जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है कि Pains are not the disease but sign of another disease. मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस तरह की जो बात आज 1989 में भी मुमकिन हो रही है यह इसलिए हो रही है कि पुलिस की डिमाण्ड पर जिस वक्त बहस हो रही थी, माननीय सदस्यों ने ज्यादातर यह चिन्ता प्रकट की थी कि हमारे प्रशासन में हमारे राजनैतिक वातावरण में अभी भी यह कोई दिन दूनी, रात चौगुनी होती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस विभाग में सवर्ण और हरिजन के नाम पर बहुत बड़ी दरार पड़ी हुई है और उसका एक कारण यह है कि जब किसी हरिजन का प्रमोशन होता है तो एकदम से हमारे क्लोज सर्किल में यह बात होती है कि भाई, इस प्रमोशन पर तो कम से कम रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इतना अहम् मुद्दा है। इस देश में एक बहस छिड़ी हुई है अन्दर ही अन्दर कि यह रिजर्वेशन कहां तक इसको मोहलत दी जाये, प्रमोशन्स को कहां तक रोका जाये। इस बात का पुलिस प्रशासन मे और हमारे राजनैतिक वातावरण में निश्चित रूप से जहर घुला हुआ है और यही वजह थी कि प्रशासन ने, सरकार ने इस घटना को गम्भीरता से नहीं लिया और यह हादसा गुजरा। हरिजनों के साथ गुजरा है इसलिए इस बात का दर्द है दूसरे सवर्णों के साथ गुजर जाता है तो उस बात का थोड़ा कम दर्द होता। इसलिए सरकार को, पुलिस को इस बात को गम्भीरता से उस वक्त लेना चाहिए था। अब आप कह रहे हैं तफ्तीश जारी है, जो दोषी अधिकारी और जो राजनेता हैं उन सबको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मैं यह मांग करता हूं कि सरकार को इस मुद्दे पर इस्तीफा देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भूदरमलजी वर्मा सवाल पूछेंगे। Strictly pertaining to this incident only.

श्री भूदरमल वर्मा : माननीय मन्त्री महोदया, यह बताने की कृपा करें कि क्या पुलिस के पास यह हादसा होने की सम्भावना थी ? कन्सर्निंग डी. वाई. एस. पी, एस. पी. के पास रिपोर्ट थी, एस. डी. एम. के पास रिपोर्ट थी, कलक्टर के पास रिपोर्ट थी और जो पुलिस के पास पी. पी. सी. आर. राइट्स शिड्यूल्ड कास्ट्स की सुरक्षा का एक सैल है उनके पास भी यह रिपोर्ट थी। इन सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों ने तुरन्त क्या इसके उपाय किये और क्यों नहीं निर्धारित समय पर बाजे से, बींद के साथ घोड़ी पर बारात उस स्थान से निकाली और क्यों नहीं समय पर जाकर बारात पहुंची और शादी हुई ? यह अधिकारी कितनी बजे पहुंचे और नहीं पहुंचे तो उसके क्या कारण हैं और जो अधिकारी पहुंचे उन्होंने क्या एक्शन लिया और क्या उस एक्शन का असर हुआ और असर नही होने में जो उनकी विफलता रही उसके प्रति सरकार क्या एक्शन ले रही है। मैं सरकार से पुरजोर निवेदन करता हूं कि इस तरह की घटनाओं को करवाने में जिन अधिकारियों का हाथ है उसके प्रति मैं सरकार

(श्री भूदरमल वर्मा)

से पुरजोर निवेदन करता हूं कि उनको तत्काल सस्पैण्ड किया जाये और भविष्य में एक उदाहरण पेश किया जाये। इस तरह की किसी भी घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन तत्परता से काम करे और हरिजनों की संवैधानिक रक्षा करे। यही मैं आश्वासन चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ग्यारसीलाल।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो कट्टा ले जाया गया था, क्या निश्चित रूप से कह सकते हैं इस बात को कि वह कट्टा या बन्दूक थी वह क्या उन बारातियों के साथ थी, या बाराती नहीं लेकर गये थे?

दूसरा सवाल यह है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जहां बारात जाती है गांव में वहां अक्सर बन्दूक इस तरह से बारात के आगे-आगे चलाई जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा जो जाल था एक तरीके से....(व्यवधान) बन्दूक वह लाइसेंसशुदा ही थी। ऐसा गांवों में होता है जैसा कि मेरी तरफ होता है। जब बारात निकलती है तो बन्दूक चलाई जाती है, कई तरीके के पटाखे वगैरह छोड़े जाते है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि वह कट्टा या बन्दूक इसलिए लेकर गये हों कि बारात के आगे-आगे बन्दूक चलाते हुये चलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जब ग्राम के सरपंच ने कोई रास्ता तय कर दिया और यह हुआ कि सरपंच साहब जहां से बारात को कहेंगे वहीं से निकाली जायेगी और जब यह हुआ कि जिस रास्ते से हरिजनों की बारात निकलने वाली थी उस रास्ते में हो सकता है मण्डप दूसरों के लगे हुये थे या कोई शादी ब्याह होगा तो जब हरिजनों ने यह मान लिया था कि ठीक है सरपंच साहब या गांव के व्यक्ति कहते हैं उसी हिसाब से हम उसी तरफ होकर के बारात को निकाल लेंगे। जब वह सब बातों पर तैयार थे, एग्री थे, सहमत थे तो फिर उनके साथ मारपीट क्यों हुई। उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची, चूंकि पुलिस वहां चली गयी तो उसके बाद ऐसे क्या कारण थे, उपाध्यक्ष महोदय, क्या पुलिस डर गयी, क्या कारण थे कि इतनी पुलिस के होते हुये भी सरपंच के कहे अनुसार जिस रास्ते से बारात जाने वाली थी और इतनी जबरदस्त पुलिस का इन्तजाम होते हुये भी दूल्हा घोड़ी पर नहीं गया था, बारात में बाजा नहीं बजा और समय पर फेरे नहीं हुये।

श्री उपाध्यक्ष : यह सवाल पहले भी आ गये हैं।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : तो इनका जवाब कहां आया?

श्री उपाध्यक्ष : जब तक आप बैठेंगे नहीं, इसका जवाब कैसे आयेगा?

श्री भूदरमल वर्मा : माननीय ग्यारसीलाल जी, इस तरह से लम्बे-लम्बे भाषण देने से असलियत केस की खत्म होती जा रही है, जो केस की गम्भीरता है उसको डाइवर्शन मिल रहा है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री महोदया को सब कुछ मालूम है, प्रशासन को सब कुछ मालूम है। लेकिन इसकी भविष्य के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है और जो दोषी लोग हैं उनको किस तरह

(श्री भूदरमल वर्मा)

से सजा दी जा रही है जिससे भविष्य में गुण्डा वृत्ति न हो। कट्टा लाने की नौबत क्यों पड़ी, क्यों लोगों को प्रोत्साहित किया गया। यह सारी स्थितियों की जिम्मेदारी प्रशासन की है, प्रशासन को चाहिए कि विधान की रक्षा करे, हरिजनों की रक्षा करे। उनका संवैधानिक रक्षा का जो अधिकार है उसको प्रोटेक्शन करें।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूदरमलजी की बात से बिल्कुल सहमत हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के जवाब की, स्टेटमेण्ट की कम से कम कमलाजी से उम्मीद नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष : सवाल पूछिये आप।

श्री यदुनाथ सिंह : सवाल ही पूछ रहा हूं, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उम्मीद के बाहर कमलाजी ने इस प्रकार का स्टेटमेण्ट क्यों दिया ?

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मेरा चार्ज लोकल प्रशासन पर कि चार दिन पहले सूचना होने के बावजूद शादी नहीं हो पायी, चुपचाप शादी हो कहीं दूसरी जगह और उसको ढकने के लिए दूसरे दिन बारात निकालने का ड्रामा किया जाय। मेरा चार्ज है, उपाध्यक्ष महोदय, कि पुलिस इनकी रक्षा करने के बजाय वहां सवर्णों से मिल गयी, सवर्णों के साथ क्लब हो गयी पुलिस वहां की। वहां का प्रशासन क्लब हो गया सवर्णों के साथ और हरिजनों के अधिकारों की, स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो पायी। कौन होती है पंचायत कि कहां से बारात निकलेगी ? मेरी बारात जाती है, आपकी बारात जाती है, किसी ब्राह्मण, राजपूत, जाट की बारात जाती है उसको कहां होकर निकाला जाय, घोड़ी पर चढ़ें, बैण्ड-बाजा बजावें। इस राज में उस हरिजन को बच्चे की शादी में खुशी मनाने का अधिकार नहीं ? क्या बात करते हैं कि देश को हम 21वीं सदी में ले जायेंगे, समतावादी समाज बनायेंगे ? उपाध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं, जैसा सम्पत सिंहजी ने कहा था कि आपने उनके मुचलके भरे ? जब आपको आशंका थी, पुलिस वहां पर चार दिन से पड़ी है और सूचना हो गयी तो क्या वहां इस प्रकार के तत्वों को आपने गिरफ्तार किया ताकि इस प्रकार की घटना न हो पाये, फेरे निकल जायं और वह अपने स्वाभिमान की रक्षा करता हुआ, उसे जिन्दा रखता हुआ खुशी मनाये और घोड़ी पर चढ़े। इस आजाद भारत में एक हरिजन और एक प्रधान मन्त्री का फर्क नहीं है कि वह बारात नहीं निकाल सकता।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें अब आप।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का नेक्सस करने वाले अधिकारी वहां मौजूद थे। एक नजीर पेश करने की जरूरत है। मेरे यहां से बारात गयी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं उस एक-एक हरिजन को मुझे भी न्यौता था। अच्छा हुआ नहीं गया, नहीं मेरी भी धुनाई कर जाते इस प्रशासन के चलते। होती निश्चित होती।

श्री उपाध्यक्ष : आप होते तो यह घटना ही नहीं घटती।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरे यहां सम्मेलन था........

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : एक प्रश्न है मेरा।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। खत्म तो करें। बार-बार बीच में खड़े क्यों हो जाते हैं ? सुन्दर लालजी, अभी बुलाता हूं आपको।

श्री यदुनाथ सिंह : उनको प्रोटेक्ट करना तो दूर रहा उल्टे षडयन्त्र करके कि कट्टा था उसके पास, कट्टा लेकर आया था। कितनी लज्जा की बात है, कितने शर्म की बात है, कमलाजी। इसे यह सदन और राजस्थान बहुत गम्भीरता से लेता है और आप इस तरह के बयान दे रही हैं। क्यों निकली बारात दूसरे दिन और क्यों ड्रामा किया ? क्यों नहीं रोका उनको प्रशासन ने ? कट्टा रख दिया, इम्प्लीकेट और कर रहे हो गरीबों को।

श्री उपाध्यक्ष : सुन्दरलाल जी। कोई नहीं बोलेगा, सुन्दरलाल जी बोलेंगे।

श्री सुन्दरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बात है इसका इतना रोला कर दिया कि घोड़ी पर चढ़ूंगा तो यह गेरेंगे मुझे।

श्री उपाध्यक्ष आप हिन्दी में बोलिये।

श्री सुन्दरलाल : मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि जब चार दिन पहले यह बात हो गयी थी कि इनके साथ वारदात होगी तो जो अतत्व आदमी थे उनके खिलाफ कार्यवाही क्या हुई ? किसी ने की या नहीं की ? जिन आदमियों ने चार दिन पहले एलान कर दिया था उन आदमियों के खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही की क्या ? दूसरी बात यह है कि उस रास्ते से जायेंगे, यहां से जायेंगे तो उस रास्ते पर चलाकर वृन्दावन ही ठेल देते तो यहां आता ही क्यों ? बारात तो यहीं आनी थी तो फिर घोड़ी पर चढ़कर वह किधर जाता ? आज यह भी तय होने लगा कि रास्ते तय होते हैं कि इस रास्ते से जायेंगे, रास्ते कब तय होने लगे कि बारात जायेगी यहां पर। रास्ता कौन तय करता है, यह नयी बात है कि रास्ता तय कर दिया उनके लिए। कोई श्मशान भूमि में जाने का रास्ता था क्या जो तय कर दिया ?

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह बात पूछना चाहता हूं कि पिछले दिनों एक हरिजन को हाथी पर नहीं चढ़ने दिया गया गुढ़ा में, जब आप एम.एल.ए थे उस समय की बात बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नवरंग सिहजी, बैठें आप। अब बस करें आप, अब नहीं।

श्री सुन्दरलाल : सरकार से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जिन आदमियों ने पहले बारात रोकने लिए कहा उन आदमियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई, और जिन्होंने घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया। कहीं लुकछिप कर आकर ब्याह करवा लिया कि कहीं रण्डवा नहीं रह जाय। इस मामले में क्या कार्यवाही कर रहे हो या इसमें

(श्री सुन्दरलाल)

रोला करके गोलमटोल कर दोगे ? और दिन वाली बात में तो आपने कह दिया कि फौजी के साथ कैसे कार्यकाही करें लेकिन आज की में कौन बीच में आ रहा है, आज वाली में तो कार्यवाही करो, कायदे की बात है। इसमें न जनता पार्टी न भारतीय जनता पार्टी। आजादी के चालीस साल बाद आज भी यह बात हो रही है। पार्टियों की बात ही क्यों करो ? जो आदमी दोषी है उसके खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा है क्या ? जांच आज सही नहीं है, दो दिन बाद सही हो जायेगी या तीन दिन बाद हो जायेगी पर आप तो यह बात कहो कि जिन आदमियों ने कसूर किया है उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। जांच तो नहीं होगी 15 दिन और हमको कह दोगे एक महीने बाद कि हमें नहीं मालूम क्या हुआ। मेरा तो कल ब्याह है उसमें फिर सारा रोला होगा, घोड़ी का पैसा भी लग जायेगा और चढ़ने भी नहीं देंगे। इसलिए आप चाहते क्या हो, इसका स्पष्ट जवाब दो कि क्या होगा।

श्री उपाध्यक्ष : जयकृष्ण जी, बोलें। नोबडी एल्स। बहुत सवाल आ गये। सवाल पूछेंगे आप।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : हां, मैं केवल क्वश्चन पूछूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : नहीं, एक नहीं दो-तीन पूछूंगा। मेरा निवेदन यह है कि इस समय प्रजातन्त्र है....

श्री उपाध्यक्ष : सबको पता है, आप सवाल पूछिये।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बीच में मत टोकिये।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, सवाल पूछिये आप।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : हां, सवाल पूछ रहा हूं। +++

श्री उपाध्यक्ष : सवाल नहीं पूछेंगे, मैं टोकूंगा। यहां तो मेरा प्रशासन चलेगा।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : मेरा निवेदन यह है कि इस समय प्रजातन्त्र के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति को समता का अधिकार है। इस समय सदन के अन्दर न कोई विरोधी पक्ष का सवाल है न सत्ता पक्ष का सवाल है। इस समय प्रश्न उठ रहा है सुबह से ही कि वह व्यक्ति जो इस देश के अन्दर ही नहीं बल्कि विश्व के अन्दर हमेशा-हमेशा से पिटते आये हैं, जिन्होंने हिन्दुस्तान के धर्म को रखा है, यहां के कर्म को रखा है, यहां की नीति को रखा है और हरिजनों के ऊपर राज करते आये हैं आज तक। यदि कोई मन्दिर का सवाल आता है तो हरिजनों की पिटाई, यदि कोई होटल का सवाल है तो हरिजनों की पिटाई और बारात का सवाल आता है तो हरिजनों की पिटाई। मेरा निवेदन यह हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि क्या इस सारी बात को देखते हुए, आज बने हुए कानून में परिवर्तन करके कोई ऐसा सक्षम कानून नहीं बना सकते जिसके कारणवश इस गरीब

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

जाति के साथ सदियों से अन्याय हो रहा है ताकि उसमें कुछ फायदा मिल सके। इसके साथ ही साथ इस सम्बन्धी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसमें बड़े भारी सन्देह की बात है। एक रास्ता दे दिया जाता है कि जहां पर....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप स्टेटमेण्ट दे रहे हैं।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : जहां मण्डप होता है कि मण्डप की ओर से बारात नहीं जाने दी जायेगी। क्या कारण है ? दूसरा रास्ता यह दिया जाता है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सवाल तो आ गये हैं।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : आप सुन तो लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। दूसरा रास्ता खेतों के अन्दर से होकर दिया जाता है और खेतों के अन्दर जाने वाले व्यक्तियों को किसी गिरोह द्वारा पीटा जाता है। उनका दूल्हा कहीं गायब हो गया तो बैण्ड-बाजे कहीं गायब हैं। यह क्या कारण है ? इन हरिजन व्यक्तियों की पिटाई हुई, उनके साथ अन्याय हुआ है, सरकार उनका कैसे संरक्षण कर सकती है ? जिन लोगों ने इस हादसे के अन्दर अपना सहयोग दिया है उनके साथ क्या न्याय कर सकती है, यह मेरा निवेदन है।

श्री माणक डाणी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाह रहा था कि सरकार को जब इस बात की जानकारी थी तो और जगह तो धारा 151 और 323 काम में लेते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माणकजी, यह बात तो आ गयी है।

श्री माणक डाणी : क्यों वहां धारा 151 नहीं थी या कानून में कोई प्रोविजन नहीं था या उसी दिन हटा दिया था ? धारा 151 के तहत तो कितने लोगों को एडवांस बन्द कर दिया जाता है ? एडवांस बन्द नहीं कर पाये तो कोई भी सामाजिक काम होता है, सरकार को जानकारी मिलती है तो वहां 2–3 पुलिस वाले पीछे-पीछे होते हैं, वैसे ही साथ चलते हैं। बाई दी वे वह रूट चेंज हो भी गया, मान लो, किसी व्यक्ति के मन में बदमाशी थी, तो भी वह पुलिस वाले तो पीछे-पीछे चल रहे होंगे, उनको तो जानकारी होगी कि किस ने किस को पीटा, क्या परिस्थिति बनी। उनके खिलाफ मुकदमा उस समय दर्ज हुआ या नहीं हुआ ? यह सारी परिस्थितियां हैं, इनका जवाब आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बैठें। आप बैठें।

श्री मदन महाराजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार पर इस बात का चार्ज लगाया जा रहा है कि हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, यह बात सही है कि यह अत्याचार हुआ, दुःख की बात है। लेकिन अभी मंत्री महोदया ने सरकार की तरफ से वक्तव्य दिया उससे, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि शादी एक खुशी का मौका होता है, चाहे वह हरिजन की शादी हो चाहे राजपूत की शादी हो और चाहे वह ब्राह्मण की शादी हो। हर आदमी इस खुशी के मौके पर यह सोचता है कि किसी प्रकार की अशान्ति पैदा न हो। यहां पर यह भी बताया गया कि पुलिस प्रशासन

(श्री मदन महाराजा)

को इस बात को जानकारी थी और पुलिस ने गांव में जाकर शान्ति व्यवस्था कायम करने के लिये अपना अमला वहां पर लगाया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह खुशी का मौका था जिस पर एक जन-प्रतिनिधि जो गांव का सरपंच है उसने शान्ति बनाये रखने के लिये, उस गांव में शान्ति कायम रहे, झगड़ा न हो ऐसी स्थिति में एक रास्ता कायम किया। उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्तव्य से लगता है कि यहां के जो जमींदार लोग थे, जो प्रभावशाली लोग हैं, जो दूसरी जाति के लोग हैं उन्होंने उस लड़की के बाप को दबाया होगा और इसलिये दबाया होगा कि या तो उसका सम्बन्ध शासित पार्टी से होगा इसलिये उसको दबाया गया होगा कि तेरे यहां पर जो बारात आयेगी वह इस प्रकार न तो बैण्ड बजायेगी और न घोड़ी पर आवेगी। इसमें न तो सरपंच का कसूर है, न इसमें पुलिस का कसूर है और न उसमें लड़की वाले का कसूर है, कसूर उन लोगों का है जो इस प्रकार के असामाजिक तत्व हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण राजनीतिक और गैर राजनीतिक पार्टियों से मिला हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक मामला रखना चाहता हूं कि इसी प्रकार से आज से 3 महीने पूर्व निम्बाहेड़ा के अन्दर धाकड़ जाति और राजपूतों ने मिल कर....

श्री उपाध्यक्ष : आप कहां पहुंच गये। आप इसी इन्सिडैण्ट्स से सम्बन्धित सवाल पूछें।

श्री मदन महाराजा : मैं उदाहरण दे रहा हूं, वहां पर हरिजनों की बरात गयी और उस बरात के दुल्हे को घोड़ी से उतार कर मारा, मार-पीट की पुलिस ने उन अपराधियों को पकड़ा और पकड़ कर उनके खिलाफ कार्यवाही की। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात के लिये बड़ा दुःख होता है। +++ उससे ऐसा लगता है कि ...

श्री उपाध्यक्ष : इसी इन्सिडैण्ट्स से सम्बन्धित सवाल पूछिये। नहीं, यह मैं अलाऊ नहीं करूंगा इसको। आप इसको इससे नहीं जोड़ेंगे, इसी इन्सिडैण्ट्स के मुत्तलिक बोलिये, इसी इन्सिडैण्ट्स पर बोलिये आप।

श्री डूंगरराम पंवार : आपको मालूम है क्या कि राजपूत थे या जाटव थे ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस चीज को अलाऊ नहीं करूंगा। भैरोंसिंहजी के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वह एक्सपंज कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय एक मिनट...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप जवाब नहीं देंगे। एक्सपंज कर दिया मैंने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चाहे मत करिये एक्सपंज, मुझे इसकी चिन्ता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यू रिक्वेस्टैड मी आई एक्सपंज इट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक्सपंज कर दें उससे नहीं, हाउस में एक

+++ अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इम्प्रेशन पड़ता है इसलिये उसका स्पष्टीकरण करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छी बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या यह गांव निम्बाहेड़ा कान्स्टिट्यूएन्सी में है? बोलिये.... (व्यवधान) कौनसी कान्स्टिट्यूएन्सी में यह गांव है? जब आपको यह पता ही नहीं है कि कौनसा गांव है, गांव का नाम कौनसा है और जब आपको गांव का पता नहीं है और यहां पर आरोप लगाते हैं। मैंने उल्टा एस. पी. को टेलीफोन यह किया कि किसी भी आदमी को इस मामले में रियायत नहीं करें। आप चाहें तो जो मैंने चिट्ठी लिखी है सदन में इस समय मेरे पास नहीं है, हाउस में पेश कर दूंगा। और मैं एक बात और बता देऊं आपको कि जाति से मैं राजपूत हूं लेकिन संविधान में जिन लोगों को मौलिक अधिकार मिले हैं उनके संरक्षण के लिये पिछले 40 वर्षों से लड़ता आया हूं चाहे मुझसे कुछ लोग नाराज हो जायं मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। आपको जानकारी नहीं है कि निम्बाहेड़ा कहां है, शकल देखी नहीं निम्बाहेड़ा की और हाउस में इस प्रकार की बात कह रहे हैं....

श्री मदन महाराजा : मैं भी जो कह रहा हूं वह सही कह रहा हूं लेकिन ऐसा हुआ है, आपने माना है, इस प्रकार का आपने टेलीफोन किया है पुलिस को....

श्री डूंगरराम पंवार : शेम शेम से दल दल हो जायेगा, दल दल में चले जाओगे।

श्री मूलचन्द मीणा (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय यह गम्भीर मामला है....

श्री उपाध्यक्ष : एक सैकण्ड। सुधाजी के बाद आप।

श्रीमती सुधादेवी (मण्डावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो प्रश्न ही पूछना चाहती हूं क्या कठूमर-बड़ीथली काण्ड का हमारी सरकार को दर्द नहीं, क्या गृह मंत्रीजी या राज्य सरकार हरिजनों की हामी नहीं है? क्या इस काण्ड के अराजक तत्व, अराजक विचारधारा के अधिकारियों को राज्य सरकार का सजा देने का इरादा नहीं है? सिर्फ यही कहना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मूलचन्द जी मीणा।

श्री मूलचन्द मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट। इनकी जानकारी के लिए बता देऊं कि गांव का नाम खरीद है और बधेसर तहसील में है और बधेसर तहसील से कांग्रेस का जीता है।

श्री मूलचन्द मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जब इस काण्ड की सूचना 3-4 दिन पहले पुलिस प्रशासन को मिल जाती है, उसके बाद बरात जाती है तो उस घटना को घटित नहीं होने के लिये जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगायी जाती है, बरात के जाने का जो समय था और उस समय

(श्री मूलचन्द मीणा)

जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगायी गयी थी उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : रिपीट कर रहे हैं, यह क्वश्चन आ गया है। माननीय मंत्रीजी। देवी भाई, आज क्या हो गया आपको ?

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : एक प्रश्न....

श्री उपाध्यक्ष : देवी भाई को और सुन लें। देवी भाई, बोलिये आप।

श्री देवीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि पुलिस मौके पर जाकर वहां के सरपंच को बुलाकर रास्ता तय किया तो पहला सवाल तो यह है कि पुलिस मौके पर थी और सारी बातों के अन्दर शामिल थी तो आज 8 दिन हो गये अभी तक पुलिस ने इस सारे केस की पूरी सूचना आपको क्यों नहीं दी ? पुलिस ने पूरी सूचना नहीं दी तो क्या माननीय मंत्री महोदया उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगी ? आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंवें, 8 दिन हो गये और अभी तक पूरी जानकारी नहीं दी उसके लिये आप कार्यवाही करें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि शादी का पहले टाइम निकाल दिया दूसरे दिन जाकर गुप-चुप में शादी की, दूसरा रास्ता तय किया और फिर शादी की उसके बाद में दूसरी जान आई, तो मंत्री महोदया को यह कहना है कि जिन दो ट्रकों में आये, एक जोंगा जीप थी तो कम से कम एक ट्रक में 25-30 आदमी आते हैं तो दो ट्रकों में 60-70 आदमी और जोंगा जीप में 5-7 आदमी उनके अन्दर होने चाहिये थे, तो 70-80 आदमी जान में थे वह लोग रास्ते में होकर आये तो उन लोगों को पीटने वाले आदमी कितने थे जो उनको पीट सके ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप ही तो कहते हैं कि इनको बुलवाओ, मैं तो मना करता हूं।

श्री देवीलाल : जिन अधिकारियों ने कार्यवाही नहीं की उनके खिलाफ कार्यवाही करें। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के साथ चाहे हैण्ड पम्प पर पानी भरे तो मार-पीट होती है, चाहे शादी होती है तो मार-पीट होती है....

श्री उपाध्यक्ष : देवी भाई, बैठें आप। हो गयी बात।

श्री देवीलाल : जो भी गांवों में ऐसा वातावरण फैलावें उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये और जो प्रशासन कार्यवाही नहीं करे तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर यह निवेदन करना चाहती हूं कि दरअसल में इस तरह की घटनायें बहुत अशोभनीय हैं और इस तरह की घटनायें घटित हो जाने पर जितनी भी अधिक से अधिक शक्ति के साथ में कार्यवाही की जा सके उससे ही इन घटनाओं की रोक-थाम की जा सकती है।

(श्रीमती कमला)

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस समय न तो किसी को यह सोचने की जरूरत है कि किसी हरिजन के साथ यह घटना घट गयी तो हम इसका बड़ा भारी राजनैतिक तूल देकर इसमें से कुछ निकालें और न यह सोचने की बिलकुल भी आपको गुंजाइश होनी चाहिये। मैं या सरकार या जो भी सम्बन्धित हैं इस प्रकार की स्थिति आती है वह किसी प्रकार से भी इस मामले में या इस प्रकार के अन्य मामले में किसी को प्रोटेक्शन देने का, किसी को बचाने का या रियायत करने का कोई भी काम करेंगे, काम करने की चेष्टा करेंगे यह उनकी चेष्टा सफल नहीं होने दी जायेगी। इस मामले में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो यह है कि जो बारात जा रही थी उस बारात को जाने का रास्ता तय किया गया, क्यों रास्ता तय करना पड़ा? बारात समय पर क्यों नहीं पहुंची? घोड़े पर उसको क्यों नहीं बैठने दिया? उसका बाजा क्यों नहीं बजा और बारात समय पर पुलिस की देखरेख में क्यों नहीं पहुंची? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नाऊ इनफ। तिवाड़ी जी, बैठिये आप।

श्रीमती कमला : इसमें क्या आपत्ति आ रही है आपको? बिना मतलब ही बीच में खड़े हो रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इससे यह प्रूव हो गया कि सरकार ने घोड़े पर नहीं बिठवाया उसको। सरकार ने टाईम पर फेरे नहीं पड़वाये।

श्रीमती कमला : तो मैं क्या कह रही हूं इसमें? मैं तो यही कह रही हूं कि एक मुद्दा तो यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी, बैठें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह स्वीकार करने के बाद में राज करने का आपको अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री जी, आप बैठें। जवाब नहीं दें आप। जवाब नहीं दिलवाऊंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, मत दिलवाओ जवाब।

श्री उपाध्यक्ष : मत दिलवाओ यह क्या मतलब है? बीच-बीच में खड़े हो जाते हैं। सीजन्ड मेम्बर हैं आप। बार-बार खड़े हो जाते हैं। एक बार स्टेटमेंट आ जाने दीजिए। अगर आपको कोई चिन्ता है, बुला लेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैं तो मुद्दा ही यह बता रही हूं आपको, जो मुद्दा आपने उठाया हैं उसी का मैं संक्षेप में ब्यौरा दे रही हूं कि इसमें एक मुद्दा तो यह है कि जो बारात 9 तारीख की रात को लड़की के गांव पहुंच कर फेरे लेना चाह रही थी दूल्हा उसको नहीं होने दिया गया। बारात घोड़े और बाजे के साथ नहीं पहुंची, समय पर नहीं पहुंची, रास्ता बदलने की कोशिश की गयी एक तो यह मुद्दा। दूसरा मुद्दा यह है कि कुछ बाराती जो रास्ते में न जाकर के खेतों में से गये उनके साथ मारपीट की गयी और उस मारपीट पर क्या कार्यवाही की गयी और वह मारपीट किसने की और

(श्रीमती कमला)

उनके ऊपर क्या इन्तजाम हुआ ? दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा यह है कि लाल जाटव जिसके पास में कोई कट्टा बरामद हुआ, क्या वह सचमुच में झगड़ा करने की नीयत से गया था ? क्या वह उस गांव के खेतों के अन्दर मौजूद था या उस अगले गांव के अन्दर उसको पकड़ा गया ? क्या यह वारदात सही है या इसको बनाया गया है ? यह तीन मुद्दे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले के अन्दर हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बीच में सवाल कोई नहीं पूछने दूंगा मैं।

श्रीमती कमला : वह भी इसके अन्दर आता है कि पहले मुकदमा दर्ज हो गया।

श्री नवरंग सिंह : माननीय मन्त्री महोदया, चार दिन पहले इत्तला क्यों दी यह भी एक मुद्दा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नवरंग सिंह जी, बैठें आप।

श्रीमती कमला : बाकी सब इससे सम्बन्धित हैं। जो आपने यह बात उठायी। पहली बात इसमें यह है कि इस झगड़े की आशंका के बारे में कठूमर थाने में किस तारीख को क्या लिखाया गया तो वह तो मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि इसकी तारीख मुझे मालूम नहीं कि किस तारीख को वह दर्ज हुआ लेकिन यह आशंका उसके अन्दर बतायी गयी कि इस तरह से इस शादी के रास्ते के मामले में इस तरह की घटना घट सकती है और उस घटना की जानकारी के सन्दर्भ में ही एडीशनल एस.पी., डीवाई.एस.पी., एस.डी.एम. उस दिन वहां पर थे। पहले रास्ते पर पाबन्दी की उसके बाद में सवा सौ पुलिस स्ट्रेन्थ को लेकर के वहां तमाम जगहों पर उसको खड़ा किया, उसको पाबन्द किया, खुद भी मौके के ऊपर हाजिर रहे और जिस दिन घटना घट सकती थी उस दिन कलक्टर और एस.पी. भी मौके पर गये और सारी वारदात को किस तरह से रोका जा सकता है इसकी उन्होंने मानिटरिंग की। तो जो आपने बात पूछी उसका जवाब मेरे पास है। दूसरा यह है कि उस बारात को अगर इतना इन्तजाम था तो बारात को पुलिस कस्टडी में....

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : नहीं, पुलिस कस्टडी के अन्दर इतनी सूचना मिलने के बाद भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : क्या निवेदन है आपका ? आप क्या चाहते हैं ? बैठिये। आपका नहीं आयेगा सवाल।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : बार-बार आप डांट रहे हो। बोलेंगे हम।

श्री उपाध्यक्ष : बीच में नहीं बोलेंगे।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : क्यों नहीं बोलेंगे ? बिलकुल बोलेंगें।

श्री उपाध्यक्ष : I will name you. नाम लूंगा आपका।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : बिलकुल बोलूंगा मैं भले ही आप बाहर निकाल दीजिए। क्या मतलब हुआ ? आप हर समय डांटते हैं। क्यों डांटते हैं ? मैं सदस्य

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

नहीं हूं क्या ? मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : बीच में सवाल नहीं पूछेंगे ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : कई बार देख लिया । जब भी खड़े होते हैं ।+++

श्री उपाध्यक्ष : मैं बीच में नहीं बोलने दूंगा । स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलने दूंगा ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : क्यों, किसलिए ? बोलेंगे हम ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं बोलने दूंगा । आपके खिलाफ कार्यवाही होगी, मैं कह रहा हूं आपको । बैठ जाइये आप । (व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : नहीं बैठूंगा । क्या मतलब हुआ ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : I will take action against you.

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : मैं कह रहा हूं । नाम लेकर पुकार रहे हैं, पुकार लीजिए । मैं नहीं जानता हूं इसको । आप एल. एल. बी. हो, मैं भी एल. एल. बी हूं । आप एडवोकेट हो, मैं भी एडवोकेट हूं । इस सदन के कानूनों को अच्छी तरह समझता हूं मैं । समझे आप । किसलिए नाम लेकर पुकारते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : नाऊ सिट डाऊन ।

श्रीमती कमला : पुलिस का जो मुद्दा है वह यह है कि बारात को कस्टडी में क्यों नहीं ले जाया गया । (व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : हद हो गयी, कोई गलत बोलें तो बात दूसरी है ।

श्री उपाध्यक्ष : बिलकुल गलत बोल रहे हैं आप ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकृष्ण जी की बात रेकार्ड नहीं होगी ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : XXX

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मुद्दा इसमें यह है कि अगर पुलिस इतनी पहले से सतर्क थी और इतना इन्तजाम था तो बारात को पुलिस कस्टडी में क्यों नहीं ले जाया गया ? (व्यवधान) हां, यह प्वाइन्ट ही बता रही हूं, तो अब सुनें तो सही ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : जयकृष्ण जी की बात नहीं आयेगी । बैठ जाइये आप । मन्त्री जी बोल रहे हैं ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक महोदय अपनी पार्टी के सदस्य को समझायें । I am not allowing your

---

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री उपाध्यक्ष)

statement to be recorded. आपकी बात रेकार्ड नहीं हो रही है। बैठ जाइये आप। सुनिये।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बारात आनी थी ग्राम कटारा से और ग्राम कटारा से जो बारात चली। ग्राम कटारा के रास्ते में कहीं कोई झगड़ा होगा। इस तरह की न तो कोई आशंका थी न इस तरह के इन्तजाम का कोई मुद्दा था। मसारी गांव के जहां पर रास्ते का झगड़ा था, उस गांव के सारे रास्तों को या जो क्रिटिकल पाइन्ट्स हो सकते थे उन सब का पुलिस की तरफ से इन्तजाम किया गया। मैंने अभी यह जानकारी चाही थी कि 9 तारीख को दूल्हे का बाप स्वयं बारात लेकर के ही नहीं चला या बारात लेकर के चला और रास्ते में कहीं विघ्न पैदा हुआ और उसको वापस जाना पड़ा इसलिए वह 10 तारीख को वापस बारात लेकर के आया। इसकी सूचना मुझे नहीं मिली कि अव्वल तो कटारा गांव से 9 तारीख को बारात चली ही नहीं। बारात तो चली लेकिन दूल्हा उसका बाप और दूसरे जो मुखिया हो सकते हैं, वे वहां से चले और न चले और चले तो उस रास्ते में क्या विघ्न पड़ा कि वापस चले गये, जिससे उनको 10 तारीख को आना पड़ा। इसकी जानकारी तो नहीं लेकिन यह जानकारी है कि दूल्हा 10 तारीख को चलकर के मसारी गांव में पहुंचा और 10 तारीख को सुबह साढ़े सात बजे शादी हुई तो मैं आपको बताना चाह रही हूं कि अगर बारात के लोगों ने या दूल्हे के बाप ने या बारात के पक्ष के लोगों ने थाना नदबई में कोई प्रोटेक्शन मांगा या थाना कठूमर को कहा कि हमें पूरे रास्ते में ठेठ कटारा से मसारी तक का इन्तजाम चाहिए और सुरक्षा चाहिए और उसके बावजूद भी अगर उन्होंने कटारा गांव से सुरक्षा नहीं की और इसलिए बारात वहां नहीं पहुंच सकी तो मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि इसमें हमारी पुलिस का कसूर माना जायेगा और वह इन्तजाम नहीं कर सके, प्रोटेक्शन नहीं दे सके, उनको आने में सक्षम नहीं कर सके इसके लिए जो कोई भी जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ में हम कार्यवाही करेंगे। मेरी बात सुन लें आप। इसी एक मुद्दे का तीसरा पक्ष यह है कि आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि आप रास्ता तय करते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप और हम जानते हैं....

एक माननीय सदस्य : थानेदार और डी.एस पी. को सस्पेण्ड करो।

श्रीमती कमला : कि जब कोई किसी बात पर विवाद हो जाता है। कई बार आप और हम जानते हैं ताजियों के मामले में रास्ते के विवाद हो जाते हैं तो पुलिस को उसके लिए बिठाकर के सलाह करके, उसका रास्ता तय करना पड़ता है तो चूंकि गांव में विवाद खड़ा हो गया कि इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से जाना चाहिए और उसमें दोनों पक्ष अपनी आपस में जिद् करके बैठें कि नहीं अगर बारात आयेगी तो इसी रास्ते से आयेगी तो उस रास्ते को तय करने के लिए .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहन जी, बीच में नहीं। बीच में नहीं, प्लीज सिट डाउन।

श्री डूंगरराम पंवार : हरिजनों की शादी में पुलिस का बैण्ड जाना चाहिए।

श्रीमती कमला : तो वह रास्ता इसीलिए तय करना पड़ता है कि जब विवाद होता है। अगर विवाद नहीं होता है तो किधर से भी चले जायं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किस बात का विवाद था बारात के जाने में ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय तिवाड़ी जी, बैठें आप।

श्रीमती कमला : आप क्या पूछ रहे हैं कि इसकी पूर्व इत्तला पुलिस को थी या नहीं थी कि कोई झगड़ा हो सकता है तो कोई विवाद नहीं हो तो और क्या हुआ। विवाद था गांव के अन्दर इसीलिए तो उसको तय करना पड़ा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : विवाद पैदा करने वालों पर आपने क्या कार्यवाही की, सवाल यह है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान) आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य आप बैठें बीच में नहीं बोलें।

श्रीमती कमला : अगर पुलिस उस रास्ते से जाने देती जिस रास्ते से कंवरपाल चाह रहा था कि हमारी बारात इस रास्ते से आनी चाहिए, उस रास्ते में गांव के लोगों को क्या अड़चन थी, क्यों उस रास्ते नहीं जाना चाहिए था और क्यों वे जिद कर रहे थे कि नहीं, इसी रास्ते से आनी चाहिए, इसका हमारे पास में ब्यौरा नहीं है लेकिन माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो कहा, यह भी हो सकता है कि वहां रास्ते में कोई....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप केवल संभावनाओं की बात कर रही हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजला जी, माननीया उजलाजी; उजलाजी की बात रिकार्ड नहीं की जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : बैठें आप, बीच-बीच में बोलते हैं।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांव के पास आने के वक्त.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, नहीं सुनेंगे तो खत्म करूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मुद्दा इसमें यह है कि गांव के पास आने के समय अगर दूल्हे ने या बारातियों ने दूल्हे को घोड़े पर चढ़ाने का मन किया था या घोड़े की तैयारी की और बाजा बजाने का जो मन किया था और बाजे की तैयारी की थी और उसको अगर किन्हीं तत्वों ने नहीं होने दिया और पुलिस ने उनको वहां पर प्रोटेक्शन नहीं दिया, यह बात अगर सामने आयेगी तो मैं उस बाबत भी आपको निवेदन करना चाहती हूं कि यह भी सख्ती से कार्यवाही किये जाने

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती कमला)

का मामला है। लेकिन क्या हुआ इसका पूरा ब्यौरा अभी नहीं है, इन्क्वायरी चल रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय,

श्रीमती कमला : मैं थोड़ा कह लूं उसके बाद....

दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वह यह है कि खेत के अन्दर जो मार-पिटाई हुई, सबसे पहला मामला जो सूचना का है वह यह है कि जिन लोगों ने मार-पिटाई की उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई या नहीं। मैंने अभी आपको कहा था कि 18 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। आज के दिन जांच-पड़ताल के बाद में 18 के बजाय 21 आदमी गिरफ्तार हुए हैं जिसमें 20 जाट हैं और एक हरिजन है जिसके पास कट्टा पाया गया। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्रीमती कमला : नहीं, वह आपने जो पूछा मैं वही कह रही हूं। मेरे को कोई जाति....

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्रीमती कमला : श्रीमती जी और श्रीमान् जी, निवेदन यह है कि जब कभी पुलिस केस दर्ज होता है, जाति भी दर्ज होती है....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्रीमती कमला : क्या जितना पूछोगे उतना ही बताऊंगी, एक शब्द भी आगे नहीं बता सकती? पुलिस रिपोर्ट के अन्दर सभी दर्ज किये जाते हैं, जाति भी दर्ज की जाती है, बाप का नाम भी दर्ज किया जाता है, और गांव भी दर्ज किया जाता है। इसलिए उस हिसाब से मैंने आपको बताया।

श्री सम्पत सिंह : मन्त्रीजी, यही तो गलत बात है....

श्रीमती कमला : आप बिराजिये, मैं बताती हूं। इसलिए आप भी इस बात को महसूस करेंगे कि जो मारपीट का मामला हुआ, उसमें किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई या किसी भी तरह की रियायत न तो दी जा रही है और न की जायगी। 21 आदमी अब तक गिरफ्तार हुए हैं और बाकी भी अगर कोई शंकास्पद स्थिति में हैं और मौकाये वारदात पर पाये गये या उनकी सूचना मिली तो उनके खिलाफ जरूरी तौर पर कार्यवाही की जायेगी।

तीसरा मुद्दा है लाल जाटव के कट्टे का। वह कट्टे का मामला जैसा भी है, हालांकि मैं आपसे कह रही हूं कि फिर भी यह समझते हैं कि बारात में कट्टा लेकर जाते हैं, छोड़ा भी जाता है, ऊपर से भी निकल जाता है, बाद में कोई केस भी बन जाय तो हो सकता है। लेकिन जो बयान लोगों ने दिये हैं वह यह दिये हैं कि मुझे कंवरपाल ने इत्तला की थी।

श्री भूदरमल वर्मा : माननीय मन्त्री महोदया, उसके बयानों का तो आपके पास लेखा-जोखा है लेकिन असली बात का

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भूदरमल वर्मा)

जवाब अभी तक नहीं दिया । बयान कैसे आपके पास आ गये ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कट्टे का तो ब्योरा आ गया, लेकिन असली विवाद की बात आपने अभी तक नहीं बताई। (व्यवधान) लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्पेशियली यह पूछना चाहता हूं कि उस बारात को ताजिये के रास्ते से.... मुझे सुनिये, हमको दबाया जा रहा है बार-बार ।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की रिपोर्ट के बावजूद भी लीला जाटव जो कहती है मैं उसको ज्यादा गम्भीर नहीं मानती क्योंकि हो सकता है किसी नाराजगी से या और किसी नाते से वह केस दर्ज कराया गया हो लेकिन जो दर्ज कराया उसका मुझे उल्लेख करना जरूरी है। मैं उसको इतना गम्भीर मामला नहीं मानती हूं । (व्यवधान) मार-पिटाई हुई उसके लिए सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी । जमानत मुचलके क्यों नहीं लिये, यह एक मुद्दा माननीय सदस्य ने पूछा। जमानत मुचलके ले लेते तो शायद स्थिति नियन्त्रण में रहती। लेकिन यह सोचकर कि सरपंच को, गांव के मुखिया आदमी को, दोनों पक्षों के लोगों को बिठाकर, समझाइश करने के उपरान्त जब यह तय हो गया कि ठीक है, सरपंच ने कह दिया वह रास्ता हम मान लेंगे तो इस स्थिति के अन्दर सब राजी-खुशी काम हो जायेगा, कोई स्थिति ऐसी पैदा नहीं होगी। उस कारण से उन्होंने जमानत मुचलके का काम नहीं किया लेकिन उनको कर लेना चाहिए था। यह मैं अपनी जाती राय आपके सामने निवेदन करना चाहती हूं । मैं आपको और सदन को निवेदन करना चाहती हूं, विश्वास दिलाना चाहती हूं कि इस तरह की घटनायें, हमारे समाज के लिए, हम सब जन-प्रतिनिधियों के लिए एक बहुत ही गम्भीरता से और ढंग से सोचने की और कार्यवाही करने की जरूरत है । और इस तरह की घटनायें रिपीट न हों और जो हो चुकी हैं उसमें सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी । अगर एक भी कमी या किसी-किसी बदनियति का काम पाया गया तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। इसमें कहीं भी कोई कसर नहीं रखेंगे और कोई मौका इस तरह का आम जनता में भावना पैदा नहीं होने देंगे । मैं यही निवेदन कर सकती हूं । (व्यवधान)

श्री भूदरमल वर्मा : प्रशासन क्या कर रहा था, वह अपनी कार्यवाही को पूरी नहीं कर सका ।

श्री मूलचन्द मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : मर्यादा में रहिये, विपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया । माननीय मन्त्री महोदया के वक्तव्य से, आपसे मैं जानकारी करना चाहूंगा कि विपक्ष ने या कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने जो प्रश्न पूछे, क्या किसी प्रश्न का उत्तर आया। यह जानकारी नहीं आई, जानकारी करेंगे, यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, समाज में इस प्रकार की दुर्भावना है, उनकी इस बात से तो मैं एग्री करता हूं । लेकिन यह सत्य

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है कि इनके पास अभी तक पूरी जानकारी नहीं है और जानकारी नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने इसे सुधारने की कोशिश की। पहले यह कहा रात में फेरे हो गये।

श्रीमती कमला : मैंने नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अपने वक्तव्य में कहा था।

श्रीमती कमला : आपने कहा कि गुप-चुप फेरे हो गये, मैंने तो उसका रेफरेन्स दिया कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने ऐसा कहा है, मुझे नहीं मालूम कि हो गये या नहीं हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी तक आप यह कह सकती हैं कि फेरे हुए ?

श्रीमती कमला : मैंने कहा 10 तारीख को सुबह साढ़े सात बजे फेरे हुए, यह सूचना मिली है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, अब इससे ज्यादा कोई गम्भीर घटना नहीं हो सकती कि हरिजनों के फेरे रात को होने चाहिए उसकी बजाय साढ़े दस बजे फेरे हुए और हरिजन तो अपना मुहूर्त भी नहीं रख सकते इस शासन में, यह बात आपने स्वीकार कर ली और मैं समझता हूं स्वीकार करके असलियत को स्वीकार किया है।

श्रीमती कमला : जनरलाइज नहीं, घटना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उसी संदर्भ में कह रहा हूं। दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर नहीं मिला कि बैण्ड बाजे बजाये या नहीं बजाये, सरकार ने इसका उत्तर नहीं दिया।

श्रीमती कमला : दिया है मैंने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्रीमती कमला : मैंने उत्तर दिया कि अगर बैण्ड बाजे और घोड़ी का इन्तजाम वहां करना चाह रहे थे और ले आये थे, फिर नहीं होने दिया....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अगर-मगर नहीं।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य, अगर-मगर होगा, आप नहीं ले जाना चाहते तो जबरदस्ती कहां से ले जायेंगे।

श्री भूदरमल वर्मा : माननीय मन्त्री महोदया, आपने अगर लगाकर इस क्वश्चन का अनर्थ कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री भूदरमल वर्मा : माननीय भैरोंसिंहजी, एक मिनट में निवेदन कर दूं। इसमें हमारा तो यह निवेदन है सीधा-सीधा कि बारात जाती है तो बाजा भी पहले तय होता है, घोड़ी भी तय होती है, सारी व्यवस्था तय होती है और सारी व्यवस्था होकर जाने की सूचना थी। उसके बाद में उस गांव में झगड़े की आशंका योजनाबद्ध तरीके से हुई. उनको मालूम हो गया, लड़के वाले को या लड़की वालों को, सारी बात होने के बाद उन्होंने प्रशासन को इत्तिला

(श्री भूदरमल वर्मा)

कर दी । प्रशासन वहां पहुंच गया, पुलिस पहुंच गई, एस.डी एम. पहुंच गया । उसके बाद भी मैं यह पूछना चाहता हूं, घोड़े पर बारात और दूल्हा क्यों नहीं निश्चित टाइम पर गया और जिस अधिकारी ने इस काम में सफलता नहीं दी उस अक्षम अधिकारी के ऊपर आप क्या एक्शन ले रहे हैं ?

श्रीमती कमला : उसमें मैंने कहा अगर ऐसा उन्होंने प्रबन्ध किया और नहीं गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही....

श्री भैरोंसिह शेखावत : अगर नहीं ।

श्रीमती कमला : अगर इस तरह की व्यवस्था....(व्यवधान) चाहते थे और आपने नहीं किया । (व्यवधान) घोड़ी बाजा ...

श्री भूदरमल वर्मा : यह तो तय था ।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आज के स्टेटमेंट में तय है... (व्यवधान) इसमें कोई अगर मगर की बात नहीं है । You must be clear about it.

एक माननीय सदस्य : जो आदमी मर गये उनको क्या होगा....

श्री भैरोंसिह शेखावत : तो मैं निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कोई उत्तर तो मिला नहीं । मोटे चार प्रश्न थे । माननीय सम्पतसिह जी ने पूछा आपने प्रिवेन्टिव एक्शन क्यों नहीं लिया ।

अब आप कह रही हैं अगर सूचना पहले मिल गई है, सूचना मिलने के बाद में कार्यवाही क्यों नहीं की, मैं जानकारी करूंगी....

श्रीमती कमला : इसके लिये अगर नहीं कहा मैंने....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको जानकारी है न ?

श्रीमती कमला : यह तो मैंने कहा है पहले सूचना दी गई है थाने में, इसीलिये पुलिस का पहले प्रबन्ध किया गया, किस तारीख को दर्ज हुई है यह मैंने कहा कि तारीख मालूम नहीं है....

श्री सम्पत सिह : यह पुलिस का प्रबन्ध तो बारात को पीटने के लिये किया गया था....

श्रीमती कमला : यह सरासर गलत है........

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय मन्त्री महोदया का यही वक्तव्य ले लें कि थाने में कब इत्तला दी गई माननीय मन्त्री महोदया की जानकारी में नहीं है, यह बात सही है....

श्रीमती कमला : तारीख का पता नहीं है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको यह भी जानकारी नहीं है कि दूल्हा घोड़े पर बैठा या नहीं, यह भी आप नहीं कह सकते....

श्रीमती कमला : घोड़े पर नहीं बैठा ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप यह भी नहीं कह सकतीं कि बैंड बाजा बजा कि नहीं बजा, यह भी आप नहीं कह सकतीं, आप यह भी नहीं कह सकतीं कि शादी का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुहूर्त कितने बजे था और फेरे सुबह सात बजे हुए, यह भी आप नहीं कह सकतीं ....

श्रीमती कमला : 9 तारीख रात का था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दूसरे दिन 10 तारीख को 7॥ बजे फेरे हुए। इसका मतलब यह है कि फेरे होने तक की अनुमति नहीं थी। बारात निकालने का सवाल पैदा नहीं होता, मुहूर्त के ऊपर हरिजन के फेरे हो जायें इसकी भी पुलिस व्यवस्था नहीं कर सकी। उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा क्या होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय सारे विवरण कल प्राप्त कर लें और हाऊस में सबसे पहला काम इस संबंध में जो भी आप जानकारी करना चाहते हैं वह जानकारी कर लें और इस सदन को विश्वास में लें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। आप कल वक्तव्य दे दीजिये।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था.... (व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, अधूरी सूचना पर यह सारी बहस आपने करवा दी है अब पूरी सूचना पर कल बहस करवा दें....

श्री उपाध्यक्ष : कल नहीं।

श्री भूदरमल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : हमने तो कहा था, आप माने नहीं, आपने मजबूर किया है, तभी आज लिया है। What more you want ?

श्री उपाध्यक्ष : भूदरमल जी बोलें।

श्री मोहन छंगाणी : कल गृह मंत्री को आने दो।

श्री उपाध्यक्ष : There are other important matters also. भूदरमल जी बोलें।

श्री भूदरमल वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि केस की गम्भीरता को देखते हुए वास्तविकता में जो हमें दर्द है उसके माफिक संतोषप्रद जवाब तो हमको नहीं मिला लेकिन फिर भी हम सदन का समय जाया न करके मंत्री महोदया से यह आश्वासन चाहते हैं कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और 20 तारीख तक या 22 तारीख तक इसकी पूरी जांच करा करके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाये और दोषी जो अधिकारी हैं, उनको भी सजा दी जाये और उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाये और इसकी रिपोर्ट सदन में दस दिन में पेश की जाये। यह मैं मंत्री महोदया से चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकृष्ण जी।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है उदाहरण स्वरूप मेरे इलाके की बात कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : उदाहरण नहीं....

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : एक उदाहरण देकर, मैं वही बात इसमें लाऊंगा कि बोराज के अन्दर यही की यही घटना हुई थी। मेरे इलाके की बात है, मैंने डी. वाई. एस. पी. को कहकरके, जहां से दूल्हा की बारात चढ़ी वहां से लेकर के लड़की के यहां गई वहां तक पुलिस अपनी कस्टडी के अन्दर दूसरे गुण्डों को साथ नहीं चलने दिया। बड़े प्रेम से ले जाकर के, घोड़े पर बैठाकर के फेरे करवा करके उसके घर छोड़ा। यही की यही स्थिति यहां पर है कि जब पुलिस को यह पता था वहां के अधिकारियों को पता था। पुलिस के 125, 150 आदमी भेज भी दिये और उसके बाद भी दूल्हा कहीं और जा रहा है, बारात कहीं और जा रही है, बैण्ड बाजे कहीं और जा रहे हैं उसमें उनको पुलिस को अपनी कस्टडी में लेकर के उसके फेरे क्यों नहीं करवाये और यदि वास्तव में वह कर्मचारी इस प्रकार के दोषी हैं तो अभी इसी समय सदन के अन्दर ऐसे कर्मचारियों के सस्पेन्शन की घोषणा करवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नाथूरामजी।

श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह 9 तारीख का वाकया है और आज 12 तारीख है तीन दिन में मेरे ख्याल से इस सारी घटनाक्रम की जानकारी सरकार अच्छी तरह से कर सकती थी। जिस तरह का स्टेटमेंट कमलाजी ने दिया उस हिसाब से अगर मगर बहुत-सी बातें जो उन्होंने कहीं; थ्योरिटीकली जो कुछ भी उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिये आगे नहीं होगा, गलती की है उनको सजा देंगे। यह बात मोटे तौर से उन्होंने कहीं। पर जो फेक्ट्स हैं उसके आधार पर कि नदबई तहसील की बारात कठूमर तहसील के एक गांव में हरिजन की जानी थी, उसका टाईम निश्चित था, मुहूर्त था। और बारात आमतौर से जैसे आजकल जाती है, समाज में सबको अधिकार है कि वह अपनी बारात को जैसा चाहे सुसज्जित करके ले जाये और बाजे भी बजावे और बारात जिस रास्ते से जाना चाहे जाये, घोड़ी पर जाये, हाथी पर जाये, कोई किसी प्रकार का किसी को उसमें बन्धन नहीं है। पर अभी भी देश के समाज के अलग-अलग इलाकों के अलग-अलग हालात हैं यह एक फैक्ट है जो सदन के सभी माननीय सदस्यों को स्वीकार करना चाहिये। जो विधान में उनको अधिकार हैं उनकी अनुपालना के अन्दर आज कई तरह की बाधायें कई जगह कई लोगों को आती हैं। अब इस मामले की, जैसा मैं समझा, पहले ही आस-पास के गांवों में शायद चर्चा हुई है और इस वजह से वहां पर दसों हजार आदमी इकट्ठे हो गये। आगे दसों हजार आदमी इकट्ठे हो गये और इसका ज्ञान, जब लोगों में चर्चा थी और एडमिनिस्ट्रेशन को पहले सूचना भी दे दी गई थी और एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच भी गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन वहां पहुंचने के बाद भी वह अपने आपको जिस तरह के मौके के वहां हालात थे, उसमें उन्होंने अक्षमता दिखाई कि वह इस बारात को अपनी जगह पर समय के अन्दर नहीं पहुंचा सके। बारात पहुंचे उससे पहले ही विघ्न बाधायें आई और वह विघ्न बाधायें रास्ते में आई, मारपीट भी हुई। यह सारे हालात इस केस के जो देखे सुने वह हैं। अब इस मामले में इतने बड़े अफसर भी आ गये, पुलिस भी आ गई, गांवों के बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे थे, इस वजह से यह पंचायत हुई कि रास्ता निकालें तो

(श्री नाथूराम मिर्धा)

किधर से निकालें वह फैसला नहीं होने से समय पर दूल्हा नहीं जा सका और शादी भी दूसरे दिन हुई यह भी फैक्ट है कि सुबह वह गये। और फिर वह शादी हुई तो जैसे नार्मल तौर पर गये और फेरे कर लिये और न तो जो बारात के तौर तरीके होते हैं कोई कुछ हुआ नहीं। मजबूरी कहे उस दूल्हे को वह जरूर प्राप्त हो गई और वह शायद लेकर घर पर चला गया। अब एक तरह से इतना एडमिनिस्ट्रेशन में पहले सूचना नहीं होना और पहले समय पर इन्तजाम करके लोग जो गांव में आये तो उनको रोकते, उनको क्यों इकट्ठा होने दिया, ऐसी क्या बात हो रही कि दसों हजार आदमी इकट्ठे हो रहे हो, बारात में ऐसी क्या खास बात है इसमें। अगर इसमें पहले से पुलिस या दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सतर्क हो करके वहां कुछ काम करते तो मेरे ख्याल से लोगों को भी रोका जा सकता था। ताकि मौका पर इतना मजमा इकट्ठा नहीं होता और मजमा इकट्ठा हो गया था तो बारात को निकालना वहां बहुत मुश्किल था वहां फायरिंग वगैरा कई तरह के टंटे होते। तो यह फेल्योर एडमिनिस्ट्रेशन की है। इसमें कोई शंका नहीं है। अब इस फैल्योर के अन्दर कौन जिम्मेदार है उसके बारे में सरकार को क्या कदम उठाना चाहिये यह सख्ती से उठाने की बात आपने कही है। इसलिये इस सदन में इन मुद्दों के ऊपर फिर बहस करें तो बहुत कोई लम्बा चौड़ा इसका अर्थ नहीं निकलेगा, आपकी भावनाओं को सरकार ने, मैं समझता हूं, समझा है। कमला जी काफी अच्छी मंत्री भी हैं और इस सरकार के अधिकारी भी बैठें है। तो मैं सोचता हूं कि जो फैल्योर जिस काम में जिसका भी रहा है. एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोगों को जरूर सबक देना चाहिये....

श्री मोहन छंगाणी : कल एनाऊंस कर दें कि हमने यह एक्शन लिया है, बहस करने का क्या सवाल है....

श्री नाथूराम मिर्धा : छंगाणी जी, देखिये जो आप कह रहे हैं अपनी भावना से कह रहे हैं मैं कहता हूं कि एडनिस्ट्रेशन मान लो कल का कल ही कि क्या किया किसकी गलती क्या हुई, इस बात को इतना ताकीद से कहना भी इसके लिये मुश्किल पड़ता है क्योंकि सच्चाई के ऊपर जब तक पहुंच करके कोई नेक आदमी इस बात का सारा फैसला नहीं करे.... मैं आप से निवेदन करूं, माननीय सदस्यों से कि बहस हो गई। हरिजन के साथ अन्याय हुआ जो नहीं होना चाहिये। एक नागरिक का जो अधिकार था वह अधिकार नहीं ले सका और सरकार को जानकारी होते हुए भी वह उसको उसका वाजिब हक नहीं दिला सकी। यह सारा मामला आपके, और हमारे सामने, सारी दुनियां के सामने आ चुका है। मेरा तो आप से इतना ही निवेदन है कि और भी हमारे काम हैं.... (व्यवधान) मौलिक अधिकार की बात मैं मान गया। आजादी में सभी नागरिकों को बराबर अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने यह मांग नहीं की कि किसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाये। मेरी तो इतनी ही मांग है कि घटना को, तथ्यात्मक वर्णन इस सदन के सामने कल रखा जाये।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिये अगर इसकी आप जानकारी प्राप्त कर सकें, सही स्थिति कल तक सदन के सामने रख दें तो सदन के सदस्य आगे बहस न करें। आप इस बारे में रात में जानकारी प्राप्त कर लें और पूरी घटना पर एक स्टेटमेंट कल सदन के सामने पेश कर दें।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा भी उत्तर साथ में दे देंगे। उपाध्यक्ष महोदय 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक यह सारा मामला हुआ। आज सरकार यह उत्तर दे रही है कि हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। क्या मायने हैं। विपक्ष बराबर कांग्रेस पार्टी और प्रशासन पर प्रहार कर रहा है। क्या सही मानें। आपने सब बातें बता दी। कट्टा मिल गया। उसने यह बयान दे दिया। इतनी पुलिस पहुंच गई। पुलिस के अधिकारी पहुंच गये। मजिस्ट्रेट पहुंच गये और आपको इस घटना का मालूम नहीं। मन्त्री जी आप जवाब दीजिये। बात इतनी सी थी एक था राम, एक था रावण, वो ने वो की तिरया उड़ा ली, वो ने वो के मार दिया तुलसी लिख गयो पोथो। आप तो पानी फेर रही हैं। जो सही बात हो वह बताओ। ताकि विपक्ष जो प्रहार कर रहा है उस पर रोक लगे। एक हरिजन के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाये और सरकार को मालूम न हो। सुबह से वायरलैस पर वायरलैस दौड़ रहे हैं। कृपया आप साफ-साफ उत्तर दें।

श्री लालचन्द डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, किस तरह से झगड़ा हुआ, मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस भेज दी गई, यह ठीक बात है। लेकिन स्थिति तो बिलकुल साफ है। एस. डी. एम. और डी.वाई. एस. पी. वहां पर थे उनको पहले ही इत्तिला मिल चुकी थी। मेरे ख्याल से कलक्टर भी वहां था। बहुत छोटी सी बात है। एक बात बिलकुल साबित है कि वहां का प्रशासन शादी करवाने में बिलकुल असफल रहा। इस स्थिति में हम तो मोटी बात बतावें कि एस. डी. ओ. और डी.वाई. एस. पी. के खिलाफ कोई न कोई कार्यवाही करने की घोषणा मन्त्री महोदया हाऊस में कर सकते हैं। अब इसमें क्या दिक्कत है। इट इज वेरी क्लीयर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दरअसल जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, मुझे इतने सारे इफस् एण्ड बट्स के साथ में बोलना पड़ा वह मुझे खुद को अच्छा नहीं लगा लेकिन एक बजे सदन के सामने बयान देना जरूरी था इस दृष्टि से जितनी ज्यादा से ज्यादा सूचना मैं ले सकती थी वह सारी मैंने ली और बिना छिपाये सदन को पेश की। जितनी क्यूरिज आपने की है उससे कहीं 5 क्यूरिज ज्यादा मैंने आफिसरों से की है कि मुझे यह भी बतावें, यह भी बतावें। जैसा मैंने निवेदन किया, कटारा से बारात चल रही थी, वहां से लेकर ठेठ तक आपने पुलिस का इन्तजाम किया या नहीं किया। यह मैंने खुद ने पूछा है। आपने तो बहुत बाद में पूछा है। लेकिन इन सब तथ्यों के न आने के कारण जो वस्तुस्थिति है, वही मैं बयान कर सकती हूं। इसलिये मेरा यह कोई इरादा नहीं था कि मैं कोई बात छिपाऊं। लेकिन अब आप यह चाह रहे हैं कि कल तथ्य प्रस्तुत कर

(श्रीमती कमला)

दूं और एक माननीय सदस्य चाह रहे हैं कि कल किसी न किसी को सस्पेन्ड कर दें। लेकिन जब तक पूरे तथ्य न आ जाते हैं, पूरी इन्क्वायरी नहीं हो जाती है कि किस आफिसर ने किस जगह पर .... (व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्रीमती कमला : वाक्य पूरा होने दीजिये।

श्री जगतसिंह दायमा : वहां सी. ओ. किसलिये बैठा है ?

श्रीमती कमला : इसलिये इन वाकयातों की पूरी जानकारी और तफ्तीस कराने के लिये मैं सदन को यह निवेदन करना चाहती हूं कि किसी भी आई.जी.पी. केडर के अधिकारी से इन सारे वाकयातों की जानकारी करायी जायेगी, तफ्तीश करायी जायेगी। कहां-कहां पर किस-किस से क्या लेप्सेज हुए हैं, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जानी चाहिये, जैसा माननीय सदस्य श्री भूदरमल जी ने कहा कि 5-7 दिन में कार्यवाही प्रस्तावित करें जिस किसी की कमी रही हो। मैं सदन को इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि जो भी स्थानीय कर्मचारी, अधिकारी रहे हैं उनसे हम जांच करावे और उनके लेप्सेज भी मालूम करलें तो आप और हम जानते हैं कि इसमें कोई नतीजा नहीं निकल सकता। इसलिये मैंने आई जी. पी. स्तर के एक अधिकारी से जांच कराने के लिये निर्देश दिये हैं और तत्परता से कार्यवाही करके 5 दिन में वे अपनी रिपोर्ट पेश करें और इसके ऊपर कार्यवाही करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तारीख तय कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : पांच दिन बाद, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और मेग्जीमम 18, 17 तारीख ठीक है माननीय सदस्य।

इस विवाद के बीच में माननीय सदस्य मदन महाराजा ने माननीय भैरोंसिंह शेखावत का नाम लेते हुए उन पर आरोप लगाये थे मैंने पहले ही उनको एक्सपंज कर दिया था। पुनः मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह एक्सपंज किये जाते हैं।

श्री मोहनलाल चौहान।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा उपरोक्त विषय में यह निवेदन है कि मैं राजस्व मन्त्री का ध्यान इस विशेष उल्लेख के जरिये आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में राजकीय भूमि पर बनाये गये मकान व बाड़े जो दिनांक 1.1.71 से पूर्व के हैं उन्हें 500 वर्ग गज तक निःशुल्क करने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना दिनांक 29.8.88 के द्वारा गांवों में राजकीय भूमि पर दिनांक 30.6.87 तक बनाये गये मकानों व बाड़ों के लिये रूपान्तरण शुल्क व शास्ती लेकर नियमन करने के आदेश जारी किये हैं। मगर कृषकों ने कृषि कार्यक्रम के लिये जो बाड़े दिनांक 1.1.71 के बाद बनाये हैं उनके बारे में कोई आदेश जारी नहीं किये हैं जिससे राजस्थान के हजारों किसानों के विरूद्ध लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमे चलाये

(श्री मोहनलाल चौहान)

जा रहे हैं और उनको जुर्माना से दंडित कर बेदखल किया जा रहा है। ये बाड़े नियमन नहीं होने से कृषकों में भारी असंतोष व आक्रोश है।

अत: मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये राजस्व मन्त्रीजी से मांग करता हूं कि इन बाड़ों को नियमन करने हेतु भी दिनांक 30.6.87 तक की अवधि बढ़ाने के लिये अधिसूचना जारी कराने की कृपा करें ताकि कृषकों के बाड़े नियमन किये जा सकें। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में ...

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। आपने पढ़ दिया है। कृपया बैठें।

श्री रामधन।

श्री मोहनलाल चौहान : हां, मैंने पढ़ दिया है। बाड़े लगाने पर जो शास्ती लगायी गई है वह कम की जाये। रूपांतरण के तहत जो शास्ती लगाई है वह बहुत भारी है। उसको कम किया जाना चाहिये।

(समय 2.50 अपराह्न)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : श्री रामधन मीणा।

श्री रामधन मीणा (राजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षण। माननीय सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के जरिये विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ जिला अलवर की लघु सिंचाई समस्या को रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, यह तो आपको भी जानकारी है कि राजस्थान में 4-5 वर्ष से वर्षा कम होने के कारण कुओं का जल स्तर कम हो गया है बल्कि 75 प्रतिशत कुओं का जल सूख गया है। महोदय, विधान सभा क्षेत्र, राजगढ़ में 90 प्रतिशत काश्तकार है तथा 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के हैं। महोदय, कुओं का जल स्तर ऊंचा करने का एक मात्र एक ही साधन है कि लघु सिंचाई वाले बांध तथा एनीकट ज्यादा से ज्यादा बनाये जाय। कुछ दिन पूर्व माननीय मन्त्री महोदय ने भी यह आश्वासन दिया था कि ज्यादा से ज्यादा लघु सिंचाई वाले बांध तथा एनीकट बनवाये जायेंगे। महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र, राजगढ़ में 2 लघु सिंचाई के बांध स्वीकृत हुए है जिनका नाम वीगोता तथा दूसरा धौलायन है। महोदय धौलायन के कुछ हिस्से का कार्य चालू है तथा वीगोता कार्य चालू नहीं हुआ। चालू नहीं होने के कारण ठेकेदार तथा वहां के अधिकारियों का है। महोदय वीगोता लघु सिंचाई बांध का कार्य सन् 1988-89 के प्रगति प्रतिवेदन में चालू दिखा रखा है जबकि मौके पर कार्य चालू नहीं हुआ है। महोदय, उक्त वीगोता बांध का करीब 2 वर्ष पूर्व टेण्डर स्वीकृत हुए थे जो कि एक सबसे कम रेट भरतपुर के ठेकेदार की रही थी तथा दूसरा टेण्डर करीब 6 माह पूर्व हुआ है जिसमें सबसे कम रेट एक मेरे ही विधान सभा क्षेत्र के ठेकेदार की थी। ये दोनों ठेकेदार रिश्तेदार है। महोदय ये दोनों ही ठेकेदार उक्त बांधों का कार्य बिलकुल नहीं चलाने की स्थिति में है। इसी प्रकार जो कि राजगढ़ तहसील के एक ठेकेदार ने धौलायन बांध के कुछ हिस्से का ठेका ले रखा है जिसका कार्य चालू तो बहुत बड़ी बात है।

(श्री रामधन मीणा)

ठेकेदार ने ठेका लेने के बाद मौका भी नहीं देखा है जबकि उक्त धौलायन बांध के कुछ हिस्से का ठेका दूसरे ठेकेदार के पास है जो कि अलवर का रहने वाला है जो कि अपने कार्य को कुछ ही दिनों में पूरा करने वाला है। महोदय, जिस ठेकेदार ने वीगोता बांध तथा धौलायन बांध का कार्य व टूटानवाडी बांध का ठेका सिर्फ कार्य चालू करने के बजाय कार्य में रोक लगाने की गरज से ही ठेका लिया है। इस प्रकार के ठेकेदार तथा अधिकारियों की वजह से मेरे क्षेत्र के कार्य में रोक लगी है। यह कोई न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। अतः निवेदन है कि अब तुरन्त निकृष्ट ठेकेदारों के टेण्डर को केन्सिल किया जावे तथा वीगोता और धौलायन बांध का कार्य चालू करवाया जावे। महोदय, एक लघु सिचाई वाला बांध जो कि संरक्षण विभाग द्वारा बनवाया था जिसका थैधावन है जिसका कार्य अधिकारियों की लापरवाही तथा मनमानी से अधूरा पड़ा है। महोदय, एक और लघु सिंचाई वाला बांध डाबला मेव है उसका कार्य अधिकारियों की लापरवाही से रुका पड़ा है। जबकि सारी सामग्री तैयार है। महोदय, आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वीगोता तथा दूसरा हिस्सा धौलायन का कार्य शीघ्र चालू कराया जावे तथा थैधावन और डाबला मेव का अधूरा कार्य को पूरा किया जावे।

महोदय, उक्त वीगोता बांध का मैंने पिछले वर्ष भी प्रश्न विधान सभा में उठाया था और मन्त्री महोदय ने शीघ्र ही कार्य चालू कराने का आश्वासन दिया था किन्तु अभी तक कार्य चालू नहीं हुआ है। निवेदन है कि :—

(1) लघु सिचाई बांध वीगोता का कार्य चालू कराया जावे।

(2) धौलायन बांध का दूसरा हिस्से का कार्य शीघ्र ही चालू कराया जावे।

(3) थैधावन तथा डाबल मेवान बांध का अधूरा कार्य पूरा कराया जावे।

यह प्रस्ताव जनहित का है अतः सरकार से उत्तर दिलाया जावे।

श्री सभापति : श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत रायपुर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 2-3 वर्षों से लगातार बजट में करोड़ों रुपये की व्यवस्था करने के बावजूद बड़े-बड़े गांवों एवं कस्बों में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने में असफल रही है। वर्ष 1988-89 के बजट में अन्य जिलों के साथ पाली जिले में पेयजल की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने की योजना के बावजूद जिले के कई राजस्व गांव, कस्बे, ग्राम पंचायत मुख्यालय बड़ी-बड़ी ढाणियों में पेयजल की व्यवस्था नहीं होना यह प्रकट करता है कि सरकार का अपने विभाग के अभियन्ताओं पर कोई नियंत्रण नहीं है अन्यथा बजट प्रावधान के होते हुये पेयजल की व्यवस्था नहीं होना ग्रामीण जनता के साथ खुला खिलवाड़ है। मेरे तारांकित प्रश्न सं. 23 दिनांक 5.7.89 का जो उत्तर सरकार द्वारा दिया गया उसमें मेरे निर्वाचन क्षेत्र रायपुर के गांव

(श्री हीरासिंह चौहान)

मेहराकलां, करमावास, कानूजा, कलालिया, सैंदडा, लीलाम्बा, चित्ताड, चांग, देवली, हुल्ला वासना को पनघट योजना से जुड़ा हुआ बताया गया है लेकिन उपरोक्त किसी भी पनघट योजना से जल उपलब्ध नहीं हो रहा है जिसमें चांग एवं कलालिया की पनघट योजना से एक बून्द पानी नहीं मिल रहा है। और इसको बने 7-8 वर्ष हो गये हैं लेकिन 7-8 वर्ष में लाखों रुपया पनघट योजना के काम में खर्च कर रखे हैं लेकिन विभाग के निकम्मे अधिकारियों द्वारा जहां कि पानी भूमि में उपलब्ध है सर्वे करा कर न तो वहां ट्यूब वैल खोदे गये हैं और न उस पनघट योजना से पाइप लाइन ही बिछी हुई है, एक बून्द भी पानी टूटी से नहीं गया है।

श्री सभापति : कृपया पढ़ें। सीक्वेंस टूटता है।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं पढ़ रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : इनको याद है।

श्री सभापति : जुबानी याद है तो भी पढ़ लें, बहुत विद्वान हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : +++ न सुनने वाली है, न किसी बात पर काग्नीजेंस लेती है। कोई काग्नीजेंस नहीं लिया। यह माननीय सभापतिजी, फैक्ट है। यह तथ्य है। (व्यवधान)

श्री माणक डाणी : यह किनके सामने बोल रहे हैं, माननीय सदस्य ?

श्री गणेशलाल बैरागी : +++

श्री सभापति : सरकार सुन रही है। सरकार मौजूद है, मन्त्रीजी बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री माणक डाणी : माननीय सदस्य, किसके सामने बोल रहे हैं ?

श्री गणेशलाल बैरागी : यह तो +++ सरकार की, कुछ नहीं होगा।

श्री माणक डाणी : माननीय सभापति महोदय, यह माननीय सदस्य किसके सामने बोल रहे हैं इस प्रश्न का जवाब आना चाहिये।

श्री सभापति : सरकार के सामने।

श्री माणक डाणी : यह फिर कहें।

श्री सभापति : माननीय हीरासिंहजी, बोलें। सरकार मौजूद है। कमलाजी बैठी हैं, इदौरा साहब बैठे हैं, सुजानसिंह जी बैठे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, मुझे सदन में मेरी बात कहने का पूरा अधिकार है, पूरा राइट है। जब सरकार किसी बात की सुनवाई नहीं करती है तो हम उस सरकार को क्या कहेंगे ?

श्री सभापति : सुनाइये।

श्री हीरासिंह चौहान : क्या संवेदनशील सरकार कहें ? क्या जागरूक सरकार कहें ? हमारे सवाल उठाये जा रहे हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं करती है फिर उसकी हम तारीफ करें ?

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

एक माननीय सदस्य : कान होंगे तभी सुनायेंगे ना, कान होंगे तब सुनेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बीच में कहां से आ गये ? कृपया बोलें।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, उक्त चांग और कलालियां पनघट योजना से एक बूंद पानी आज दिन तक नहीं मिल रहा है। जब कि उक्त गांवों में पेयजल के स्रोत उपलब्ध हैं लेकिन ट्यूबवैल व ओपन वैल नहीं खोदे जा रहे हैं। यही हालात मेहरा कलां व करमावास व सोजत तहसील के देवली टुल्ला की है। चित्ताड एवं सेंदडा में पेयजल उपलब्ध होते हुए वितरण व्यवस्था पाइप लाइन उपलब्ध होते हुए भी नहीं की जा रही है। यह सारी व्यवस्था कर रखी है, सरकार ने खर्चा कर रखा है।

कानूजा, मेसिया तथा बूटीवास की पनघट योजनाएं भारत सरकार एवं राज्य सरकार से स्वीकृत हैं। दो वर्ष से टेण्डर आमंत्रित किये जा रहे हैं लेकिन ठेकेदारों द्वारा अभी तक कार्य शुरू नहीं होना जनता का दुर्भाग्य ही कहूंगा। इन योजनाओं का निर्माण कब होगा, मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूं। सरकार के सामने पूर्व में शीशराम ओला पेयजल मंत्री थे, कई बार निवेदन किया, उन्होंने आश्वासन दिया, मैं करवा दूंगा, करवा दूंगा लेकिन आज तक नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, अटवड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खारा पानी उपलब्ध है। भारत सरकार से 24 लाख रुपये गत वर्ष से स्वीकृत हैं लेकिन पी. पी. सी. से आज दिन तक स्वीकृति नहीं मिल रही है जबकि पूर्व माननीय मंत्री महोदय से तीन चार बार व्यक्तिगत रूप से मिल कर निवेदन कर चुका हूं। माननीय सभापति महोदय, यही हाल चण्डावल नगर का है। चण्डावल नगर भी बहुत बड़ा कस्बा है। यहां 1960 में टकी बनी थी। उसकी क्षमता कम हो गई है। वहां की आबादी बढ़ गई है, कई मोहल्लों में पानी नहीं पहुंच रहा है। इसके लिये भारत सरकार ने राशि स्वीकृत कर रखी है लेकिन उसकी स्वीकृति पी. पी. सी. से न मिलने के कारण से उस योजना का कार्य आगे बढ़ने से अटका हुआ है।

श्री सभापति : कृपया पढ़ें।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं वही पढ़ रहा हूं। बिल्कुल पढ़ रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार जगमालपुरा, बडीपोल, ग्वाड़ामाल, सबलपुरा, चावंडिया खुर्द, सोडपुरा, बासनी, कवियान नोख के हैंड पम्पों में पानी उपलब्ध नहीं होने से सर्वे कर नई योजना बनाई जावे या किसी पड़ौस की जलप्रदाय योजना से जोड़ा जाना आवश्यक है। अन्यथा केवल आंकड़े देकर जनता को भ्रमित करना होगा।

बासना गांव को सांडिया योजना से जोड़ा हुआ है लेकिन प्रायः उक्त पनघट योजना से पानी नहीं मिल रहा है। पिपलाद को बगड़ी नगर से जोड़ा गया है लेकिन वहां भी पानी उपलब्ध नहीं होने से इनके अलग से ट्यूब वेल खोद कर जोड़ा जाना आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, उपरोक्त जिन गांवों का मैंने विवरण दिया, तथ्यात्मक जानकारी है। मेरा जो तारांकित प्रश्न था उसमें माननीय पेयजल मंत्री

(श्री हीरासिंह चौहान)

महोदय ने, विभाग ने पनघट योजना से और हैंड पम्पों से जोड़ा हुआ बताया। यह पूरी पाली जिले की लिस्ट है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गत वर्ष का बजट पेश किया था उस समय यह घोषणा की थी कि राजस्थान के सात जिले हैं उनमें से एक पाली था, उसके समस्त गांवों की, ढाणियों को, राजस्व गांवों को पेयजल समस्या से उबार दिया जायगा अर्थात् सब जगह पानी सुलभ करा दिया जायगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार घोषणा क्या करती है, उसकी क्रियान्विति नहीं हो रही है।

श्री सभापति : पढ़ लिया हो तो आगे नाम पुकारू मैं।

श्री हीरासिंह चौहान : मामूली और है।

एक माननीय सदस्य : आधा बाकी है।

श्री सभापति : आधा बाकी है तो बीच में यह क्या आ गया फिर ?

श्री हीरासिंह चौहान : जगमालपुरा माननीय रमजान खांजी की जन्म भूमि है वह बिलकुल सूखी है।

श्री सभापति : इनकी पैरवी कर रहे हैं आप। आप इनकी पैरवी कर रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं सरकार से यह भी चाहता हूं कि हैंड पम्पों के रख-रखाव को पूर्ण रूप से विभाग के अधीनस्थ रख कर चालू रखे जावें। क्योंकि पंचायत समितियां द्वारा यह व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है। क्योंकि न तो उनके पास मशीनें हैं, न इतने ट्रेण्ड मिस्त्री हैं जिससे उनको ठीक कर सकें। इसलिये सरकार को चाहिये, बहुत सारी राजस्थान की पंचायत समितियां प्रस्ताव कर चुकी हैं, अगर समुचित ढंग से हैण्ड पम्पों को चालू रखना है तो पी. एच. ई. डी. अपने अधीनस्थ लेवे और जिम्मेदारी लेकर इनको ठीक करावे और व्यवस्था का डि-सेंट्रेलाइजेशन....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पढ़ें।

श्री हीरासिंह चौहान : करने के बाद पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा। अन्त में मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करता चाहता हूं, लोक महत्व के प्रति महत्वपूर्ण प्रश्न को सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि मेरे द्वारा उल्लिखित प्रश्नों की गंभीरता को देखते हुए तत्काल बंद पड़ी पेयजल स्कीमों को चालू किया जावे। स्वीकृत योजनाओं पर निर्माण कार्य आरम्भ किया जावे। पी. पी. सी. से स्वीकृत होने वाली स्कीम शीघ्र स्वीकृत की जावे तथा हैंड पम्पों से जुड़े गांवों में पेयजल उपलब्ध नहीं होने से सर्वे कर पनघट योजना से जोड़ कर पेयजल उपलब्ध करावें अन्यथा संवेदनशील प्रश्न का कोई अर्थ नहीं होगा। मैं अन्त में....

श्री सभापति : माननीय डा. श्री किरोड़ीलाल मीणा। (अनुपस्थित) अन्त तो हो गया न, आप बोल लिये।

श्री हीरासिंह चौहान : अन्त में, माननीय सभापति जी, क्योंकि गंभीर मसला है, पानी का मसला है, बरसात हो नहीं रही है....

श्री सभापति : हर बात गंभीर आती है सदन में।

श्री हीरासिंह चौहान : हम गांवों में जा नहीं पाये पिछले दिनों में, माननीय सभापतिजी, जब भी जायं पानी के लिये त्राहि त्राहि हो रही है। उसकी सरकार व्यवस्था नहीं करती है। बजट में उसका प्रावधान है। मैं ग्रासन से प्रोटेक्शन चाहता हूं, सरकार से कुछ कहलवाइये ग्राप कि इसकी शीघ्र व्यवस्था करे। हमारे वहां सब कुछ उपलब्ध होते हुए क्यों नहीं हो रही है। मैं यह ग्रापसे प्रोटेक्शन चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री गिरधारी लाल भार्गव। किरोड़ीलालजी नहीं है। ग्राप बोलेंगे कैसे ? वह तो वहीं बोलेंगे जिसके लिये है।

एक माननीय सदस्य : उनको ही टाइम दे दो।

श्री सभापति : माननीय श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 142 सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों में कुल सर्वधारी परिवार 42816 हैं जिनमें से कुल 29254 ग्रावंटित भूखण्डों में से 17064 परिवारों को ही भूखण्डों का वास्तविक कब्जा दिया गया है। राज्य सरकार के मुख्य मंत्री ने 15.2.87 को यह घोषणा की थी कि कच्ची बस्तियों में वर्ष 1985 की निर्वाचन सूची को ग्राधार मानते हुए भूखण्ड ग्राबंटित करने की घोषणा की थी। जिसके ग्रादेश दिनांक 20.8.87 को प्रसारित करते हुए जिलाधीशों को कच्ची बस्तियों का सर्वे कर शीघ्र रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजबाने हेतु ग्रादेश दिये थे। परन्तु 3 वर्ष का समय समाप्त होने पर भी ग्रभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह बहुत ही खेद की बात है। नगर की 21 कच्ची बस्तियों में तनिक भी विकास कार्य नहीं किया गया है। उदाहरण के रूप में लोकनायक व्यास कालोनी, तेलीपाड़ा व पर्वतीय कालोनी इत्यादि। कच्ची बस्तियों में जो निर्माण कार्य कराया गया था वह भी जीर्ण शीर्ण हो गया है ग्रौर गंदगी के कारण नारकीय स्थिति हो गई। भूखण्डों का ग्राबंटियों को कब्जा नहीं मिलने के कारण जयपुर शहर की किसी भी बस्ती का पूर्ण विकास नहीं हो सका है ग्रौर इनमें लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बस्तियों में पानी व विद्युत की व्यवस्था नहीं होने के कारण कष्ट बढ़ रहा है। पेयजल समस्या समाधान हेतु जो हैण्ड पम्प लगाये गये थे उनमें से ग्रधिकांश खराब व ग्रनुपयोगी हो गये हैं।

शिवाजी नगर, संजय नगर, भट्टा बस्ती में पानी की सतह नीची होने के कारण लगाये गये हैण्ड पम्पों का एक रोज भी उपयोग नहीं हुग्रा है। ग्राधी बस्तियों में ग्रभी तक वाटर लाइन भी नहीं डाली गई है। जयपुर शहर में कच्ची बस्तियों की ग्राबादी का 1/3 हिस्सा मेरे निर्वाचन क्षेत्र किशनपोल, माली कालोनी, ग्राजाद बस्ती, कृष्णपुरी, सुदामापुरी, टैगोर नगर, (स्वामी बस्ती), शांति नगर, पटेल नगर, इन्दिरा कालोनी, वर्मा कालोनी, राणा कालोनी, लोक नायक व्यास कालोनी, पशुपतिनाथ कालोनी, पार्वती कालोनी, बन्धा बस्ती, शिवाजी नगर, शिव शक्ति कालोनी, संजय नगर, यह सब देश के महान् नेताग्रों के नाम मेरे वाली बस्तियों के हैं, भट्टा बस्ती, इन्दिरा ज्योति नगर न्यू संजय नगर.... (व्यवधान) क्या कह रहे हैं ग्राप ?

श्री सभापति : यह कह रहे हैं कि भट्टा बस्ती का नाम गिरधारी बस्ती कर लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ऐसा नहीं, मेरे नाम पर हो जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं–राजीव नगर है, संजय नगर है, जवाहर नगर है, बापू नगर है। जब उनकी ही यह हालत है, उनका ही कोई धणी-धोरी नहीं है। मैंने इन्दिरा बाजार के लिए निवेदन किया था सड़कों की हालत खराब है, न पुर्नवास विभाग मालिक है, न पी. डब्लू डी. मालिक है, न नगरपरिषद् मालिक है। तो मेरा निवेदन यह है कि इन्दिराजी के नाम पर जो बाजार है जब उनका ही कोई मालिक नहीं है तो फिर....यदि माननीय सदस्य चाहें तो उनके नाम पर बस्ती का नाम कर सकता हूं। मेरे नाम पर करके ऐसी दुर्दशा वाली बात नहीं कर सकता। (व्यवधान) आपके नाम पर नामकरण कर दिया भट्टा बस्ती का....

श्री माणक डाणी : आपकी कृपा बहुत है लेकिन यह भाठा जरा ठीक नहीं लगा इसलिए मैंने कहा कि भाठे की जगह आप लोगों के बाल नहीं हैं सिर पर....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह तो अध्यक्ष महोदय पर भी आक्षेप है क्योंकि सौभाग्य से ...

श्री माणक डाणी : आपने आज तक विचार नहीं किया। हमारे ब्यावर में एक गंजा एसोशियेशन है। तो उसके आप सदस्य बन जायं। मैं आपको सदस्य बनाने के लिए तैयार हूं। आपकी सिफारिश कर सकता हूं और सभापति महोदय से तो मैं बहुत परेशान हूं। सभापति महोदय के सिर का चिलक मेरी आंखों पर पड़ता है और जोशी जी को तो मैंने शिकायत भी की वह मुख्य मन्त्री थे जब, सुजानसिंह जी, दामोदरदास जी और सभापति महोदय, तीनों मेरे सामने बैठते थे लाइन में और तीनों का चिलका मेरी आंखों पर आता था तो मैं तो वैसे ही बहुत परेशान था। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपके साथ, अध्यक्ष जी के बाल तो काले होंगे नहीं, लेकिन उनके आगे भी बाल दे दें तो कम से कम थोड़ी सुन्दरता भी खिल जावे और उसका फायदा भी मिले।

श्री सभापति : अब काफी दिल्लगी हो गई, कृपया बोलें।

श्री डूंगरराम पंवार : सभापति महोदय, एक विग खरीद लो, विग ठीक रहेगा।

श्री माणक डाणी : आप चाहें तो मैं भेंट कर सकता हूं लाकर के। सभापति महोदय, आप चाहें तो मैं भेंट कर सकता हूं। यह मैं सदन में आश्वासन दे रहा हूं, बिना सरकार के मन्त्री का, एसोशियेशन की ओर से....

एक माननीय सदस्य : आप घोषणा कर दें डाणी जी, इनकी कार्यकारिणी भी 21 से कम नहीं होगी पूरी।

श्री सभापति : विषयान्तर न हों।

एक माननीय सदस्य : हमारे जगतसिंह जी पहनते हैं विग, उनसे पूछें कहां से लाये थे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : विग पहनने

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

की आवश्यकता तो यों नहीं है, जिस आदमी के सिर पर बाल नहीं होते वह या तो हाई-कोर्ट का जज बनता है या यहां का सभापति बनता है जैसे आप बैठे हैं....

श्री माणक डाणी : आपकी तो कोई उम्मीद नहीं है आपकी पार्टी के जो हैं बालों वाले, वह हैं सभापति।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हमारी भी यूनियन हम बना लेंगे। मेरे भी जिस प्रकार आपके दाढ़ी है, मैं भी यू. आई. टी. का चेयरमैन था, दाढ़ी थी और कोटा वाले हरि कुमार जी. उनके भी दाढ़ी है तो दाढ़ी एसोशियेशन के भी यू आई.टी. में चेयरमैन बने थे। ऐसी बात नहीं है हमारी भी यूनियन हमने भी उस प्रकार बना रखी है। आप इसके अध्यक्ष बन जाइये।

श्री माणक डाणी : आपका नम्बर न तो यूनियन का अध्यक्ष बनने में आएगा और न सभापति बनने में आएगा और अगली बार पता नहीं कहां होंगे और दाढ़ी वालों का जहां तक सवाल है मेरे सफेद दाढ़ी आनी शुरू हो गई है गोविन्दसिंह जी मन्त्री बन चुके आगे उनका चांस नहीं है, अब अगला आप सोच लें, किसका चांस है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं अपनी बात कह सकता हूं सभापति जी, देश के जो प्रधान मन्त्री राजीव गांधी हैं उनका भी चित्र गौर से देख लें उनके भी बाल उड़ रहे हैं। तो बाल उड़ने वाला देश का प्रधान मन्त्री बनता है, हाई कोर्ट का जज बनता है या यहां का अध्यक्ष बनता है इसलिए जिसके दिमाग होता है उसके बाल उड़ते हैं।

श्री माणक डाणी : और सभापति महोदय, जिसके बाल नहीं होते वह विपक्ष का सदस्य बनता है आपके जैसे।

श्री डूंगरराम पंवार : जिसके काली दाढ़ी होती है वह खलनायक जैसा लगता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठें। आर्डर प्लीज। वातावरण सुबह से गम्भीर था, उसको लाइट किया है। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। सुबह से वातावरण गम्भीर था उसको लाइट कर दिया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : फिर से पढ़ रहा हूं, संजय नगर, भट्टा बस्ती, इन्दिरा ज्योतिनगर, न्यू संजय नगर, विजय नगर, राजीव नगर, मोमियों की बस्ती, बजरंग बस्ती, जे. पी. नगर, सेक्टर 1, 2, 3 व लंकापुरी है और इन बस्तियों के निवासी नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

मेरी मांग है कि समस्या के समाधान हेतु जिन कच्ची बस्तियों में आबंटन कार्य हो गया है, नजराना राशि जमा करा दी है व भूखण्डों का भौतिक कब्जा देना शेष है उन्हें साइट प्लान देकर भूखण्डों का कब्जा दिलवाया जावे। जिन व्यक्तियों के दावे स्वीकृत हैं आबंटन नहीं किया गया है व जिनके दावे विचाराधीन हैं उनके दावे स्वीकृत करा कर शीघ्र आबंटन जारी करवाया जावे। व्यास कालोनी, राधा कालोनी के बीच नाले पर पुलिया बनवाकर उसे आवागमन के लिए ठीक करवाया जावे और इन्दिरा—वर्मा कालोनी से जोड़ती हुई पुलियाओं का निर्माण करवाया जावे। जिन बस्ती वालों के पास 71 और 81 के सर्वे

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

नम्बर हैं। राज्य सरकार ने घोषणा की थी 71 और 8 की, जिनकी सुनवाई होकर दावे स्वीकृत हो चुके हैं उन्हें मानचित्र बना कर सुनियोजित ढंग से बसाया जावे। जैसे व्यास कालोनी, राधा कालोनी, इन्द्रा कालोनी में एक ब्लाक तेलीपाड़ा व पर्वतीय कालोनी का। जिन कच्ची बस्तियों में विकास कार्य जीर्ण-शीर्ण हो गया है उनकी मरम्मत करा कर सड़कें व नालियों के अधूरे विकास कार्य को पूरा करवाया जावे।

मान्यवर, यहां पर मैं निवेदन करना चाहूंगा जिन बस्तियों के नाम और फोटो छपा रखे हैं जिन कच्ची बस्तियों में 1981 के पश्चात् के निवासी रह रहे हैं और कितनी ही बस्तियों का निर्माण कार्य आज जीर्ण-शीर्ण दशा में है और जे डी ए. जीर्ण-शीर्ण कार्य पर एक नया पैसा खर्च करना नहीं चाहती है और राज्य सरकार द्वारा सन् 1985 के सर्वे की घोषणा के पश्चात् भी अभी तक सर्वे नहीं कराया गया। मेरी मांग है उन बस्तियों में आज तक यानि आज की तारीख 1989 तक लोगों की बस्ती में कैम्प लगाकर रजिस्ट्रेशन कर उनका सर्वे किया जावे। जिन बस्तियों में पेयजल व विद्युत लाईन तनिक भी नहीं है उदाहरण के लिए राजीव नगर, शहीद इन्द्रा ज्योति नगर, इन्द्रा नगर, भोमियां बस्ती, विजय नगर आदि में व जिन बस्तियों में आवश्यकता हो प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य किया जावे। जिन कच्ची बस्तियों में प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जे पर निर्माण किये गये हैं व उनमें व्यावसायिक कार्य चल रहे हैं उन्हें तुरन्त हटाकर आबंटियों को भूखण्डों का कब्जा दिलवाया जावे। शिवाजी नगर व संजय नगर में जो वाटर लाइन डालने का अधूरा कार्य रह गया है उसे शीघ्र पूरा कर 16 बन्द हैण्ड पम्प, जिन्होंने एक दिन भी काम नहीं किया उनको चालू करवाया जावे।

जिन बस्तियों में सार्वजनिक पार्क हेतु भूखण्ड छोड़े गये हैं उनके अवैध कब्जों को तुरन्त हटाकर पार्क विकसित किये जावें व अन्त में निवेदन है कि बस्तियों में हो रहे अवैध निर्माण कार्यों को तुरन्त प्रभाव से रोका जावे। मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार इसको गम्भीरता से लेगी और यदि नहीं लेगी तो जिस दिन जे.डी.ए. का बिल सदन में प्रस्तुत किया जाएगा उस समय जयपुर की 147 और नई बस्तियों में जाकर एक-एक बस्ती से 10-10 मतदाता लेकर इस सदन के सामने उन सबका विधान सभा के सामने एक मूक प्रदर्शन मैं निश्चित रूप से करवाऊंगा। इसलिए इसको मानवीय समस्या मानकर, गरीबों की समस्या मान करके राज्य सरकार इस जयपुर शहर की समस्त कच्ची बस्तियों का प्राथमिकता के आधार पर कार्य करेगी क्योंकि यह मानवीय समस्या है। यही मुझे कहना है। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कालीचरण सराफ : सभापति महोदय, 1985 के आधार पर सर्वे कराया जायेगा। उस सर्वे का क्या हुआ ? तीन साल हो गये, उसकी घोषणा होने के बाद भी आज तक सर्वे नहीं हुआ। मेरा यह कहना है कि सरकार इस बात के लिए ध्यान दें कि 1985 के सर्वेक्षण की बात जोशीजी ने कही थी।....

श्री सभापति : माननीय सदस्य। जयपुर के माननीय सदस्यों में होड़ रहती है कि वे पीछे न रह जायं।

श्री कालीचरण सराफ : उसके बारे में सरकार क्या कर रही है और अब 1989 की वोटर लिस्ट भी बन गयी। तो मेरा कहना यह कि वोटर लिस्ट 1989 के आधार पर कच्ची बस्तियों में इस प्रकार के जो लोग हैं उनका सर्वे करके और उनको बसाने की व्यवस्था सरकार करेगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 1989 तक के लोगों को ले लेना चाहिए, 1989 तक के लोगों को जोड़ करके उनको बसाया जाय।....(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री नवरंगसिंह। मैंने उनका नाम पुकार लिया है।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : एक आप संघ के अध्यक्ष बन रहे थे, आप कब बनेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कौन से संघ के ?

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : आपने अभी नाम बताया था।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हां, हूं ना। आप भी उसी के मेम्बर होंगे। आपका मैं उसमें रजिस्ट्रेशन कर दूंगा इतना मैं आपको आश्वासन देता हूं। आपको मेम्बर बना लूंगा यह आश्वासन देता हूं।

श्री सभापति : श्री नवरंगसिंह।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत झुन्झुनूं जिले में विद्यार्थियों को विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलने पर उत्पन्न स्थिति पर विशेष उल्लेख।

सभापति महोदय, राज्य के अन्य जिलों की तरह झुन्झुनूं जिले में भी सभी विद्यालय जुलाई, 1989 से प्रारम्भ हो गये हैं। छात्र-छात्राओं को जिले के विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश लेने में भारी कठिनाइयां हो रही हैं। मुख्यत: कक्षा 6 एवं कक्षा 9 में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल रहा है। मुख्यत: नवलगढ़ मुकन्दगढ़, डूण्डलोद, मण्डावा, झुन्झुनूं, चिड़ावा, पिलानी, सूरजगढ़ आदि स्थानों पर जहां अधिकांश निजी व सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं, प्रवेश नहीं दे रही हैं। मनमाने तरीके से छात्रों के अभिभावकों को चक्कर लगवा रहे हैं।

इसी तरह नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सैकण्डरी स्कूल कन्याओं का नहीं होने से लड़कियों की पढ़ाई ठप्प पड़ गई है और उन्हें प्रवेश मिलना दुर्लभ हो गया है।

इसी तरह कक्षा दस और ग्यारह की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के परीक्षा परिणाम नहीं आने से इन कक्षाओं के छात्रों में भारी निराशा, रोष और असन्तोष है। बताया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लम्बे समय से हड़ताल चल रही है जिसके कारण बोर्ड के परीक्षा परिणाम निकालने वाले विभाग का कार्य ठप्प पड़ा है। साथ ही ऐसी चर्चा भी है कि बोर्ड की परिक्षाओं की कुछ उत्तर पुस्तिकाएं जल गयी हैं या गुम हो गयी हैं। ऐसी स्थिति में उक्त कक्षाओं के छात्रों में भारी रोष और निराशा है और अभी से वे महसूस करने लग गये हैं कि अगली कक्षाओं

(श्री नवरंग सिंह)

में उन्हें परीक्षा परिणाम निकलने के बाद अगली कक्षा में प्रवेश मिलेगा या नहीं। यह चिन्ता भी रहने लगी है। परीक्षा परिणाम देर से निकलने के कारण इन कक्षाओं की पढ़ाई के कार्य का भी हर्जाना होगा। मेरी मांग है सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि तत्काल नियमित और स्वयपाठी विद्यार्थियों को जो उक्त परीक्षा में बैठे हैं उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाय और उनकी पढ़ाई प्रारम्भ करवायी जाय।

अत: नियम 295 के विशेष उल्लेख के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि जिला झुन्झुनूं में सभी विद्यार्थियों को प्रवेश दिलवाया जावे तथा साथ ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की दसवीं व ग्यारवीं कक्षा का परिणाम अति शीघ्र घोषित करवाया जाय और सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश दिलवाकर उनकी पढ़ाई का कार्य चालू करवाया जाय। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती विद्या पाठक। (अनुपस्थित) श्री माणक डाणी।

श्री माणक डाणी (ब्यावर) : सभापति महोदय, विधान सभा के नियम 295 के तहत ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के पंचायत समिति जवाजा की काबरा, कोटड़ा, फीडर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र डार्क जोन में घोषित है। घना पहाड़ी क्षेत्र होने से इस क्षेत्र में वर्षा से एकत्रित होने वाला पानी बहकर दूसरे क्षेत्रों में चला जाता है। क्योंकि इस क्षेत्र में तालाबों, बांधों एवं फीडर्स की कमी है। इस क्षेत्र में बहने वाले पानी को रोकने हेतु सिंचाई विभाग के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है और मास्टर प्लान है तो धनाभाव के कारण लाभ लागत अनुपात में नहीं बैठ पाने के कारण कोई योजना बन नहीं पाती। यहां तक कि सिंचाई विभाग को प्रति वर्ष मिलने वाले बजट में ब्यावर को आवंटित धनराशि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों में ही समाप्त हो जाती है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि ब्यावर सिंचाई विभाग के तालाबों के रख-रखाव हेतु एवं नई रपटों तथा फीडर के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जाये।

माननीय सभापति महोदय, काबरा, कोटड़ा फीडर इस क्षेत्र में बनाने के लिए मैंने कई बार राज्य सरकार का ध्यान विभिन्न पत्रों के माध्यम से और मौखिक रूप से यहां उपस्थित होकर आकर्षित किया था लेकिन मुझे दु:ख है कि आज तक सभापति महोदय, इस फीडर का राज्य सरकार ने अपने लेवल पर कोई सर्वे नहीं कराया और मैंने सभापति महोदय, एक पत्र, एक यह छोटा सा है जिसकी कापी कैसे निकलेगी उसकी प्रति सदन के पटल पर रख रहा हूं। इसके साथ ही साथ सभापति महोदय, यह आप देख लें, सभापति महोदय, यह सारा सर्वे कराया होगा कैसे फीडर बनेगी।

श्री सभापति : हां, मैं देख रहा हूं।

श्री माणक डाणी : यह सारी रिपोर्टें तैयार करके, ये सब की सब बेकार हो रही है। काबरा कोटड़ा, फीडर इस क्षेत्र की एक जीवन दायिनी फीडर होगी। इस

(74)

(श्री माणक डाणी)

फीडर के बनने से ग्राम पंचायतें जवाजा, नाइकल्ला, काबरा, कोटड़ा, किशनपुरा, दुर्गावास एवं जालिया प्रथम ग्राम पंचायतों एवं इन ग्राम पंचायतों के लगभग 45 राजस्व गांवों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा, कुओं का जल स्तर बढ़ेगा। जरा सी बरसात होने पर भी इस फीडर का बहाव प्रारम्भ हो जायेगा। क्योंकि इस फीडर का कैचमेंट क्षेत्र काफी स्वतंत्र है। इस फीडर से 38.94 वर्ग मील इन्टर सेप्टेड व 6.50 वर्ग मील स्वतंत्र क्षेत्र का जल ग्रहण क्षेत्र होने के नाते कुल 44.49 वर्ग मील क्षेत्र का पानी प्राप्त होगा। इस फीडर की अधिकतम खुदाई 45 फीट है जो कि मामूली चैनों में ही गहरी खुदाई होगी। माननीय, इस फीडर के निर्माण में किसी भी प्रकार की आबादी डूबने में नहीं आयेगी और इस नाते किसी भी प्रकार का मुआवजा काश्तकार को नहीं देना पड़ेगा। इस फीडर का डिसचार्ज 80.028 क्यूसिक होगा। इस फीडर की खुदाई जमीन एवं टोप पर 6 इंच से ज्यादा चौड़ी नहीं होगी। मेरी जानकारी के अनुसार इस फीडर पर मात्र 80 या 90 लाख रुपये के आसपास खर्च होगा। यह पैसा कई फेजेज में जाकर के खर्च किया जा सकता है। सभापति महोदय, यह आवश्यक नहीं कि यह पैसा एक साल में खर्च हो। यह पैसा 10 साल, 15 साल की स्कीम बना लें, यह धीरे-धीरे खर्च हो। जो कि सिंचाई क्षमता में होने वाली वृद्धि एवं कुओं के बढ़ते जल स्तर के मुकाबले काफी कम खर्च है। महोदय, जालिया ग्राम पंचायत का जालिया तालाब जो कि ब्यावर का मुख्य स्रोत है। वह गत 20 वर्षों में मात्र एक या दो बार अपने 32 फीट गेज के मुकाबले मात्र 20 फीट के गेज पर पहुंच पाया यानि लगभग 18-19 वर्षों तक यह तालाब पूर्ण अथवा आधी क्षमता तो दूर चौथाई गेज क्षमता तक भी पानी एकत्रित नहीं हो पाया और इस तालाब से हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। वह भी अवरूद्ध रही। माननीय सभापति महोदय, सिंचाई विभाग के मापदण्डों के अनुसार जालिया प्रथम का यह तालाब अपनी अवधि प्राप्त कर चुका है। यानी जितने साल तक के लिए इस तालाब का निर्माण किया गया था सभापति महोदय, वह तालाब की अवधि समाप्त हो चुकी है इस नाते अगर इससे होने वाली सिंचाई को ध्यान में रखते हुए इस कोटड़ा, काबरा, फीडर के अन्दर अगर इसको जोड़ दिया जाय तो इसकी क्षमता कम हो सकती है। और सिंचाई विभाग के मापदण्डों के अनुसार जालिया प्रथम का यह तालाब अपनी अवधि प्राप्त कर चुका है। यानि काबरा, कोटड़ा फीडर के लागत में इस तालाब की सिंचाई क्षमता को फीडर की लागत में लाभ लागत अनुपात में ले लिया जाय तो इस फीडर पर होने वाला व्यय सिंचाई विभाग के मापदण्डों के अनुरूप बैठ जायेगा। इस प्रकार यह योजना पांच व सात वर्ष में बनाई जाकर स्वीकृत की जा सकती है। सिंचाई विभाग के साथ-साथ अकाल के दौरान भी दो बार इस योजना पर सर्वाधिक पैसा खर्च करवाया गया और भविष्य में किया जा सकेगा लेकिन सर्वप्रथम विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाना अति आवश्यक होगा। माणक सागर, नाई कल्ला बांध भी अधूरा पड़ा है। अकाल मद में लगभग साढ़े पांच लाख रुपया खर्च किया जा चुका

(श्री माणक डाणी)

है। इस कार्य को पूर्ण करने हेतु लगभग दो-ढाई लाख रुपयों की और आवश्यकता है। इस बांध के पूर्ण बनने पर सिंचाई भी उपलब्ध हो सकेगी व सिंचाई विभाग को राजस्व की भी प्राप्ति होगी। जवाहर रोजगार योजना में अथवा सिंचाई विभाग के नियमित बजट में प्रावधान किया जाकर इस कार्य को पूर्ण कराने की आवश्यकता है, धन्यवाद। (व्यवधान) मैं भी रखना चाहता हूं।

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र

श्री सभापति : रख दें।

श्री माणक डाणी : धन्यवाद।

राजस्थान विधान सभा सदस्य–(दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1989

श्री सभापति : सचिव, विधान सभा, राजस्थान विधान सभा सदस्य-(दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1989 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री दिनेशचन्द्र दलेला (सचिव, राजस्थान विधान सभा) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा सदस्य-(दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1989 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह शेखावत की ओर से श्री हरीश पल्लीवाल, राजकीय उपक्रम समिति, 1989–90 के दो प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

राजकीय उपक्रम समिति का 13 वां एवं 14 वां प्रतिवेदन

श्री हरीशचन्द्र पल्लीवाल : सभापति महोदय, मैं सदस्य, राजकीय उपक्रम समिति 1989-90 निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1973–74 विषयक राजकीय उपक्रम समिति के छठे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही) से संबंधित तेरहवां प्रतिवेदन।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1976–77 विषयक राजकीय उपक्रम समिति के दसवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही) से संबंधित चौदहवां प्रतिवेदन।

श्री सभापति : श्रीमती कमला, कृषि मन्त्री मांग संख्या 37 कृषि पर विचार एवं मतदान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

अनुदान की मांग संख्या 37–कृषि की प्रस्तुति

श्रीमती कमला (कृषि मन्त्री) : माननीय सभापतिजी, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या–37 कृषि के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 54,95,52,000/– की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे।

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :—

श्री रेवतराम चौधरी (श्री डूंगरगढ़)

एवं श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) :

1. चुरू जिले में कृषि उपज मण्डियों में पूर्ण पानी बिजली एवं दुकानों के माल गोदाम आदि की कमी पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंजमंडी):

2. रामगंज मण्डी से सहायक कृषि निदेशक का कार्यालय सांगोद में ले जाया जा रहा है जो उपज की दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाका नहीं है और जहां साल में 4 माह मार्ग बन्द हो जाता है पर चर्चा के लिये।

श्री ब्रजेन्द्र सिंह (बयाना) :

3. कृषि उपज मण्डी समिति बयाना द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत नहीं कराने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

4. बयाना (भरतपुर) के किसानों को उचित समय पर खाद व बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. बयाना कृषि उपज मण्डी द्वारा निर्मित सब्जी मण्डी की दुकानों के आवंटन में हुई अनियमितताऐं एवं समय पर आवंटन नहीं किये जाने पर भी विकास हेतु सहायता दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

6. बयाना कृषि उपज मण्डी समिति की सफाई एवं उचित व्यवस्था न करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) :

7. जितना विभाग का विस्तार हुआ उसकी तुलना में कृषकों को लाभ नगण्य ही प्राप्त हुआ इस पर चर्चा के लिये।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) :

8. काश्तकारों को समय पर खाद-बीज वितरण नहीं कराने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

9. पाली जिले में फसली बीमा योजना की अनुदान राशि काश्तकारों को नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

10. पूर्व सहायक निदेशक कृषि (वि) पाली के कार्यालय के घोटालों की जांच कराने हेतु चर्चा के लिये।

11. जिन कृषि पर्यवेक्षकों को पंचायतों में ग्रुप सचिव पद पर लगाया है उन्हें स्थायी पूर्ण कार्य पर लगाया जाये या हटाये जाने पर चर्चा के लिये।

12. सहायक निदेशक कृषि (वि) पाली द्वारा वर्ष 1986-87 में वृहत प्रदर्शनी के घोटालों की जांच पर चर्चा के लिये।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : एवं

श्री केदार नाथ (श्री गंगानगर) :

13. राजस्थान के कृषकों को पंजाब व हरियाणा के कृषकों के समकक्ष तथा वैसी ही सुविधाएं देने पर चर्चा के लिये।

(श्री शोपत सिंह)

14. कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

15. राजस्थान में विशेषकर झुन्झुनू एवं सीकर में प्रमाणित उन्नत बीज सरकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध नहीं करवाने से हो रही हानि पर चर्चा के लिये ।

16. किसानों को बुवाई व खाद के लिए ऋण उपलब्ध करवाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

17. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में विभाग द्वारा किसानों को खाद, बीज एवं अन्य कृषि सामग्री उपकरण उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

18. कृषि विश्वविद्यालय के एक्ट में परिवर्तन नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

19. उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय का दक्षिण परीसर की स्थापना करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : एवं श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

20. सांगानेर में प्रदूषणकारी पानी नहरों में जाने से खेती व सब्जी में प्रदूषण आ जाने की कृषि विभाग से जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

21. कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

22. सांगानेर की बगरू स्थित कृषि उपज मण्डी में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसकी अधिकांशतः दुकानें बन्द पड़े होने पर भी विकास हेतु दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

23. जयपुर स्थित बापू बाजार के धूलाराव के रास्ते में फल मण्डी कायम रहने से यातायात व जनजीवन को उत्पन्न कठिनाई व गन्दगी की सफाई भी नहीं होने पर भी विकास हेतु दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

24. कृषि में पेस्टीसाइड के अनाप-शनाप स्तेमाल से जनस्वास्थ्य को उत्पन्न खतरे पर चर्चा के लिये ।

25. जयपुर घुला हाउस (बापू बाजार) के रास्ते में फल मण्डी नहीं हटाये जाने से भारी रोष पर भी विकास हेतु दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

26. राज्य में विभिन्न पेस्टी साइडों की नियम विरूद्ध खुली बिक्री को रोक पाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

27. राजस्थान बहुसंख्यक कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद राज्य सरकार का बजट आवंटन में कृषि को प्राथमिकता नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

(श्रीमती विद्या पाठक)

28. राज्य में कृषि विकास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा सबसे कम अनुदान प्राप्त होने के कारण कृषि विकास में बाधा आने के क्रम पर चर्चा के लिये।

29. सांगानेर में कृषि उपज मण्डी द्वारा बनाई गई सड़क महापुरा-कलवाड़ा जगह-जगह से वर्षों से टूटी होने के बावजूद उसे ठीक नहीं करवाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

30. सांगानेर के गांव चतरपुरा में कृषि सस्थान की योजना होने और मंडी में टमाटर की भारी आवक होने के कारण उसे सड़क से नहीं जोड़े जाने पर भी विकास हेतु दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

31. टमाटर के घटिया बीज सरकार द्वारा देने के कारण टमाटर की फसल खराब हो जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

32. राज्य में फसल बीमा आरम्भ करने में राज्य सरकार द्वारा कोताही बरतने और कृषकों का लाखों रुपया राज्य सरकार में बकाया होने की चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी)

33. खेती के उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

34. किसान को समय पर खाद एवं बीज के उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये।

35. खेती के काम में आने वाले खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयों में मिलावट अथवा निम्नस्तर होने पर चर्चा के लिये.।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी)

36. बूंदी में कृषि कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)

37. कृषि उपज मण्डी लालसोट के नवीन यार्ड का निर्माण कार्य शीघ्र करवाने के लिये विकास सहायता दिलाये जाने पर चर्चा के लिये।

38. कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत नहीं करवाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

39. तहसील लालसोट में कीटनाशक दवाइयों का समय पर किसानों को उपलब्ध नहीं करवाने पर चर्चा के लिये।

40. विभाग द्वारा बीमा योजना शुरू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. सचिव, कृषि उपज मण्डी लालसोट को अकारण निलम्बित करने के कारण समिति पर वित्तीय भार बढ़ जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

42. सचिव, कृषि उपज मण्डी लालसोट को बहाल कर पुन: सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति लालसोट के पद पर लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

43. कृषि उपज मण्डी समिति लालसोट द्वारा अधिक से अधिक सम्पर्क सड़कें नहीं बनाने पर भी सहायता देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)

44. कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषकों

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

को किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

45. गंगापुर तहसील के बगेलाई, शिवाला, रेठडाला, खेरली-पिलोदा-किशोरपुर, महानन्दपुर, खिदरपुर, दोलतपुर-जियापुर, सलेमपुर-नौगाँ, बुचोलाई, बाढ रायसर-हीरापुर, नारायणपुर, मुराड़ा आदि के कृषकों को अपना माल कृषि उपज मण्डी में लाने की असुविधा पर चर्चा के लिये।

46. कृषकों को आवश्यकता अनुसार समय पर बीज व खाद उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

47. गंगापुर क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्माण करवाई गई सड़कों की आज तक मरम्मत नहीं करवाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

48. कृषकों को अपनी उत्पादित वस्तु का उचित मूल्य दिलाने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

49. सरसों एवं मूंगफली की फसलों में कीड़े लग जाने के उपरान्त भी विभाग द्वारा कीटनाशक दवाईयाँ सप्लाई न करने से उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये।

50. चारा-बीज घोटाले की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आश्वासन के बावजूद अभी तक प्रस्तुत नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री ऋषिकेश मीणा (सपोटरा)

51. कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सपोटरा क्षेत्र के ग्राम जीरोता-जाखोदा-ईनाईती-अमरगढ़ आदि को मुख्य सड़क से जोड़ते हुये सड़कों का निर्माण नहीं करवाने पर भी सहायता देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

52. कृषकों को खाद-बीज समय पर उपलब्ध करवाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

53. सरकार द्वारा हरा चारा घोटालों की रिपोर्ट पेश करने हेतु आश्वासन दिये जाने के बावजूद आज तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी)

54. जिला गंगानगर में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा किसानों को कोई सुविधा न देने व गांवों में सम्पर्क सड़कें न बनाने पर भी सहायता दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (झालरापाटन)

55. झालावाड़ जिले में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. झालावाड़ जिले में संतरा उत्पादन क्षेत्र के उचित संवर्धन व विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा समुचित कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. झालावाड़ जिले में सघन खेती की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भोलाराम सैनी (गुढ़ा)

58. उदयपुर वाटी क्षेत्र में स्थित पहाड़ी क्षेत्र में कृषि के लिये खाद-बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री विजयसिंह (रूपवास)

59. कृषि उपज मण्डी द्वारा शुल्क वसूल करने के बावजूद रूपवास (भरतपुर) क्षेत्र में सड़कों का निर्माण न करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

60. रूपवास (भरतपुर) में कृषि उपज मण्डी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रशेखर (खैरथल)

61. काश्तकारों को कृषि के लिए उत्साहित करने एवं उनके माल का उचित मूल्य दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

62. खैरथल कृषि उपज मण्डी द्वारा खैरथल से किशनगढ़ बास तक की सड़क को चौड़ा न करवाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

63. कृषि को बढ़ावा देने के लिए नौगावा कृषि अनुसंधान केन्द्र को कृषि कालेज में परिवर्तित करने के क्रम में चर्चा के लिये।

64. अलवर जिले में जिला स्तर के कृषि अधिकारियों द्वारा खाद, बीज की दुकान चलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. विभाग द्वारा किसानों को खाद, बीज आदि समय पर न दिये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री सुंदरमल वर्मा (दौसा)

66. दौसा में कृषि विभाग द्वारा समय पर बीज वितरण नहीं करने के कारण किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री राजेश (थानागाजी)

67. गत वर्ष के चारा बीज घोटाला प्रकरण की जांच रिपोर्ट आश्वासन के बावजूद पेश नहीं कराने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री शमशुल हसन (कामां)

68. गत वर्ष गरीब काश्तकार को गलत बीज देने संबंधी प्रकरण की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री के. सी. बिश्नोई (संगरिया)

69. चारा बीज घोटाले काण्ड की जांच का आश्वासन दे दिये जाने पर भी जांच रिपोर्ट पेश नहीं करवाने से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रशेखर (खैरथल)

70. मार्च 1988 की चारा बीज काण्ड के बारे में घोटाले की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने से उत्पन्न परिस्थितियों पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

श्री मानिकचन्द सुराना (लूनकरणसर)

श्री मोहन छंगाणी (फलोदी)

71. कृषि विभाग द्वारा खरीफ की फसल का बीज उपलब्ध नहीं करवाने पर चर्चा के लिये।

श्री देवीलाल (शाहपुरा)

72. कृषि उपज मण्डी द्वारा काश्तकारों को उपज का उचित मूल्य नहीं दिये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)

73. विभाग द्वारा फसल बीमा योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज मिढा (सूरतगढ़)

74. जिला विस्तार अधिकारी द्वारा कृषि विभाग अनूपगढ़ व श्री बिजयनगर में घटिया किस्म की कीटनाशक दवाइयां बेचने की छूट देने से हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

75. जिला विस्तार अधिकारी अनूपगढ़ द्वारा अनियमितताएं करने पर भी उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

76. कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा फर्जी बिल व लोग बुक दिखने दिखाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं करने से हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

77. किसान को खाद क्रय करते समय 50 प्रतिशत अनुदान दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विभाग द्वारा घटिया किस्म की कीटनाशक दवाइयों के विक्रय पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. कृषि विभाग की रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया)

80. जिला उदयपुर पंचायत समिति धरियावद व सलुम्बर क्षेत्र में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों से सम्पर्क कर कृषि सुधार संबंधी जानकारी नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची)

81. पाली जिले में कृषि उत्पादन सुधारने के लिये कृषि विभाग द्वारा अच्छी बीज खाद के वितरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामधन (राजगढ़)

82. राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र जिला अलवर की कृषि मण्डियों द्वारा कृषकों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

83. कृषि निदेशक के पद को विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

84. कृषि उत्पादन की विभिन्न वस्तुओं का किसानों को उचित मूल्य दिलाये जाने पर चर्चा के लिये।

85. कृषि विभाग में अधिकारियों की अनावश्यक संख्या को कम किये जाने पर चर्चा के लिये।

(श्री हीरालाल आर्य)

86. प्रान्त में खाद एवं बीज के मिनी किट्स बांटने में बरती जा रही अनियमितता एवं, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

87 खाद की बोरियों पर उत्पादन दिनांक एवं अवधिपार दिनांक लिखे जाने हेतु विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु चर्चा के लिये।

88. कृषि उपज मण्डी समिति इटावा (कोटा) में पेयजल, भुगतान, कृषक विश्राम भवन, केटल शेड, चलनियों एवं बोली की समुचित व्यवस्था नहीं किये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

89. कृषि उपज मण्डी समिति इटावा (कोटा) के सचिव द्वारा छोटे व्यापारियों एवं दुकानदारों को लाइसेंस नवीनीकरण समय पर नहीं किये जाने में भारी भ्रष्टाचार किये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

90. कृषि उपज मण्डी समिति इटावा (कोटा) द्वारा अभी तक एक भी सड़क नहीं बनाकर केवल ऑफिर एवं मंडी ऐरिया के विकास पर ही पैसा खर्च किये जाने से किसानों को हो रही असुविधा पर भी सहायता राशि देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

91. हाट बाजार योजना के प्रान्त में सफल नहीं होने पर चर्चा के लिये।

92. किसानों को समय पर खाद बीज तथा कीटनाशक दवाएं उपलब्ध न कराये जाने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन)

93. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के कृषकों को उन्नत किस्म के खाद तथा बीज समय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज मिढा (सूरतगढ़)

94. राजस्थान में सीड कारपोरेशन की उदासीनता पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

95. सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शुद्ध बीज वितरण की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

96. बागवानी विकास हेतु ऋण दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. गेहूं की लागत उपज पर विचार कर गेहूं की पूरी कीमत दिलाये जाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री माणक डाणी (ब्यावर)

98. 1985-86 में कृषि मण्डी समिति ब्यावर द्वारा प्रस्तावित सड़कें अभी तक स्वीकार नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र शास्त्री (मण्डावर)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी)

99. डी. ए. पी. खाद के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(83)

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

100. कृषि उपज के उचित मूल्य न मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

101. कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा सड़क निर्माण नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

102. कृषि उपज मण्डियों के द्वारा किए जा रहे अनियमित कार्यों पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

103. समय पर कृषि उत्पादन के लिए बीज उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये।

104. कृषि विभाग द्वारा वितरित होने वाले किट्स के घोटाले पर चर्चा के लिये।

105. कृषि उपज के लिये कीटनाशक औषधियों की समुचित व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

106. डार्क जोन के कारण कृषि उपज बढ़ाने में आ रही बाधा को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर)

107. कृषि उपज मण्डी भरतपुर द्वारा निर्मित बोरई से अवार, रारह से सांतसर और राष्ट्रीय उच्च मार्ग से सुनारी तथा नगली बरताई सड़कों की अत्यधिक दुर्दशा तथा उनकी मरम्मत नहीं कराने पर भी अनुदान दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

108. कुम्हेर से बरताई तक बनाई जाने वाली सड़क को भरतपुर कृषि उपज मण्डी द्वारा अधूरा छोड़ने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

109. किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने की विभाग के पास कोई नीति नहीं होने पर चर्चा के लिये।

110. फसल बीमा योजना राजस्थान में पुनः चालू किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू)

111. किसानों को दिया जाने वाला बीज महंगा व उगने वाला नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

112. खेती में काम आने वाले औजारों का महंगा हो जाने से आ रही कठिनाई पर चर्चा के लिये।

113. खेतीहर मजदूरों की दयनीय दशा को सुधारने की कृषि विभाग द्वारा योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. कृषि विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमजान खां (पुष्कर)

115. किशनपुरा से गोवलिया गांव तक कृषि उपज मण्डी समिति अजमेर से नई सड़क बनाने हेतु कोई कारगर कदम न उठाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री रमजान खां)

116. कृषि उपज मण्डी समिति अजमेर द्वारा निर्मित सरसड़ी से दोंतडा तक सड़क की मरम्मत न कराने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

117. कृषि उपज मण्डी समिति अजमेर द्वारा निर्मित कालेसरा से दोंतड़ा तथा दोंतड़ा से जेठाना तक अधूरी सड़क की मरम्मत न कराने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

118. कृषि उपज मण्डी समिति अजमेर द्वारा निर्मित बुधवाड़ा नदी के कगार की मरम्मत करवाकर यातायात को चालू कराने में असफल रहने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

119. बांसवाड़ा जिले में गरीब कृषकों को विभाग द्वारा फलदार पौधे उपलब्ध नहीं करवाने पर चर्चा के लिये।

120. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले के कृषकों को नये उपकरण उपलब्ध नहीं करवाने पर चर्चा के लिये।

121. बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण लोगों को उन्नत खाद बीज समय पर वितरित नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली)

122. कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु अच्छे किस्म का खाद एवं उचित ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

123. कृषि कार्य हेतु दिये जाने वाले ऋणों में भारी अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सम्पत सिंह (नगर)

124. कुम्हेर कृषि अनुसंधान की गतिविधियां संदिग्ध होने तथा नियुक्तियां नियमानुसार नहीं की जाने पर चर्चा के लिये।

125. कृषि उपज मंडी समिति नगर के यार्ड का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा ठप्प करने पर भी विभागीय नियंत्रण नहीं होने एवं कस्बा सीकरी सब यार्ड का निर्माण नहीं करवाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री केशरदेव महरड़ा (लक्ष्मणगढ़)

126. ग्राम पंचायत बीदासर में कास्तकारों को उन्नत बीज वितरण में की जा रही धांधली पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

127. पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ में हरिजन व अन्य कृषकों को उन्नत बीच नहीं देने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

128. पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ सीकर में ग्राम सेवकों खाद वितरण में बरती जा रही अनियमिताओं पर भी दी जा रही सहायता राशि पर चर्चा के लिये।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर)

129. श्रीमाधोपुर (सीकर) तहसील में गत वर्षों में नमूने के तौर पर वितरित

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

किए उन्नत बीज में किये गए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली)

130. किसानों को कृषि उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

131. उन्नत किस्म का बीज एवं खाद दिलवाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं)

132. कृषि उपज मण्डी समिति चौमूं द्वारा चौमूं क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों के निर्माण नहीं कराने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

133. चौमूं विधान सभा क्षेत्र में एन. एस. सी. व राजस्थान बीज निगम द्वारा टमाटर का फर्जी बीज वितरण करने से एक करोड़ का कृषकों को नुकसान होने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

134. कृषि पर्यवेक्षकों का पद समाप्त कर पंचायत सचिव बनाने पर कृषकों में भारी असंतोष पर चर्चा के लिये।

135. कृषि उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. किसानों को समय पर उचित खाद एवं बीज वितरण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सम्पत सिंह (नगर)

137. भरतपुर में फलों की खेती पर नई तकनीक अपना कर विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

138. राज्य के कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

139. राज्य में कृषि अनियमितताओं की सेवाओं से लाभ उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. किसानों का अनाज राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम द्वारा अपने गोदामों में न रखने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

142. इस वर्ष बूंदी व कोटा में राजस्थान बीज निगम द्वारा सोयाबीन वितरित करने में हुई अनियमितता से किसानों के साथ हो रहे अन्याय नहीं रोक पाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

143. राज्य भर में खेतों के उपयोग में आने वाली पेस्टीसाइज सहित अनेकों कीटनाशक दवाये नकली किस्म की मिलने से प्रतिवर्ष किसानों को लाखों रुपयों की फसल बरबाद होने व राज्य का कृषि विभाग उसे न रोक पाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

144. किसानों को कोटा सहित समस्त राज्य में सही समय पर अनुदान न देने के संबंध में चर्चा के लिये।

145. राज्य में कीटनाशक दवाओं को

(श्री दाऊदयाल जोशी)

समय पर उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

146. कोटा जिले में शहतूर एवं कोहड़े के आधार पर रेशम कीट पालने के आधार पर किसानों को रेशम की फसल पैदा करवाने में प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. बूंदी जिले में गन्ने की फसल के प्रति किसानों की असुविधा दूर करने उन्हें गन्ने के प्रति उत्साहित करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिए।

148. राज्य में कृषि को उद्योगों मानकर उद्योगों की भांति समस्त सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता चर्चा के लिए।

149. विभाग द्वारा कोटा जिले में-मसूर में प्रति वर्ष होने वाले रोग को नहीं रोक पाने पर चर्चा के लिए।

150. कृषि बाहुल्य कोटा नगर में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता की चर्चा के लिए।

151. कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में अनियमितताएं होने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

152. जयपुर जिले की, तहसील एवं पंचायत समिति बस्सी के ग्राम रोजवाड़ी बुड़ला, पाटन, भटेरी, कोनेटी, खेड़ला बास, दयालपुरा, बाड़बापूप, लक्ष्मीपुरा, नांगल बोहरा, पड़ासोली, मदनपुरा आदि ग्रामों में क्षय एवं लवणिय भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने हेतु कार्यक्रम बनाये जाने की चर्चा के लिए।

153. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी के ग्राम वनरोजवाड़ी कृषि विभाग द्वारा बेर बडिंग का कार्य करवाये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिए।

154. जयपुर जिले में कपास विकास योजना चलाये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिए।

155. सब्जियों के उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली के अन्तर्गत पंचायत समिति बस्सी जयपुर में विशेष कार्यक्रम लिये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिए।

156. फसल बीमा योजना हेतु राशि आवंटित नहीं किये जाने बाबत चर्चा के लिए।

157. कृषि पर्यवेक्षकों को पंचायत सचिव लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

158. कृषि उपज मंडी समिति चाकसू की गौण मंडी कोटखावदा में नहीं बनाने से किसानों को अपनी उपज की सही किश्त प्राप्त नहीं होने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

159. गौण मंडी बस्सी जयपुर के अपूर्ण कार्य भूदान निर्माण आदि को पूरा नहीं कराये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

160. कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डी (अनाज) जयपुर के कार्य क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क बस्सी से मनोहरपुरा गत पांच वर्षों में भी पूरी नहीं कराने से किसानों को मंडी तक उपज लाने में हो रही असुविधा पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

161. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में ढूंढ नदी के आसपास की कृषि भूमि वर्ष 1981 की बाढ़ के बाद रेगिस्तान व उसर भूमि हो जाने के उपरांत भी कृषि विभाग द्वारा इस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयास नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)
श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार)
श्री किरोड़ीलाल मीणा (महुआ)
श्री फूलचन्द (नीम का थाना)

162. समय पर उपयुक्त खाद, बीज उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. कृषि उपज को लाने के लिये कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सड़कें नहीं बनाये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

164. विभाग द्वारा कृषि योग्य भूमि के अन्य उपयोग पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. कृषि उपज के मूल्य समय पर तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा)

166. पचपदरा-सिदाना के काश्तकारों को समय पर बिजली नहीं मिलने से गत वर्ष हुए नुकसान की विभाग से क्षतिपूर्ति कराने पर चर्चा के लिये।

167. पचपदरा तहसील के अभावग्रस्त क्षेत्र में किसानों को सस्ती कीटनाशक दवाईयां उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. बाढ़ग्रस्त कृषि उपज मण्डी बालोतरा के कार्यालय एवं गोदामों में आयी दरारें, उदई इत्यादि का संधारण नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

169. काश्तकारों को जीरे-घोड़े जीरे के एवं ग्वार के उचित भाव नहीं मिलने एवं सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सहायता नहीं करने पर चर्चा के लिये।

170. कृषि हेतु सस्ता एवं बढ़िया बीज कम मिलने पर उचित मात्रा में नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

171. बाड़मेर जिले में इस वर्ष कृषि ऋण की उपलब्धता कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

172. बालोतरा में भण्डारण का समुचित स्थायी प्रबन्ध नहीं होने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री चम्पालाल बांठिया)

173. बालोतरा कृषि उपज मण्डी द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर की शाखा प्रारम्भ कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

174. बालोतरा कृषि उपज मण्डी द्वारा निर्मित मूंगड़ा-रोड को कुडो तक डामरीकरण करने और जोधपुर तक का छोटा मार्ग उपलब्ध नहीं कराने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री किरोड़ीलाल मीणा (महुआ)
श्री हरीश शर्मा (खानपुर)

175. 21 अप्रेल, 1989 को पूर्व प्रबन्ध निदेशक बीज निगम द्वारा भेजी गयी विशिष्ट शासन सचिव की पत्रावलियों को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को दी गयी सूचना पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

176. पूर्व प्रबन्ध निदेशक के पत्रांक 21.4.89 द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय श्रीगंगानगर पर बीजों के परिवहन में पायी गयी अनियमितताओं से सम्बन्धित विशिष्ट शासन सचिव कृषि को भेजी गयी पत्रावली बिना किसी कार्यवाही के वापिस मंगा लिये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

177. पूर्व प्रबन्ध निदेशक के पत्रांक 21.4.89 द्वारा बीज विधायन केन्द्र उदयपुर के प्रभारी अधिकारी द्वारा बीजोत्पादन में की गयी अनियमितता से सम्बन्धित पत्रावली विशिष्ट शासन सचिव को भेजे जाने व बिना कार्यवाही वापिस मंगा लिये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

178. पूर्व प्रबन्ध निदेशक के पत्रांक 21.4.89 के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय श्रीगंगानगर में ट्रीटेड बीज की नीलामी से सम्बन्धित प्रकरण विशिष्ट शासन सचिव कृषि को भेजी गयी पत्रावली पर कार्यवाही नहीं करने पर दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

179. पूर्व प्रबन्ध निदेशक द्वारा 21 अप्रेल, 1989 को दुर्गापुरा बीज विधायन केन्द्र में यू. पी. रोडवेज ट्रांसपोर्ट क० को फर्जी भुगतान की पत्रावली विशिष्ट शासन सचिव कृषि को भेजे जाने के उपरांत इस पर कार्यवाही नहीं करने व वापिस मंगा लिये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

180. बीज निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा अप्रेल, 1989 को घोटालों की पत्रावलियों की सूचना भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को दिये जाने के बावजूद विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं कर पाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

181. वित्त वर्ष 1988-89 में बीज निगम के पूर्व प्रबन्ध निदेशक द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से विशेष अंकेक्षण के दौरान जांच दल द्वारा विभिन्न मामलों में पाये गये करोड़ों रुपये के घपले एवं अनियमितताओं से सम्बन्धित विशिष्ट

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

शासन सचिव कृषि को भेजी गयी पत्रावलियों पर कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

182. बीज निगम द्वारा वर्ष 1980 से अब तक मैसर्स स्वास्तिक सीड कम्पनी/अम्बिका सीड कम्पनी/कार्तिक खेती-बाड़ी बीज कम्पनी से क्रय किये गये बीज की मात्रा एवं किस्म की जांच किए बिना भुगतान कर दिये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

183. बीज-निगम के भरतपुर संयंत्र पर बीजों के भण्डारण हेतु मैसर्स पंजाब बीज भण्डार/राजस्थान एग्रीकल्चर स्टोर से प्राईवेट गोदाम किराये पर लेने के विषय में मुख्य लेखाधिकारी द्वारा राज्य सरकार को अवगत कराते हुए कि इस कम्पनी से पूर्व के मामलों में लगभग 3 से 5 लाख की वसूली के बावजूद गोदाम किराये पर लेने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

184. बीज निगम द्वारा विभिन्न वर्षों में क्रय किये गये बीज में पाये गये घपलों की मुख्य लेखाधिकारी द्वारा वित्त विभाग को समय-समय पर की गयी आपत्तियों पर विभाग द्वारा कोई प्रतिउत्तर देकर कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

185. मुख्य लेखाधिकारी बीज निगम द्वारा आपत्ति कर राज्य सरकार को लिखे जाने के बावजूद बीज विधायन केन्द्र शिवगंज (सिरोही) के प्रभारी अधिकारी द्वारा लगातार गुजरात की एक ही पार्टी से बीज के नाम पर अनाज क्रय किये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

186. बीज निगम बीज विधायन केन्द्र शिवगंज (सिरोही) द्वारा वर्ष खरीफ 88 व रबी 87-88 में एक ही परिवार के सदस्यों को राज्य से बाहर गुजरात राज्य में बीजोत्पादन कार्यक्रम दिया जाना बताकर लगभग 17 लाख रुपये का गलत भुगतान किये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

187. दिनांक 15.4.85 को भेजे गये अनाज के तीन ट्रकों को प्रभारी अधिकारी बीज विधायन केन्द्र उदयपुर द्वारा बीज के क्रय में दिनांक 11.4.85 को ही रिकार्ड में प्राप्ति दर्शाकर अग्रिम फर्जी भुगतान कर दिये जाने पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

188. बीज निगम उदयपुर के प्रभारी अधिकारी के घपले पकड़े जाने पर पूर्व प्रबन्ध निदेशक द्वारा स्थानांतरण किये जाने व वर्तमान प्रबन्ध निदेशक द्वारा निरस्त कर उसी पर लगाये जाने से व्याप्त असंतोष पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

189. आर. एस. एस. सी के बीज विधायन केन्द्र उदयपुर के प्रभारी अधिकारी द्वारा वर्ष 1987–88 में भारत सरकार के सीड एक्ट की अवहेलना कर प्रदेश से बाहर गुजरात राज्य के एक ही परिवार से करीबन $26\frac{1}{2}$ लाख रुपये का सीड खरीदकर किये

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

गये घपले पर दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

190. दुर्गापुरा बीज विधायन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी के घपले व अनियमितताओं के पकड़े जाने पर पूर्व प्रबंध निदेशक द्वारा स्थानांतरण किये जाने व वर्तमान प्रबंध निदेशक द्वारा निरस्त कर दिये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

191. प्रबंधक (वित्त) के पत्र दिनांक 25.5.88 द्वारा राज्य सरकार को यह लिखे जाने पर कि बीज विधायन केन्द्र दुर्गापुरा द्वारा यू. पी. रोडवेज ट्रांसपोर्ट को 73,456 व 19,890 का बीज परिवहन में अधिक भुगतान किया गया है पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाने पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

192. प्रबंधक (वित्त) द्वारा बीज विधायन केन्द्र दुर्गापुरा का वर्ष 1980 से अब तक बीज स्टाक जांच करने पर करीबन 25 लाख रुपये का घपला व अनियमितताएं पाये जाने पर प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

193 राज्य सरकार के आदेश प. 1 (47) वित्त/ग्रुप-2/82 दिनांक 22.2.86 के स्पष्ट आदेशों के बावजूद आर आर.एस.सी. में लगभग 40 से अधिक अधिकारी/कर्मचारी को गत 10 वर्षों से निरन्तर प्रतिनियुक्ति पर लगाये रहने से विभाग में बढ़ रहे घपलों पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

194. आर.आर एस.सी. दुर्गापुरा के बीज विधायन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 में यू. पी. रोडवेज ट्रांसपोर्ट कम्पनी को किये गये फर्जी भुगतान से निगम को हुई लाखों रुपये की क्षति व मुख्य लेखाधिकारी द्वारा आपत्ति करने के बावजूद भी पूरा फर्जी भुगतान किये जाने पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

195. वर्ष 1982-83 में मैसर्स स्वास्तिक बीज कम्पनी अहमदाबाद द्वारा आपूर्ति नहीं करने एवं उस पर जुर्माना प्रस्तावित करने के बावजूद बिना निदेशक मण्डल की अनुमति के मनमानी दृष्टि से 2 लाख का ऋण आर.आर.एस.सी. द्वारा नियमों के विरुद्ध किये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

196. वर्ष 1982-83 में 7000 क्विंटल आपूर्ति के आदेश के विरुद्ध 5925 क्विंटल की आपूर्ति करने से कारपोरेशन द्वारा जुर्माना वसूल नहीं कर पाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

197. मुख्य लेखाधिकारी आर. एस. एस.सी द्वारा मैसर्स स्वास्तिक बीज कम्पनी अहमदाबाद की कुचालों से विभाग को हुए घाटे की 15-20 लाख रुपये की वसूली के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कम्पनी से लगातार वाणिज्यिक सम्बन्ध बने रहने पर भी दी

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

198. मैसर्स स्वास्तिक बीज कम्पनी अहमदाबाद को ब्लैक लिस्टेड घोषित करते हुए व पूर्व कृषि मन्त्री द्वारा आर.आर.एस.सी. द्वारा किसी प्राईवेट बीज विक्रेता से बीज क्रय करने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बावजूद क्रय किये जाने पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

199. मैसर्स स्वास्तिक बीज कम्पनी अहमदाबाद द्वारा अनुबंध के अनुरूप केवल 5,48.907 गांठों की आपूर्ति 10 लाख गांठों के विरूद्ध किये जाने पर ही पूरा भुगतान कर दिये जाने पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

200. मुख्य लेखाधिकारी आर. एस. एस. सी. द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित अपनी 31.5.89 की रिपोर्ट के बावजूद मैसर्स स्वास्तिक सीड कम्पनी अहमदाबाद को 500 क्विंटल मूंग के क्रय आदेश देकर बिना वसूली के पूरा भुगतान कर देने पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

201. कृषि विभाग के आदेश दिनांक 28.4.1987 के क्रय में आर. एस. एस.सी. द्वारा मै० स्वास्तिक सीड कम्पनी अहमदाबाद से क्रय की गयी 10 लाख केले की गांठों की कम मात्रा व वजन के बावजूद भी पार्टी को पूरा भुगतान करने से हुए घपले पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

202. स्वास्तिक सीड कम्पनी अहमदाबाद/कातिक खेती बाड़ी बीज कम्पनी अहमदाबाद/अमबेका बीज कम्पनी अहमदाबाद एक ही मालिक के द्वारा बार-बार ब्लैक लिस्टेड होने व नाम बदलकर कारबार कर राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन को धोखा दिये जाने पर भी निगम को दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

203. बीज निगम में वर्ष 1980 से लेकर अब तक लगातार किये जा रहे घपले व अनियमितताओं की बार-बार शिकायतों के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने से व्याप्त असंतोष पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

204. ट्रेक्टर डीलर्स द्वारा कृषकों से चैक/ड्राफ्ट लेने के बाद वरीयताक्रम का ध्यान नहीं रखकर महीनों तक ट्रेक्टर नहीं देकर ब्याज खाने की बदनीयती से किसानों को परेशान किये जाने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

205. बीज निगम द्वारा प्रशासनिक खर्चों पर वित्तीय सीमाओं का उल्लंघन किये जाने पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

206. बीज निगम में दीर्घावधि से प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्तियों को नहीं हटाने व उनके द्वारा लगातार किये जा रहे घपलों पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

207. वर्ष 1979 से प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने व राज्य सरकार के नियमों के

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

विपरीत बीज निगम में चल रहे पदस्थापन पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

208. बीज निगम में तकनीकी सहायक पद पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा 19 से लगातार सभी नोटिंग कर विभिन्न प्रकरणों में लिप्त होकर पद का दुरूपयोग किये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

209. एम. डी. के. टी. ए. के संबंध में स्थानीय निधि अंकेक्षण दल द्वारा एक समय में दो वाहनों से अलग-अलग यात्रा करने बाबत की गयी आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) :

210. बीज निगम में आन्ध्र प्रदेश राज्य बीज निगम से वर्ष 1987-88 में बीजों के परिवहन भुगतान में लिप्त दोषी अधिकारी को बचाये जाने पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

211. कृषि अधिकारियों के नियमित दौरे तय करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक वर्ग से सम्पर्क करने पर चर्चा के लिये।

212. प्रदेश में जलवायु मिट्टी की स्थिति सिंचाई साधनों की क्षमता के आधार पर फसल लेने एवं फसल परियोजना बनाने पर चर्चा के लिये।

213. बून्दी जिले में भारी कृषि जिन्सों का उत्पादन होते हुए भी क्षेत्र कृषि मंडियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सम्पर्क सड़कें नहीं बनाने पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

214. ग्राम पंचायत हिन्डोनिया, चरडाना, रोटेडा सारसला-खेड़ा, रेबारपुरा, माखीड़ा, बसवाड़ा, जैथल, बलकासा आदि को कृषि के माध्यम से सम्पर्क सड़कों से नहीं जोड़े जाने पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

215. राज्य में कृषि को उद्योग घोषित किया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. सीधे कृषक सम्पर्क हेतु राज्य में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षकों को ग्राम पचायत स्तर पर ही एक पंचायत कार्य क्षेत्र देने पर चर्चा के लिये।

217. राज्य में पौध संरक्षण यूनिटें हर तहसील स्तर पर फिर से चालू कर कृषकों को लाभ देने पर चर्चा के लिये।

218. अधिकारियों के निरन्तर बढ़ाये जा रहे पदों से विभाग में अनावश्यक वित्त भार बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

219. कृषि जिन्सों की उपज क्षेत्र एवं उपज मात्रानुसार उपयुक्त स्टोर बनवाये जाकर माल की सुरक्षा पर चर्चा के लिये।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

220. पौध संरक्षण दवाइयों एवं उपकरणों पर विशेष अनुदान राशि दिलाई जाकर फसल बचाव पर चर्चा के लिये।

221. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षकों के लिये आवासीय सुविधा हर पंचायत मुख्यालय पर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

222. कृषि जिन्सों के भाव कृषि औजार, डिजल बिजली खाद बीज मजदूरों आदि को मध्येनजर रख कर तय नहीं करने से कृषक वर्ग में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

223. कृषि मंडियों के माध्यम से भारी कर वसूली करने के बाद भी कृषि मंडियों में सुविधाओं के अभाव होने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

224. केशवराय पाटन तहसील की गौण कृषि मंडी यार्ड कापरेन में भारी भ्रष्टाचार अनियमितता एवं अव्यवस्था से कृषक वर्ग में व्याप्त रोष एवं असंतोष पर दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

225. ग्राम जलोड़ा-रडी, बूढिया, कमोलरमिण्डी आदि गांवों को कृषि मंडी द्वारा सड़कों से नहीं जोड़ने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

226 केशवराय पाटन तहसील को विशेष दलहनी-तिलहनी क्षेत्र घोषित कर पैदावार बढ़ाई जाने पर चर्चा के लिये।

227. चम्बल क्षेत्र में धान की फसल में भयंकर बीमारियों एवं कीड़ों के स्थाई रोकथाम हेतु उपाय किये जाने पर चर्चा के लिये।

228. दलहनी-तिलहनी फसलों की पौध संरक्षण दवाइयों पर अनुदान राशि दिलाई जाने एवं फसलों को बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

229. जैतारण, रायपुर, सोजत एवं बिलाड़ा तहसीलों में "कपास परियोजना" लागू करने एवं कृषक वर्ग को आर्थिक सहयोग करने पर चर्चा के लिये।

230. झालावाड़ एवं कोटा जिले में अफीम की खेती को बढ़ावा देने के लिये कृषकवार क्षेत्र बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये।

231. झालावाड़ में संतरों की पैदावार का सही मूल्य कृषक वर्ग को मिले इसके लिये जूस के कारखाने खोले जाने पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल)

232. जिला बांसवाड़ा के कृषकों को सरकारी लोन लेने से वंचित रहने पर चर्चा के लिये।

233. कृषि विभाग द्वारा कृषि भूमि व वन भूमि की सीमा कायम कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केशरदेव महरड़ा (लक्ष्मणगढ़)

234. नवलगढ़ से लक्ष्मणगढ़ वाया बीड़ोदी, बीदासर-डुडवा-ढोलास की सड़क को कृषि उपज मण्डी से नहीं जोड़ने पर भी

(श्री केशरदेव महरड़ा)

दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

235. कोलीड़ा से चुडीमीया वाया पोसानी-बीदासर-मिर्जवास एवं साखू तक बनी अकाल सहायता सड़क को कृषि उपज मंडी में नहीं पहुंचाने तथा सड़क पर डामर नहीं डलवाने के उपरान्त भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

236. फतहपुर कृषि उपज मंडी द्वारा गांव बगड़ी से बादुसर वाया रोकबड़ी राजास-वाटडानाऊ तक की सड़क का निर्माण नहीं किये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

237. कसवाली से धीसनाऊ पंचायत हैड क्वार्टर तक सड़क का निर्माण फतेहपुर कृषि उपज मंडी द्वारा न कराये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

238. गांव चुडी मीयान से मिर्जवास तक बनी सड़क पर कृषि उपज मंडी फतेहपुर द्वारा डामर न डलवाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

239. कृषि उपज मंडी फतेहपुर को लक्ष्मणगढ़ से राजपुरा तक की सड़क से नहीं जोड़े जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

240. गाड़ोदा से सालासर तक की सड़क कृषि उपज मंडी फतेहपुर द्वारा निर्माण नहीं कराये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

241. निरणा से बाजरोली वाया धाना तक की सड़क का निर्माण कृषि उपज मंडी फतेहपुर द्वारा न कराये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

242. गांव धोल पालीया वाया तुनवा तक सालासर सड़क (मालियों की ढाणी से) कृषि उपज मंडी फतेहपुर द्वारा निर्माण नहीं कराने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

243 फतेहपुर से खावारी से बाटडा नाऊ राजास तक की सड़कों का निर्माण कृषि उपज मंडी समिति द्वारा न कराये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मदन महाराजा (अटरू)

244. कोटा में फलदार उन्नत पौधों के उत्पादन एवं उनका सही वितरण किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

245. कोटा व अटरू में बागवानी विकास योजना को गति प्रदान करने हेतु चर्चा के लिये।

246. कोटा में कृषि प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा)

247. कृषि उपज मंडियों द्वारा किसानों का हित संरक्षण नहीं होने तथा मंडी यार्ड बिना उपयोग पड़े रहने पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

248. राज्य सरकार ने खरीफ की बुवाई के समय पूर्व रसायनिक खाद व उन्नत

(श्री रामचन्द्र जाट)

बीज की पूरी व्यवस्था नहीं करने से किसानों के हो रहे अहित पर चर्चा के लिये।

249. कृषि विभाग द्वारा समय पर मिनि किट्स वितरण की व्यवस्था न होने से सीमान्त कृषकों को खरीफ बुवाई में परेशानी होने पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज मिढा (सूरतगढ़)

250. जिला विस्तार अधिकारी अनूपगढ़ के खिलाफ जांच कराने हेतु चर्चा के लिये।

251. चक 5 बी.एल.डी.-7 बी.एल.डी.-जोरावरपुरा (4 पी) 2 बी.डी. हैड 365 (ग्राम पंचायत 2 के.एल.डी.) गांव डेईडास ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर पर कृषि उपज मंडी समिति द्वारा सड़क नहीं बनाने पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

252. कृषि उपज मंडी समिति द्वारा चक 6 जी.बी.-7 जी.बी.-8 जी.बी.-10 जी.बी.-11 जी.बी.-14 जी.बी.-15, 16, 17, 18, 19, 20, जी.बी.-21, 27, 29 व 33 जी.बी./34 जी.बी. 35 जी.बी. 39 जी.बी. 40 जी.बी. 45 जी.बी. 47-52 जी.बी., 10 सरकारी सरूपसर, खोखरावाली करणीसर, खोभर-23 के.डी.-3 के.डी.-5 के.डी., 6 के.डी.-2 एस एम.-3 के.डी.एन.डी. की सड़कें नहीं बनाने व मरम्मत नहीं कराने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

253. कृषि उपज मंडी श्रीविजयनगर मंडी यार्ड तक लिंक रोड नहीं बनाई जाने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

254. कृषि उपज मंडी समिति द्वारा बीकानेर अनूपगढ़ व चक 1 जी.डी. की सड़क से 7 जी.डी. तक सड़क नहीं बनाई जाने पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा)

255. रेल रेनवाल से सुरमिलपुर तक स्वीकृत सड़क को कृषि उपज मंडी समिति ने मलिकपुरा से एक किलोमीटर तक अधूरी छोड़ देने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

256. कृषि उपज मंडी समिति रेनवाल से खण्डेल से काजीपुरा व त्योद से त्योदा तक सड़क नहीं बनवाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

257. किसानों की उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

258. असली खाद के नाम पर नकली खाद वितरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

259. किसानों को नकली कीटनाशक दवाइयां बेचने से रोकने में विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही कराने बाबत चर्चा के लिये।

260. प्रमाणित बीज के नाम पर नकली बीज वितरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

261. कृषि उपज मंडी समिति रेनवाल

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

का वार्ड अभी तक नहीं बनने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण), श्री फूल चन्द (नीमकाथाना)

262. भ्रष्टाचार में लिप्त कृषि सुपरवाइजर नीम का थाना की शिकायत होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

263. कृषि सुपर वाइजर द्वारा अनुदान के खाद बीज आदि में किये गये भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

264. कृषि उपज मंडी नीम का थाना में किसानों के विश्राम हेतु विश्राम गृह न बनाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

265. कृषि उपज मंडी नीम का थाना में फैली अनियमितानों से हो रही मंडी शुल्क में कमी व व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

266. कृषि उपज मंडी नीम का थाना क्षेत्र में गौण मंडी, पाटन में न बनाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

267. कृषि उपज मंडी नीम का थाना द्वारा कृषकों की सुविधाओं का ध्यान न देने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

268. कृषि उपज मंडी नीम का थाना के द्वारा बनायी गयी सड़कों का कार्य अधूरा रहने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

269. विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना में नवीन कृषि उपज मंडियों का निर्माण कार्य जल्दी शुरू न होने से उत्पन्न असुविधा के बावजूद दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

270. कृषि उपज के गोदाम पंचायत अनुसार नहीं बनाये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

271. कृषि कार्यों में समय पर उचित सलाह देने हेतु नियुक्त कृषि सहायकों का दायित्व निर्धारित कराने हेतु चर्चा के लिये ।

272. बाजरे का नकली बीज उपलब्ध कराने से किसानों को हुई क्षति पर चर्चा के लिये ।

273. कृषि उपकरणों में अधिक छूट दिलाने हेतु विभाग द्वारा योजना प्रस्तावित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)

274. बाजरे का बीज खासकर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, चूरू एवं जोधपुर आदि में सड़ा हुआ देने से किसानों को हुए भारी नुकसान पर चर्चा के लिये ।

275. इस वर्ष चालू मौसम में भी अभी तक काश्तकारों को बीज उपलब्ध नहीं कराये जाने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये ।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

276. मोठ की फसल पिछले 15 वर्षों से सफेद होने पर भी विभाग द्वारा उचित कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये।

277. कृषि हेतु उन्नत बीज एवं औजार देने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

278. सही कीटनाशक दवाइयों को देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

279. फसल को नष्ट करने वाले कातरे पर अंकुश लगाने में सरकारी असफलता पर चर्चा के लिये।

280. कस्टीडिया नामक फसल को नष्ट करने वाला जानवर जो उड़ता है एवं फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है इसका अध्ययन कर कीटनाशक बनाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

281. फसल को काटने वाले सूंड जानवर (लट) को मारने हेतु कृषि विभाग द्वारा असफल रहने पर चर्चा के लिये।

282. फसल को भारी नुकसान पहुंचाने वाले रलोर जानवर (जो फसल को रात्रि में नष्ट करता है) इसे मारने हेतु कीटनाशक दवा बनाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

283. बहुत लम्बे अर्से से राजस्थान में फसल में लगने वाली तेलिया बीमारी पर नियन्त्रण करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

284. किसानों को सही ढंग की कीटनाशक दवाइयां विभाग द्वारा समय पर न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

285. कृषि विभाग के बजट में कृषि मंडियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें व अन्य सुविधाएं मुहैया न करवाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

286. ट्रैक्टर व अन्य कृषि औजारों की बढ़ती कीमतों पर नियन्त्रण रखने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

287. किसानों को अपनी उपज का पूरा मूल्य दिलाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

288. किसानों को उन्नत बीज समय पर उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

अनुदान की मांग संख्या 37 (कृषि) पर विचार

श्री सभापति : माननीय श्री कल्याणसिंह कालवी।

श्री कल्याणसिंह कालवी (डेगाना) : माननीय सभापति महोदय, आज कृषि की मांग पर विचार रखते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश है और राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि का राजस्थान में जब तक कि सम्यक् विकास नहीं होगा, तब तक राजस्थान के आम आदमी में खुशहाली नहीं आ सकेगी, राजस्थान के लोगों के घरों से गरीबी नहीं जा सकेगी, और इसलिए सरकार यदि सेक्रेटेरियट में या दफ्तरों में बैठ करके इसकी

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

योजना बनायेगी, उस योजना की क्रियान्विति के बारे में विचार-विमर्श करती रहेगी, तो उससे राजस्थान के आम आदमी को लाभ नहीं मिलेगा। योजना बनती है, उस योजना की क्रियान्विति करनी पड़ेगी। दुर्भाग्य के साथ में कहना पड़ रहा है कि राजस्थान में इस क्षेत्र में जिस तरीके से कार्य होना चाहिये, उस तरह के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। आज किसानों को अपनी पैदावार का उचित दाम नहीं मिलता। किसान को जितना पैदा करना चाहिये, उतना पैदा नहीं कर पाते। जमीनों का कृषि की दृष्टि से जितना यूटिलाइजेशन होना चाहिये, उसका पर्सेण्टेज राजस्थान में बहुत कम है। आज 34 पर्सेन्ट भूमि का हम कृषि के लिये उपयोग कर पाते हैं। जो कृषि के लिए हमको उपलब्ध है, यह हमारे लिये सबसे गम्भीर चिन्ता का विषय है। आज राजस्थान का सम्यक् विकास करना होगा, ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था को ही हमको स्वीकार करना होगा, और ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था को अंगीकार करना होगा। ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था को जब सुदृढ़ करके हम देश को समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं और इस देश की तकदीर बदलना चाहते हैं, आम आदमी के घर में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि कृषि को बहुत ही ज्यादा महत्व देकर, प्राथमिकता के आधार पर लिया जाये, तभी होगा। क्योंकि बजट का कितना कम अंश कृषि पर खर्च किया जाता है, यह आंकड़े आज आपके सामने हैं। केन्द्र सरकार से जो अनुदान मिलता है, वह कृषि के क्षेत्र में हमको, एक और डेढ़ पर्सेन्ट के बीच में रहता है। यह सारी की सारी बातें दरअसल में सोचने लायक हैं। आज जब कभी पिछले चार सालों से कृषि की मांगों पर विचार होता है, तो एक प्रश्न जरूर आता है कि कृषि एक टेक्निकल विभाग है, और इसका निदेशक इसी विभाग का जो टेक्निकल हैण्ड हो, वह पदोन्नति के माध्यम से आसीन होना चाहिये। जब भी यह सवाल उठता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस मामले को उठाया है, इसकी मांग की है और सरकार ने हर जवाब के अन्दर लोगों को आश्वस्त किया है, सदन के माननीय सदस्यों को, कि कृषि विभाग में निदेशक टेक्निकल हैण्ड ही रहेगा। परन्तु, यह कहते हुए मुझे दुःख है कि केवल चार-पांच दिन के लिये तो कृषि निदेशक को, जो कृषि विभाग से आया है, उसको बना दिया गया, रिटायरमेंट के थोड़े दिन पहले और पांच दिन बाद में उसका रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद में दूसरे आदमियों को जो एडहॉक या पदोन्नत कर के चार्ज दिया गया, उसको तीन-चार दिन रखा गया, उसको भी हटा दिया गया। इससे ज्यादा इन टेक्निकल हैण्ड्स के साथ मजाक हो नहीं सकता। क्यों हटाया, किस लिये हटाया, इसका जवाब तो सरकार ही देगी। इन्हीं के पास जवाब मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आना चाहिये। इस पर सरकार को स्पष्ट विचार करना चाहिये कि इस तरह के टेक्निकल हैण्ड्स हैं, उनमें कम से कम भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नहीं बैठा करके इन्हीं में से बैठाया जाना चाहिये। यह मैं समय-समय पर मांग करता आया हूं। आज अभी जो निदेशक बैठे हैं, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं चाहता हूं कि हमारे कलक्टर रहे हुए हैं और जिस तरह से नागौर के कलक्टर रहते हुए जिस कुशलता का उन्होंने परिचय

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

दिया है, उससे नागौर के आम आदमी को प्रसन्नता हो रही है। परन्तु, जहां आज टेक्निकल आदमी का सवाल है, वह टेक्निकल आदमी ही इस पद पर बैठना चाहिये दूसरा उस पद पर बैठना नहीं चाहिये। मैं माननीय मंत्री महोदया से इस बात की उम्मीद करता हूं कि उन जैसे कुशल मंत्री को इस बारे में एक ठोस कदम उठाना चाहिये ताकि लोगों में विश्वास कायम हो सके।

दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि कृषि विभाग को हमारे यहां पर एक टेक्निकल विभाग नहीं माना जाता। कृषि को टेक्निकल विभाग माना जाना चाहिये और टेक्निकल विभाग के कर्मचारियों को जितनी सुविधायें उपलब्ध होती हैं, उतनी ही कृषि विभाग के कर्मचारियों को सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिये और उनको एक टेक्निकल विभाग में रहते हुए कार्य की कुशलता दिखानी चाहिये, कार्य क्षमता का परिचय देना चाहिये, उसी तरह का परिचय देने के लिये अधिकारियों को भी अपने आप को तैयार कर लेना चाहिये। जो हमारे यहां पर कृषि का बुनियादी ढांचा खड़ा किया गया है, उसमें एक विस्तार का सेल है, एक अनुसंधान, सांख्यिकी, कृषि यांत्रिकी का सेल है और अनुसंधान के विस्तार के तहत पौध संरक्षण तथा फल एवं उद्यान, हार्टीकल्चर का जो अभी इन दिनों में विभाग इतना इन्होंने खड़ा किया है, उसके तहत में कार्य प्रारम्भ किया है, यह वर्गीकरण किया गया है, इस वर्गीकरण के सारे के सारे रिज़ल्ट्स आने चाहिये और जब हम यह पोजिटिव रिज़ल्ट नहीं आता है, तब तक केवल कागजों में वर्गीकरण करने से आम आदमी को लाभ नहीं मिलेगा। आम आदमी को तभी लाभ मिलेगा, जब कि इन वर्गीकृत आपकी ब्रांचेज से लोगों के सामने रिजल्ट्स आयेंगे, आपका जो टेक्निकल नोहाउ है, वह आम आदमी के घर पहुंचेगा। आम किसान की जानकारी में पहुंचेगा और उस जानकारी के आधार पर किसान काम कराने के लिये प्रेरित होगा, तब जाकर के इस विभाग की सफलता मानी जा सकती है और उसके बगैर सफलता नहीं मानी जा सकती। आज आपके कुछ निगम भी काम कर रहे हैं। आज कृषि मंडी, उद्योग निगम, आपका राज्य बीज निगम-सब अलग से काम कर रहे हैं...(व्यवधान) सीड्स कार्पोरेशन उसमें शामिल है, मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो यह उद्योग निगम है, यह तो आपके लिये सफेद हाथी है। या तो वह कोयले का व्यापार करता है या आयातित चीनी का व्यापार करता है या उसके लिये, बीज रखने के लिये कोठियां बनाता है। उसके लिये कृषि उपकरण बना करके वह किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने का काम वह नहीं कर पा रहा है। कृषि यांत्रिकी विभाग, जो बड़ी मशीनरी किसान खरीद नहीं सकता, उन के माध्यम से वह किसान की खेती को सुधार सके, उसको लेवल कर सके, उसके यहां पर जुताई कर सके या उसका दूसरे तरह का कार्य कर सके, वह काम भी वह आज नहीं कर पा रहा है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाये, इनका पहले परीक्षण किया जाये, उसके आधार पर इनमें क्या सुधार लाया जा सकता है, यह सारी की सारी व्यवस्था की जानी चाहिये। जहां तक कृषि उपज मंडियों का सवाल है, जिस दिन कृषि उपज मंडियों की घोषणा

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

हुई थी किसान बहुत ज्यादा आशान्वित था कि उसकी फसल का उसको लाभप्रद और उचित मूल्य मिल जायेगा परन्तु इस काम में कृषि उपज मण्डियां उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी जिस लक्ष्य को उनको प्राप्त करना चाहिये था। आज किसान की वही की वही स्थिति है कि अपने अनाज को ले जाकर कृषि उपज मण्डियों में ढेर करना पड़ता है और उस ढेर के ऊपर वही व्यापारी आ जाते हैं, नीलामी-बोली लगाते हैं, उन्हीं के हाथ में भाव मुकर्रर करना या नहीं करना है। किसान की जो बारगेनिंग क्षमता है उसको हम बढ़ा नहीं पाये। हम चाहते थे कि यह जो विपणन की व्यवस्था हो रही है उसके माध्यम से किसानों की बारगेनिंग व्यवस्था बढ़ेगी परन्तु किसान अपनी बारगेनिंग क्षमता को बढ़ा नहीं सका। यह भी सोचनीय विषय है और जब तक वह अपनी क्षमता को बढ़ा नहीं पायेगा तब तक उसको लाभ नहीं मिल पायेगा। आज फसल के जिस समय भाव गिर जाते है, किसान को अनाज रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, भण्डारण की व्यवस्था होनी चाहिए और उस रखे हुए अनाज के ऊपर उसको जरूरत की मात्रा में कर्ज मिले ताकि जरूरत का पैसा जरूरत के समय मिल जाय और बाकी जब भावों के फ्लेक्यूचएशन्स आते हैं, उतार-चढ़ाव आते हैं, उस उतार-चढ़ाव के समय ऊंचे मूल्य पर वह बेचकर उससे लाभ प्राप्त कर सके, इस तरह की व्यवस्था हमको करनी चाहिए। जहां तक बीज निगम का सवाल है.... (व्यवधान) बहुत सी एजेन्सीज हैं इस पर विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। आज जो बीज निगम अपने यहां पर बना है, बीज निगम पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बीज निगम को जितना काम करना चाहिये था उतना काम बीज निगम कर नहीं पा रहा है और इसलिए नहीं कर पाया है कि उसके पास न तो इतनी पूंजी है और न उसके पास इतना बड़ा इन्फ्रा-स्ट्रक्चर है जिसके आधार पर जितनी उससे उम्मीद की गई थी उतना वह काम कर सके। कभी तो उनके पास पूंजी का अभाव आ जाता है, कभी उनके पास साधनों का अभाव आ जाता है और कभी उनके पास टैक्नीकल हैण्ड्स का अभाव आ जाता है। यह सारी की सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जहां तक बीज विकसित करने का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले दस-पन्द्रह सालों के अन्दर जिस तरह का कार्य सीड कार्पोरेशन के माध्यम से होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। कई बीज जो पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस साल पहले विकसित हुए थे, वैसे के वैसे पड़े हैं। बाजरे के क्षेत्र में मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य, जिसमें बाजरा सबसे प्रमुख अनाज होता है, उसमें बाजरे का बीज हम डवलप नहीं कर पाये, उस वैरायटी को कर ही नहीं पाये। चाहे आंध्र से मंगाते हैं, चाहे गुजरात से मंगाते हैं, चाहे कुछ महाराष्ट्र के हिस्से से मंगाते हैं परन्तु हम अपना बीज विकसित कर ही नहीं पाये और जो बीज विकसित हुए थे उनके अच्छे रिजल्ट आये। आर. एस. बी.-2 बाजरा हमारे यहां पर हुआ था परन्तु पोपुलर नहीं हो पाया, जितना पोपुलर उसको होना चाहिए था। आर. एस. जे. और आर. एस. के. जो जखराना आदि के बीज थे, उन बीजों के आधार पर हम नई वैरायटीज विक-

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

सित नहीं कर पाये और आज हम बाजरे के बीज के लिए दूसरे प्रदेशों के ऊपर निर्भर कर रहे हैं।

जहां तक मोठ का सवाल है, हमारे पास मोठ की दो वैरायटीज हैं। एक ज्वाला और दूसरी जड़िवा। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि सीड कार्पोरेशन पर्याप्त मात्रा में कभी उपलब्ध नहीं करा सका। जब भी पूछते हैं, कहते हैं कि साहब लिमिटेड क्वान्टिटी के अन्दर है हमारे पास में, उससे ज्यादा हमारे पास बीज नहीं है। जब मोठ, जो राजस्थान की प्रमुख फसल है और दलहन की दृष्टि से उसका महत्व है वह बीज भी पर्याप्त मात्रा के अन्दर उपलब्ध होना चाहिए। ज्वार का जहां तक सवाल है-दुर्गापुरा जय और दुर्गापुरा सफेद है जो सेवन्टी फोर्टी फोर के पहले की वैरायटीज हैं। उसके बाद नई वैरायटी यहां विकसित नहीं कर सके और आज दुर्गापुरा सफेद तो फिर भी सफल हुआ है परन्तु दुर्गापुरा जय यहां पर सफल नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब पन्द्रह-पन्द्रह साल पहले की हम वैज्ञानिक युग में, जबकि रफ्तार बहुत तेज गति से चलती है, उस प्रगति की रफ्तार में हम पन्द्रह साल पुरानी चीज लिये बैठे रहें, यह भी एक सोचनीय विषय है। मूंग की हमारे पास में कोई किस्म है ही नहीं। ज्वार की हमारे पास एक शंकर किस्म है, उसके सिवाय राजस्थान के अन्दर कोई किस्म नहीं है और शंकर ज्वार की सबसे बड़ी बात यह है कि वह पानी ज्यादा लेता है, खाद लेता है, पकने का ड्यूरेशन उसका सबसे ज्यादा है। आज जरूरत इस बात की है कि फसल पकने का ड्यूरेशन कम हो, वह पानी और खाद कम ले जिससे कि लोगों को राहत मिल सके, इसके ऊपर भी हमें गम्भीरता से सोचना होगा।

आज मक्के की हमारे पास कोई वैरायटी नहीं है, धान की वैरायटी नहीं है, अरहर की नहीं है, केवल उड़द की एक वैरायटी जरूर हमारे पास है। मूंगफली की एक वैरायटी जो आर. एस. बी.-87 प्रचलित हुई थी परन्तु उसको जितने विस्तार के साथ में क्षेत्र में जाना चाहिये था उस क्षेत्र में नहीं जा पाई। आज तिल की वैरायटी हमारे पास में उपलब्ध है ही नहीं, मांग करने के बाद में, जब तिल की चाहो तब मांग करो आप, परन्तु जितनी मात्रा में हमको तिल मिलना चाहिए वह उपलब्ध नहीं है। एक-एक किलो के मिनी किट्स हैं उनको ले लो। एक किलो तिल से हम कितना उत्पादन कर सकेंगे, यह भी आज विभाग के सोचने की बात है। आज एक बात मैं गम्भीरता से कहना चाहूंगा, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे यहां पर किस्म निकलती है वह किसान तक पहुंच जाय, इस तरह का कार्डिनेशन हमारे यहां के एक्सटेंशन प्रोग्राम में और सीड जो मल्टीप्लाई करते हैं, इनके प्रोग्राम के बीच में जिस तरह का कार्डिनेशन होना चाहिए उस तरह का कार्डिनेशन है नहीं।

गेहूं-जौ की हमारे पास में अपनी वैरायटीज हैं परन्तु आज हम एक-दो वैरायटीज पर गर्व कर रहे हैं, आज कल्याण-सोना पर आधारित वैरायटीज को ही ले रहे हैं परन्तु दूसरी वैरायटीज को

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

जहां हमको विकसित करना चाहिए वह कर नहीं पा रहें हैं। जो कुछ भी विकसित हो रही हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी के पेपर्स में ही वह सीमित है, किसान के खेतों में नहीं पहुंचती। जब तक किसान के खेतों में नहीं पहुंचती.... (व्यवधान) जब तक किसान के खेतों तक नई वैरायटीज नहीं पहुंचेगी और उसका किसान को लाभ नहीं होगा तब तक रिसर्च की दृष्टि से क्या-क्या आपने किया है, वह कागजों तक सीमित रहेगा, कमरों के अन्दर बन्द रहेगा, आलमारियों के बाहर नहीं निकल पायेगा। यही स्थिति हमारी बनी रहेगी। आज बीज, खाद और कीटनाशक की क्या स्थिति है. इस पर भी मैं आना चाहता हूं। मिलावट की बात आपको सब जगह सुनने को मिलती है। बीज में मिलावट है, खाद में मिलावट है, कीटनाशक औषधियों में मिलावट है परन्तु इससे ऊपर जाकर मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो बीज का निरीक्षण करने वाली, खाद का निरीक्षण करने वाली, कीटनाशक औषधियों का निरीक्षण करने वाली आपकी एजेंन्सीज हैं वह उस सब्जेक्ट की विशेषज्ञ नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है और जो स्पेशलिस्ट नहीं है, वे किसी चीज का इन्स्पेक्शन करने जायेंगे, निरीक्षण करने जायेंगे, उसका वे किस तरह का रिजल्ट प्राप्त कर पायेंगे, यह भी आपके सोचने की बात है। ये कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले पायेंगे और प्रेक्टिस में यह हो गया है कि उनको लिमिटेड सेम्पल्स भरने पड़ते हैं और वे सेम्पल्स राजस्थान सीड कार्पोरेशन की दुकानों से भर लेते हैं, प्राइवेट के पास में केवल चौथ वसूली के लिए जाते हैं, इंस्पेक्शन के लिए जाते ही नहीं। वहां पर किस तरह का घपला चलता है, क्या चलता है, यह आप देख लें। किसानों के साथ इससे बड़ा अन्याय कोई हो ही नहीं सकता कि उसको मिलावट का बीज मिल जाय। जो बीज उसको अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता, किसानों के साथ इससे ज्यादा बड़ा अन्याय कोई हो नहीं सकता। परन्तु यह राजस्थान के अन्दर प्रेक्टिस में आने लग गया है होने लग गया है, इसको रोका जाना चाहिए, इसको सुधारा जाना चाहिए और इसमें कैसे आगे प्रगति की जा सकती है इसके बारे में गम्भीरता से सरकार को विचार कर निर्णय लेना चाहिए। आज मिनी किट्स की एक बीमारी चल रही है, मिनी किट्स की बात बताता हूं। मैं आपको विश्वास के साथ कह देता हूं, अनुभूत ज्ञान के आधार पर कह देता हूं कि मिनी किट्स समय पर कभी नहीं पहुंचते। फसल बो दी जाती है तब तो बीच पहुंचता है और फसल की कटाई शुरू होती है तब खाद पहुंचती है, यह हालत है और उन मिनी किट्स का होता क्या है ? केवल लिस्टें बनती हैं और बाजार में जाकर बिक जाता है। राजस्थान के बाजार में नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और दूसरे स्टेट्स के बाजार में जाकर बिक जाता है। राजस्थान के गरीब छोटे किसान को फायदा पहुंचाने की जो सरकार बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत बार-बार घोषणायें करती हैं. वह जाकर दुकानों पर बिकता है, उसके पास नहीं पहुंचता। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बारे में भी निर्णय लें। इसके आधार पर सब्सिडी और दी जाती है और मैं विश्वास के साथ में कहना चाहूंगा कि 99 प्रतिशत सब्सिडी लोगों की जेबों में पहुंच जाती है

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

और वे जेब भरने वाले कौन लोग हैं, सभापति महोदय, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं। मैं चाहूंगा कि यदि इस सरकार में हिम्मत हो तो उन जेब भरने वाले आदमियों को जेल होनी चाहिए, उनकी जगह वह जो अनुदान मिलता है....

श्री भंवरलाल शर्मा : नाम बताओ....

श्री कल्याणसिंह कालवी : आपको सब पता है।

श्री सभापति : भंवरलालजी कहते हैं कि ये नहीं जानते।

श्री कल्याणसिंह कालवी : कोई बात नहीं, अपनी सरकार बनेगी तब आपको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना देंगे, पता चल जायेगा। (व्यवधान) ज्यादा नहीं कह करके मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सारी की सारी व्यवस्थायें होनी चाहिए। बीज जो उत्पादन करता है, उस बीज उत्पादक को पूरा दाम मिलना चाहिए, ताकि वह बीज उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित हो....उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसको पूरा दाम मिलना चाहिए, ताकि हमारे यहां पर ज्यादा बीज पैदा हो सके। हमारे यहां बीज निगम के पास शायद 15-20 के करीब फार्म हैं। आज मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो कृषि के फार्म हैं, यह तीन जगह हैं। कुछ तो पंचायत समिति में रह गये और पंचायत समिति से निकलकर कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास पहुंच गये, कुछ सीड कार्पोरेशन के पास हैं, कुछ एडोप्टिंग रिसर्च सेण्टर हैं, उनके पास हैं। एडोप्टिंग रिसर्च सेण्टर का जो काम है वह तो नगण्य है, जीरो है, उनका तो कोई काम नहीं है। वह तो यूनिविसटी के अन्दर जो चीज पैदा की जाती है उसको फील्ड के अन्दर ट्रायल लेने के लिए उस बीज को उगाते है और उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं? पता नहीं है। जो यूनिवर्सिटी का पेपर होता है उसके मुताबिक अपनी रिपोर्ट दे देते हैं। यह तो उनका काम है। जो सीड निगम के पास फार्म हैं मैं समझता हूं कि उनकी उपादेयता भी कुछ नहीं है। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि यदि आप उन फार्म्स पर जाकर देखें तो एक से एक फार्म पर जैसे पड़ोसली फार्म चले जाइये उस एक फार्म पर 50 लाख से ज्यादा के उपकरण आउट डेटेड हैं जो खराब हुए पड़े हैं। उनमें जो पीतल के या ऐसे यंत्र लगे हुए थे वह तो लोगों ने बेच दिये और यदि चौकीदार को गन्ने का रस पीना होता है तो वह लोहे का टुकड़ा लेकर गन्ने वाले के पास जाता है और उसको दे देता है रस पी लेता है और पिला देता है। इसके सिवाय उसका कोई उपयोग नहीं है उस पर घास उगी हुयी है। यदि आपको देखना हो, यदि आपके देखने की क्षमता है तो देखिए आपके गोडाउन्स बने हुए थे, आपके स्टोर बने हुए थे, उन पर टीन शेड थीं, उन पर दरवाजे, ऐंगल लगे हुए थे। खटूडा फार्म पर तो मैंने देखा है कि वहां फार्म हाउस बना हुआ है उसके ऊपर की पट्टियां गायब हैं, टीन चढ़ी हुयी थी वह गायब है। ताज्जुब की बात है कि न आपकी देखरेख है, न रखवाली है, सूने पड़े हैं, करोड़ों रुपये की जमीन है और करोड़ों रुपये के लोहों के उपकरण हैं न सम्भालने वाला है न देखने वाला है। समझ में ही नहीं आता है, यह क्या है? मैं

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

आपको बीज निगम के बारे में कह रहा था। एडोप्टिग रिसर्च सेण्टर का पहले ही कह दिया था जो ग्राह्य अनुसंधान केन्द्र है, उनके पास कितने फार्म हैं उनके एग्जेक्ट फीगर तो इसमें भी नहीं हैं परन्तु उनका कार्य नहीं के बराबर है। यह कहना पड़ता है कि इन सारे एडोप्टिग रिसर्च फार्म पर सब के सब गजेटेड रैंक के अफसर लगे हुए हैं। रिसर्च वर्क के जितने लवाजमे चाहिए उतना उनके पास हैं। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, ए. ए. ओ. हैं, सुपरवाइजर हैं, चौकीदार है, चपरासी भी हैं वह क्या काम करते हैं उसका पता नहीं है। राजस्थान सरकार गरीब जनता से कमाये हुए पैसों से उनको क्यों तनख्वाह दे रही है? यह भी समझ में नहीं आता है। जब काम कुछ भी नहीं है तो तनख्वाह क्यों दी जा रही है?

क्वालिटी कण्ट्रोल का पहले ही कह चुका हूं कि निरीक्षण के लिए जो निरीक्षक जाते हैं वह एक ही काम करते हैं-चौथ वसूल करते हैं और चौथ वसूल किस रूप में किया करते हैं यह भी गत साल में मेरे भाषण को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जायेगा। मैंने कई उदाहरण दिये थे। मैं उन उदाहरणों को दोहराना नहीं चाहता। व्यर्थ सदन का समय खराब नहीं करना चाहते हैं। आज चारा उत्पादन के लिए हमारे यहां बीज आया था पिछली बार, माननीय सभापति महोदय, आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि चारे की जरूरत होती है अक्टूबर के महीने में परन्तु बीज आया था नवम्बर के महीने में और किसान के पास पहुंचते पहुंचते 15 दिसम्बर आ गयी, उस बीज का कोई उपयोग नहीं था, कहां से आया, किस के पास वितरित हुआ, किसने बीज उठाया, किसने उगाया और किसने पशुओं को चराया। इसका कोई पता नहीं यह चारे की सारी बात है जिसको गम्भीरता से सोचना पड़ेगा और इसके अन्दर कितना बड़ा स्केण्डल हुआ है यह चर्चा सदन के अन्दर आ चुकी है। मैं उसको वापस दोहराना नहीं चाहूंगा। आज हरे चारे के लिए हमारे सर्वोच्च सदन के अन्दर बैठे हुए लोकसभा के अध्यक्ष भी नहीं चूके। मशीनें आ गयीं चारा पैदा करने को हमारे यहां पर इतनी जमीन पड़ी है, इतना पानी है इतने साधन उपलब्ध हैं, आज मशीन से चारा पैदा करने की कहां आवश्यकता है न हमारे यहां पर इतनी पापुलेशन है, जितनी जमीन है उसके मुकाबले जितने आपके पास संसाधन हैं उनको लगाइये, उनका उपयोग कीजिए, उससे चारा पैदा कीजिए और पशुओं का पेट पालिए कोई रोक नहीं है। परन्तु यह सारा काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम तो बाहर से मशीन मंगवायेंगे और उनसे चारा पैदा करेंगे, चारा पैदा होगा या नहीं परन्तु कमीशन लेकर हमारे घर को पालेंगे। यह मनोवृत्ति बन गयी है।

आज हमारे यहां पर फसलों के अन्दर जब बीमारी लग जाती थी हवाई स्प्रे होता था, कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती थी ताकि सारे के सारे वातावरण में इस तरह के जर्म्स पैदा न हों और उन फसलों को नुकसान न पहुंचा सकें। मैं समझता हूं कि पिछले दो सालों से यह प्रक्रिया भी बन्द है, आज इन सारी चीजों को वापस शुरू करने आवश्यकता है।

आज फसल बीमा किसान की सबसे

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

बड़ी आवश्यकता है। आज किसान की जब बोयी हुई फसल नष्ट हो जाती है तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी, उसकी आर्थिक स्थिति क्या होती होगी ? इसकी आप कल्पना कर लें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना को राजस्थान में लागू किया जाना चाहिए और पिछले समय में यह फसल बीमा योजना लागू हुई थी और जिसके तहत किसानों ने प्रीमियम के रूप में पैसे दे दिये थे और वह करोड़ों रुपया किसानों का बाकी पड़ा है मैं चाहता हूं कि उसको तत्काल भुगतान किया जाय। ताकि किसानों को किसी विभाग पर विश्वास कायम हो किसानों को राहत मिले।

आज प्राकृतिक प्रकोप से नुक्सान होता है। दूसरे राज्यों में इस तरह के कानून बने हुए हैं हरियाणा के अन्दर ओलावृष्टि हो जाती है, प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है तो 600 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाता है। आपने यहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं की है। अपने यहां तो किसान को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है या तो दलालों के भरोसे छोड़ दिया गया है या पूंजीपतियों के भरोसे छोड़ दिया गया है या भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। सरकार की तरफ से उसको कैसे राहत दी जायेगी।

श्री दिग्विजय सिंह : अकाल घोषित हो जाता है तो उसकी रेवेन्यू भी माफ नहीं करते हैं आप मुआवजे की बात करते हैं।

श्री कल्याणसिंह कालवी : आज यह भी दुर्भाग्य की बात है अपने यहां पर तो हर चीज टेक्निकलटीज उलझा दी जाती हैं अभाव ग्रस्त और अकाल ग्रस्त में उलझाकर किसानों को कैसे राहत पहुंचायेंगे। इसमें केवल दिमागी कसरत की जाती है कि हमने अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया है केवल अभाव ग्रस्त घोषित किया है। इसे टेक्निकल बातों में उलझा दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की टेक्निकलटीज में नहीं उलझाकर उसको किया जाना चाहिए। प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा चाहे बाढ़ हो, चाहे अकाल हो, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे शीत लहर चाहे आपके द्वारा फसल नष्ट हो जाये यह सारे के सारे प्राकृतिक प्रकोप हैं जिसका उसको मुआवजा मिलना चाहिए। कृषि उपज मंडी समिति में, उनकी व्यवस्था में बहुत कुछ सुधार लाना होगा उसके तौर तरीकों में सुधार लाना होगा, उसकी कार्य पद्धति में सुधार लाना पड़ेगा, लोगों की भावनाओं में सुधार लाना पड़ेगा तब जाकर इसका समुचित लाभ गांव वालों को मिल सकेगा। आज कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सड़कें बनती हैं। सड़कों के निर्माण की घोषणा हो जाती है। मैं समझता हूं कि कुछ गिनती की सड़कें हैं जिनको कृषि उपज मण्डी समिति पूर्ण करा पायी है बाकी वह सम्पूर्णता की तरफ आगे नहीं बढ़ पायी है। मैटीरियल आप डाल देते हैं, लोग उसको उठाकर ले जाते हैं। उस मैटीरियल का यदि फिजीकल वेरीफिकेशन कराया जाय तो मैं कहना चाहूंगा कि सड़क के किनारे आपको 30 प्रतिशत मैटीरियल नहीं मिलेगा। आपने सड़क बना दी, सड़क बनने के बाद कुछ दिनों बाद उसकी मरम्मत की आवश्यकता होती है उसके मेंटीनेंस की

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

आवश्यकता होती है आपके पास मेंटीनेंस का कोई प्रोविजन नहीं है। आज इन सारी बातों के ऊपर आपको सोचना होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं आपके क्षेत्र में गया और वहां पर सबसे बड़ी शिकायत यह सुनने को मिली कि डी ए पी खाद वहां नहीं है और उस खाद के ऊपर जितनी खाद की बोरी की कीमत है उससे ज्यादा ब्लैक थी और वहां पर बिक रही थी और बिकते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसानों का इससे बड़ा शोषण नहीं हो सकता है। डी. ए.पी. खाद की बोरी की जो कीमत है उससे ज्यादा उसका ब्लैक है और किसान अगर मजबूर हो जाय कि उसको उतना पैसा देना पड़े तो बहुत गलत है। माननीय सभापति महोदय, आपको भी यह जानकारी होगी। चित्तौड़ में कई गांवों में मैंने यह सुना है एक दो गांवों में मैंने देखा है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि कम से कम ब्लैक में तो किसान को मत पिटवाओ। किसान को उपलब्ध कराते हैं तो आपकी मेहरबानी, कराना चाहिए यह आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है परन्तु उस ड्यूटी की पालना नहीं करते हैं तो उसे ब्लैक के माध्यम से तो मत पिटवाओ। हमारे यहां पर कुछ कमी आई थी परन्तु उस कमी की पूर्ति करने के लिए हमने आवश्यक कदम उठा लिये हैं उस कदम से जितनी राहत मिली है लोगों को वह तो सराहनीय है परन्तु इस तरह की बातों की पहले व्यवस्था करनी चाहिए। बारिश होने लगती है तो तीन चीजों की पहले व्यवस्था हो जाये बीज, अप्रेल के आखरी सप्ताह तक पहुंच जाना चाहिए, मई के प्रथम सप्ताह में खाद पहुंच जानी चाहिए और डीजल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बरसात हो जाती है और डीजल की सप्लाई नहीं होती और डीजल की सप्लाई नहीं होती तो ट्रेक्टर खड़े रहते हैं और ट्रेक्टर खड़े नहीं रहे इसलिए उसको डीजल ब्लैक में खरीदना पड़ता है यह स्थिति कायम हो जाती है।

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज।

श्री कल्याणसिंह कालवी : अभी मेरे को जानकारी मिली थी कि होर्टिकल्चर विभाग एक नया है, मैं मानता हूं कि उसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है और आवश्यकता यह है कि केवल अनाज के ऊपर प्रदेशों का हम समग्र विकास नहीं कर सकते। खेतों में आपको व्यावसायिक फसलें पैदा करनी पड़ेंगी और उसके साथ-साथ फल उत्पादन की तरफ भी आपको तवज्जोह देनी पड़ेगी इसलिए इस डिपार्टमेंट को सशक्त बनाया जाकर के इस पर आगे से आगे कदम बढ़ाने चाहिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। इस विभाग के अन्दर मैं पहले से सावधान करना चाहता हूं आपके माध्यम से, नर्सरीज को विकसित किया जाये और विकसित करने के साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो अधिकारियों के पोस्टिंग हों वह सिफारिशों के आधार पर, चहेतों के आधार पर, भाई-भतीजावाद के आधार पर न होकर के होर्टिकल्चर के अन्दर टेक्निकल हैण्ड हैं अगर उनको इस विभाग में लगाया जाये और इस होर्टिकल्चर के माध्यम से किसान तक वह सारी सुविधायें उपलब्ध हो, जो सरकार देना चाहती है और उन सुविधाओं को प्राप्त

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

किर के किसान अपने फार्म के अन्दर फल पैदा कर सके, फलदार पेड़ पौधे लगा सके, इसकी सारी की सारी व्यवस्थायें होनी चाहिए। इसमें सरकार को पहले ही साव-चेती बरतनी चाहिए। आज कृषि विश्व-विद्यालय आपने घोषित तो कर दिये परन्तु कृषि विश्वविद्यालय में जिस तरह की मनमानी चल रही है, वहां कानून का राज नहीं है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर कानून, नियमों का राज होना चाहिए यह राज नहीं होगा तब तक उस कृषि विश्वविद्यालय का जो ग्राम छात्र की और ग्राम जनता को लाभ मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिलेगा। रिसर्च का काम कृषि विश्वविद्यालय कितना कर पा रहा है मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सरकारी मशीनरी को कहना चाहूंगा, मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि यह सारे के सारे जागरूक होकर के उस ओर ध्यान दें कि वहां कर क्या रहे हैं? आज दुर्भाग्य के साथ में कहना पड़ता है कि वहां केवल बाहर हरियाणा यूनिवर्सिटी में जितना काम हो रहा है उसकी केवल नकल करके उन पेपर्स को हमारे यहां पर प्रस्तुत कर देते हैं इसलिए खुद अपने-आप में कुछ नहीं करते हैं। आज राजस्थान की क्लाइमेटिकल कन्डीशन जिस तरह की है, राजस्थान की इकोलोजिकल व्यवस्था जिस तरह की है उसके हिसाब से हमको हमारा काम करना होगा और इस लिए हमारी यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेन्टर जितने हैं उनको सशक्त करना होगा क्योंकि मेरे दिमाग में भी रिसर्च का काम यूनिवर्सिटी से लेकर विभाग के हाथ में ले लेना चाहिए परन्तु शायद विभाग यही कहेगा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं इसलिए हम ले नहीं सकेंगे क्योंकि रिसर्च के लिए जितने एक्स-पर्ट्स हैं उनको लेना पड़ता है नम्बर वन के राजस्थान में विशेषज्ञ बैठे हैं उनको लेना पड़ता है और नम्बर वन के विशेषज्ञों को एम्पलोई करने की व्यवस्था का पैसा विभाग के पास में नहीं होता है इसलिए विश्व-विद्यालय के हाथ में रखने की बात कह रहे हैं यदि इतना पैसा हो तो विभाग द्वारा यह सारा का सारा कार्य संचालन करना चाहिए और जितना आज विस्तार के काम की आवश्यकता है उस विस्तार के काम की आवश्यकता अब नहीं रही पहले ग्राम सेवक, सुपरवाईजर को, ए. ई. ओ. को, पंचायत समितियों के माध्यम से जाकर कहना पड़ता था कि अब खेत में खाद डालो जिससे रिजल्ट्स अच्छे निकलते हैं, जाकर कहना पड़ता था कि संकर बीज बोओ जिससे उपज बढ़ेगी आज उन सारी चीजों को कहने की आवश्यकता नहीं है। आज वह देखना चाहता है कि किस पर क्यों रिसर्च हुई और कौनसी नई वैरायटी आई है और उस वैरायटी ने क्या रिजल्ट्स दिये हैं उन रिजल्ट्स के आधार पर उस बीज को अपने खेत में वह बो देता है। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि रिसर्च का जो काम हो रहा है वह केवल कमरे में बैठ कर हो रहा है फील्ड में नहीं हो रहा है इसलिए उस रिसर्च के वर्क को, रिसर्च से प्रचारित हुये बीज को ले जाकर वह अपने खेत में बो तो देता है उसके रिजल्ट्स वह नहीं आते और इसलिए उसका रिसर्च से विश्वास हटता जा रहा है। विश्वविद्यालय से उसकी आस्था हटती जा रही है और जो आकर्षण पैदा होना चाहिए वह आकर्षण कम होता जा रहा है। आज कहने की जरूरत नहीं है

(108)

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

आज हमारे किसान में इतनी एडाप्टिविटी आ चुकी है कि वह नई चीज होगी उसको एडाप्ट कर लेगा और इसलिए कहने के बनिस्पत आपका रिसर्च वर्क बोलना चाहिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। आज किसान की यहां कई नई समस्यायें पैदा हो रही हैं। आज प्रदूषण से किसान की भूमि खराब हो रही है और यह समस्या एक दो नहीं 10-20 शहरों के अन्दर पैदा हो रही हैं और यह दिन दिन बढ़ती ही जायेगी इसलिए मैं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान के हितों की रक्षा करने के लिए पहले ही आपको ठोस कदम उठा लेने चाहिए ताकि उसकी जमीन खराब नहीं हो। उससे आगे मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के अन्दर लेन्ड रिटेन्शन के लिए आज कोई भी कारगर कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। बन्जर भूमि को कैसे उपजाऊ बनाया जायेगा, ऊसर भूमि को कैसे उपजाऊ बनाया जायेगा, लवणीय और क्षारीय भूमि को कैसे उपजाऊ बनाया जायेगा उसमें फसल पैदा कैसे की जायेगी क्षार को लवण को बढ़ते हुये को कैसे रोका जायेगा, बढ़ते हुये रेगिस्तान को कैसे रोका जायेगा यह भी आज कृषि के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण बातें हैं जितनी महत्वपूर्ण बातें दूसरी हैं। पिछली बार मैंने कहा था उनके लिए मैं साल भर बाद वापस याद दिलाता हूं मंत्री महोदय, एक रूई का घोटाला हुआ, 268 गाठें थी। मार्केट में 700 रुपये क्विटल के आस पास भाव था 360 रुपये में बेच दी गई शिवगंज के अन्दर। जो बीज उत्पादक था उस अकेले ने 16 लाख रुपये दिये, क्या एक बीज उत्पादक किसान 16 लाख का अपने खेत में जिस प्रदेश में सीलिंग लगी हुई हो क्या वह पैदा कर सकता है? इसका मतलब यह है कि उसने गुजरात की मंडियों से बीज खरीदा है और राजस्थान में लाकर बेच दिया। कुछ लोगों की जेबों में पैसे लग गये। राजस्थान सरकार को चूना लग गया और किसान का कलेजा काट दिया, यह उसने किया। आप उस पर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं मैं आपके भरोसे छोड़ता हूं सारा का सारा। आज राजस्थान के कृषि विकास के लिए सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है और मैं पहले एक बार कह चुका हूं कि खेत में पानी देने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए चाहे वह पानी नहर से दें चाहे एनीकट से, तालाब से, ट्यूबवैल से दें, पाताल तोड़ कुओं को बना कर दे, चाहे छोटे कुएं खोदकर दें, चाहे इलेक्ट्रिक मोटर लगा के दें, चाहे डीजल पम्प सेट लगा के दें और जैसे कि चित्तौड़ के अन्दर छोटे-छोटे बांध बना कर को-आपरेटिव के आधार पर उनको पानी पहुंचाया यह सारी व्यवस्थायें करने के लिए सरकार को जिम्मा अपने ऊपर लेना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि आज ट्यूब वेल खोदने के लिए 6-6 साल की लिस्टें पड़ी हैं लोगों ने पैसे जमा करा दिये, किसान के खेत में ट्यूब वेल लगाने की सरकार ने व्यवस्था नहीं करी पाइन्ट रिग्स आ गई, किस तरह से वह किसान को निराश कर रही है। यह भी आप सोचते हैं तो सरकार उसकी तरफ कतई नहीं सोचती कुआ खुद जाता है,....

श्री खंगारसिंह चौधरी : आज सरकार देती है उसी में काम होता है और दूसरे पैसे, तीन सौ रुपये पर मीटर पर यह लेते हैं....

श्री कल्याणसिंह कालवी : भोपालगढ़ से और मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं उस बात को मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने ट्यूब वैल, जो रिग्स है उसके माध्यम से किसान को लूटने का साधन बनाया है। आज वह किसान को लूटने का जरिया नहीं बने, आज किसान को राहत पहुंचाने के साधन होने चाहिए वह नफा कमाने की चीज नहीं है, किसान की सब्सिडी बन्द कर दी गई, रेट्स इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई कि किसान खुदवा नहीं सकता....आपसे तो कोई ट्यूबवैल खुदवायेगा नहीं और आपको करोड़ों रुपया राजस्थान का खर्च करना पड़ेगा। रिग्स पर खर्च करना पड़ेगा, तनख्वाह पर खर्च करना पड़ेगा, व्यवस्था पर करना पड़ेगा। ऑफिसेज पर और बिल्डिंग्स पर खर्च करना पड़ेगा इसका क्या औचित्य है। तो आज यह सारी की सारी बातें हैं जिनको आपको गम्भीरता से लेना होगा। आज उद्योग धन्धा स्थापित हो जाता है उसको 6 महीने के अन्दर-अन्दर बिजली दे दी जाती है। हम ट्यूब वैल खुदवा लेते हैं, किसान ट्यूबवैल खुदवा लेता है, कुआं खुदवा लेता है तो उसको 6 साल से सात साल तक लेकर बिजली नहीं दी जाती है। दस-दस बारह-बारह साल की पड़ी है। किसान ने कुआ खुदवा लिया, ट्यूबवैल खुदवा लिया, उसके पास में जितना पैसा था वह खर्च कर दिया, वहां के स्थानीय बैंक से कर्जा ले लिया, रिश्तेदारों से कर्जा ले लिया और एक ट्यूबवैल उसने डेढ़-दो लाख में खुदवा लिया। बिजली का कनैक्शन नहीं मिल रहा है, ट्यूबवैल बेकार पड़े हैं, वह कर्जदार हो गया है, लाभ कुछ मिल नहीं रहा है, राष्ट्रीय उत्पादन में जो किसान भागीदार होना चाहता था वह राष्ट्रीय उत्पादन में भागीदार नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति है हमारी।

मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह जीरो पर कब लाकर खड़ा कर देंगे? जो 6-6, 7-7 साल का बैंक लाग है इसको कब लाकर खड़ा करेंगे। आज इस बारे में भी बहुत ही गम्भीरता से सोचना होगा। इतना ही निवेदन करके, मैं चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, जो कृषि विभाग है जिस के माध्यम से हम प्रदेश की तकदीर बदलना चाहते हैं आज उस ओर हमको ठोस कदम उठाने होंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि किसान के खेत को पानी देने की समुचित व्यवस्था कर दी जाये, राजस्थान नहर को युद्धस्तर पर करवाया जाकर पूरा करवाया जाये जितना हमारे पास पानी उपलब्ध है उसका यदि 200 प्रतिशत यूटिलाइजेशन कर लिया जाये और उपलब्ध जमीन का 90 प्रतिशत यूटिलाइजेशन कर दिया जाये तो राजस्थान प्रदेश एकमात्र प्रदेश है, यह केवल अकेला प्रदेश है जो हिन्दुस्तान की खेती की समस्या का हल कर देगा। हिन्दुस्तान के 80 करोड़ लोगों को पेट भरने के लिए राजस्थान अकेला सक्षम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब राजस्थान के अन्दर इतनी पोटेन्शियलिटी है, इतनी उसमें गुंजाइश है इतना उसके पास स्कोप है उसको ध्यान में रखते हुये इस विभाग को सबसे महत्वपूर्ण विभाग मानते हुये इसमें जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसमें कैसे बदलाव लाया जायेगा। कोई जरूरत नहीं है इस ढर्रे पर इस विभाग को चलाने की। इस विभाग को पूर्ण रूप से टेक्निकल विभाग

(110)

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

बनाना पड़ेगा। साइन्टिफिक आधार पर इसको चलाना पड़ेगा और आज की नई टेक्नोलोजी है उसको नो हाऊ किसान के घर तक पहुंचाना पड़ेगा। मैं इतना ही निवेदन करके आपको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री जयकृष्ण तोसावड़ा।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या 37 के ऊपर सदन मे विचार हो रहा है। यह मांग संख्या 37 हमारे राजस्थान के किसान वर्ग और मजदूर वर्ग के लिए नहीं बल्कि समस्त हिन्दुस्तान के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारणवश गांवों के अन्दर करीब 80 प्रतिशत जनता खेती के ऊपर निर्भर है और खेती पर किसान तो निर्भर है ही लेकिन इसके साथ-साथ वहां का मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग और अन्य जितने भी वर्ग हैं अर्थात् समस्त ही जनता खेती पर निर्भर है। हमारा देश आजाद होने से पहले हमारे किसानों की किसी प्रकार की मान सम्मान और इज्जत नहीं थी। वह दूसरों के अधीन रहा करते थे, दूसरों की खेती में फसल बोकर के अपना जीवन यापन किया करते थे लेकिन हिन्दुस्तान आजाद होने के पश्चात हमारे तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले जिस चीज पर ध्यान दिया तो किसानों के ऊपर ध्यान दिया और किसानों के ऊपर ध्यान देकर के उन्होंने वास्तविकता यह देखी कि हमारा हिन्दुस्तान जो खेती पर निर्भर है किस प्रकार से उनको संरक्षण दिया जाये। किस प्रकार से उनको जमीन का मालिक बनाया जाये। इस संविधान में प्रक्रियाएं या अन्य कानून बनाकर के या हर स्टेट में कई प्रकार के एक्ट बनाकर के चाहे वह लैण्ड रेवेन्यू एक्ट हो, चाहे वह किसी प्रकार का कोई भी एक्ट हो, बनाकर के हमारे किसानों को किस प्रकार से सुविधाए दी गयी, माननीय सभापति महोदय, प्रत्येक व्यक्ति उससे अजनबी नहीं है।

इसके साथ-साथ किसानों ने प्रगति की और आज किसान अपनी उस माली हालत के अन्दर बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हमने किसानों को सभी प्रकार के संरक्षण दिया, सब प्रकार की सुविधाएं दी उनकी माली हालत को सुधारने के लिए, क्योंकि आज किसान कृषि के अधीन नहीं है आज किसान अपनी खेती पर निर्भर है और खेती के अन्दर अन्न पैदा करने के पश्चात अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी आज हमारे किसानों के सामने जो समस्या है मैं हमारी सरकार की आलोचना नहीं करता हूं, हमारी सरकार के बारे में कोई दूसरी बात नहीं कहता लेकिन उनके सामने जो समस्या है वह किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं उनके बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं। आज हमारा देश जो किसानों पर निर्भर है, किस प्रकार से हम किसानों को सभी प्रकार की सुविधाए देकर के उन्हें और ज्यादा उन्नत बना हैं और ज्यादा विकास की ओर ले जा सकते हैं।

इसके बारे में मैं कुछ सुझाव मेरी ओर से सरकार को देना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, आज हमारे किसानों के

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब वह अपने खेतों में बीज डालता है, खेती करता है, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है क्योंकि खेती पानी के बिना नहीं हो सकती है। चाहे वह गेहूं हो, जौ हो, ज्वार हो, बाजरा हो, किसी प्रकार की सब्जियां हो, यदि पानी का साधन नहीं है तो किसान अपने खेतों में बैठकर वापस आ जाता है। जिस प्रकार की उपज वह पैदा कर सकता है, माननीय सभापति महोदय, नहीं कर सकता है। इसलिए आज यदि हम विशेष रूप से किसानों को सभी प्रकार की सुविधा देना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस खेती की उन्नति करने के लिये उन्हें सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है। हमारे तत्कालीन प्रधान मन्त्री जवाहर लाल नेहरू ने बड़े बड़े बांध, हमारे देश के बनाकर टेक्नोलोजी हमारे सामने स्थापित करके कई प्रकार की सुविधाएं तो दीं लेकिन वह जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हैं। बहुत कम है क्योंकि कई स्थान ऐसे हैं, कई स्टेटस ऐसी हैं जहां पानी की कमी है। हमारे राजस्थान को देख लीजिए बड़े भारी बांध या कहीं से हम पानी लाये, राजस्थान नहर फिर हमारे किसानों के लिए आ रही है वह इतनी उपलब्ध अभी नहीं हो रही है, इतनी फायदेमंद नहीं हो रही है पूरे राजस्थान को सम्पूर्ण रूप से सिंचाई के साधन उपलब्ध करवा दिये जायें। इसलिए सबसे पहले किसानों को यदि हम उन्नत करना चाहते हैं और किसानों के साथ साथ मजदूर वर्ग को फायदा देना चाहते हैं, उसके साथ साथ राजस्थान सरकार या हिन्दुस्तान की सरकार के सामने जो रेवेन्यू उपलब्ध हुआ हमारे किसान वर्ग से, खेती से यदि उनको फायदा देना चाहते हैं तो सिंचाई के साधन सबसे पहले हमारे किसानों को उपलब्ध करवा देने चाहिए।

इसके साथ हम देखें कि किसान खेती पैदा करता है, अनाज पैदा करता है लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह बीज कहां से लाये और बीज के अन्दर भी कई प्रकार की गतिविधियां उल्टी सुल्टी होती जा रही हैं। आज हमारा जो बीज निगम है उसके अन्दर, माननीय सभापति महोदय, मैं तो गांवों का रहने वाला हूं, मैंने तो खुद ने खेती की है इसलिए अच्छी तरह जानता हूं और गांवों में जाता हूं, हर किसान से, हर व्यक्ति से, हर मजदूर से मेरा सम्पर्क है। इसलिए कई जगह ऐसी स्थिति आती है कि बीज निगम से बीज ले जाने के बाद वह उगता ही नहीं है। अब या तो हमें उसके प्रति सन्देह होता है कि वह बीज ही गलत हो, या कोई डुप्लीकेट बनने लग गया हो या ऐसा बीज जो कई वर्षों से पड़ा है और साधारण किसान को बहकाकर के वह बीज दे दे और वह उगे नहीं तो, माननीय सभापति महोदय, उसके सामने कितनी बड़ी भारी समस्या हो सकती है। इसलिए बीज सबसे पहले किस ढंग से उपलब्ध है, वह पूर्ण रूप से उसे सुविधा देनी चाहिए।

इसके साथ ही साथ बीज हम पंचायतों के द्वारा और किसी के द्वारा या सोसायटियों के द्वारा हम दिलवाते हैं वहां पर किसानों के सामने बड़ी भारी समस्या है। माननीय सभापति महोदय, बीज कौन ले जाता है, नाम किसका लिख लिया जाता है, झूठे उसके हस्ताक्षर करवा लिये जाते हैं झूठी उसकी निशानी कर ली जाती है....

(112)

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

(4.20 म.प.)

(श्री रामचन्द्र जाट, सभापति, पदासीन)

बीज कौन ले जाता है और नाम किसका लिख लिया जाता है, उसके झूंठे हस्ताक्षर करवा लिये जाते है, उसकी निशानी करा ली जाती है और उनका पैसा किसी दूसरे व्यक्ति में लिख दिया जाता है। जब समय आता है तो किसान के सामने जाकर उगाही करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आपने इतना बीज लिया था, इतना खाद लिया था और इतना पैसा चुकाइये जबकि किसान ने उससे बीज खरीदा ही नहीं, न खाद खरीदी लेकिन फिर भी झूंठा नाम लिख दिया जाता है। यह किसान के सामने बड़ी भारी समस्या हो गयी है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी पूर्ण रूप से जांच करके कि वास्तव में इस प्रकार की धुप्पलबाजी कहां चल रही है, हमारे साधारण किसानों को कहां नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस सारी स्थिति को सही रूप से आंकें तो उसके सामने दिक्कत नहीं होगी और उसको आसानी से बीज उपलब्ध होगा जीवित बीज, निर्जीव बीज नहीं।

इसके साथ ही आज राजस्थान के अन्दर ऐसी जमीन पड़ी हुई है चरागाह को छोड़कर, चरागाह का तो मैं पक्षपाती हूं, जो किसी काम की नहीं है। यदि किसी वैज्ञानिक ढंग से उस जमीन को मैदानी भाग में बदल दिया जाय और जो भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास बहुत कम भूमि है, जो व्यक्ति खेती करने के इच्छुक हैं उन व्यक्तियों को ऐसी ऊबड़खाबड़ जमीन को केन्द्र सरकार की मदद लेकर मैदानी भाग में बदलकर अलाट कर दिया जाय तो हमारे यहां बहुत फायदा मिल सकता है। जयपुर के आसपास आप देख लीजिए, जैसलमेर या बाड़मेर की ओर चले जायं वहां बड़े-बड़े भयंकर टीले हैं, लेकिन जहां छोटे टीले हैं उन नालों को भरकर मैदानी भाग बनाया जा सकता है। खेती और खेती के आधार के ऊपर किसान, किसान की मेहनत के आधार के ऊपर मजदूर और मजदूर की मेहनत के आधार के ऊपर सम्पूर्ण प्रदेश और देश को यदि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह छोटी छोटी चीजें जो हम नजरअंदाज करके चल रहे हैं, उनकी ओर देख नहीं पाते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इतनी महत्वपूर्ण उपलब्ध हो सकती हैं, जिनका हम अन्दाजा भी नहीं लगा सकते। यदि इस प्रकार की मदद की जाय तो वास्तव में हम किसानों को ही नहीं हमारे देश और प्रदेश को लाभ की ओर ले जा सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी खेती के ऊपर कई प्रकार के पाउडर छिड़के जाते हैं। हम कभी कभी सुनते भी हैं, या कहीं सन्देह की स्थिति हो, कि जो पाउडर छिड़का जाता है वह भी डुप्लीकेट बनने लग गया, उसका कोई असर नहीं होता, कीड़े ज्यों की त्यों फसल के ऊपर हैं, वैसे की वैसे फसल और पत्ते खाते हैं। फिर उससे फायदा क्या है ? पाउडर के बारे में, खाद के बारे में मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि सबसे बढ़िया खाद पशुधन से पैदा होता है आज इस खाद के लिए बड़ी-बड़ी फैक्ट्री लग गयी हैं, अच्छे कारखाने लग गये हैं जिनमें कई प्रकार की खाद तैयार की जा रही है लेकिन किसान की

(113)

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

खेती के अन्दर सबसे फायदेमन्द खाद यदि कोई है तो वह पशुधन से पैदा होने वाली खाद है। इसलिए खेती को संरक्षण देने के साथ यदि पशुधन को संरक्षण दिया जाय, सही ढंग से उनका पालन किया जाय, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की ओर से एक ऐसी व्यवस्था बनायी जाय जिससे पशुओं का तैयार हुआ खाद किसानों को सस्ती दर बांटा जाय, तो वह खाद आपकी फैक्ट्रीज के अन्दर बनने वाली खाद से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, बैक्टीरिया और कीड़ों का नाश करने वाली है। इससे दो फायदे हो सकते हैं, एक तो पशुधन और किसान की रक्षा हो जायेगी और हमारे देश व प्रदेश, जनता, सरकार सबको इससे फायदा मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की खाद की यदि व्यवस्था की जाय तो हमारे किसानों को बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन इस बात का कर देना चाहता हूं, उदाहरण देकर समझा देना चाहता हूं। अभी कालवी साहब बता रहे थे कि हमारे जो निदेशक हैं, कर्मचारी हैं वह सही ट्रेण्ड नहीं हैं, वहां यदि आई. ए. एस. आफिसर बैठा दिया तो खेती के बारे में कुछ नहीं समझेगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण देकर, सभापति महोदय, मैं सदन को निवेदन कर देना चाहता हूं कि गत वर्ष हमारे यहां अभी जब गत वर्ष सरसों बोयी गयी थी तो दूदू विधान सभा क्षेत्र के अन्दर महलां गांव से आगे गाडोता गांव में विपणन बोर्ड वालों और सबने मिलकर एक सम्मेलन किया। सारे किसानों को आमंत्रित किया, हमको भी बुलाया गया और वर्तमान मन्त्री महोदय रामकिशनजी वर्मा भी वहां हमारे साथ थे। सभापति महोदय, आप ताज्जुब करोगे, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि एक पी.एच.डी. डाक्टर थे जो इंग्लैण्ड और अमरीका से लौटकर आये हैं, ऐसे अधिकारी का मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, जानता जरूर हूं अच्छी तरह से। वहां बातें होने लगीं। उस समय बहुत सारी चिड़ियाएं पैदा हो गयीं, हमारे गाव में तो उस चिड़िया का नाम राहल कहते हैं कि राहल बहुत सारी हो गयी। वह क्या करती थीं कि जैसे ही सरसों का पौधा छोटा-सा बाहर निकले उसको चोंच में पकड़ कर फेंक देती थीं। कई किसानों के खेत खाली हो गये। कई किसान उस चिड़िया के खाये हुए पौधों को लेकर सम्मेलन में आ गये। एक उदाहरण पेश करता हूं आपको कि क्या स्थिति है, ऐसे कर्मचारी किसानों का क्या भला कर सकते हैं। हमने उन डाक्टर साहब से पूछा, मैंने खुद ही पूछा, कि डाक्टर साहब, यह बताओ कि इस पौधे को क्यों खाती है वह चिड़िया। तो कहने लगे वह, बड़ी शर्मनाक बात है, कहनी पड़ती है कि जिनको खेती के आधार पर पढ़ाई में पी.एच.डी. मिली वह डाक्टर कहते हैं कि इस सरसों के पौधे के अन्दर जो कीड़े पैदा हो गये उनको वह चिड़िया खा रही है। तो वहां जितने भी किसान बैठे थे, हंसने लगे। कहने लगे कि इस डाक्टर को कहां से लाये हो, एम. एल. ए. साहब, कहां से लाये हो, मन्त्री महोदय, इससे ज्यादा तो हम जानते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप बताओ तो मैंने कहा कि यह सरसों का पौधा मीठा होता है। यह ज्योंही जमीन से बाहर निकलता है उसके डण्ठल के अन्दर

(114)

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

चूंकि बड़ा मीठा पानी है, उस मीठी घुण्डी को, डण्ठल को चिड़िया पकड़कर उस पानी को चूसने की कोशिश करती है, चोंच का झटका लगता है और पौधा उखड़कर बाहर आ जाता है। इसलिए यह इन पौधों का नाश करती है, कीड़े तो पैदा ही नहीं हुए सरसों की जड़ में। फिर मैंने उन डाक्टर साहब से यह निवेदन किया....

श्री हरिमोहन शर्मा : डाक्टरेट तो इन को दी जानी चाहिए थी, वह गलत ले गये।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : हमारा तो प्रत्येक किसान डाक्टर है, प्रत्येक मजदूर डाक्टर है, डिग्री की जरूरत ही नहीं है। मैंने उन डाक्टर साहब से पूछा कि आप यह तो बताइये कि यदि चिड़िया उन कीड़ों को खाती है तो फिर पाउडर के छिड़काव की क्या आवश्यकता है, उन कीड़ों को मारने की क्या आवश्यकता है, चिड़ियों को उड़ाने के लिए किसान सुबह छः बजे से लेकर शाम को सात बजे तक ढोलकी, पीपे, ड्रम, थालियां लेकर लकड़ी से पीट-पीट कर बजा बजा कर खेत की मेढ़ पर और चारों तरफ घूमते हुए मेहनत करता है उसकी क्या आवश्यकता है। डाक्टर साहब के पास कोई उत्तर नहीं था। सारे किसान जो बैठे थे, हंसने लगे कि ऐसे डाक्टर हैं। मन्त्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैंने यह एक उदाहरण दिया है कि एक पी.एच.डी. डाक्टर इस प्रकार की गलत सूचना हमारे किसानों को दे तो आप के जो साधारण कर्मचारी हैं, जिन्हें ग्राम सेवक बनाकर भेजते हैं, जिन्हें कृषि प्रसार अधिकारी बना कर भेजते हैं, इन्सपेक्टर बना कर भेजते हैं, सीड के इन्सपेक्टर, पाउडर के इन्सपेक्टर, उनकी क्या हालत होगी। मेहरबानी करके ऐसे व्यक्तियों को ऐसी जगह दी जानी चाहिए जो किसान की सारी गतिविधियों को समझता हो, बीज, अनाज, खेती, फल, सब्जी और पेड़-पौधों की सारी गतिविधियों को अच्छी तरह समझता हो। ऐसे व्यक्तियों को ऐसी जगह भेजा जाना चाहिए। केवल निदेशक को ही नहीं हर व्यक्ति को जो किसान को सही सलाह दे सके, वहां पर बैठाया जाना चाहिए।

इसके साथ एक और निवेदन मेरा आप से है कि हमने विपणन बोर्ड बनाया। विपणन बोर्ड इसलिए बनाया गया था कि हमारे राजस्थान के अन्दर किसानों का भला होगा इस विपणन बोर्ड से। इस विपणन बोर्ड में एक चेयरमैन, कुछ मैम्बर जिनमें किसान भी मैम्बर हैं और भी हैं, रखा गया है। उस के पास आज करोड़ों का फण्ड है, विपणन बोर्ड ने आज तक किसानों का कोई भला किया हो तो मुझे बता दें, कोई उदाहरण आप बता दें कि इस ढंग से इस बोर्ड ने हमारे किसान वर्ग को, हमारे मजदूर वर्ग को, हमारे साधारण वर्ग को, जनता को यह फायदा पहुंचाया है। वह केवल मीटिंग कर लेते हैं, भत्ता ले लेते हैं, गाड़ियां और साधन हैं, घूम लेते हैं। आज तक किसी किसान को विपणन बोर्ड से फायदा नहीं हुआ है।

विपणन बोर्ड के पास यह भी है कि वह सड़क बनायेगा, कृषि उपज मण्डी उनके अण्डर में हैं कृषि उपज मण्डियों को विपणन बोर्ड पैसे देता है, कृषि उपज मंडी सड़क बनायेगी। आज तक तो केवल मात्र शहरों में ही सड़कें बनी हैं, माननीय सभापति

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

महोदय, मुझे तो मालूम नहीं है कि पी. डब्ल्यू. डी. बनाता है या विपणन बोर्ड। कृषि उपज मंडियों का निर्माण इसीलिये किया गया था कि गांव का जो साधारण किसान है जो मंडियों के अन्दर अनाज लाता है और अपने खेतों से फसल काट कर मंडियों में लाता है उसके लिये रास्ता सही हो, वह बैलगाड़ी के द्वारा या ट्रेक्टर के द्वारा वह यदि अपनी फसल को काटकर मंडियों में लाता है तो सड़क के माध्यम से आवे क्योंकि गांवों में कच्चे रास्ते हैं। पता नहीं विपणन बोर्ड का कहां पर पैसा है; कहां पर उसका फण्ड्स है, हमें तो फायदा नहीं मिल रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, थोड़ा समाप्त कर लेने दो। दो-तीन मिनट बोल लेने दो....

श्री सभापति : कृपया जल्दी बोलें संक्षेप में। कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : हां, जल्दी ही। तो मेरा यह निवेदन है कि विपणन बोर्ड की निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण रूप से और सही ढंग से जब तक क्रियान्वित नहीं कर पायेंगे तब तक, माननीय सभापति महोदय, बोर्ड बनाने से, कृषि उपज मंडी बनाने से कोई फायदा नहीं है।

इसके साथ-साथ आप देखिये किसान अपने खेतों से फसल काटता है; अनाज निकालता है और कृषि उपज मण्डियों में वह आता है और कृषि उपज मण्डियों के अन्दर आने से बीच-बीच में कई इन्स्पेक्टर्स उनको परेशान करते हैं और वहां आने के बाद में यह तय नहीं है कि वह वहां पर अपनी उपज को किस ढंग से बेचे, उसको सब प्रकार की जानकारी नहीं है। इसके साथ-साथ यह सारी जानकारी होनी चाहिये। जहां-जहां भी कृषि उपज मण्डियां बनी हैं, किसान कहीं रात को आता है, कहीं दिन को आता है, बरसात भी होती है, सर्दी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है। तो मेरा निवेदन यह है कि हमारी मन्त्री महोदया, बहुत सीनियर हैं, हर चीज को जानती हैं, राजस्थान का हर डिपार्टमेंट उनके पास रहा है और वह खुद भी किसान परिवार में पल कर आयी हैं, इसलिये उनसे मेरा विशेष निवेदन और आग्रह है कि आपसे ऐसी कोई चीज छिपी हुई नहीं है, किसान आज जहां अपनी उपज लेकर कृषि उपज मण्डियों में आते हैं वहां उनके लिये रहने के लिये कोई स्थान ही नहीं है, इसलिये वहां पर उनके लिये गेस्ट हाउस तो बना दें। यदि आप और हम कहीं जाते हैं तो हमारे लिये सर्किट हाउस तैयार हैं, कहीं डाक बंगले तैयार हैं और यदि वहां पर स्थान उपलब्ध नहीं है तो अच्छी अच्छी होटल्स तैयार हैं। तो आज हिन्दुस्तान की रीढ की हड्डी, जो किसान है हिन्दुस्तान को पालता और पोसता है, जो किसान हिन्दुस्तान के लिये बीमारी से लेकर पेट पालने और पहिनने के कपड़े तक का साधन उपलब्ध करवाता है उस किसान के लिये यदि कृषि उपज मण्डियों में अपने खून पसीने से पैदा की हुई उपज को/ फसल को लेकर आता है उसके लिये वहां रहने के लिये कोई साधन नहीं, पीने के लिये पानी नहीं, बैठने के लिये कोई छाया नहीं है तो मेरा निवेदन

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

है कि इस बजट में जहां-जहां भी कृषि उपज मण्डियां हैं उनके अन्दर तुरन्त ही इस प्रकार के गेस्ट हाउसेज बना दिये जाने चाहिये ।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मेरा निवेदन यह भी है कि आज आप ताज्जुब करेंगे-चने का बीज 15 रुपये किलो....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त करें ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : सभापति महोदय, दो एक मिनट और....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, शादियों में जाना है ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : हां, तो कोई बात नहीं है ।

श्री सभापति : जयकृष्णजी, दो मिनट में आप अपनी बात समाप्त कर दें ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : मैं दो मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं । केवल तथ्य की ही बात कहनी है ।

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करिये ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : चने का बीज 14 रुपये किलो, 15 रुपये किलो और आप देखिये सरसों कितनी महंगी थी और अब 500 रुपये क्विटल और उसको हमने खरीदा 14 रुपये किलो और एक क्विटल 500 रुपये में बेचें तो किसान को क्या मिलेगा ? बड़ी भारी समस्या है, माननीय सभापति महोदय, सारी चीजें महंगी हैं उनको आप इस ढंग से सामने लाकर देखिये । ग्वार जब बोयी थी 13 रुपये किलो का उसका भाव था और आज 2 रुपये 60 पैसे, अब बताइये किसान को क्या देते हैं आप ? बीज तो ग्वार का 13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये किलो और वह भी सही नहीं है । मैंने पहले भी निवेदन किया था पता नहीं डुप्लीकेट बनाने लग गये क्या, खेत में बो दिया, आधा उगता नहीं और आधा उगता ही नहीं है । किसान अपने घर में रखे कहां से बरसात ही नहीं होती है, नहीं तो अपने खेत से पैदा हुई उपज में से ही बीज रख लेते और बीज निगम पर वह आधारित रहे तो भारी दिक्कत होती है । अब उसका भाव है 2 रुपये 60 पैसे कितना डिफरेन्स है, उसे कितना देते हैं आप ? इसलिये किसान से हम वोट मांगने जाते हैं, माननीय सभापति महोदय, वह किसान हमारी सरकार बनाता है, वह किसान आप और हम जिन कुर्सियों पर बैठे हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उन कुर्सियों पर बैठाता है और उस व्यक्ति के लिये खाने का कोई साधन नहीं, पहिनने का साधन नहीं, पीने के पानी का साधन नहीं, अपने खून-पसीने से जो फसल पैदा करता है उसकी फसल का उचित भाव नहीं, उसको यह भी फायदा नहीं है । आज आप देखिये डीजल का क्या भाव है, और कहीं बिजली की मोटर का कनेक्शन लेना हो तो उसमें कितनी भयंकर समस्या आती है कनेक्शन लेने वालों के सामने ।

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

इस सम्बन्ध में, माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मन्त्री साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने गये साल सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल्स जितने भी थे उनको एक साथ क्रमोन्नत करके उन्हें 10+2 में कर दिया और सारा झगड़ा दूर हो गया, आज हमारे विद्यार्थी आराम से पढ़ते हैं। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय राजस्थान के अन्दर जितने भी किसानों ने अपने कुओं पर कनेक्शन्स की डिमाण्ड कर रखी है, चाहे हमें दूसरे मद में पैसा कम करना पड़े, माननीय सभापति महोदय, सारे किसानों को कनेक्शन्स तुरन्त दे देना चाहिये। इससे किसानों को बड़ा फायदा हो सकता है....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। माननीय तोसावड़ा जी, समाप्त करें।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : दो पाइन्ट और हैं। सभापति महोदय, केवल दो पाइन्ट और हैं।

श्री सभापति : माननीय तोसावड़ाजी, आपने दो मिनट मांगे थे वह दो मिनट समाप्त हो गये हैं। आप 20 मिनट बोल चुके हैं। कृपया समाप्त करें। कृपया विराजें।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : केवल दो पाइन्ट और बोल लेने दें आप।

श्री सभापति : आप जल्दी नाम ले लें उन पाइन्ट्स का खाली।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार से आज जब किसानों की बड़ी भारी दिक्कतें हैं उनको हम आसानी से दूर कर सकते हैं....

श्री सभापति : अब आप यह भूमिका नहीं बांधें....

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : अब एक पाइन्ट और है। किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या जो मैंने पहले भी निवेदन किया कई किसानों के कुएं....

श्री सभापति : कह चुके हैं आप, अब समाप्त करें आप। कृपया विराजें। आप समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : एक ही पाइन्ट है। आप कहने ही नहीं देते हैं।

श्री सभापति : आप तो दुबारा रिपीट कर रहे हैं। जल्दी समाप्त करें।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : कर रहा हूं।

कई किसानों के जो सिवाय चक में कुएं हैं, मैंने पहले भी इस संबंध में निवेदन किया था कि उन कुओं की अभी तक खातेदारी किसानों को नहीं दी है, इसलिये उन किसानों को, जिनके सिवाय चक में कुएं हैं, उनके खेत में हैं और उन्हीं की खातेदारी की जमीन में हैं उनको भी खातेदारी देने के आदेश करवा दें तो जो आज पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार उनको लूट रहे हैं वह उनको नहीं लूटें। यह आपसे मेरा निवेदन है। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय पाटन) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37 कृषि पर आज सदन में विचार

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

किया जा रहा है उस पर मैं अपने विचार भी व्यक्त करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, भारतवर्ष में जहां कृषि पर आधारित जनसंख्या का बाहुल्य है और विशेषकर राजस्थान की जो आबादी है वह 90 प्रतिशत कृषि से और कृषि श्रमिकों और कृषि मजदूरों से सम्बन्ध रखती है, और इस कृषि विभाग को संचालित करने वाली टीम है वह सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कर्मचारी किस तरह से इस विभाग को संचालित कर हैं, इसके बारे में अपने विचार रखे हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह विभागीय प्रतिवेदन दिया गया है इसी सरकार के माध्यम से रिपोर्ट दी है, आपके सामने नजर करता हूं। यहां पर प्रथम श्रेणी के निदेशक के अलावा अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक के 100 पद हैं, द्वितीय श्रेणी के सहायक निदेशक, जिला स्तर और जिला स्तर कृषि विशेषज्ञ के 496 पद हैं, इसी तरह से, प्रथम व द्वितीय श्रेणी के उच्चाधिकारियों की यह टीम है वह 597 की है। इसके अलावा जो सहायक कृषि अधिकारी जैसे लोग हैं वह सम्पूर्ण राजस्थान में 881 हैं। इस तरह से जो अधिकारी जिनका सम्बन्ध खेतों से नहीं है, केवल आफिस और योजनायें बनाने से है, यहां पर खेतों में जो कर्मचारी काम करते हैं, जो किसानों से सीधा सम्पर्क रखते हैं, जिनकी वाच करने की ड्यूटी है, वह कर्मचारी हैं 2018, माननीय सभापति महोदय, इनमें वह लोग शामिल नहीं हैं जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स में प्रतिनियुक्ति पर दिये गये हैं। वह अलग हैं, वह को-आपरेटिव में, सामाजिक वानिकी में और विभिन्न क्षेत्र में हैं। वह संख्या और अधिक हो जाती है।

माननीय सभापति महोदय, जो कर्मचारी कृषि विस्तार कार्यकर्ता या कृषि प्रसार, कृषि विशेषज्ञ के नाम से जाने जाते हैं, जो किसानों से सम्पर्क रखते हैं, किसानों के खेतों में जाते हैं उन पर यह सरकारी लोग वाच करते हैं.... उनकी संख्या राजस्थान में पांच हजार और छः हजार के बीच में है। माननीय सभापति महोदय, एक कर्मचारी के पीछे एक अधिकारी लगा हुआ है, तो आप किस तरह से आशायें करते हैं ? यह एग्रीकल्चर के जितने भी अधिकारी हैं वे किसान को सही टेक्निक बता करके देश का विकास करें, प्रदेश का विकास करें। माननीय सभापति महोदय, यह जो अधिकारी हैं इनकी करीब-करीब समान योग्यतायें हैं। यह सब कृषि स्नातक हैं। इनमें से एम एस.सी.ए जी अधिकारी इने-गिने लोग ही होंगे तो किस तरह से इन एग्रीकल्चर के अधिकारियों ने अपने प्रमोशन के चांसेज कर रखे हैं, वह मैं आपके सामने पेश करूंगा। इनमें से जो कृषि स्नातक स्तर की योग्यता रखने वाले हैं वह सहायक कृषि अधिकारी, उसके बाद में विशेष-विशेषज्ञ, उसके बाद में जिला कृषि अधिकारी, उसके बाद में चौथी है सहायक निदेशक, पांचवी है उप-निदेशक, छठी संयुक्त निदेशक, सातवीं है अतिरिक्त निदेशक। तो सात सीढ़ियां प्रमोशन के लिए अपना पैसा बटोरने के लिए और अपनी सुख-सुविधाओं और व्यवस्थाओं के लिए बना रखी हैं। और नीचे के कार्यकर्ता उम्र भर वहीं,

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

जीवन भर नौकरी करके किसानों के और अपने परिवार में उम्रभर उलझे हुए, कोई प्रमोशन के चांस नहीं। दुर्भाग्य का विषय है कि तीन-तीन, चार-चार ग्राम पंचायत दी गयी हैं।

पंचायत समिति का क्षेत्र 15-15, 20-20 किलोमीटर होता है, जिनको इस क्षेत्र में भत्ता नहीं देने के नाम से इनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है। यह कितनी बड़ी विषमतायें हैं। तो माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि यह जो विषमतायें हैं, यह अधिकारियों की जो फौज खड़ी कर रखी है और अधिकारियों की ड्यूटी क्या है। फसल विशेषज्ञ, पौध विशेषज्ञ, तिलहन विशेषज्ञ, दलहन विशेषज्ञ, सोयाबीन विशेषज्ञ, न जाने कितने वनस्पतियों के नाम से विशेषज्ञ बना रखे हैं। और केवल सीट पर बैठने, टेलीफोन का दुरुपयोग करने, मनचाहा फर्नीचर खरीदने के नाम से सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं। इनका सीधा किसानों से सम्पर्क नहीं होने से सरकारी राशि के दुरुपयोग के अलावा और कोई काम हो तो माननीय आप यह बतायें।

इसके बाद में किस तरह की ये योजनायें बनाते हैं? किस तरह के प्रोजेक्ट राजस्थान में कृषि पर आधारित चल रहे हैं? मेरी मान्यता है कि राजस्थान में सब तरह की मिट्टियां हैं। राजस्थान में कहीं कम बरसात होती है, जैसे पश्चिमी राजस्थान की स्थिति है। क्या सरकार ने इस तरह की योजनायें बनायीं कि जहां कम पानी की फसलें पैदा की जा सकती हैं, जहां कोटा जैसे चम्बल कमाण्ड एरिया में किस तरह से चावल का प्रोजेक्ट लिया जा रहा है। तो मेरी मान्यता है कि राजस्थान की मिट्टियों की बनावट के आधार पर, राजस्थान की जलवायु के आधार पर, और राजस्थान की जिस तरह की स्थिति है उसके आधार पर कृषि पर आधारित परियोजनायें बनायी जायं। आज चावल की फसलें समाप्त करने का षडयन्त्र कृषि विभाग और सिंचाई विभाग के माध्यम से चम्बल कमाण्ड एरिया कोटा में किया जा रहा है। राजस्थान में चम्बल कमाण्ड एरिया का चावल आज सम्पूर्ण राजस्थान में विख्यात है। वहां का बासमती चावल सम्पूर्ण देश में विख्यात है और पैदावार की दृष्टि से वहां चावल की जो प्रति हैक्टेयर पैदावार होती है वह सम्पूर्ण देश में सबसे ज्यादा है। तो क्या वहां की विशेष योजनायें हैं? कृषि विभाग इनको बाध्य नहीं करे कि हम महत्वपूर्ण योजनाओं में पानी देंगे। पानी का षडयन्त्र करके जो राजस्थान में सबसे ज्यादा पैदावार देने वाला क्षेत्र है उसके साथ कितना बड़ा कुठाराघात किया जा रहा है। आज पाली जिले की जैतारण, राजपुर की सोजत, जोधपुर की बिलाड़ा, वहां बहुत अच्छा कपास पैदा होता है। मेरी मान्यता है कि इन क्षेत्रों में कपास की परियोजनायें बनायी जायं। वहां पर कपास के विशेषज्ञों की ड्यूटी लगायी जाय, किसानों को विशेष बीज दिये जायं, किसानों को विशेष पौध संरक्षण के यंत्र दिये जायं और उसके माध्यम से वहां के कपास की अच्छी पैदावार की जा सकती है और उस पर कच्चे माल पर आधारित कारखाने बनाये जा सकते हैं।

पश्चिमी राजस्थान में बेरोजगारी की

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

समस्या है। वहां पर मजदूरों को रोजगार मिलेगा, वहां के किसानों को रोजगार मिलेगा और वहां जो अच्छी कपास पैदा हो रही है उससे ऐसा लग रहा है कि इस परियोजना से अच्छा लाभ लिया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से झालावाड़, जो राजस्थान का सन्तरे के उत्पादन के कारण राजस्थान का नागपुर कहलाता है। यहां जयपुर में दो-ढाई रुपये किलो सन्तरा मिल सकता है, कोटा में डेढ़ रुपये किलो सन्तरा मिल सकता है, तो आप कल्पना करें वहां के किसान को अपने खेत में कितना पैसा मिलता होगा। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे वहां किसान को 50 पैसे प्रति किलो पैसा मिलता है इस सन्तरे की उपज का। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से दूसरे लोग बाग कमाकर खाते हैं। मेरी मान्यता है, मन्त्री महोदय, अगर इसी तरह से किसान का शोषण होता रहा तो किसान लुटेगा, किसान की माली हालत खराब होती जा रही है। इसके लिए आप ध्यान दें। झालावाड़ जैसे क्षेत्र में ज्यूस के कारखाने खोले जायं। वहां अफीम की पैदावार होती है वहां से तस्करी होती है। क्यों नहीं वहां दवाओं के कारखाने सरकार खोले जिससे वहां का माल वहां सप्लाई हो जावे और किसानों को रोजगार मिले। किसानों की कीमत का अच्छा पैसा मिले, मजदूरों को रोजगार मिले। तकनीकी लोग जो उद्योगों में काम करें उनको रोजगार मिले। अभी पिछली बार बाड़मेर के बाजरे के बीज की बात आयी थी कि बाजरे में सिट्टा ही नहीं निकला। जब कृषि मन्त्री महोदय ने यह जवाब दिया, माननीय गोबिन्दसिंहजी गुर्जर कृषि मन्त्री की हैसियत से जब जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने बताया कि आन्ध्र प्रदेश से बीज लाया गया। अब कल्पना करें कहां आन्ध्र प्रदेश की कैसी जलवायु, वहां की कैसी मिट्टी है। क्या वह मिट्टी और जलवायु बाड़मेर में होगी और हम से कह रहे हैं बाड़मेर में कि वह सिट्टा नहीं निकला। स्वाभाविक है। आन्ध्र से बीज-लाकर बाड़मेर में आप बोओगे तो कहां से सिट्टा आयेगा ? तो जलवायु को देखकर के इस तरह के प्रोजेक्ट बनाये जायं तो किसानों को वहां फायदा होगा। अधिकारियों की जो टीम योग्यतायें रखती हैं वैसे अधिकारी वहां लगाये जायं। चम्बल कमाण्ड में कोई आदमी बैठा है, वह खेती के बारे में जानता नहीं, उसको वहां एक पोस्ट दे रखी है, उसको बैठा रखा है। तो इस तरह से परियोजनायें न बनाकर के अगर आप सही योजनायें बनाकर के देंगे तो उससे प्रदेश को फायदा होगा। अधिकारियों की योग्यता का भी फायदा होगा और वहां के क्षेत्रों को भी फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में कृषि विभाग के तहत, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है, जो फालतू जमीनें पड़ी हैं राजस्थान में 18.94 लाख हैक्टेयर जमीनें भिन्न-भिन्न तरह की पड़ी हुई हैं। 7.29 लाख हैक्टेयर जमीनें लवणीय और क्षारीय जमीनें हैं, 3.48 सीपेज से प्रभावित जमीनें हैं, 2.66 बंजड़ और ऊसर जमीनें हैं, 4.52 रेवाइन्स जमीनें हैं इस तरह राजस्थान में 18 लाख हैक्टेयर जमीनें इस तरह की पड़ी हैं। सरकार का ध्यान कभी इस ओर गया नहीं। सरकार ने इसके सुधार के लिए योजना बनायी 1985-86

(श्री मांगीलाल मेघवाल) :

में। 1985-86 के पहले कभी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया। 1985-86 में योजना बनायी। 1985-86 से कोई प्रगति नहीं हुई और सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985-90 के बीच की थी उसमें इसके लिए केवल मात्र 8 हजार हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया। अब कहां 18 लाख हैक्टेयर जमीनें और उसके मुकाबले में केवल मात्र 8 हजार। 1987-88 में मात्र 874.54 हैक्टेयर। 1988-89 में केवल मात्र 4 सौ हैक्टेयर और अब जाकर के कहीं इसमें 12 लाख रुपये खर्च करने की योजना बनी है। तो, माननीय सभापति महोदय बड़े आश्चर्य का विषय है कि 18 लाख हैक्टेयर जमीन राजस्थान में फालतू पड़ी है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अण्डर में जो एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन है उसकी हाई पावर्ड मशीनें हैं। जो लेवलिंग वगैरह की हैं वे आउट ऑफ राजस्थान किराये पर ली जा रही हैं। बड़े खेद की बात है कि घर का पूत क्वांरा डोले पाड़ोसी का फेरा पड़े। यह क्या बात हुई? इन मशीनों को यहां लगाया जाय। रेवाइन्स का लेविल करिए जो आपकी ऊसर जमीनें हैं। सेलेनिटी जहां पैदा हो रही है, जिप्सम फ्री में दीजिए।

सौभाग्य से मैं पाली जिले का रहने वाला हूं। वहां जीवन धारा के तहत या तो कुओं से पानी निकलता ही नहीं और कहीं पानी है भी वह मोटा पानी है, भारी पानी है इससे जमीनें खराब हो रही हैं। हमने कहा, भाई, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को तो फ्री में जिप्सम दे दो नहीं पैसा लगेगा। ट्रान्सपोर्ट चार्जेज मिलेगा। वर्ना वह 15-15, 20-20 रुपये क्विटल अब कैसे शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी दे। पहले तो जमीनें खराब हो गयीं और उसके बाद उससे पैसा लिया जा रहा है। तो जिप्सम फ्री में दिलायी जाय। लेवलिंग के नाम से मशीनों को दिया जाय।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में और देश में जो बेरोजगारी की समस्या है वह घर से लेकर, हर रास्ते हर गली और मोहल्ले की समस्या है। मैं किसी शिक्षित बेरोजगार की बात नहीं करता, मैं डिग्री होल्डर की बात नहीं करता। मैं उन लोगों की बात करूंगा जो गांवों में रहते हैं, मजदूर हैं जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है। अगर राजस्थान सरकार इस 18 लाख हैक्टेयर जमीन का सरकारी पैसे से सुधार करके आधा पैसा दे दे, आधा पैसा वह अपने लेविल पर करेगा। एक व्यक्ति को अगर एक हैक्टेयर भी जमीन दी गयी तो राजस्थान में....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रघुनाथ परिहार (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय, सदन की सहमति से, आज की कार्य सूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है।

(स्वीकृत)

सदन की राय के अनुसार आज ... समय जब तक कि आज की कार्य...

(122)

(श्री सभापति)

समाप्त नहीं हो जाती, तब तक बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 37 पर विचार

श्री मांगीलाल मेघवाल : तो, सभापति महोदय मैं निवेदन कर रहा था अगर इस बेरोजगारी की ग्रामीण समस्या का समाधान करना है तो अगर एक भूमिहीन मजदूर को, गरीब के, किसान के बेटे को एक हैक्टेयर जमीन भी अगर आप आवंटित करेंगे तो राजस्थान में 18 लाख लोगों को जमीनें मिलती हैं। आज आप 18 लाख लोगों को छांटने जायेंगे तो आपको राजस्थान में मिलेंगे नहीं। क्या राजस्थान सरकार का कभी इस ओर ध्यान गया, जमीनें पड़ी हैं, बुलडोजर वगैरह पराये घर जा रहे हैं और सरकार का ध्यान नहीं 18 लाख हैक्टेयर पर योजना बनायें। माननीय मन्त्रीजी, कृपया इसके बारे में मुझे जवाब देंगे तो सदन को और राजस्थान को यह जानकारी मिलेगी। मैं विशेष रूप से आपसे आग्रह करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय, 18 लाख हैक्टेयर जमीन का अगर सही उपयोग करना है तो आबंटन करिये और 18 लाख लोगों को एक हेक्टेयर जमीन भी प्रति व्यक्ति दी जाय तो इससे फायदा होगा।

अब मैं, आपके माध्यम से, जो मरू विकास के नाम से कार्यक्रम बनाया जा रहा है उसका नमूना आपके सामने रखूंगा। यह परिवर्तित बजट भाषण 1985–86 में माननीय हरिदेव जी जोशी ने हाउस में दिया। इसमें लिखा है कि वर्ष 1985–86 में 12.96 करोड़ रुपया मरू विकास में व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इसको आगे जाकर पूरा किया गया है। वह आंकड़े मैं अभी और आपके सामने रखूंगा। उसके बाद में 1986–87 में मरू विकास में दिया गया है, भारत सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में 244 करोड़ का प्रावधान किया है और राजस्थान को आने वाले चार वर्षों में 180 करोड़ रुपया प्राप्त होने की आशा है। यह 1985–86 और 1986–87 की बात है। 1987–88 में कृषि मरू विकास के नाम से जो बजट भाषण में बताया गया है वह आप देखिये। 1986–87 के इस कार्यक्रम में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान है और 1987–88 में 40 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। अब किस तरह इसकी प्रगति हुई वह सदन के सभी माननीय सदस्यों को जानकारी है। माननीय सभापति महोदय, फिर आप देखिये 1988–89 के बजट भाषण में, इस वर्ष में तो नहीं दिखाया गया, अगले वर्ष में 36.95 करोड़ का प्रावधान है और उसके बाद में 1989-90 में बजट भाषण के 61–62 पृष्ठों में कहीं भी मरू विकास का नाम भी नहीं है। कितने बड़े अफसोस का विषय है और किस तरह से पैसा खर्च किया जा रहा है, वह आप देखिये। 1986–87 में 2 करोड़ 24 लाख 63 हजार रुपया खर्च किया गया। 1987–88 में 2 करोड़ 24 लाख 30 हजार रुपया खर्च किया गया, 1988–89 में 4 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है जिसमें से मार्च तक 2 करोड़ 77 लाख 78 हजार खर्च किया गया है। इसी तरह से विकास के नाम से जो सूखा संभावित

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

क्षेत्र है, उसके लिये 1986-87 में 1 करोड़ 93 लाख 30 हजार है, 1987-88 में 93 लाख 27 हजार, 1988-89 में 1 करोड़ 35 लाख है। इसी तरह से 4 करोड़ 21 लाख और 7 करोड़ 26 लाख रुपया। माननीय सभापति महोदय, इस तरह से मरु विकास और सूखा सम्भावित के नाम से 11 करोड़ 48 लाख रुपया खर्च किया जा सकता है। इस तरह की योजनायें बताई जायं। बजट भाषण में वाहवाही लूटी जाय तो न राजस्थान का भला होने वाला है, न कृषि विभाग का भला होने वाला है। केवल मात्र कागजों में अगर आप दिखायेंगे तो इससे कोई काम चलने वाला नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जिस तरह मैंने क्षारीय और लवणीय क्षेत्र की बात बताई, एक सेरीकल्चर प्रोग्राम है। शहतूत की खेती जिसमें राजस्थान में चालीस लाख टन की खपत है। कोटा में डोरिया साड़ी जो हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध है, रेशम से बनती है। माननीय सभापति-महोदय, 40 लाख टन की खपत के मुकाबले हम राजस्थान में मात्र आधा टन उत्पादन कर रहे हैं। हमारे कितने बड़े चान्सेज हैं, सरकार की योजना क्या है ? कृषि विभाग के तहत रेशम कीट पालन योजना नहीं चल रही है। बड़े दुःख का विषय है। डी. आर. डी. ए. के माध्यम से यह चलाई जा रही है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने डेपुटेशन पर स्टाफ दे दिया। राजस्थान में केवल मात्र 20-25 लोगों को मैसूर भेजकर ट्रेनिंग दी गई। वह लोग डी. आर. डी. ए. में गुलामी की जिन्दगी जी रहे हैं। मैं स्वाभिमान के साथ कहता हूं कि उनके साथ कितना बड़ा कुठाराघात हो रहा है। उनको गुलाम की तरह जीवन जीने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जब चाहें उनको हटा दिया जाता है, आप डेपुटेशन पर हो, अपने डिपार्टमेंट में जाइये। कोटा से झुन्झुनूं उनका ट्रान्सफर किया जा रहा है। वह ट्रेण्ड आदमी हैं। उनके माध्यम से योजना बनाने की बात तो दूर रही, अनट्रेण्ड को, आपका डेपुटेशन समाप्त हो गया, वापस जाओ। और अनट्रेंड आदमी को रख देते हैं। वह कैसे जानेगा कि कीड़ा किस उम्र में होता है, कीड़ा किस उम्र में कितनी पत्तियां खाता है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के गरीब प्रदेश में जो छोटे-छोटे किसान हैं, अगर उनकी गरीबी दूर करना चाहते हो तो रेशम उत्पादन को सही अर्थों में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत लेकर, यहां के स्टाफ को ट्रेनिंग में भेजकर लागू करिये। आधे एकड़ तक में यह योजना चलाई जा सकती है। इसमें महिलायें पत्तियां तोड़कर डिब्बे में कीड़ों को खिला सकती हैं, विकलांग खिला सकती हैं, बूढ़ा खिला सकता है, बच्चा खिला सकता है। पर नहीं, इसको तो केवल मात्र कागजों में दिखा-दिखाकर डी. आर. डी. ए. के माध्यम से मोटी रकम लेकर अधिकारी गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। सही अर्थों में इसका उपयोग नहीं हो रहा है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मांगीलाल मेघवाल : इसलिए मेरी यह मान्यता है, माननीय सभापति महोदय, सही अर्थों में रेशम कीट पालन, जिसको मैंने बताया है, मात्र आधा टन उत्पादन हो रहा है ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(124)

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

इसके सही उपयोग के लिए रेशम कीट पालन योजना को कृषि विभाग के तहत देकर यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों को मैसूर में ट्रेनिंग दी जाय और उसके माध्यम से....

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं सिफारिश करूंगी महिलाओं के लिए यह साड़ी बहुत उपयोगी और बहुत सस्ती है। आज के जमाने में पचास रुपये में एक धोती उपलब्ध हो जाती है, दूसरी साड़ियां बहुत महंगी हैं। मैं आप के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि इसको प्रोत्साहन दिया जाय।

श्री सभापति : कृपया बिराजिये। इन्टरवीन न करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरी सुन तो लेते, बीच में टोकते क्यों हैं ?

श्री सभापति : मैंने सुन लिया।

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, यह जो कृषि पर आधारित कुछ उद्योग चलाये जा रहे हैं,....

श्री सभापति : समाप्त करें, चर्चा समाप्त करें।

श्री मांगीलाल मेघवाल : केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल है, इसमें अव्यवस्था के कारण....

श्री सभापति : माननीय मांगीलालजी, कृपया समाप्त करें। कृपया चर्चा समाप्त करें।

एक माननीय सदस्य : एक्सपर्ट हैं।

श्री सभापति : होंगे एक्सपर्ट, मेरे पास समय कम है। आप कभी और अवसर ले लें इस विषय पर बोलने का। कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करूंगा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की योग्यतानुसार विभिन्न क्षेत्रों में योजना बनावें, विभाग का भला हो, क्षेत्र का भला हो, और प्रदेश का भला हो, इस तरह की योजना बनाई जाय। बेकार पड़ी भूमि का सही उपयोग हो, इसके लिए भी कार्यक्रम बनाये जायं।

कृषि मंडियों की बात करूंगा कि मेरे चम्बल कमाण्ड एरिया में मेरे क्षेत्र से 35 और 30 लाख रुपया पर ईयर कोटा में जहां हो रहा है, पर दुर्भाग्य का विषय है, उस चम्बल कमाण्ड एरिया में दस किलोमीटर भी आज दिन तक कृषि मंडियों ने सड़क नहीं बनाई।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। कम से कम राजस्थान लेवल पर इस तरह की योजना बनाई जाय। जो कृषि मंडी के नाम से शुल्क लिया जा रहा है, चार पर्सेन्ट टैक्स ले रहे हैं, किसानों के खून-पसीने पर, एक गेहूं की बोरी पर दस रुपया ले रहे हैं, उसका पैसा उसको नहीं मिले....

श्री सभापति : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री मांगीलाल मेघवाल : पीने का पानी नहीं, जानवरों को बांधने के लिए जगह नहीं, छाया की व्यवस्था नहीं....

(125)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री मांगीलाल मेघवाल : 18 से 20 करोड़ रुपया सालाना आप वसूल कर रहे हैं और उसके मुकाबले में....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री मांगीलाल मेघवाल : एक मैं रासायनिक खाद के बारे में....

श्री सभापति : समाप्त करें, मैं आपको समय नहीं दूंगा, कृपया बिराजें। माननीय श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, कृषि के सम्बन्ध में.... (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको खेती बाड़ी से क्या लेना-देना ?

श्री सभापति : माननीय उजलाजी, बैठें आप।

श्री खंगारसिंह चौधरी : आपने कभी हाथों से हल चलाया है? आपने तो प्रसाद बांटा है मन्दिर में। हल चलाने वालों को बोलने दो। किसी दूसरे को टाइम दो, खेती करना आपके बस की बात नहीं है। आप तो मन्दिर में प्रसाद दो।

श्री सभापति : माननीय खंगारसिंहजी, बैठें आप।

श्री सी पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सदन के माननीय सदस्य इस बात से चिन्तित हैं कि मैं कृषि के सम्बन्ध में नहीं जानता, फिर भी कृषि के सम्बन्ध में बोल रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि की डिमाण्ड पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जितनी बात अभी मेघवाल साहब ने कही, माननीय कालवी साहब और अन्य सदस्य बोलेंगे, उनका सीधा सम्बन्ध विश्वविद्यालय में कृषि की शिक्षा किस तरह होनी चाहिए उससे है। इसलिए मैं अपनी बात इसी पर स्ट्रेस करूंगा। कृषि विश्वविद्यालय की कल्पना आने वाले राजस्थान में किस प्रकार की होगी, राजस्थान के अन्दर कृषि के माध्यम से किस प्रकार से उन्नति हो सकती है, आने वाले समय में किसान की माली हालत किस प्रकार से सुधर सकती है, जितना हम चिन्तन और मनन कर रहे हैं उसका लाभ मिल पायेगा या नहीं। इसीलिये मैं आपका ध्यान स्पेसिफिक तौर पर आकर्षिक करना चाहता हूं। सरकार ने बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय बनाया, सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि आज की कृषि मंत्री माननीय श्रीमती कमला जी, जब यह बिल पायलेट हुआ था सदन में आर्डिनेंस के बाद बिल के रूप में, तब माननीय कमला जी, मंत्री के रूप में तत्कालीन मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी के सामने कुछ प्रस्ताव आपने प्रस्तुत किये थे। आपने विस्तृत रूप से इस विषय में चिन्तन किया, मनन किया और आपने एक नोट तत्कालीन कृषि मंत्री बाकोलिया साहब के सामने रखा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार जब सुओमोटो उसमें एमेंडमेंट मूव कर रही थी तब तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने सदन में यह कहा था कि इस विश्वविद्यालय की संरचना के संबंध में मैं सदन के बाहर एक कमेटी बनाऊंगा, कमेटी इसमें चर्चा करेगी और चर्चा करने के बाद कमेटी उसके काम्प्रिहेन्सिव सुझाव

(126)

(श्री सी. पी. जोशी)

सदन के सामने लायेगी और उसके आधार पर इसमें परिवर्तन किया जायेगा। पर यह कहते हुए मुझे तकलीफ है माननीय सभापति महोदय, कमेटी भी बनी, कमेटी में डिस्कशन्स भी हुए, लेकिन हमारा सारा डिस्कशन कन्फाइन्ड रहा केवल मात्र एकेडेमिक यूनिवर्सिटी के संबंध में। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के संबंध में जो रिकमन्डेशन्स तत्कालीन मंत्री के रूप में कमला जी ने प्रस्तुत की थीं, उस रिकमन्डेशन को कमेटी में हम डिसकस नहीं कर सके। आज कमला जी को यह सौभाग्य है आप कृषि मंत्री हैं राजस्थान की आपने कुछ एमेंडमेंट मूव किये थे मैं उसी की तरफ आपका ध्यान, माननीय मंत्री महोदया, आकर्षित करना चाहता हूं। आप आश्चर्य करेंगे, माननीय सभापति महोदय, कि हमने जो सलेक्शन कमेटी बना रखी है विश्वविद्यालय की उसका कम्पोजीशन क्या है। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, डाइरेक्टर, हैड ऑफ दी इन्स्टीट्यूशन; इफ एनी, एण्ड अदर एकेडेमिक स्टॉफ की सलेक्शन के लिए कमेटी बनी हुई है। उसका कम्पोजीशन क्या है? माननीय सभापति महोदय, "Vice Chancellor ex-officio Chairman, one expert from outside the university to be nominated by the Vice-Chancellor, (3) a nominee of the Chancellor (4) nominee of the Board, and (5) nominee of the Government.

The quorum of the meeting of the Selection Committee shall be three"

अब माननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालय में एक्सटेंशन, रिसर्च, और टीचिंग तीन तरह के काम होते हैं। पर आज तक इस सलेक्शन कमेटी के अन्दर जो कम्पोजीशन बना रखा है हमने, उसमें प्रोफेसर नहीं बैठेगा, उसमें डाइरेक्टर रिसर्च नहीं बैठेगा, उसमें डाइरेक्टर एक्सटेन्शन नहीं बैठेगा, वहां पर उपकुलपति महोदय और उपकुलपति के द्वारा नामीनेटेड एक एक्सपर्ट और एक बोर्ड का नामीनी मतलब तीन आदमी उपकुलपति की मर्जी के उस बोर्ड के मेम्बर होंगे और वह सलेक्शन करेंगे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का, रीडर का, लैक्चरर का और इस तरह का। माननीय सभापति महोदय, जब से यह एक्ट फोर्स में आया है, उस के बाद जिस तरह विश्वविद्यालय में सलेक्शन हुए हैं, for that, the least said the better. तो माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अभी तक जो सलेक्शन हुए हैं उस सलेक्शन की रिपोर्ट मंगाइये, सलेक्शन में जिन आदमियों ने इन्टरव्यू दिये हैं, जिनका सलेक्शन हुआ है, उनके बायोडाटा को आप असेस कर लीजिये और आप जानकर आश्चर्य करेंगे, विश्वविद्यालय में डाइरेक्टर रिसर्च और डाइरेक्टर एक्सटेन्शन को इगनोर करके हमने एक इस तरह की व्यवस्था पैदा कर दी है जिस व्यवस्था में केवल मात्र उपकुलपति की पसन्द और नापसन्द ही आधार बन गई है। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं राजस्थान में एग्रीकल्चर का कन्ट्रीब्यूशन ठीक ढग से हो, तो सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालय में सलेक्शन कमेटी में आमूलचूल परिवर्तन किया जाये। उसमें

(श्री सी. पी. जोशी)

डाइरेक्टर रिसर्च, डाइरेक्टर, एक्सटेंशन और सबजेक्ट का प्रोफेसर सलेक्शन कमेटी का मेम्बर नहीं होगा तो विश्वविद्यालय में कोई भी कन्ट्रीब्यूट नहीं कर पायेगा। हम एकेडेमिक लीडरशिप तो एक्सपेक्ट करें डाइरेक्टर से, हम एकेडेमिक लीडरशिप एक्सपेक्ट करें प्रोफेसर से, और उपकुलपति महोदय की पसन्द के ऊपर सलेक्शन होगा, तो माननीय मन्त्री महोदय, आप खुद कल्पना कर सकते हैं विश्वविद्यालय में किस तरह के आदमियों के सलेक्शन होंगे। हमने उस समय भी कहा था, हम प्रिविलेज मोशन भी लाये थे, सभापति महोदय, और हमने यह कहा था कि उपकुलपति महोदय को रोका जाय, जब तक इस एक्ट के अन्दर एमेंडमेंट नहीं आये तब तक सलेक्शन नहीं किया जाये। लेकिन उपकुलपति महोदय को तो अपना साम्राज्य बढ़ाना है, इसलिये इस एक्ट के आने के बाद जिस तरह से अंधाधुंध सलेक्शन किये गये हैं, उससे विश्वविद्यालय की क्वालिटी के साथ कम्प्रोमाइज किया गया है, सारे राजस्थान के लोगों के साथ अन्याय किया गया है।

इस संबंध में विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपका केवल मात्र ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप यह भी जानकर आश्चर्य करेंगे हमने बोर्ड बना रखा है वहां पर, उसके कम्पोजीशन की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप जानकार आश्चर्य करेंगे, सभापति महोदय, बोर्ड के कम्पोजीशन में लिख रखा है कि "Vice-Chancellor-Ex-officio Chairman, नामीनेट में क्या लिख रखा है, कि "two persons nominated by the Vice-Chancellor from amongst the Deans, Associate Deans and Directors, two Professors of the University nominated by the Vice-Chancellor, two persons nominated by the Vice-Chancellor from amongst the teachers other than the Professors, Deans and Directors" सात आदमी, सिक्स प्लस वन, उपकुलपति के मर्जीदान उस बोर्ड के मेम्बर होंगे, माननीय सभापति महोदय, और बाकी मेम्बर होंगे दूसरे आदमी जिनमें टीचर्स भी होंगे। एक तरफ हम डेमोक्रेटाइजेशन करना चाहते हैं, दूसरी तरफ टीचर का सलेक्शन भी टीचर नहीं करेंगे, वाइस चांसलर जिसको पसन्द करेंगे, टीचर्स का रिप्रजेन्टेशन वह करेंगे। रीडर का रिप्रजेन्टेशन वह सलेक्ट करेंगे, प्रोफेसर का रिप्रजेन्टेशन वह सलेक्ट करेंगे, डीन के रिप्रजेन्टेटिव वह सलेक्ट करेंगे। उनका कोरम कितना कर रखा है, सभापति महोदय, छः आदमियों का कोरम होगा।

इस विश्वविद्यालय में, मन्त्री महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, इस एक्ट के बनने के बाद हमारे वर्तमान उपकुलपति ने कितनी धांधलियां की हैं, उसके सम्बन्ध में आपको निवेदन करना चाहता हूं। उपकुलपति हमने किसको बनाया है? जो 1962 में केवल मात्र डिमांसट्रेटर थे। डिमांसट्रेटर के बाद रीडर का सलेक्शन फेस नहीं किया, प्रोफेसर का सलेक्शन फेस नहीं किया, डीन बन गये। डीन बनने के बाद क्या हुआ? आप यह जानकर आश्चर्य करेंगे। यूनिवर्सिटी एक्ट में लिखा हुआ है कि जब वाइस चांसलर साहब चले जायेंगे तो जो

(श्री सी. पी. जोशी)

वैकेन्सी क्रियेट होगी उसमें सीनियर पोस्ट जो प्रोफेसर होगा वह वाइस चांसलर बनेगा। जो देन वाइस चांसलर थे आई.ए.एस. आफिसर थे, शिशोदिया साहब, उनके जाने के बाद वाइस चांसलर बने मल्होत्रा साहब। कैसे मैनीपुलेशन किया वहां, सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे। तीन महीने तक वाइस चांसलर थे, उसका इस्तीफा लिखवाया। और सीनियर पोस्ट डीन के नाम पर एक्ट में कोई प्रोवीजन नहीं है, फिर भी एक्स आफिशियो वाइस चांसलर बन गये सुखाड़िया विश्वविद्यालय के। वाइस चांसलर बनने के बाद विश्वविद्यालय में 300-400 अपाइन्टमेंट किये। उसके बाद अपना साम्राज्य बढ़ाना ठीक नहीं समझा।

उसके बाद जब वहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, सभापति महोदय, तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की सलेक्शन कमेटी में जिसका नाम था उसके एक आदमी को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया। अब आप जानकर आश्चर्य करेंगे, सलेक्शन का जो पैनल बना, वह तो बना मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के लिये, और उनमें से एक आदमी को अपाइन्ट कर दिया आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का उपकुलपति। जो आदमी 1962 में डिमांस्ट्रेटर था, उसके बाद लैक्चरार, रीडर, प्रोफेसर, डीन और वाइस चांसलर। इन सबको 25 साल के टेन्योर में हम पूरा कर सकते हैं ?

माननीय सभापति महोदय, हम जब नई यूनिवर्सिटी क्रियेट करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूनिवर्सिटी की जो ग्रोथ होती है वह वाइस चांसलर के एकेडेमिक स्टेन्डर्ड से होती है। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी ग्रोथ क्यों कर पाई, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जिस तरह के वाइस चांसलर बने हैं उनका नाम देखिये, उनका एकेडेमिक अटेनमेंट देखिये, लोग गर्व से कहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का उपकुलपति कौन था। पर हमने जो नई यूनिवर्सिटी बनाई है उसका वाइस चांसलर किसको बनाया है हमने ? उसको बनाया जिसका मैनीपुलेशन करने में इस राजस्थान में कोई मुकाबला नहीं है। यदि मैनीपुलेशन में डिग्री दी जाये पी. एच. डी. तो उन्होंने कर रखी है यदि डी. लिट. की जाये तो मैनीपुलेट करके किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं, तो वर्तमान उपकुलपति को निश्चित तौर पर वह डिग्री मिलनी चाहिये। उनको आनर किया जाना चाहिये। यह हरिदेव जी जोशी का बजट भाषण है, सभापति महोदय, इस के पेज 25 पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है–"राज्य के उदयपुर विश्वविद्यालय को सामान्य विश्वविद्यालय रखकर एक अलग कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। किन्तु उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय का साउथ कैम्पस रहेगा जिसमें वर्तमान कृषि संकाय की जो भी प्रवृत्तियां चालू हैं वे यथावत रहेंगी।"

माननीय सभापति महोदय, 46 दिन वहां के नान टीचिंग स्टाफ ने स्ट्राइक की। वर्तमान उपकुलपति ने उस स्ट्राइक को तोड़ने में तत्कालीन एग्रीकल्चर कमिश्नर रमाकांत जी के साथ बैठकर समझौता

(श्री सी. पी. जोशी)

किया और यह कहा कि साउथ कैम्पस बनेगा और वहां पर अपाइन्टमेंट किया जायेगा। पहले तो उन लोगों को मूर्ख बनाने के लिये, बिफूल करने के लिये, this word I am using deliberately, एक आर्डर निकाल दिया गया, उदयपुर के साउथ कैम्पस की इन्चार्ज पी. सुन्दरम होंगी। हमने कहा कि एक्ट में प्रोवीजन है ऐसा नहीं होना चाहिये। यह बजट का भाषण मैं पढ़ रहा हूं, माननीय सभापति महोदय। पवित्र सदन में 1987 में हमने प्रस्ताव रखा, आज 1989 चल रहा है, साउथ कैम्पस आज भी काम नहीं कर रहा है। साउथ कैम्पस के अन्दर प्रोटेम वाइस चांसलर की पोस्ट इस एक्ट के अन्दर हमने क्रियेट कर रखी है हमने प्रोटेम वाइस चांसलर की व्यवस्था नहीं की। हमने एक काम जरूर किया है, वह वाइस चांसलर महोदय बीकानेर में दस दिन रहते हैं, 20 दिन वह उदयपुर में रहते हैं। विश्वविद्यालय का डवलपमेंट आप कैसे करना चाहते हैं, समझ में नहीं आया। एक्सपान्शन एक्टिविटी के नाम पर हमने किया क्या है? हमने एलोकेशन्स आफ फण्ड्स ज्यादा नहीं बढ़ाये हैं। उदयपुर के अन्दर एग्रीकल्चर एम. एस. सी. की एज्यूकेशन होती है, जोबनेर के अन्दर एज्यूकेशन होती है....

(5-10 सायं)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हमने बीकानेर में भी एग्रीकल्चर की एम. एस. सी. की क्लासेज स्टार्ट कर दी हैं। बिना कोई व्यवस्था किये हुए जो एक प्राइवेट कालेज में एग्रीकल्चर विषय चल रही थी कालेज को डिग्री का आधार मान कर हमने वहां एम. एस. सी की क्लासेज स्टार्ट कर दीं। उपाध्यक्ष महोदय, हम किस तरह का एक्सपान्शन करना चाहते हैं? जो इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसको रिटर्न नहीं करना चाहते हैं, नया डवलपमेंट नहीं करना चाहते है। कोई भी अलोकेशन आफ फण्ड नहीं किया। यह आपके सामने इसलिये कहना चाहता हूं कि मैंने अभी सब्जेक्ट के सम्बन्ध में निवेदन नहीं किया। आपके वाइस चांसलर बनने के बाद जो सीनियर मोस्ट कम्पीटेन्ट लेक्चरार थे वे विश्वविद्यालय छोड़कर चले गये। जिनको हिन्दुस्तान भर में जाना जाता था कि उसका कन्ट्रीब्यूशन क्या है। उन लोगों के सामने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि वे सलेक्शन बोर्ड के मेम्बर नहीं बन सकते। उनके ट्रान्सफर, पोस्टिंग इस तरह से किये गये कि उन लोगों को छोड़कर जाना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने 15 साल में क्या कन्ट्रीब्यूशन किया? हमारी जब यूनिवर्सिटी बनी थी तो हमारा स्टेण्डर्ड पंत नगर यूनिवर्सिटी के बराबर था। अब एक नया कोलेबोरेशन हुआ है। पोलिटिकल मैनीपुलेशन के आधार पर वाईस चांसलर ने एक नयी यूनिवर्सिटी बनायी है बीकानेर में। एक तरफ हमने लैण्ड ग्रांट्स पैटर्न से ओहियो यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना की थी। जो इन्फ्रास्ट्रक्चर हमने उदयपुर यूनिवर्सिटी में खड़ा किया था, आज वहां एग्रीकल्चर कालेज है, डेयरी साइंस कालेज है, होम साइंस कालेज है, वहां एक्सटेन्शन का बहुत बड़ा काम हुआ है। और अब हम पोलिटिकल मैनीपुलेशन से बीकानेर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रेज कर रहे हैं।

(130).

(श्री सी. पी. जोशी)

वहां एम.एस.सी. में लड़के पढ़ रहे हैं। उन को टीचिंग कौन करवा रहा है? होम साइंस की टीचिंग कौन करवा रहा है? उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह की व्यवस्था बनती जा रही है, उससे न तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ग्रोथ होगी और न उदयपुर यूनिवर्सिटी की ग्रोथ होगी। माननीय मंत्री जी, मैं आप से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, आपको इस विश्वविद्यालय के बारे में डे टू डे की जानकारी है। आपके जंवाई वहां काम करते हैं। आपको सारी जानकारी है कि विश्वविद्यालय में क्या फंक्शन हो रहे हैं। आपको मालूम है कि आज वहां पर कास्टिजम है। आज कास्ट के नाम पर अपाइन्टमेन्ट हो रहे हैं। आज कास्ट के नाम पर प्रोमोशन हो रहे हैं। Most incompitent are appointed as Professors. जो आज से पांच साल पहले लेक्चरार थे आज वे प्रोफेसर अपाइन्ट कर दिये गये हैं। डीन अपाइन्ट कर दिये गये हैं। मर्जी चाहे जैसे अपाइन्ट कर रहे हैं। मर्जी चाहे जैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। व्हिम के आधार पर विश्वविद्यालय में प्रोमोशन और ट्रान्सफर कर रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय, आप सदन के सामने घोषणा करें कि आज इस एक्ट में अमेन्डमेंट करने की आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिये है कि एक मंत्री के रूप में आपने अमेन्डमेंट मूव किया था। आप स्वयं जानती हैं कि एक्ट डिफेक्टिव है। जब तक इसमें अमेन्डमेन्ट नहीं हो तब तक आप हाउस में एश्योरेंस दें कि वाइस चांसलर के अपाइन्टमेन्ट करने के अधिकार को हम बेन करेंगे। इस अधिकार के आधार पर पहले उन्होंने सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अपाइन्टमेन्ट कर दिया और आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपाइन्टमेन्ट कर रहे हैं। फिर हम किस तरह के विश्वविद्यालय की कल्पना करेंगे? आज उदयपुर के आदमी का बीकानेर ट्रांसफर कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लोगों से आप्शन नहीं लिये गये। अपने आदमियों को प्रोमोशन के आधार पर बीकानेर ले जाकर एल डी.सी. को यू.डी.सी., यू.डी.सी. को असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को डिप्टी रजिस्ट्रार बना दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं अजमेर विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं। यदि विश्वविद्यालय का उपकुलपति कम्पीटेन्ट नहीं होगा तो नये विश्वविद्यालय की ग्रोथ नहीं हो सकती। इसलिये, मैं कहना चाहता हूं, कृषि विश्वविद्यालय के बारे में हम कितनी ही कल्पना कर लें, यदि राजस्थान में कृषि का साइन्टिफिक डवलपमेन्ट करना है, टेक्निकल नो हाउ बढ़ाना है, जैसा माननीय कालवी साहब कह रहे थे, लेण्ड टू लेण्ड ले जाना है तो विश्वविद्यालय में कम्पीटेन्ट आदमी का प्रोमोशन होना चाहिये, सलेक्शन होना चाहिये। जिस तरह की आपकी व्यवस्था है, मंत्रीजी आप इग्नोरेन्ट रहे तो यह सोसाइटी के सामने इतना बड़ा बर्डन हो जायेगा कि आने वाले 15-20 साल में आप इस बर्डन को हटाने की स्थिति में नहीं होंगे।

एक और निवेदन करना चाहता हूं कि अगली डिकेड में एग्रीकल्चर पोटेन्शल कहां जनरेट होगा। माही का प्रोजेक्ट आपके सामने आ रहा है। आने वाले 5-10 साल

(श्री सी. पी. जोशी)

में हम माही में 100 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेन्ट करेंगे। हम आगे जाखम के अन्दर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारा मासिव इन्वेस्टमेंट ट्राइबल एरिया में ही रहा है। वहां लेण्ड होल्डिंग्स कम हैं। पहली जनरेशन के लोग काश्त करेंगे। वहां एक्सपान्शन, रिसर्च का कन्ट्रीब्युशन क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जितनी लेण्ड अवेलेबल है, रेन का पेटर्न आप देख लें, रेन का पेटर्न आज जिस तरह का हो रहा है। अलवर सबसे अच्छा इलाका था और आज सब से कम रेन है। राजस्थान में पिछले एक डिकेड में रेन का पेटर्न कम हुआ है परन्तु एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के किसी एक्सपर्ट ने यह नहीं सजेस्ट किया कि कम रेन में जब राजस्थान में इतनी लेण्ड अवेलेबल है, हिन्दुस्तान में मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान सब से बड़ी स्टेट है जिसके पास लेण्ड अवेलेबल है। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं। वहां पर एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट का कन्ट्रीब्युशन कम है। वहां का एग्रीकल्चरिस्ट है उनका कन्ट्रीब्युशन ज्यादा है। उन्होंने अपने एक्सपीरियेंस से लर्न किया है। तो इस सम्बन्ध में सोचने की आवश्यकता है। हमने आज एग्रीकल्चर में क्या किया? केवल मात्र जो लेण्डलार्ड हैं, बड़े एग्रीकल्चर लेंड होल्डर हैं, स्माल फार्मर हैं, मारजीनल फार्मर हैं, ऐसे आदमी हैं। परन्तु मेवाड़ में डेढ़ बीघा, दो बीघा जमीन है लोगों के पास, वहां के काश्तकारों के लिये हमने कुछ काम नहीं किया। उदयपुर में आज कितना फर्टीलाइजर का इनपुट मिल रहा है। जो एग्रीकल्चर के कमिश्नर साहब हैं वे ट्राइबल के कमिश्नर भी रहे हैं, उनको जानकारी है कि जितना कन्जम्पशन ट्राइबल एरिया में फर्टीलाइजर का हो रहा है उतना यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है और वहां से फर्टीलाइजर गुजरात को ब्लेक हो रहा है। आप आंकड़े देख लें। प्रगति विवरण में तीन ग्राफ दिये हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान दें। What is relation between seed distribution and fertiliser contribution. आप देखेंगे कि फर्टीलाइजर कन्जम्पशन और सीड डिस्ट्रीब्यूशन हाइएस्ट है तब भी हमारा प्रोडक्शन कम है। मैंने इसको ध्यान से देखा है, सीड डिस्ट्रीब्यूशन और फर्टीलाइजर कन्जम्पशन ज्यादा है और प्रोडक्शन कम हो रहा है। यह किस तरह साइन्टिफिक नो हाऊ आधार पर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के नाम पर जो सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी के आधार पर हमने एक नई जनरेशन खड़ी कर दी। जो शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के आदमी के नाम पर अगूठा लगा कर फर्टीलाइजर का ब्लेक कर रहे हैं और वह फर्टीलाइजर गुजरात जा रहा है। मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जिस तरह की ज्योग्राफिकल कन्डीशन है, जिस तरह की इकोलोजिकल स्थिति है उसमें अगले दस साल बाद या तो हम उदयपुर डिविजन में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्रियेट करेंगे इन बड़े प्रोजेक्ट से या हम करेंगे राजस्थान कैनाल के माध्यम से जैसलमेर, बाड़मेर में या चूरू, बीकानेर और कोलायत क्षेत्र में। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि वहां पर हमारी एक्सटेन्शन और रिसर्च के वर्क का कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं है। आप किस आधार पर इस सम्बन्ध में कल्पना कर रहे हैं कि हमारे यहां समय पर

(132)

(श्री सी पी. जोशी)

अच्छी काटन हो जायेगी, अच्छी सीड हो जायेगी, अच्छा डवलपमेन्ट हो जायेगा ? मैं ऐसी कल्पना में विश्वास करने वाला आदमी नहीं हूं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगली डिकेड में सोसाइटी यह बात पूछेगी कि आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की किस तरह की कल्पना की थी जिससे क्या लाभ हो सका। इस सम्बन्ध में आप निश्चित तौर से चिन्ता करें।

माननीय मंत्री महोदया, मैं आप से अपेक्षा करूंगा, आपका जो बैकग्राउण्ड है, जिस बैक ग्राउण्ड से आप आई हैं, उस बैक ग्राउण्ड से आपको फर्म निर्णय लेने की आवश्यकता है। हमने एक अमेन्डमेन्ट इस लिये मूव किया था, मैं इस बात को आज फिर रिपीट करना चाहता हूं कि आप जब तक उपकुलपति की टर्म को कम नहीं करेंगे, जब तक आप यूनिवर्सिटी के एक्ट में अमेन्डमेन्ट नहीं करेंगे, जब तक सलेक्शन कमेटी की पावर को नहीं रोकेंगे, तब तक यह उपकुलपति महोदय अपनी सेकिण्ड टर्म को मेन्टेन करने के लिये 500 आदमियों की एक नई फौज खड़ी कर देंगे और उस फौज को आप नहीं रोक पायेंगे। फिर पोलिटिकल मैनीपुलेशन होगा। डिमान्स्ट्रेटर से दो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गये पता नहीं आगे जाकर क्या कर पायेंगे। हमारी जो कल्पना है वह खतम हो जायेगी।

हमारे पास आप्शन बहुत लिमिटेड है। नम्बर एक आप्शन यह अवेलेबल है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर में फुलफ्लेज्ड ग्रोथ करे। इसके लिये आवश्यक है कि परमानेन्ट वाइस चांसलर बीकानेर में रहे। दिल्ली से लाइजन करे और मेग्जीमम फण्ड्स लाकर बीकानेर में डवलपमेन्ट करे। और जो उदयपुर में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप हो गया है उसको इनटेक्ट रखें साउथ कैम्पस् के नाम पर और वहां पर प्रो वाइस चांसलर की पोस्ट क्रियेट की जाये जिससे आने वाले वर्षों में एक नई यूनिवर्सिटी हम उदयपुर में क्रियेट कर सकें। यदि यह आप ने कल्पना नहीं की तो हमारा उदयपुर का इन्फ्रास्ट्रक्चर भी आप खतम कर देंगे और जो नया एक्सपान्शन बीकानेर में करना है वह भी नहीं होगा। आज इस बात को दो साल निकल गये हैं। यह जनता इस बात का जवाब चाहती है। माननीय कमलाजी, आप श्री हरिदेवजी जोशी के मन्त्रिमण्डल की सदस्या रही हैं और आपने मंत्रिमण्डल के सदस्य के रूप में यह बजट भाषण दिलाया है उसमें यह लिखा है कि उदयपुर में एक साउथ कैम्पस होगा। आपका नैतिक कर्तव्य है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री ने जो घोषणा की है, जिसके मंत्रिमण्डल की आप सदस्या रही हैं, कम से कम उसकी परिपालना तो 1989 में हो जाये। 1988 में नहीं की तो कोई बात नहीं, लेकिन 1989 में आप कर दें। दूसरा एज ए मिनिस्टर आपने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक्ट में अमेन्डमेन्ट मूव किया था, शायद वे कागज कहीं गुम हो गये हों तो ढूंढ कर ले आयें, आपने आपके हाथ से कम्पेयर करके मूव किया था। उन अमेन्डमेन्ट्स को मूव करके आर्डिनेन्स के नाम से, या बिल के नाम से ला सकें और एक्ट के अन्दर इनकारपोरेट करिये। जब तक आप इनको इनकारपोरेट नहीं करेंगी तब तक आप भगवान के लिये, विश्वविद्यालय के लिये इस सलेक्शन कमेटी को रोकें।

(श्री सी. पी. जोशी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं वरना मेरी बात अधूरी रह जायेगी। मैंने जो तथ्य रखे हैं, उन तथ्यों के आधार पर, माननीय मंत्री महोदय, आप चांसलर को तो लिखेंगी, वह इन्स्पेक्शन कर सकता है। मैं आपको कहता हूं कि आप एम. एल. एज. की कमेटी बना दीजिये, या आप अपने किसी आफिसर को अपाइन्ट करिये, या आपके कमिश्नर साहब को अपाइन्ट करिये श्री मीठालाल मेहता को और उनका इन्स्पेक्शन करवा दीजिये कि 1987 में, कमेन्समेन्ट आफ यूनिवर्सिटी के बाद वहां किस तरह के सलेक्शन हुए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। उनके वाइस चांसलर बनने के बाद एक्सपान्शन एक्टीविटी के नाम पर केवल मात्र कन्स्ट्रक्शन वर्क बहुत ज्यादा हुए हैं। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के पद पर आने और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर के वाइस चांसलर के पद पर आने के बाद जितना लाखों रुपयों का कन्स्ट्रक्शन का काम हुआ है, उसके सम्बन्ध में जांच करवाने की आवश्यकता है। क्वालिटी से कम्प्रोमाइज किया गया, टेण्डर नहीं फ्लोट किये गये, जिस तरह इर्रीगेशन और पी डब्ल्यू.डी. में टेण्डर होते हैं उस तरह के टेण्डर नहीं हुए। मैं चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि सदन के सामने और जनता के सामने यह बात आनी चाहिये कि किस तरह से इस एकेडेमिक हाई पोस्ट पर ऐसे मेनीपुलेशन करने वाले लोग पहुंच जाते हैं। चाहे पोलिटिशियन को मेनीपुलेट कर लें, चाहे आपके भाई-भतीजे को मेनीपुलेट कर लें, लेकिन यह समाज के साथ न्याय नहीं करते। इस लिये आपको फर्मली सदन के सामने कहना चाहिये कि हम विश्वविद्यालय के उपकुलपति के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे, जिससे जनता को विश्वास हो सके, साइन्टिस्ट को विश्वास हो सके। आज एग्रीकल्चर के बारे में काम करने वाला हर साइन्टिस्ट घुट रहा है। उन्होंने इतने प्रतिवेदन दिये, आप जानकारी उसमें अवश्य करेंगे। ट्रांसफर अपने ढंग पर, प्रमोशन अपने ढंग पर, अपने विम पर लोगों के साथ यह स्थिति कर दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक ही बात कहनी है कि इस आधार पर यदि हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर का राजस्थान में डवलपमेंट हो जायगा, तो डिकेड में नहीं हो पायेगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदया मेरी इन बातों पर ध्यान देंगी और एक स्विमिंग पूल जो उदयपुर में बनाया है, कन्स्ट्रक्शन करवाया है उसकी जांच करवा लें तो आपको स्थिति बहुत साफ हो जायगी।

उन्होंने इस सिस्टम से पैसा बनाया, इस सिस्टम से अपनी हैसियत बनाई है, इस सिस्टम से प्रापर्टी बनाई है और इस सिस्टम से मेनीपुलेट करके बिना प्रमोशन के, बिना किसी इन्टरव्यू के डिमोन्स्ट्रेटर से वाइस चांसलर बने हैं। ऐसे ही आदमी हिन्दुस्तान में आगे बढ़ते रहे तो हम इस सोसायटी के साथ, समाज के साथ क्या न्याय करेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, ये आपको और हमको बख्शेंगे नहीं। इसलिये, माननीय मंत्री महोदया, आपका अनुभव है और आपके अनुभव का लाभ राजस्थान के किसानों को मिले, आप किसान की बेटी हैं। इस बात के लिये जरूरी है कि आने वाले समय में यदि साइन्स का डवलपमेंट ठीक हो रहा है तो

134

(श्री सी. पी. जोशी)

विश्वविद्यालय में ठीक ढंग से काम होना चाहिये। इसका लाभ किसानों को मिले, इस सम्बन्ध में आप कुछ निर्णय करें। आपने समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन छंगाणी।

श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सी. पी. जोशी ने काफी तफसील से यूनिवर्सिटी के बारे में कहा तो एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जब तीनों बिल आये यूनिवर्सिटी के, माननीय भंवरलाल जी शर्मा बैठे हैं, हरिदेव जी जोशी तत्कालीन मुख्य मंत्री ने यह स्वीकार किया था, मंजूर किया था कि इसमें जो भी अमेन्डमेंट कमेटी लायेगी, हम उसे स्वीकार करेंगे। और इस आश्वासन के बाद वे तीनों बिल पास हुए थे।

श्री भंवरलाल शर्मा : हम तो आपके विश्वास पर थे।

श्री मोहन छंगाणी : हां मेरे विश्वास पर। मैं आज कहता हूं खुला कि सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। एक बिल हम पास नहीं होने देते ऐसी हालत थी। उपाध्यक्ष महोदय, आज उदयपुर विश्वविद्यालय की बात चल रही है। मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला कर सदन के सामने मंत्रियों को निवेदन कर रहा हूं कि यूनिवर्सिटी उदयपुर में गई, यह दुर्भाग्य था पहला तो। माननीय सी. पी. जोशी क्षमा करेंगे। एग्रीकल्चर का वह स्थान ही नहीं था। वह पोलिटिकल कारण से उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गई। लैण्ड ग्रान्ट कालेज के रूप में अमेरिका ने चार कालेजेज दी थी, उसमें एक राजस्थान को मिली, एक यू पी. को मिली पंतनगर को, एक लुधियाना को मिली और एक महाराष्ट्र को मिली। इस लैण्ड ग्रान्ट कालेज को हमने इस हालत में कर दिया कि वहां साइन्स पढ़ाया जाता है। उदयपुर में एग्रीकल्चर है ही नहीं। यह सही है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी माही के कारण बढ़ी है बांसवाड़ा में। आज कपास की खेती भी हो रही है, दूसरी भी हो रही है, पर उस लैण्ड ग्रान्ट कालेज के रूप में जब तक आप कनवर्ट नहीं करेंगे इस यूनिवर्सिटी को, आप अपना मस्तिष्क साफ कर लीजिये, दृष्टि बिन्दु साफ कर लीजिये कि जब तक हम इस यूनिवर्सिटी को लैण्ड ग्रान्ट कालेज के रूप में नहीं बढ़ा लेंगे तब तक एग्रीकल्चर का कोई विकास नहीं हो पायेगा। अमेरिका के एग्रीकल्चर के विकास में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो लैण्ड ग्रान्ट कालेज का योगदान है। उसी के आधार पर लैण्ड ग्रान्ट कालेज यहां भी स्थापित करना था पर वह यूनिवर्सिटी के रूप में, ह्यूमेनिटीज यूनिवर्सिटी के रूप में बदल दी गई। यह जो दुखद घटना घटी, एग्रीकल्चर के साथ राजस्थान में, जो खेती बाडी का प्रदेश है उसके साथ, मैं मानता हूं कि कमला जी किसान की बेटी होने के नाते इसको ठीक करने की कोशिश करेंगी और हमारे साथ जो विश्वासघात हुआ है उसको भी ठीक करेंगी। ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको गलतफहमी है इसका मतलब।

श्री मोहन छंगाणी : मुझे तो गलतफहमी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे

(श्री मोहन छंगाणी)

कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर का लेखा जोखा तो बहुत बड़े प्रोग्राम में इन्होंने लिया है। मैं तो कहता हूं आज इनको पहले पहल तो फाइनेन्स कमीशन की रिकमन्डेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में मान लेनी चाहिये। साल्वे ने पूछा था कि आप इतना रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्डिचर करेंगे, उसको आप कैसे बीयर कर सकते है राजस्थान में राजस्थान के रिसोंसेज को देखते हुए, राजस्थान की रिसोर्स मोबिलाइजेशन केपेसिटी को देखते हुए। मैं तो चाहूंगा कि सारे के सारे प्रोग्राम यूनिवर्सिटी को ट्रान्सफर होने चाहिये। लैण्ड ग्रान्ट कालेज का मतलब क्या है ? लैण्ड ग्रान्ट कालेज फाउन्डेशन सीड बनाता है सारे के सारे, चाहे वेजीटेबिल के हों किसी के हों रिसर्च, एस्केलेन्सन, ट्रेनिंग-ये जितने प्रोग्राम हैं, उन सारे के सारे, तिलहन विकास प्रोग्राम ट्रान्सफर कीजिये यूनिवर्सिटी को आप, जीवाणु कल्चरल विकीर्ण ट्रान्सफर कीजिये यूनिवर्सिटी को, शुष्क खेती के कार्यक्रम को ट्रान्सफर कीजिये यूनिवर्सिटी को। महाराष्ट्र तो बड़ा प्रदेश है, धनी प्रदेश है, उन्होंने शुष्क खेती के लिये अलग यूनिवर्सिटी बना ली है। आप इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाये हैं। ये सब यूनिवर्सिटी को ट्रान्सफर कीजिये आप। एग्रीकल्चर से हटाइये आप। जल ग्रहण विकास कार्यक्रम, भू-संरक्षण आप भू-संरक्षण अलग रख सकते हैं पर उसके बारे में जो रिसर्च हो वह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करे, यह उस पर थोपिये आप। मरु विकास कार्यक्रम इसको आप बन्द कर दीजिये। मरु विकास के बारे में काफी रिसर्च हो चुका है और यह मानकर चलते हैं कि मरु विकास में सबसे बड़ा दुश्मन है तो हल है और उसमें इनफ्रास्ट्रक्चर कैसे डवलप होना चाहिये उसमें हमारे यहां काफी धारणायें बनीं, विचार हुआ यहां एक स्पेशल स्कीम आर्गेनाइजेशन का। अभी तो केवल उसका नाम मात्र है। टुकड़े-टुकड़े हो गया, पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में चला गया। अगर आप सक्षम मंत्री हैं तो उस एस. एस. आर्गेनाइजेशन को लाइये। हालांकि उसका इवेल्यूएशन नहीं हुआ है कि एस. एस. ओ. बनने के बाद उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में या इनफ्रास्ट्रक्चर क्रियेट करने में एग्रीकल्चर के लिये कितना कन्ट्रीब्यूशन है, उसका असेसमेंट नहीं हुआ, उसका मेजरमेंट नहीं हुआ किसी भी तरह का। फिर भी आप जरूर करके इस एस. एस. ओ. को लाइये। कई प्रोग्राम इसमें हैं, उन्हें छोड़ दीजिये। एक क्लस्टर ट्यूब वेल योजना है उसको आप जरूर लाइये काश्तकारों के लिये। उसमें सारे के सारे एरिया का विकास होगा। आज काश्तकार चिल्ला रहा है, कुएं खोद देता है, कर्ज ले लेता है, लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है। आप ट्यूब वेल खोद खोद कर, चाहे वर्ल्ड बैंक से लोन लीजिये, उसमें काश्तकार का भी भला होगा। यह एक ऐसी योजना है जिसमें हम प्रोडक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उसके साथ रिप्लेसमेंट पानी का कैसे हो, यह भी प्रबन्ध करने की कोशिश कीजिये। ये सारे प्रोग्राम हैं, आप दीजिये लैण्ड ग्रान्ट कालेज को।

उपाध्यक्ष महोदय, लैंड ग्रांट कालेज एक साल में एक-लाख किसानों को ट्रेन करती है। आज हम समझते हैं कि ग्राम सेवक या अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कोई आदमी जाकर कहेगा कि फलाना

(श्री मोहन छंगाणी)

यू. पी. 301 गेहूं लगा दो, हाइ ब्रीड बाजरा चार लगा दो कि पांच लगा दो, हाइ ब्रीड ज्वार की फलानां किस्म लगा दो। आप कपास की हाइ ब्रीड चार लगा दो। आज जो गुजरात और कर्नाटक है इसमें ब्रेकथ्रो हुआ है। इसे काश्तकार मानता नहीं। काश्तकार की बेसिक बात है एक्सटेन्शन के तीन प्रोसेस हैं अवेयरनैस, अक्विंटेन्स और अडाप्शन। एक दफा जब यहां राकवैल फाउन्डेशन के चीफ डगलस जानसन आये थे, जो आर्चीटेक्ट हैं हाई ब्रीड वेरायटी के प्रोग्राम और इन्टेंसिव एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम के, उनके साथ हम घूम रहे थे महाराष्ट्र में। तो हम एक काश्तकार के पास गये और उनको हाइ ब्रीड ज्वार के लिये हमने कहा तो इसका इतना फायदा होगा, इतना आप इनपुट दो, डायामोनियम फास्फेट दें नाइट्रोजन यूरिया जो भी आप दें। आप उसमें यह पेस्टीसाइड्स इनसेक्टिसाइड डालें। तो वह बहुत गौर से सुनता रहा। हमको खाना भी खिलाया बहुत अच्छा फिर उसके बाद उनसे कहा, मेरे पास 250 एकड़ की खेती है, जो यह सारा कार्यक्रम है आपका 50 एकड़ दो साल के लिये दे देता हूं। आप ही उसमें करिये, आप ही कमाइये, खाइये। अगर अच्छा हुआ तो मैं अपना लूंगा, नहीं तो नहीं अपनाऊंगा। काश्तकार यहां का बड़ा समझदार आदमी है, बहुत शान्ति से समझता है। आप उसको कहेंगे कि यह अच्छी चीज है, यह उर्वरक अच्छा है, यह जीवाणु उर्वरक अच्छा है तो कभी नहीं लगायेगा जब तक उसको डिमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखायेंगे। अगर आपने खेती में इस चीज का प्रयोग किया तो खेती में फायदा होगा, जब तक आप उसको यह सब नहीं बतायेंगे। यहां फार्म्स सारे के सारे हैं। मैं तो यह कहता हूं, मेरे पास कृषि नहीं है। मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के फार्म यूनिवर्सिटी को ट्रान्सफर किये हैं इसलिये ट्रान्सफर किये हैं कि यूनिवर्सिटी उसमें कोई न कोई ओरीजनल रिसर्च करेगी। आज, उपाध्यक्ष महोदय, इस लेखाजोखा को देखें तो हमारे यहां सबसे ज्यादा खेती ज्वार, बाजरा की होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने साल से लैण्ड ग्रान्ट कालेज खुलने के बाद, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुलने के बाद इनका किस चीज में कहां कन्ट्रीब्यूशन है। कौनसा एरिया है जहां हम सम्मान के साथ अहंकार के साथ कह सकें कि उदयपुर यूनिवर्सिटी ने यह काम किया चाहे एनीमल हस्बेन्डरी का मामला हो, चाहे एग्रीकल्चर रिसर्च का मामला हो, चाहे एक्सटेन्शन का मामला हो, चाहे किसी का मामला हो। आज तिलहन की खेती के लिये आप कहते हैं तिलहन का एरिया बढ़ा है, मैं मानता हूं कि तिलहन का एरिया बढ़ा है। किसके लिये बढ़ा? सरसों का एरिया बढ़ा क्योंकि जिस चीज के भाव अच्छे होते हैं उस चीज को काश्तकार अपने आप चुनता है। आज अमेरिका में क्या है? भावों को मेनटेन करने के लिये, उनका बैलेंस मेनटेन करने के लिये कि किस-किस देश की, कहां-कहां से, कितनी-कितनी, किस किस चीज की डिमाण्ड आ सकती है उसको असेस करने के लिये कितना एरिया किस चीज को एलोकेट करना चाहिये, और छोड़ने के लिये कितने पैसे देने पड़ेंगे, कम्पनसेशन देना पड़ेगा, इसको तय करने के लिये ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। बाकी सारे के सारे काम अमेरिका में एग्रीकल्चर करता है।

(श्री मोहन छंगाणी)

आप इसको स्लिम बनाइये, मेरे जैसा मोटा डिपार्टमेंट मत रखिये। आप इसको तोड़िये और तोड़ने के बाद सारा काम यूनिवर्सिटी को दीजिये। एक्सटेंशन आज आपके पास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, यूनिवर्सिटी क्या कर रही है। यूनिवर्सिटी का हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। मैं व्यक्तिगत रूप से बोलना नहीं चाहता मिस्टर नाग के खिलाफ, पर श्री नाग को वाइस चांसलर होने का हक ही नहीं है जो राजस्थान की कृषि में कोई भी कान्ट्रीब्यूशन नहीं कर सका, किसी भी चीज का। आप देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक-एक किलो बीज बेचे हैं बाजरे के गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र में यूनिवर्सिटी के। आप सौराष्ट्र को देखेंगे जहां मूंगफली जितनी प्रोडक्ट होती है, हिन्दुस्तान का 80 पर्सेन्ट गुजरात में होता है। बाड़मेर और जैसलमेर जैसा एरिया था। कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। आप बीरम गांव जायेंगे, राजकोट जायेंगे, आप देखिये ऐसी जमीन है जैसे आपकी जमीन वहां जाकर बस गई हो। 80 पर्सेन्ट जो आपकी मूंगफली है उसका उत्पादन वहां होता है। उन्होंने इम्प्लीमेंट्स बनायें। हमारे इम्पलीमेंट्स शेरशाह सूरी के बाद यहां राजस्थान में चेंज नहीं हुए, वह की वह अभी तक चल रहे हैं। उसमें भी उदयपुर यूनिवर्सिटी का कोई कांट्रीब्यूशन नहीं है। एक दफा अखबारों में आया था बहुत वर्षों पहले, गेहूं की किस्म बनाई वह ऐसी जोरदार किस्म उदयपुर यूनिवर्सिटी ने बनाई है जो सबको मात कर गई। एक मिस्टर श्रीवास्तव हुआ करते थे जो बोडला के शिष्य थे। वह रिसर्च करते थे गेहूं के बारे में। यू. पी. 301 वगैरह दो-तीन-चार वैरायटी बोडला के साथ उन्होंने बनाई थी। एक किस्म ईजाद हुई वह किस्म इस तरह से फेल हुई जिसका कोई अन्दाज नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दो ट्रेनिंग स्टेशन हैं कोयम्बटूर में और नीलगिरी में और हिमालय में। जिसमें हम जांचते हैं कि कौनसे गेहूं की किस्म रही है। अब सोनालिका है, कल्याण सोना है या दूसरी किस्म हैं, जो भी है। क्योंकि यह रेस्टीजन हो जाती है, नार्मली ऐसा माना जाता है कि जो हाईब्रीड कम्पोजिट वैरायटी हैं वह तीन साल के अन्दर बदल देनी चाहिये। यह सब करेगा कौन? यह सब यूनिवर्सिटी करेगी। आज पहला काम, माननीय मंत्री महोदया, आपको यही करना चाहिये कि यूनिवर्सिटी का कन्सेप्शन क्लियर करके बीकानेर में जो बोर्ड लगा रखा है वह बोर्ड नहीं रख करके आप यूनिवर्सिटी की स्थापना कीजिये, पहली बात। साउथ कैम्पस के बारे में बजट भाषण के पहले भी हमारे लड़ाई हुई थी माननीय सी. पी. जोशी मौजूद हैं, उदयपुर का सारा डिवीजन चला था, इसलिये कि साउथ कैम्पस गया तो हमारी इज्जत चली जायगी। मैंने कहा, उदयपुर की बात मत सोचो, आप राजस्थान के हैं, राजस्थान की बात सोचो। राजस्थान में बड़ी यूनिवर्सिटी बनाओ। कम्पोजिट यूनिवर्सिटी बनाओ एग्रीकल्चर की। साउथ कैम्पस आपका वहां रह जायगा, बीकानेर में रह जायगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हैं। सारी एम. एस. सी., सारी ट्रेनिंग....

श्री सी. पी. जोशी : आप तो यह कर

(श्री सी. पी. जोशी)

दीजिये, आप प्रो-वाइस चांसलर की पोस्ट क्रियेट करा दीजिये। वी. सी. डवलपमेंट करे बीकानेर का। काहे को रोक रहे हो ?

श्री मोहन छंगाणी : नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूं दस यूनिवर्सिटी खोलो मुझे कोई एतराज नहीं है। आज दस यूनिवर्सिटी राजस्थान में एग्रीकल्चर की खोलो, मुझे कोई एतराज नहीं है। पर जो यूनिवर्सिटी है उसका कन्सेप्शन, उसका जो फ्रेम वर्क है उसको तोड़ने की कोशिश मत करो। यह मत करो कि यह उदयपुर में रहेगा, यह बीकानेर में नहीं जायेगा। बहुत गलत बात है। मैंने सबसे निवेदन किया था, इनसे निवेदन किया, गुलाबसिंहजी से किया, हीरालाल जी देवपुरा से किया, सबसे किया कि उदयपुर की बात आप कह रहे हो यह बात छोड़ो, आप पहले राजस्थानी हो, और राजस्थान में ऐसी यूनिवर्सिटी बननी चाहिये कि हम गर्व कर सकें और उसके लिये जमीन लेकर आप वहां ट्रांसफर कीजिये सारे के सारे। मैंने कोशिश की थी, उपाध्यक्ष महोदय, एक सूद कमेटी बना करके। मैंने देखा यह लैण्ड सारी बेच करके इसका, क्योंकि उदयपुर इतने साल से डोमीनेट कर रहा है राज पर, नेचरली सारा का सारा उदयपुर में होना चाहिये। हालांकि वहां कोई इंस्टीट्यूट तो खोलना चाहिये मिनरल्स का, पर खुल गई वहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। शुरू से हमने लड़ाई की कि आप उसको बीकानेर ट्रांसफर कीजिये, उसका एक सब स्टेशन या सब यूनिवर्सिटी कहिये, कोई भी कहिये, कोटा में चम्बल एरिया में होना चाहिये। आप सूखे के लिये क्या-क्या कार्यक्रम करना चाहते हैं उसके लिये कहीं भी आप स्थापित कीजिये। यह सारे के सारे जो रूप हैं, जब तक आप उसके आब्जेक्टिव्ज को कोई न कोई आर्गेनाइजेशन प्रदान नहीं करेंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से तब तक कहीं भी आप आगे नहीं बढ़ पायेंगे। आज कपास का टोटल आपका है क्या। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कुछ फिगर्स सुनाऊंगा, काफी आथोरिटेटिव हैं, इकानामिक्स पालिटिकल वीकली। आप देखिये State and reason-wise levels and growth of value productivity during 1962-65, 70-73, 80-83 : राजस्थान का 3.87 62 टू 65, 70 टू 73 1.19 पर्सेन्टेज की मैं बात कर रहा हूं और 80-83, 2.38 हमारी सेन्ट्रल प्राब्लम क्या है। सेन्ट्रल प्राब्लम हमारी एग्रीकल्चर की यह है कि हम एरियावाइज डवलपमेंट, खेती का बड़ा क्षेत्र हो जायगा और उत्पादक ज्यादा हो जायगा, हमारे इतने सोशियो इकानामिक फैक्टर हैं जिसका कोई अंदाज नहीं है। उस सोशियो इकानामिक फैक्टर के अन्दर आपको एप्रोप्रियेट टैक्नालाजी लानी है। आज एप्रोप्रियेट टैक्नालाजी का मतलब यह नहीं है कि जैसे इण्डस्ट्री है उसकी तरह हम टेक्नालाजी का ट्रांसफर करलें। मैंने एप्रोप्रियेट टेक्नालाजी कहा है। पेस्टीसाइड इनसेक्टिसाइड्स हैं, रोडेंड्स हैं, और किसी जगह आप काम करना चाहें तो उस टेक्नालाजी को काम में लाइये। बड़ी टेक्नालाजी ट्रांसफर करना उस टेक्नालाजी में भी आपकी लेबर की एफीशियेंसी और लेबर का इनपुट बहुत हायर स्टेज का और एफीशियेंट लेवल का होगा जब ही आपकी वह टेक्नालाजी काम करेगी। आप एप्रोप्रियेट टेक्नालाजी लायें, इसको डिटरमिन कौन करेगा ? आप यूनिवर्सिटी तो बनने नहीं

(श्री मोहन छंगाणी)

देते। यूनिवर्सिटी तो आप बना नहीं सकते। यूनिवर्सिटी में एप्रोप्रियेट आदमी आ नहीं सकते। ट्रेनिंग कोई दे नहीं सकते। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक्सपांशन आप करते ही नहीं हैं, उसमें कोई फायदा नहीं है आज तक फायदा नहीं हुआ है। जब स्कीम आई वर्ल्ड बैंक की कि आप एक्सटेंशन आफिसर मुकर्रर कर दो, हमने कर दिया। हमने कहा, एक जगह इनको लोन मिल जाना चाहिये, खाद मिल जानी चाहिये उसके लिये यह होना है। वह भी कर दिया। हमने जहां-जहां जैसी-जैसी सोइल कंडीशन थी, खेत भी जोत दिये। खेती देखेंगे और इनको मालूम पड़ जायगा कौनसा पेस्टीसाइड इनसेक्टिसाइड यूज करना चाहिये, इनपुट कितना यूज करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ दिन पहले पांडिचेरी गया था तो पांडिचेरी के मैंने खेत देखे। जहां हालैण्ड में, उपाध्यक्ष महोदय, गेहूं में 400 पाउण्ड्स तक नाइट्रोजन वह देते हैं, ओप्टीमम प्रोडिक्टिविटी के लिये और आज उसी हालैण्ड में सारे के सारे जो उर्वरक हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, उन्होंने बन्द कर दिये। बड़े पैमाने पर बन्द किये हैं। आज हालैण्ड के फेमस ट्यूलिप्स हैं वह भी बिना खाद के उत्पन्न होते हैं और उसका कालोबरेशन वहां अरविन्द आश्रम की खेती है करीब 600 बीघा की। वहां, उन्होंने प्रयोग किया है। इतना प्रयोग सफल रहा है जिसका अन्दाज नहीं है और जितना आप एवरेज 120 पाउण्ड्स नाइट्रोजन देते हैं, मान लो, गेहूं में, तो उस एवरेज से भी 25 पर्सेन्ट वहां प्राडिक्टिविटी ज्यादा है। तो आज खेती के बारे में जितनी रिसर्च हो रही है, खेती के बारे में नये नये तरीके सुझाये जा रहे हैं। हमारे तो यूनिवर्सिटी है ही नहीं। कौन करेगा? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में केपेसिटी नहीं है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा माननीय मंत्री महोदया से कि इस एग्रीकल्चर प्राडिक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिये, हमारी लेबर प्राडिक्टिविटी को भी ज्यादा बढ़ाने के लिये, सोइल प्राडिक्टिविटी को ज्यादा बढ़ाने के लिये सबसे अहम सवाल है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कम्पोजिट रूप में कायम करना। दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरूर कहूंगा, वापस रिपीट करूंगा स्पेशल स्कीम आर्गनाइजेशन था वह जैसा भी था, यह सही है कि उसमें काफी कमियां थीं और वह हमने वर्ल्ड बैंक के माडल से उधार ही ले लिया था, उसको किसी तरह से अपने एक्सपेरीयेंस से, सोशियो इकानामिक फैक्टर अपने जैसे भी हैं, उसमें सुधार करने की हमने कोशिश नहीं की यह हमारी कमजोरी रही फिर भी आज आप स्पेशल स्कीम को जोइन्टली काम में लीजिये। ग्राउण्ड वाटर है, दूसरे हैं, तो आपको जो फंक्शनिंग होगा वह इतना इन्टीग्रेटेड फंक्शनिंग होगा मिनिस्टर के लेवल पर जिससे कि आपको कोई तकलीफ नहीं आयेगी। आज इनके पास इरिगेशन नहीं है, कमलाजी के पास कृषि है। मैं मानता हूं कृषि के साथ इरिगेशन जोड़ना ही चाहिये, नहीं तो कम्पोजिट मिनिस्ट्री के आप जो महकमे देते हैं उसमें भी कम्पोजिट होने चाहिये। इसलिये कमलाजी से मैं चाहूंगा कि वह शिवचरणजी माथुर से, माननीय मुख्य मन्त्रीजी से लड़ाई करें कि अगर सफल कृषि मन्त्री हमको बनना है तो आप इरिगेशन भी हमको दीजिये।

श्री सी. पी. जोशी : वह तो मानेंगे नहीं आपकी बात।

श्री मोहन छंगाणी : नहीं मानें तो नहीं मानें। वह दूसरी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, स्पेशल स्कीम आर्गेनाइजेशन जरूर कायम करें, भारत सरकार से बात करें। एक कृषि उपज बढ़ाने के लिए पालिटिकल फैक्टर भी बहुत बड़ा है और बड़े दुःख की बात है कि पालिटिकल फैक्टर के साथ पालिटिकल इल्लिट्रेसी भी जुड़ी हुई है और सारा मिलाकर जो नेट रिजल्ट रहता है उससे न तो कृषि उत्पादन बढ़ पाता है और न हम लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं जबकि कृषि में हम अस्ट करना चाहें, उसमें कोआर्डिनेशन करना चाहें। चाहे बिजली का हो, पानी का हो, चाहे तकनीक का हो, अस्ट करने में जिस प्रकार की लिट्रेसी चाहिए, मैं यह नहीं कहता कि ब्यूरोक्रेट्स हमसे ज्यादा लिट्रेट हैं, वह अपनी इल्लिट्रेरी छिपाने में ज्यादा कामयाब है यह बात सही है कि वह लिट्रेट ज्यादा नहीं हैं, लिट्रेट आप ज्यादा हैं, अनुभव आपको ज्यादा है इसलिए आप ऐसे आर्गेनाइजेशन को कायम कीजिए ज्यादा से ज्यादा पैसा लाइये, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रियेट कीजिए, क्लस्टर ट्यूब वैल्स की योजना लागू कीजिए वापिस और बाकी जो कृषि विपणन बोर्ड के झगड़े हैं, अब मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि आज शादियां बहुत हैं इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामधन जी (अनुपस्थित), माननीय माणक डाणी।

श्री माणक डाणी (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कृषि का अपना स्थान है। इसकी आबादी और जमीन का क्षेत्र देखें तो इस दृष्टिकोण से राजस्थान में 3.42 लाख हैक्टेयर क्षेत्र है। लेकिन आपको मालूम है स्थिति कि राजस्थान में वर्षा सबसे कम होती है और इस कारण सारी जमीन का हम उपयोग नहीं कर पाते। इस कारण से कृषि का जितना विस्तार होना चाहिए वह नहीं हो पाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न के उत्पादन में इन सबके बावजूद भी राजस्थान में रिकार्ड उत्पादन हुआ है और 1983-84 के मुकाबले में इस बार कहीं अधिक उत्पादन होने की संभावना है। खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान इस देश का सरप्लस राज्य डिक्लेयर हुआ है। तिलहन का भी रिकार्ड उत्पादन होने का मुख्य मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा और एक दशक बाद यह दूसरी बार इसका उत्पादन दुगुना हुआ है और अकेला राजस्थान देश के अन्दर 10% उत्पादन करता है। सरसों के उत्पादन में भी यह राज्य सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है।

मुख्य मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में दो-तीन योजनाओं की बात कही। मैं उस ओर आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं। उन्होंने अपने बजट भाषण में कुछ मिट्टी की प्रयोगशालाओं की स्थापना की बात की और बताया कि 6 नई परीक्षण प्रयोगशालाएं इस बार राजस्थान में स्थापित की जायेंगी। कौन सी मिट्टी में कितनी खाद पड़ेगी, कितना जिप्सम पड़ेगा, किस तरह का उत्पादन होगा इसके लिए एक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना अजमेर क्षेत्र में स्थापित करने की बात कही गई लेकिन यह प्रयोगशाला राजस्थान में

(श्री माणक डाणी)

स्थापित नहीं हुई अभी तक। इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा सहयोग लिये जाने की बात है। राज्य में मात्र 6 प्रयोगशालाएं स्थापित करने से सब कार्य चलने वाला नहीं है। राज्य सरकार को इसके लिए सोचना होगा कि केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक प्रयोगशालाओं के लिए धन लाये और अधिक से अधिक उन्हें यहां खुलवाये। इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार का जब-भी कोई मंत्री राजस्थान में आये और राजस्थान में जहां-जहां गये उन्होंने वहां पर कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की बात कही। इस बजट भाषण में भी कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की बात कही गई और अभी गंगानगर और केकड़ी में इनके खोलने की बात आई। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वह केकड़ी और ब्यावर को इसके अलावा सम्मिलित करें और किसानों को अधिकतम जानकारी मिले और वह अधिकतम प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें इसके लिए राजस्थान में अधिक से अधिक कृषि विज्ञान केन्द्रों को स्थापित करने की आवश्यकता है।

राजस्थान का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तानी क्षेत्र है और वहां खेती के साधन उपलब्ध नहीं है। खेती के रूप में रेगिस्तानी जमीन को काम में नहीं लिया जा सकता। इसलिये ऐसी तकनीक विकसित की जाय जिसके माध्यम से मामूली वर्षा में भी रेगिस्तान को कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा सके और वहां पैदावार ले सकें।

मैं सोइल कंजर्वेशन और डीपीएपी के मामले में भी मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ब्यावर में सोइल कंजर्वेशन का आफिस खुला, उसके लिए सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ब्यावर में अब किसी मंत्री जी की ससुराल नहीं रही। पहले कृषि मंत्री जी की ससुराल हुआ करती थी। तो ब्यावर का सहायक निदेशक स्तर का कार्यालय वहां से झाड़ोल चला गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगली बार कभी कोई मंत्री बने तो उसकी ससुराल ब्यावर में रखे ताकि एक निदेशालय स्तर का कार्यालय हम ब्यावर में ला सकें। माननीय मंत्रीजी, झाड़ोल के डीपीएपीकार्यालय के बारे में निदेशक को राज्य सरकार क्या लिखती है, देखिये आप। निदेशक, डीपीएपी, कृषि मंत्रालय दिल्ली को लिखते हैं 28.2.86 को। मैंने तो मांगा था कि डीपीएपी के सहायक निदेशक स्तर का कार्यालय झाड़ोल से या तो ब्यावर लाया जाय या ब्यावर में नया खोला जाय। इस देश के गृह मंत्री जी पर मुझे गर्व है, उन्होंने ब्यावर में इस बात की घोषणा की कि डीपीएपी के सहायक निदेशक का कार्यालय हम ब्यावर में खोल देंगे। उन्होंने उसी समय तत्कालीन कृषि मंत्री रामपालजी उपाध्याय को लिखा और उन्होंने शायद 8 घण्टे की देरी नहीं की, ब्यावर से जयपुर आने के बाद शायद उसी दिन उन्होंने पत्र लिख कर दिल्ली भेजा और दिल्ली से पत्र आया होगा और पत्रों के आदान-प्रदान में सचिवालय प्रशासन ने एक पत्र जारी किया; उस पत्र में लिखते हैं, "विषय-सहायक निदेशक, डीपीएपी का कार्यालय झाड़ोल से ब्यावर स्थानान्तरण के सन्दर्भ में।

आपके पत्र सं. 1112/87/डीपीएपी/ दिनांक 15.12.86 से संलग्न श्री विष्णु मोदी संसद सदस्य के दिनांक 17.11.86 के पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि राज्य सरकार

(श्री माणक डाणी)

ने राज्य में अकाल की स्थिति को देखते हुए झाड़ोल में नया कार्यालय खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।"

कहां है झाड़ोल में नया कार्यालय खोलने की बात ? ऊपर विषय में लिखा है ब्यावर में नया कार्यालय खोलने की बाबत और मांग कर रहा हूं कार्यालय के स्थानान्तरण करने की बाबत। पता नहीं उस समय कौन था, क्या था और इसकी प्रतिलिपि भेजी है निदेशक, कृषि, जयपुर को उनके पत्र सं. 4114 दि. 26.2.87, एवं माणक डाणी, विधायक, 75- विधायक निवास जयपुर के पत्र दिनांक 15.2.87 के सन्दर्भ में–वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया जाना निकट भविष्य में संभव नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, मंत्रीजी, कि ब्यावर में कार्यालय खुला, डी.पी.ए.पी. वालों ने नहीं खोला, सोइल कंजर्वेशन वालों ने खोला और उसके माध्यम से यह भी सारा हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारी स्थिति है और यह है काम करने का और सोच का ढंग। लेकिन जो लिख दें, हुजूर, वही फाइनल है आज के जमाने में इसलिये लिख दिया जो तो, हुजूर, फाइनल ही रहा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ सोइल कंजर्वेशन का आफिस ब्यावर में खुला उसकी बधाई देता हूं लेकिन, मंत्री महोदय, आप उसके लिये उचित बजट का प्रोविजन कीजिए। ब्यावर डार्क-जोन क्षेत्र में डिक्लेयर है। ब्यावर की दो पंचायत समिति जवाजा और मसूदा हैं। दोनों ही डार्क जोन में डिक्लेयर हैं। आज इस डार्क जोन के कारण हमें कृषि के उन कुओं पर लोन नहीं मिलता, हमें कनेक्शन लेने में परेशानी पैदा होती है, हमारी कई योजनाएं नहीं आ पायी और इन दो पंचायत समितियों कि 60 ग्राम पंचायतों का मात्र 14-15 रुपये का सालाना बजट हमें मिलता है। 87 के पहले तो इस बजट का उपयोग नहीं होता था। स्टाफ नहीं था। 1987 में स्टाफ ब्यावर आया तो इस बजट का उपयोग होने लगा। तो हमारे यहां बजट की काफी कमी है। हम चाहते हैं आप इसके अन्दर उचित व्यवस्था करें और बजट बढ़ा सकें तो उचित रहेगा। इस बात की अत्यधिक आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बर बंडिग योजना है। राजस्थान में जल की कमी है, चूंकि वर्षा कम होती है तो यहां पर बेर बंडिग योजना से किसानों के आर्थिक स्तर को ऊंचा किया जा सकेगा। पता नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, किस स्तर पर यह योजना पड़ी है। किन फाइलों में दबी हुई है यह मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना ही मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। माननीय कृषि मंत्री महोदय, अगर आप इस बेर बंडिग योजना को अपने विभाग के माध्यम से वापिस राजस्थान में लागू करवायें तो किसानों का आर्थिक स्तर ऊंचा हो सकता है। किसानों की इसमें जो खेती की जमीन है वह खराब नहीं होगी। इसमें भूमि का सम्पूर्ण उपयोग होगा, अयोग्य कृषि भूमि का उपयोग होगा, सिंचाई के अभाव में फल का उत्पादन होगा, पशुओं को चारा मिलेगा, डेयरी के विकास के लिए सहायक होगा, ईंधन के लिये लकड़ियां मिलेंगी और अतिरिक्त आय होगी। मात्र 86 रुपये की लागत आती है, एक बंडिग करने में मात्र 86 रुपये की

(श्री माणक डागी)

लागत आती है और एक हैक्टेयर क्षेत्र में बंडिंग करने में 3200 रुपये की लागत आती है। इतनी सस्ती और बढ़िया योजना कहीं नहीं हो सकती है। माननीय मंत्री महोदया, आप चाहे राजस्थान में कोई योजना लेने के लिए तैयार नहीं हों तो कम से कम जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र में और मसूदा पंचायत समिति क्षेत्र के सुदूर इलाकों, जहां आज तक कृषि विस्तार कार्यकर्ता भी नहीं पहुंच पाया, की ओर ध्यान देकर इस योजना को लागू कर दें तो जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र, जो पहाड़ों के बीच में स्थित है, जो अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और मसूदा पंचायत क्षेत्र को, माननीय मंत्री महोदया, इससे फायदा हो सकेगा। ब्यावर में जब श्रीमान् बूंटासिंहजी साहब पधारे थे उन्होंने एक अरावली विकास योजना डिक्लेयर की, कृषि मंत्री थे उस समय। उस अरावली विकास योजना को आप राजस्थान में टेकअप कीजिये। 164 करोड़ रुपये की योजना है। मैंने पिछले बजट सैशन में अपनी यह बात कही थी। 164 करोड़ रुपये की योजना केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है। आप अपने प्रभाव को उपयोग में लें। आपको अच्छा अनुभव है, आप प्रभावशाली हैं, आपको इस मामले में इन्ट्रेस्ट लें। आपने हरदम किसानों के हित के लिये काम किया है, सारी स्थिति से आप वाकिफ हैं, आप अगर अपने प्रभाव को काम में लेंगी, मुझे विश्वास है, माननीय कृषि मंत्री महोदया, राजस्थान में अरावली विकास योजना को आप अगर ले आईं तो राजस्थान में करोड़ों, करोड़ों रुपया इस योजना के माध्यम से केन्द्र सरकार का हम खर्च करवा पायेंगे। पिछले बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात की ओर इंगित किया है लेकिन इसके बाद इस ओर प्रोग्रेस नहीं हो पायी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फल और सब्जी मण्डी, ब्यावर में कुछ कमियां हैं, वहां कुछ गोदामों की आवश्यकता है, मैं इस की ओर माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां 25 दुकानें हैं। ब्यावर में बहुत बड़ा फल और सब्जी मण्डी का मार्केट है, टमाटर की तो वह राजस्थान की सब से बड़ी मण्डी है, मिर्ची का वहां पर बहुत बड़ा व्यापार होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी परिस्थितियों के अन्दर मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अभी 11 दुकानें और बना कर दी हैं, वहां पर गोदामों की और आवश्यकता है। वहां पर किसी प्रकार का प्लेट-फार्म नहीं है। आये दिन किसी न किसी बात को लेकर के उनके झगड़े होते हैं, नीलामी को लेकर झगड़े होते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वहां गोदामों का निर्माण कराया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंडी समिति क्षेत्र की सड़कों की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान के अन्दर प्लान वर्क में पिछली बार एक परिवर्तन कर दिया गया कि राजस्थान के अन्दर एक प्लान वर्क के अन्दर सड़कें बनाने का तय किया गया-नीतिबद्ध। लेकिन यह नीतिबद्ध गलत है। माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान में प्लान की सड़कों को पी.डब्ल्यू.डी. अपने आप बनायेगा, आज

(144)

(श्री माणक डाणी)

नहीं बनायेगा तो 1990 तक बनायेगा. 1991-92 में जाकर के बनायेगा लेकिन वे क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र से घिरे हुए हैं, हिस्से जहां उबड़-खाबड़ है, वे क्षेत्र जहां कंकरीट निकल जाती है, जहां बड़े-बड़े पत्थर हैं, किसान के न बैल जा सकते हैं, अगर जाते हैं तो उनके फांसी लगती है, ऐसे क्षेत्र में कृषि मण्डी समिति में अगर सड़कें बनाने का एक प्रोग्राम हाथ में लिया जाय तो एक बहुत बड़ा फायदा होगा। इसी प्रकार ऐसी छोटी-छोटी पुलियाएं जिनके नालों के किनारे लोग बसे हुए हैं लेकिन इस सरकार के पी.डब्ल्यू डी. के मद में पैसा नहीं है अगर आप बनायेंगे तो ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के जोड़ने से राज्य सरकार को फायदा मिलेगा। माननीय मंत्री महोदय, आपके द्वारा मंत्री पद का कार्य भार सम्भालने से पूर्व राज्य सरकार ने 22 दिसम्बर को आठ स्वीकृतियां निकालीं। आपको आश्चर्य होगा, 8 स्वीकृतियों में ऐसी स्वीकृतियां निकालीं जो आलरेडी पक्की बनी हुई सड़कें थीं। मुझे मालूम है पैसा खर्च करना हमारा उद्देश्य है, पैसा खर्च होना चाहिए, मैं उसको बुरा नहीं मानता लेकिन पैसा कहां खर्च होना चाहिये अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दिया जाय तो अच्छी बात है। इन्होंने सड़कें मन्जूर करीं लेकिन जो पक्की सड़कें अधिकांश हैं वह मन्जूर कर दीं। इससे क्या फायदा रहा। जो सड़कें अकाल में बन कर तैयार हुई, जिन पर एक लाख रुपया अकाल के समय खर्च हुआ उसके बावजूद भी उसी एक किलोमीटर की लागत, एक डेढ़ किलोमीटर की लागत वही आयी। मैं मानता हूं कि एक बार सड़क मन्जूर करनी पड़ती है, आप मन्जूर कर दीजिये लागत से, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उसके एक्चुअल फिगर आप मंगवा लें, एक्चुअल लागत मंगवाइये ताकि कम से कम इसके अन्दर भ्रष्टाचार की बात नहीं रहे और जो आलरेडी पक्की सड़कें हैं आप चाहें तो उन्हें रद्द करदें। हमने सड़कें गांव के अन्दर बनाने का प्रयास किया। देखिये, माननीय मंत्री महोदया, आज ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमने 1985-86 में जो प्रस्ताव भेजे उसमें मात्र चार सड़कें हमारी मन्जूर हो पायीं और बाकी की सड़कें हमारी आज तक मन्जूर नहीं हुई हैं।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन-चार मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बकाया की बात कल भी कही थी। ब्यावर कृषि मण्डी समिति में 5,50,044·36 रुपये म्यूनिसिपैलिटी का बकाया है। कृषि मण्डी के जो निदेशक थे उन्होंने सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने ब्यावर कृषि मण्डी को निर्देश दे दिये कि यह पैसा चुका दिया जाय। उन्होंने इस पैसे के लिए बजट प्रोविजन करके भेज दिया लेकिन पता नहीं किन कारणों से आज तक निदेशालय द्वारा इस की स्वीकृति नहीं मिल पायी। मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि ब्यावर में ही नहीं अपितु राजस्थान में जहां म्यूनिसिपैलिटीज की आर्थिक स्थिति खराब है और कृषि मण्डी को पैसा देना है और

(श्री माणक डाणी)

कृषि मण्डी के पास जहां पैसे हैं उस पैसे को म्यूनिसिपैलिटी को दिलवायें ताकि म्यूनिसिपैलिटी भी काम कर सकें और कृषि मंडी का जो दायित्व है वह भी पूरा हो सके, उस की लाइबिलिटीज क्लियर हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री माणक डाणी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मुद्दे की बात और है। पता नहीं क्या राजनैतिक स्वार्थ है पहले वाले लोगों को पता नहीं किन कारणों से ऐसा हुआ, भगवान ही जानता है मैं नहीं जानता। लेकिन, मंत्री महोदया, पड़ोस की 5 या 6 पंचायतें है जिनसे ब्यावर का कोई लेना-देना नहीं है, मात्र कुछ लोगों का एक राजनैतिक हस्तक्षेप करना है, उन छह पंचायतों को हमारे इस क्षेत्र में मिलाने का उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र ऐसा रचा कि बिना किसी प्रकार की किसी को जानकारी दिये उन्होंने एक गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया और छह पचायतों के शामिल करने की बात कर दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर और जवाजा पंचायत समिति में आप चल कर देखिये इतना बड़ा असंतोष है ....

श्री हीरासिंह चौहान : ब्यावर आपका था इसलिए उसको मिला दिया। यह माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं। उनको कह दो कि पूरा का पूरा ब्यावर ...

श्री माणक डाणी : इतना बड़ा असंतोष है जिसकी कोई हद नहीं लेकिन मात्र हमारी कृषि मंडी का पैसा उसमें खर्च करने के लिए, हमारे पैसे का दुरुपयोग करने के लिए उन क्षेत्रों को शामिल करने की जो साजिश रची जा रही है वह साजिश बन्द होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैंने अपनी बात आपसे भी कहने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से इस राजनैतिक षड्यंत्र को दूर करते हुए आप मेरी मदद करेंगे और ब्यावर की कृषि मंडी समिति का पैसा इस मंडी समिति क्षेत्र में खर्च करने के लिए आप सहयोग करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करें। माननीय श्री सम्पत सिंह।

श्री माणक डाणी : इसी प्रकार से एक अन्तिम मुद्दा मैं कह रहा हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज कोआपरेट।

श्री माणक डाणी : सब से कम अन्तिम मुद्दा है।

श्री उपाध्यक्ष : Please co-operate now.

श्री माणक डाणी : एक मुद्दा कह कर समाप्त कर दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, होल सेल मर्चेण्ट एसोसिएशन, व्यापारियों के प्रतिनिधि मण्डल को मैंने आपसे एवं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से मिलवाया था। ब्यावर में कृषि मण्डी की स्थापना हुई, दुकानों का अलाटमेन्ट तो हुआ लेकिन कब्जा नहीं दिया, कब्जे के नाम पर खाली साइन करवा लिये गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी वहां पर जो चौकी लगनी चाहिए थी, वह चौकी इनकी वहां पर नहीं लगी लेकिन आज तहसीलदार के माध्यम से कुर्कियों की बात चली कि तीन

(श्री माणक डाणी)

महीने में अगर वे लोग किराया नहीं देंगे तो उनकी दुकानें केन्सल हो जायेंगी। वे दुकानें उस जमाने में केन्सल नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई लेकिन आज उनको 18-18 महीने का किराया निकाल कर भेज दिया गया। मैंने मंत्री महोदय से सम्पर्क किया और मंत्री महोदय ने मुझे इस बात के लिए आश्वासन भी दिया, मैं इसके लिए मंत्री महोदय का इस सदन में आभार प्रकट करना चाहता हूं कि वे इस मामले में पुनर्विचार करेंगे।

और एक मुद्दा, एक हरिजन महिला भंवरी पुत्री मुलतान, उसकी नौकरी का मामला है। वह बार बार भूख हड़ताल पर बैठने की धमकी देती आ रही है, लिख रही है। दो साल तक लगातार वह काम करती रही लेकिन उसे हटा दिया गया। माननीय मंत्री महोदया वहां पर जगह है, प्रति दिन, डेली वेजेज पर उसे रखा जाता है लेकिन जब इच्छा होती है उसे हटा दिया जाता है, लड़की पर जब अन्याय करना होता है तो उसे हटा दिया जाता है। मैं सोचता हूं कि आप इन सारे मुद्दों पर विचार करेंगी और इसके साथ जो मामले मैंने सदन में प्रस्तुत किये हैं उस ओर आप उचित कार्यवाही करने की कोशिश करेंगी। इसी के साथ आपने मुझे समय दिया, मेरी बात को सुना, उसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सम्पतसिंह।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं एक इन्क्वायरी करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नो इन्क्वायरी। माननीय सम्पतसिंहजी।

श्री हीरासिंह चौहान : माणकजी डाणी साहब, कृषि मंडी ब्यावर में सारा माल जैतारण और रायपुर से आता है, ब्यावर में तो हर साल अकाल रहता है। आपके वहां की क्या पैदावार है ? एक फूटी कौड़ी तक की इनकम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Not to be recorded. माननीय सदस्य, बीच-बीच में खड़े हो जाते हैं। आपका जब नम्बर आये तब बोल लेना। माननीय सम्पत सिंहजी।

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री माणक डाणी : ×××

श्री रमजान खां : ×××

श्री सम्पतसिंह (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय कृषि मंत्री जी के ध्यानाकर्षण के लिये मैं सक्षेप में दो-तीन बातें निवेदन करूंगा जो विभाग मे सम्बन्धित हैं और सरकार के नीतिगत जो भी परिवर्तन होने चाहिये मैं वह गुजारिश करना चाहूंगा।

(6.00 सायं)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन)

यह आपकी सोच है, वरना अध्यक्ष महोदय, देश और प्रदेश की चिन्ता करते हैं,

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सम्पतसिंह)

जिले में कभी-कभी जाते हैं, क्षेत्र में कभी जाते नहीं; उनका सारा जिला उनका क्षेत्र है, सारा प्रान्त उनका क्षेत्र है, हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं, तो अध्यक्ष महोदय को वहां जाने की क्या जरूरत है।

श्री माणक डाणी : इसलिये वहां की जमीन पोली है।

श्री सम्पतसिंह : जहां जमीन पोली है, उन गांवों के नाम पोल पर हैं, हमारे यहां कोई पोल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि अधिकतर माननीय सदस्यों में से कइयों को शादी में जाना है, इसको रेगूलेट कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री सम्पतसिंह : सब बाराती पीटे जा रहे हैं इसलिये नहीं जायें वहां तो अच्छा है मेरी तो राय यही है और यहां ज्ञान-ध्यान की बातें हो रही हैं उसको सुन लें तो बड़ी अच्छी बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि कृषि विभाग की नीतियां किस बात को देख कर बनानी चाहिये और पिछले 25-30 वर्ष से जो बनी हैं, उन्होंने तरक्की दी है इसमें दो राय नहीं है, वैज्ञानिक सोच को उन्होंने बढ़ाया है, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि उतनी द्रुत गति से और उतने तकनीकी अन्दाज से नहीं बन पायीं जितने से बननी चाहिए थीं। जैसा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान क्षेत्रफल में हिन्दुस्तान में मध्य प्रदेश के बाद दूसरा प्रान्त है और उसके बाद भी जमीन के चप्पे-चप्पे का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारी इकानामी में, न सिर्फ प्रांत की इकानामी में वरन् देश की इकानामी में 57.3 प्रतिशत सकल आमदनी हम कृषि से लेते हैं। जैसी हमारी उपेक्षा है, यह भाव अगर बना रहता है और चाहते हुए हम पूरी बात नहीं कर सकते तो कृषि के साथ तो अन्याय है ही, प्रांत और देश के साथ भी है। जब हम कृषि की बात करते हैं तो दरिद्रता का कितना चित्र हमारी नजरों के सामने हमेशा आता है आज प्रांत की आधे से ज्यादा आबादी दरिद्रता की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही है। इन दरिद्रों में सबसे पहले कौन शुमार होता है ? 1981 की जनगणना के हिसाब से जो भूमिहीन देश में गिने गये थे, जिनके पास एक बीघा भी कृषि करने के लिये उस वक्त नहीं थी वे उस वक्त थे 5 करोड़ 50 लाख और उसमें 10 लाख तो दूसरे साल यों ही बढ़ गये और आज 89 चल रहा है, आज कम से कम 8-10 करोड़ के करीब भूमिहीन किसान देश में हैं और इनमें से हमारे राजस्थान में 35-40 लाख से कम नहीं हैं। इनके हिसाब से कौन सी नीति बने, चाहे एक बड़े से बड़ा विभाग हो, चाहे कलस्टर स्कीम हो, कोई सी भी स्कीम ला दें भूमिहीन किसान, जो सीमान्त काश्तकार है, एक बीघा जमीन नहीं है जिसके पास, उसके लिये हमें निश्चित रूप से उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें योजनाएं निर्धारित करनी होंगी। मैं इस बात को बिना संकोच के निवेदन करना चाहूंगा हमारा नजरिया जो है, चाहे हम नारा समाजवाद का देते रहें, लेकिन हमारा नजरिया यथार्थ में पूंजीवाद

(श्री सम्पतसिंह)

की तरफ बनता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। जो समाजवाद की बात हम संविधान में लाये थे उससे भी हम अलग हो गये। एक सर्वेक्षण हुआ था गरीबों का, दरिद्रों का, खेती पर जीवन बसर करने वालों का। इस सर्वेक्षण का निष्कर्ष आया कि 116 रु. जिसकी आमदनी हो महीने में गांव में, उसको गरीब माना गया, 1222 रु आमदनी है शहर में उसको गरीब माना गया। और इनको तो हम किसान कहते हैं और जिनको हम कैदी कहते हैं उन पर सरकार का खर्चा आता है 589 रु. 20 पैसे। जो जेल में तीसरे दर्जे का कैदी होता है वह हमारे प्रांत और देश में हमसे अच्छा रह रहा है, दुगुना तिगुना उस पर सरकार खर्चा कर रही है। जो अपनी मेहनत से, जो सेल्फ एम्प्लायड लेबर है वह 122 और 116 रु. पर अपना जीवन बसर कर रहा है। दुर्भाग्य से कृषि मंत्री जी यहां नहीं विराज रही हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी नीतियों को उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए बनायें जिनकी आमदनी सरकार ने स्वयं आंकी है 116 और 122 रुपये। जिस आदमी की यह आमदनी होगी, आज अंदाज लगा लीजिये उसकी क्रय शक्ति क्या होगी, वह पढ़ाई-लिखाई और दूसरी विलासिता की चीजों के तो स्वप्न ही देखता रहेगा। उसे दवाई और पढ़ाई जैसी दूसरी चीजों के लिये भी तरसना पड़ेगा। 45 लाख किसान परिवार कुल हैं जिनमें से, मैंने जैसे पहले निवेदन किया, राजस्थान में 13 लाख सीमांत किसान हैं, 9 लाख लघु काश्तकार हैं परंतु इन दोनों को मिला कर कुल 9.45 प्रतिशत भूमि ही कब्जे में है। आप देखेंगे सरकार स्वयं 35 अरब रुपयों के सार्वजनिक ऋण में डूब चुकी है और 4 अरब रुपया प्रति वर्ष हम ब्याज में चुकाते हैं। जिस सरकार के इतना कर्ज सिर पर हो वह क्या बहबूदी की योजनाएं लागू कर सकेगी। बहस-मुबाहिसे होते रहेंगे और दबा हुआ आदमी और दबता चला जायेगा। इसलिये आपकी मार्फत मैं कृषि मंत्री जी से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि इन लोगों को मद्देनजर रखते हुए अपनी नीति बनाये। आज राजस्थान में अगर हम खनिज, बिजली और पानी, सिंचाई-इन योजनाओं पर ध्यान दें तो कृषि ही एक ऐसा बचता है, हम अपनी इनकम के जरिये को जहां बढ़ा सकते हैं। लेकिन बड़ी विडम्बना है राजस्थान के बारे में दिल्ली में पावर कोरीडोर्स में सैक्रेटेरियट में एक मजाक किया जाता है कि पूरे हिन्दुस्तान में दो फसलें होती हैं, लेकिन राजस्थान तो ऐसा सूबा है जहां तीन फसलें होती हैं - खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती है और एक अकाल की फसल होती है। गरीबों के, सीमांत किसानों और लघु किसानों और बाकी किसान मजदूरों के भाग्य के साथ दिल्ली में मजाक होता है। अकाल को वह फसल मान रहे हैं। लेकिन उनका कहना भी वाजिब है, अकाल यहां अभिजात्य वर्ग के लिये एक फसल बन गई है। इस ओर एक बंदिश लगायें और पैनी नजर से देखें कि अकाल के ऊपर जो खर्चा होता है उस को अकाल के हिसाब से करें, अकाल न पड़े ऐसी कोई व्यवस्था करें। उसके लिये पशुधन को भी कृषि विभाग से जोड़ें। जैसे फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कृषि विभाग में सिंचाई विभाग भी जोड़ा जाना चाहिये, मैं निवेदन करूंगा

(श्री सम्पत सिंह)

पशुधन पालन विभाग भी कृषि के साथ होना चाहिये। किसान और मजदूर के लिये पशुधन एक तरह से जीवन-यापन का साधन है। छोटे किसान, बड़े किसान सब की इनकम बढ़े। जैसा फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हल सबसे बड़ा दुश्मन है मरु प्रदेश को सरसब्ज बनाने के हिसाब से। लेकिन बहुत अरसे से, तीन चार साल से मैं लगातार, मंत्री महोदय, एक सवाल करता आ रहा हूं इस पवित्र सदन में कि पहले हमारे यहां छोटे ट्रैक्टर आया करते थे और खास तौर से डीटी-14 ट्रैक्टर। मैकेनिकली वह लाभप्रद था छोटे और सीमांत किसान के लिये, बहुत सस्ता पड़ता था और इसका मेन्टीनेन्स भी सस्ता था। लेकिन न मालूम किन नीतियों के तहत वह बंद हुआ और आपके यहां से जवाब आया कि हमने एक कमीशन उस पर बनाया है, समिति बनायी हुई है कि डीटी-14 वाले या दूसरे छोटे ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज कैसे आयात कर सकते हैं। लेकिन आज दिन तक उस पर आपकी समिति कोई निर्णय नहीं ले पायी। यह समझ के बाहर है कि यह दो दो, तीन-तीन लाख रुपये ट्रैक्टर की कीमत हो रही है। जिसके पास 25-30 बीघा जमीन है वह कहां से उस कर्जे को चुकायेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां चाहे कृषि विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित समझिये, चाहे विभाग से सम्बन्धित समझिये....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, अभी तो चार-छह बातें मुझे कुल ही निवेदन करनी है, मैं इसीलिए शुरू में अर्ज कर रहा था.... (व्यवधान) मैं तो भूमिका नहीं, टेलीग्राफिकली अर्ज कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : सभी भूमिका बनायेंगे तो सुबह के छह बजेंगे यहां, रेगूलेट करिये। काम की बात ही करें।

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जितने भी सरकारी कृषि फार्म हैं आपने उनकी इकानामी देखी। पिछले दस-पन्द्रह साल से ही देखिये, यह हमारे लिए एक तरह से विलासिता की जगह बन चुकी है, सिर्फ पिकनिक-स्पॉट बन गये हैं। वहां क्या हम लागत लगाते हैं क्या वहां से ज्ञान वृद्धि हो रही है? अध्यक्ष महोदय खुद मुझे कृषि विभाग के एक डिप्टी डायरेक्टर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बताया कि मैंने अपने खेत में गन्ना लगाने के लिए कुछ अपने विभाग के आदमियों को भेजा और पन्द्रह दिन बाद जब मैं अपने घर गया तो मेरे पिताजी ने मुझे डांटा कि हमारे पहले ही मजदूर अच्छा गन्ना लगा दिया करते थे। मैंने देखा जाकर, गलती क्या हुई? उस पौध को ही उन्होंने पूरे को छील दिया। अब सरकारी फार्म में किस तरह से धन की बरबादी हो रही है, मैं मंत्रीजी से पुरजोर निवेदन करूंगा कि इस ओर देखें और कम से कम सरकारी फार्म पर नियंत्रण करें। जो लागत वहां आती है, इसलिए हम बार-बार कहते हैं जो सूरतगढ़ के फार्म पर गेहूं की लागत आती है, आप किसान को उतना ही, दिला दीजिए लेकिन इसका अनुमानतः कोई अध्ययन नहीं हो रहा है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस ओर अवश्य अपना ध्यान आकर्षित करें। किसान अकाल से बचें, प्रांत अकाल से बचे इसलिए

(श्री सम्पत सिंह)

हमें अपनी सिंचाई योजनाओं पर तुरन्त ध्यान देना होगा। भूमि सुधार हमें करना होगा। एक हैक्टेयर से लेकर चार हैक्टेयर तक जो किसान हैं वे 64.54 प्रतिशत हैं जबकि उनके कब्जे में कुल 18.17 प्रतिशत भूमि आती है। चार हैक्टेयर से बीस हैक्टेयर की जोत के जो कृषक हैं वे 30.45% है परन्तु उनका कुल क्षेत्रफल 46.20% है, बीस हैक्टेयर से ऊपर की जोत वाले जो किसान हैं उनका प्रतिशत कुल 5 06 है लेकिन उनके कब्जे में 35.63 प्रतिशत जमीन है। इसी तरह से 0.5 से एक हैक्टेयर तक के जो सीमांत कृषक हैं उनका प्रतिशत है 29.3 परन्तु क्षेत्रफल उनके पास कुल 3.17 प्रतिशत है। इसी तरह एक से दो हैक्टेयर के जो छोटे किसान हैं उनके पास 19.0 प्रतिशत है जबकि उनके पास कुल क्षेत्रफल है 6.37 प्रतिशत, दो से चार हैक्टेयर के जो अर्द्ध मध्यम कृषक हैं उनका प्रतिशत है 20.48 और उनके पास क्षेत्रफल आता है 13.14 प्रतिशत। उन तीनों को अगर मिला दिया जाय तो क्षेत्रफल आयेगा 22.68 प्रतिशत। अध्यक्ष महोदय, इसको देखते हुए आप देखेंगे कि भूमि सुधार आज तक नहीं हुआ। सीलिंग और चकबंदी इसकी बहुत बड़ी समस्या है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं दो ही मिनट में खत्म कर रहा हूं। सीलिंग में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अध्यक्ष महोदय, इसलिए कह रहे हैं कि गमलों में खेती नहीं हो सकती, जमीन को आप देखें कि कहां फंसी है, सीलिंग के आंकड़े मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, सरकारी आंकड़े बताते हैं दो हजार सात सौ पैंतालीस हैक्टेयर भूमि सीलिंग से फालतू आई थी और राजस्थान भूमि सुधार एवं सम्पदा अधिग्रहण अधिनियम, 1963 में जो बना उसमें उनसठ हजार पांच सौ नब्बे एकड़ भूमि अधिग्रहण के आदेश दिये मगर आज तक न तो कोई कब्जा लिया और न बंटवारे का प्रश्न ही पैदा हुआ। बंटवारा करते कहां से ? आपने भू-दान का जो नारा दिया था उसमें 1968 के आंकड़ों के हिसाब से निवेदन कर रहा हूं, चार लाख बत्तीस हजार आठ सौ अड़सठ एकड़ भूमि भू-दान में प्राप्त करी थी और उसमें से चौरासी हजार सात सौ इक्यासी एकड़ भूमि का वितरण दिखाया गया। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि एक लाख बाईस हजार चार सौ अठ्यासी एकड़ भूमि को बाद में वितरण के अयोग्य घोषित कर दिया और वह भूमि कैसी थी, जो या तो बड़े किसानों में फंसी थी या खेती के योग्य नहीं थी। इस तरीके से अगर खेती और कृषि का हमने विश्लेषण किया तो कोई भी मूल नहीं होगा और इसके बाद जो किसान अपनी कड़ी मेहनत से फसल उगाता है उसको कोई लाभकारी मूल भी नहीं मिलते हैं। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि न सिर्फ उसे गेहूं और चने का मूल चाहिये, आप देखें– उसका पूरा परिवार खेती में इन्वाल्व हुआ रहता है, उसे गेहूं, चने ही नहीं, खून पसीने की भी कीमत चाहिये और आज आप नहीं दे पायेंगे तो वे ही लोग सड़कों पर आयेंगे और आंदोलन होंगे जिसकी वजह से प्रांत में कोहराम मचेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री सम्पतसिंह)

अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही लाइन में खत्म कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : माननीय, माननीय। सबका येही हाल है।

श्री सम्पत सिंह : मैं लास्ट कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : I have very long list आपको बहुत ज्यादा समझूंगा मैं।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही मिनट में खत्म कर रहा हूं। अगर आप देखें, अध्यक्ष महोदय, इस तरह की व्यवस्था के हिसाब से तो हमें जो हमारे पड़ोसी प्रान्तों में हुआ है वह मुआवजा देना चाहिए और जो किसान जिन्दगी भर अपने खेत में काम करता है, जिस तरह से कर्मचारी, फौजी जिसकी जिन्दगी निकल जाती है, किसान की अपने खेत में काम करने के लिए, जो बूढ़ा हो जाता है, लाचार हो जाता है और मान लीजिए यदि परिवार में उसका कोई जरिया नहीं है तो निश्चित रूप से जो अपनी लाइफ एक्टीविटीज सेल करता है, मेहनत करते-करते पूरी जिन्दगी खपा देता है उसके लिए आप पेंशन की व्यवस्था करेंगे।

आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा। माननीय सदस्यों से कहूंगा कि सब इतने अच्छे बोल रहे हैं कि उनको अपने समय का पता नहीं लगता है कि कितना समय गुजर गया। मुझे देखना पड़ता है कि बजट को पास कराना है या इसकी मांग को पास कराना है। इसलिए कुछ रेगूलेट करके चलें तो ठीक है, यही मैं प्रार्थना करूंगा।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हिन्दुस्तान हमें विरासत में मिला वह नंगा और भूखा हिन्दुस्तान था। 1947 के बाद उस नंगे और भूखे हिन्दुस्तान की समस्याएं हमारे नेतृत्व के सामने एक अहम् समस्या थी और उसके विकास के लिए जो कुछ भी इन चालीस-बयालीस सालों में कांग्रेस ने, कांग्रेस की सरकार ने और कांग्रेस के नेताओं ने किया और जो कुछ भी इस देश को और इस प्रदेश को दिया है उस पर हम गर्व कर सकते हैं। एक हरित क्रांति हमारे देश के अन्दर आई है और उसका सारा श्रेय हमारे देश के नेताओं को है जिन्होंने इस देश की मूलभूत समस्या को समझकर देश की अस्सी प्रतिशत जनसंख्या, जो कृषि पर अपना जीवन यापन करती है, पशुपालन पर अपना जीवन यापन करती है, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनके विकास के लिए एक अनवरत प्रयास किया है। उसी का फल है कि आज हम स्वयं अपना पेट ही नहीं भरते, जिन देशों को आज आवश्यकता होती है उन देशों में भी खाद्यान्न बेचकर हिन्दुस्तान उनका पेट पालने की शक्ति रखता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक विस्तार में नहीं जाकर केवल राजस्थान और मेरे जिले की जो कृषि विभाग से संबंधित कुछ बातें हैं, आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरे नम्बर का राज्य है। इसका क्षेत्रफल तीन करोड़ बयालीस लाख हैक्टयेर है, जो कुल भूमि उपलब्ध है उसका आधा

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

भाग कृषि योग्य भूमि का आता है। अनावृष्टि और असमान वृष्टि इस प्रदेश की उपलब्धि मानी गई है और हमेशा किसी न किसी प्रकार की समस्या चाहे अभाव के रूप में हो, चाहे अकाल के रूप में हो, हमारे प्रदेश के अन्दर बनी रहती है। गत वर्ष शताब्दी का सबसे बड़ा अकाल हमारे प्रदेश के अन्दर पड़ा है। इस सारी जटिल परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि इन जटिल परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए भी राजस्थान ने जो कुछ किया है वह प्रशंसा के योग्य कार्य है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दशकों की स्थिति अगर हम खाद्यान्न के बारे में देखें तो 33.86 लाख टन खाद्यान्न हमारे देश के अन्दर पिछले तीन दशक पूर्व में होता था वह बढ़कर 1983-84 के अन्दर 100.70 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हम करने लगे हैं।

ज्यादातर हमारी कृषि वर्षा के ऊपर ही निर्भर करती है और उसके आधार पर जो कुछ हमारे प्रदेश के अन्दर हमने इन विपरीत परिस्थितियों में किया है वह मैं सोचता हूं, सरकार की सूझबूझ और इस प्रदेश की जनता की और यहां के किसानों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1989-90 के बजट के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो कृषि पर 54.41 करोड़ रुपया आरक्षित किया गया है, बजट आबटन किया गया है, जो कुल बजट का 6.84 प्रतिशत है। सिंचाई जो कृषि से ही संबंधित है, पर 149.90 करोड़ का प्रावधान है जो कुल बजट का 20.11 प्रतिशत है और इसी प्रकार से विद्युत, जो हमारी कृषि उत्पादन में एक अहम भूमिका रखती है, पर 215.40 करोड़ का है, जो कुल बजट का 27.09 प्रतिशत है। इस प्रकार के जो बजट के अन्दर प्रावधान किये गये हैं वह 429.71 करोड़ के हैं जो 54.04 प्रतिशत है। इतना बड़ा बजट कृषि और कृषि से संबधित जो हमारे इस प्रदेश की समस्याएं हैं उन पर राजस्थान सरकार ने प्रावधित किया है।

20 जिलों को सघन कृषि विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये जाने का निर्णय भारत सरकार के निर्देशानुसार इस वर्ष लिया गया है। 6 नयी मिट्टी की परीक्षण प्रयोगशालाएं और एक नयी बीज परीक्षण प्रयोगशाला खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट के अन्दर प्रावधान किया गया है। मैं यह मानकर चलता हूं कि कृषि विभाग का चार्ज हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने एक सक्षम, कुशल और ईमानदार मंत्री को दिया है और उनके कुशल नेतृत्व में, उनके अनुभव के आधार पर निश्चित रूप से हमारे कृषि विभाग की उपलब्धियां अच्छी रहेंगी और राजस्थान का विकास इस क्षेत्र के अन्दर अच्छा हो पायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक विस्तार में नहीं जाकर जो कुछ समस्या है और जो कट मोशन मैंने मेरे जिले के सम्बन्ध में दिये हैं उन पर माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो हमारा जिला है उसमें प्रचुर मात्रा में कृषि की संभावना है। वहां पर जो भूमि है वह उर्वरा

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

भूमि है। पानी राजस्थान में वहां सबसे ज्यादा उपलब्ध है। पानी तो हमारे जिले के अन्दर है लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उस पानी का सदुपयोग अभी भी जिस प्रकार करना चाहिए उस तरह से नहीं कर पाये हैं। यदि हमारे जिले के अन्दर परीक्षण प्रयोगशालाएं खोल दी जाती हैं तो उस जिले की जो उर्वरा शक्ति भूमि के अन्दर है उसका सही परीक्षण हो सकेगा और हमारे जिले के लिये एक महती उपलब्धि हो सकेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि झालावाड़ जिला राजस्थान का नागपुर माना जाता है और झालावाड़ जिले के अन्दर साइट्रस कल्टीवेशन के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त भूमि है। वह हमारे जिले की है। सन्तरे का बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे जिले के अन्दर है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस जिले के अन्दर कोई इस प्रकार का अधिकारी नहीं है, कोई इस प्रकार का परीक्षण नहीं हुआ वैज्ञानिक तरीके से कि जो हमारे सन्तरे की फसल है उसका किस प्रकार संवर्द्धन किया जावे, इसका विकास कैसे हो, जो आने वाली कठिनाइयां हैं उनका निराकरण हो सके। इसके बारे में मैं सोचता हूं कि कृषि विभाग के उपयुक्त अधिकारी या विभाग पूरा ध्यान नहीं दे पाया है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

बारे में आप जरूर ध्यान दें और जो हमारे जिले की कृषि भूमि है, कृषि की समस्या है जिसके बारे में मैंने अपनी कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनका जवाब निश्चित रूप से भिजवायें। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री खंगारसिंह।

श्री खंगारसिंह (खारची) : मैं कृषि के सम्बन्ध में मंत्री महोदय का ध्यान हमारे पाली जिले की ओर ले जाना चाहता हूं। पाली जिले में पानी की समस्या बड़ी विकट है और पानी और खेती का सम्बन्ध है। पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। जल है तो जगदीश है। अगर हीरे का पानी उतर जाता है तो उस हीरे की कीमत भी घट जाती है, इसी प्रकार से आदमी का पानी उतर जाता है तो उसकी भी कीमत घट जाती है। तो जमीन के पानी का लेवल नीचे चला गया है इस पानी का लेवल नीचे जाने से कुओं से सिंचाई नहीं सकती है और गहरा पानी भी उपलब्ध होने में बड़ी कठिनाई है। नीचे जमीन में चट्टानें हैं। पाली जिले के सर्वे के अनुसार, भू सर्वेक्षण विभाग के अनुसार करीब डेढ़ सौ और सौ फुट के नीचे पानी है और उसके नीचे 600 फीट पर चट्टानें हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पाली जिले में अगर 600 फीट पर चट्टान जियोलोजिकल वाले बताते हैं तो किसानों के हित के लिए हर पंचायत हैडक्वार्टर पर 1000 फीट गहरा ट्यूब वैल कराकर बतायें तो काफी किसान अपने इलाके में ले सकेंगे, बना सकेंगे और उसका उपयोग कर सकेंगे। यह कभी मत सोचिए कि पानी का लेवल ऊंचा आयेगा। पानी हमेशा दिनों दिन नीचे जा रहा है। यह मेरा पचास साल का अनुभव है कि आज से पचास साल पहले जिस कुएं का पानी 20-25 फीट पर था वह आज 150 फीट तक नीचे चला गया है। गये साल

(श्री खंगारसिंह)

आपने जो ब्लैक और व्हाइट जोन घोषित किया उसके अनुसार जून, 88 के अन्दर आपने पूरे राजस्थान की सर्वे के अनुसार ब्लैक और व्हाइट जोन घोषित किया। उसके अन्दर आपकी जो कमेटी बैठती है उसका सही अनुमान होना चाहिए, ब्लैक और व्हाइट जोन करने के अन्दर। हर खेत के अन्दर तीन तरह की जमीन है-एक क्षारीय, एक लवणीय और एक मीठे पानी की जमीन है। जहां खारा पानी है वहां ब्लैक जोन घोषित करते हैं। क्या उस जगह खेती नहीं होती है, जहां लवणीय जमीन है और क्षारीय जमीन है। कुछ जमीन है जिसमें दो साल से खेती होती है, कुछ जमीन ऐसी है जिसमें एक साल से खेती होती है और मीठा जो पानी है उसमें दो फसल होती है। ब्लैक और व्हाइट जोन घोषित करने के लिए यह कभी ध्यान नहीं दिया जाता है परन्तु राजस्थान के अन्दर जो पश्चिमी राजस्थान आया हुआ है उसकी ज्यादा जमीन क्षारीय है और लवणीय है और तीसरा हिस्सा है जो कई नदियों के किनारे आया है और अब बरसात नहीं होने के कारण दिनोंदिन जो मीठे कुएं हैं उनका पानी भी खारा होता जा रहा है। क्योंकि खारे पानी का उपयोग कम होता है और मीठे पानी का उपयोग ज्यादा होता है इसलिए जमीन में से रिस करके मीठे पानी को भी खारे में परिवर्तित कर देता है। इसके लिए आप द्वारा नीचे जमीन में जो सोर्स हैं उसके आधार पर किसी भी हालत में पानी का इन्तजाम नहीं किया गया तो आने वाले भविष्य में पीने के पानी के लिए भी आपको तरसना पड़ेगा। इसके अलावा खाद और बीज के ऊपर जो सब्सिडी काश्तकारों को मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती। आपके तिलहन और दलहन योजना के अन्दर 88 में जो सहायक कृषि निदेशक, श्री जे. के. जैन, पाली हैं उन्होंने अन्दर रबी की फसल के अन्दर उनके एरिया में एक लाख दस हजार का खाद और बीज वितरण किया। फ्री आफ चार्ज देना चाहिए था, उस काश्तकार से पूरी कीमत वसूल की गई इसके लिए वह अधिकारी, जो, है 10 साल से पाली में बैठा है, कभी इसमें आ गया, कभी उस स्कीम में आ गया और 10 साल से यहां बैठा है। उसने पहले भी 82 में बैंक के अन्दर एक लाख का घोटाला किया था और इसी प्रकार पाली जिले के अन्दर वह बैठा है, फैक्ट्री वालों को खाद देता है। किसानों के हक का खाद है वह फैक्ट्रियों में जाकर रंगाई और छपाई के काम में आता है यह मंत्रीजी को कई बार लिखने के बावजूद आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं यह चाहता हूं, मैंने यह लिख कर दिया है कि मैं साथ में जाऊंगा, इन्क्वायरी करने को भेजो आप और उसको बदलिये और बदलने के बाद उसकी इन्क्वायरी करवायें। मैं भी साथ में जाऊंगा, इन्क्वायरी करवाओ। परन्तु अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार और भी, पाली जिले में प्रदूषण की समस्या बड़ी विकट है। पाली तहसील का आधा भाग, करीब 76 गांव ऐसे हैं जो प्रदूषण के कारण खारे हो गये हैं, जिनकी जमीन, जो है, बिल्कुल बरबाद हो गई है। जो प्रदूषण पाली में है, रंगाई छपाई का पानी इस नदी में जा करके कुओं में जाता है, कुओं का पानी बिल्कुल तेजाब हो गया है। कई बार विधान सभा में इस प्रश्न को

(श्री खंगारसिंह)

उठाया परन्तु सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा। इसके अलावा आप उद्योग पनपाने की कोशिश करते हैं। खेती एक उद्योग है और उसके ऊपर उद्योगों का आधार है। खेती एक ऐसा सोर्स है जिसके आधार पर उद्योग चलते हैं उसको आपको उद्योग घोषित करना चाहिए और उद्योग घोषित करने के साथ जो उद्योगों को रियायतें दी जाती हैं वह रियायतें कृषि के अन्दर होनी चाहिए। बीमा योजना लागू होनी चाहिए क्योंकि बीमा योजना लागू होती है तो काश्तकार को अपने हिस्से का फायदा मिलेगा और जो फायदा मिलेगा तो उसका उत्पादन बढ़ेगा। इसी हिसाब से किसान की फसल का मूल्य जो है, जो आपके कृषि फार्म है, जहां पर करोड़ों रुपये का घोटाला सालों साल होता है उसके अन्दर घाटा जाता है, जहां पर सब तरफ से अतिंग सोर्स है, पानी भी मिलता है, वहां पर खाद-बीज बराबर मिलता है, वहां पर टेक्नीशियन बैठे हुए हैं जो अनुभवी हैं जो हमें शिक्षा देने के लिए आते हैं परन्तु उनको खुद को ध्यान नहीं है कि पानी का कितना सम्बन्ध है और कौनसी फसल यहां होगी ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वह उत्पादन के विषय में समझते ही नहीं हैं। एक नया काश्तकार के लिए गेहूं और दूसरी फसल का जो फार्मों में पड़ता है उस मूल्य के हिसाब से मूल्य तय किया जाकर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कृषि मंडियों के अन्दर मारवाड़ जंक्शन कृषि यार्ड बना। मैंने पहले तत्कालीन मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी थी, गयी बरसात के अन्दर उसकी दीवारें गिर गयीं वह प्लेटफार्म बैठ गया और आज तक वह यूं ही पड़ा है, अधूरा है उसका मंत्रीजी ने जवाब दिया था कि मैं उसके विषय में लिखा-पढ़ी करूंगा, आज तक उसका जवाब मुझे कुछ नहीं मिला। यह हालत है आपके विभाग की।

श्री अध्यक्ष : श्री कमला भाई।

श्री खंगारसिंह : और कृषि यंत्र जो हैं उन पर हर साल लगातार टैक्स बढ़ जाते हैं उनको माफ करना चाहिए और वह टैक्स माफ होंगे तो हम हमारे सोर्स को बढ़ा सकेंगे। और भी कई सुझाव हैं परन्तु टाइम कम है, आपने मुझे टाइम दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : (मूल भाषण राजस्थानी में दिया) अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37 पर चर्चा हो रही है और यह किसानों की समस्या है। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार ने किसानों के लिए जो अकाल राहत में बेरे खुदवाये हैं और बेरों के द्वारा उन किसानों को सुविधा मिली। अध्यक्ष महोदय, लाखों बेरे खुदे जिसके अन्दर भगवान की कृपा से कितने ही बेरों के अन्दर पानी आया है। और मेरा यह निवेदन है कि उन बेरों के ऊपर हमारे बिजली विभाग से जो कनेक्शन है वह कनेक्शन दिये जावें। किसानों की और भी समस्यायें हैं कि जो बेरे खुदे हुए हैं और जिन पर बिजली लगी हुई है पहले से उनके

(श्री देवीलाल)

अन्दर पानी तो है नहीं और मीटर लग रहे हैं और उसका जो चार्ज ले रहे हैं तो वह चार्ज पहले बीच में तो बन्द कर दिया था अब वापस ले रहे हैं तो उस चार्ज को नहीं लिया जावे क्योंकि पानी नहीं निकल रहा है। बिजली काम में नहीं आ रही और किसानों से चार्ज लेते हैं। कई को तो 15-15 सौ और 2-2 हजार रुपये चार्ज के निकाल दिये वह नहीं लिया जावे यह मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रशासन गांवों की ओर चला, उसके अन्दर मैं तो यह सोचता हूं कि एक पंचायत में एक दिन में एक लाख का काम तो हुआ। यह भी एक सराहनीय काम है। इसके अन्दर एक-दो समस्या है, अध्यक्ष महोदय, वो मैं निवेदन कर दूं। पहले पुराने जमाने में खाते के अन्दर बड़े लड़के का नाम लग जाता था आज की तारीख में अगर वह लड़का मर गया तो उसके बेटे का नाम आ रहा है। खाते के अन्दर चार भाई हैं और बड़े भाई का नाम लग गया और तीन भाइयों का नाम नहीं लगा तो वह चार भाई मौजूद हैं और वे खाते में नाम लिखवाना चाहते हैं वह नाम नहीं लिखा। उसके बाद यह कहा तहसीलदार साहब ने, ए. जी. साहब ने कि भई, दावा करो। दावों के ऊपर, अध्यक्ष महोदय, कम से कम दो-तीन हजार रुपये खर्च होते हैं। उसके अन्दर वकील खड़े होते हैं और दो-तीन साल तक पेशियां पड़ती रहे उसके बाद उन चारों भाइयों का नाम आवे। तो यह समस्या मैंने आपसे निवेदन कर दी कि काम काश्तकारों का, प्रशासन गांवों की ओर और बेरों का काम सरकार ने कराया यह तो सराहना लायक है। अब ये काश्तकारों की समस्या है कि काश्तकार जो खेती के ऊपर काम करता है उसको तो आत्मा ही जानती है। अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आठ घंटे काम करते हैं और काश्तकार जो है वह 18 घंटे काम करते हैं और कई कई दिन तो ऐसी नौबत भी आती है कि 24 घंटों भी काम करते हैं, पानी चल रहा है नहरें चल रही हैं तो उसके अन्दर चौबीसों घंटे काम करते हैं। खेती के ऊपर, अध्यक्ष महोदय, कितनी ही कठिनाइयां आती हैं। आप स्वयं ही जानते हो कि बरसात नहीं होती है तो खेती सूख जाती है और ओले पड़ जाये तो फसल नष्ट हो जाती है। फिर भी यह +++ करते हैं। तो यह काश्तकार की मुसीबत को देखते हुए, चाहे दो साल, तीन साल से अकाल पड़ गया, फसल नष्ट हो गई, ना तो बिजली माफ होती है और ना असल माफ होता है और उसके अन्दर जो काश्तकार की स्थिति होती है उसमें 6 महीने कम से कम उनके घर के काम करते हैं और वह फसल नष्ट हो जाती है तो वह रोते ही रह जाते हैं। आज मैं सोचता हूं कि 6 महीने के लिए उन सारों का काम नष्ट हो जाता है, फसल नष्ट हो जाती है और एक पैसे की भी आमदनी नहीं आती है तो भी खाद के पैसे, बीज के पैसे मंडियों में देते हैं। बीज चाहे सहकारी समिति से लेवें तो उनके बीज का पैसा देते हैं। आज यह स्थिति है, मैं तो यह सोचता हूं कि एक-एक महीने की तनख्वाह भी सरकारी कर्मचारियों की निकाल ले तो भी आज जो काश्तकार हैं वह काश्तकार छोड़कर कहां जावे, 6 महीने

+++ अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री देवीलाल)

की मेहनत मजूरी नष्ट हो जावे, सारी फसल बेकार हो जावे, ऐसी स्थिति हो जावे तो भी वह काश्तकार आज उस देश के अन्दर खेती कर रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि फिर उसकी फसल साई सेंती हो जावे और वह मंडी में जाता है तो, अध्यक्ष महोदय, मंडी में ऐसी लूट है कि गाड़ी पर मूंगफली ले जावे तो दो-पांच रुपया ले ले और उस माल को जमीन पर रख दें तो गेहूं पर चाहे मूंगफली पर, चाहे जीरा हैं उस पर वह सब लोग लड़बा लग जावे, उस माल की कीमत ही नहीं है। वह काश्तकार तो माल को ढेरी करता है और आतरे बैठ जाता है अब वह जो भी भाव वह बेचते हैं और वह बोली लगती है तो उसको कहते हैं कि हाथों हाथ पैसा ले जाना है तो रुपया सैंकड़ा कटा। अब पहले ही माल का रुपया का बारह आना देते हैं और फिर रुपया सैंकड़ा काटकर। अगर कह दे कि हाथों हाथ दे तो पांच दिन में आना, दस दिन में आना। हमारा माल सही होता है, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं ही जानते हो कि दूसरी जितनी भी चीज बाजार में आती है चाहे सुनार.की आती है सारी में मिलावट होती है। चांदी में सफेद तांबा मिला देते हैं और हम सही मिर्चें देते हैं उनको पीस कर रंग मिला देते हैं, सही हल्दी देते हैं तो उसको पीसकर रंग मिला देते हैं तो सारी चीजों में यह व्यापारी मिलावट करते हैं और काश्तकार सही चीज ले जाते हैं तो फिर भी हमारी चीज का पूरा मोल नहीं देते हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत कम समय लेता हूं, बहुत कम समय देते हो आप मुझे, आज तो थोड़ा काश्तकारों की समस्या है और मैं काश्तकार हूं, थोड़ा निवेदन करने दो। इतनी मुसीबत होती है उस सामान को ले जाते हैं तो पूरा सामान, पूरी तुलाई, टूट फूट कर-कराकर देते हैं। तो वहां मण्डी में भी काश्तकारों के सामान की सरकार की तरफ से सुविधा होनी चाहिए और उस माल के पूरे पैसे मिलने चाहिए। एक निवेदन और करना है कि आज मण्डी में जावें तो जो भी सड़कें हैं वह सड़कें बिल्कुल खराब हो रही हैं। ना वहां मण्डी में बैलों के पानी पीने की सुविधा, न उस मण्डी के अन्दर कोई छाया की सुविधा, न उस मण्डी में काश्तकार रात को जाता है। तो माल डालने की सुविधा आप वहां भी करावें।

दूसरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, काश्तकारों का जो अकाल राहत में काम हुआ तो उसके अन्दर जो बेरा खुदा वह अधूरा है उसको वापस खुदाने की सुविधा करावें।

अब मुझे एक निवेदन और करना है कि पहले 1986 के अन्दर यहां इस विधान सभा के अन्दर काश्तकारों के लिये पास बुक देने की बात तय हुई थी और वह पास बुकें आज तक नहीं दीं। आज कोई भी काश्तकार खाते की नकल लेने जाता है तो उस को कितनी तकलीफ होती है कि पटवारीजी दस बार तो उसको चक्कर लगवाते हैं और फिर उसको नकल नहीं देते हैं। यह पासबुक हो जावे तो खाते की नकल, जो भी नम्बर, जो भी लगान की सुविधा रहती है, मिल जावे। पासबुक के लिये पहले तय हो गया था और आज तक नहीं मिली है। उसका आर्डर निकाल उन काश्तकारों को वह पास बुक दिलावें। आपने मुझे बोलने का समय दिया

(श्री देवीलाल)

इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हुआ, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर दयाल यादव।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37 के बारे में सदन में जो चर्चा हो रही है उस सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव मैंने दिये हैं, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। प्रथम तो यह कहूंगा कि जिन विषयों पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उनको मैं रिपीट करना नहीं चाहूंगा सिवाय इसके कि जैसे फसल बीमा का मामला है। मैं अपने विचार उस में सम्मिलित करते हुए यह मांग करता हूं कि पिछले फसल बीमा का करीब 45 करोड़ रुपया जो राजस्थान के किसानों का बकाया है, वह दिलाया जाये और राजस्थान के अन्दर फसल बीमा को पुनः लागू किया जाये लेकिन तहसील क्षेत्र पर जो यूनिट पहले कायम की गयी थी उसके बजाय पंचायत या रेवेन्यू विलेज के आधार पर यूनिट कायम करके फसल बीमा लागू की जाये।

दूसरा, मैं यह कहूंगा कि किसानों को जो राहत सरकार देना चाहती है चाहे किट्स के रूप में, चाहे खाद और बीज में अनुदान के रूप में, मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान में जब इतनी सहकारी समितियां हैं, सहकारी मूवमेंट भी कोई चीज होती है, तो यह जो अनुदान और किट्स जितने दिये जाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा घपले हो सकते हैं वह डिपार्टमेंट के द्वारा, कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा, ए.ई.ओ. के द्वारा वितरण किये जाते हैं, सहकारी माध्यम से यह वितरण नहीं किये जाते हैं इसी का नतीजा है कि यह घपले हो रहे हैं इसलिए मेरी मांग है कि किसानों को जो भी अनुदान पर या रियायती दरों पर जो भी चीजें उपलब्ध कराई जायें वह सहकारी समितियों के माध्यम से कराई जायें। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि पिछले साल जयपुर जिले की सतर्कता समिति में जयपुर जिले के सारे विधायकगण और सारे जन प्रतिनिधि, प्रधान, जिला प्रमुखों ने इस बात की मांग की थी जिला प्रशासन से कि रिजका का बीज जो जयपुर जिले में लाखों रुपयों का वितरण किया गया, कहीं भी वितरण प्रेक्टिकली नहीं किया गया। मुझे अफसोस है कि इस सतर्कता समिति की रिपोर्ट के कृषि विभाग में जाने के बाद आज तक उसकी जांच हो करके दोषी व्यक्तियों को दण्ड नहीं दिया। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि रियायती दर पर जो सामान दिया जाये वह सहकारी समितियों के माध्यम से दिया जाये। साथ ही मैं कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि आप सहकारिता मंत्री जी से बात करके हर पंचायत मुख्यालय पर एक सहकारी समिति कायम कीजिए ताकि किसानों को सीधा लाभ सरकार जो देना चाहती है वह पहुंच सके। इसके साथ ही कुछ बातें मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित हैं वह भी मैं कहना चाहूंगा। मेरे चौमूं विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति है और उसमें जयपुर से भी ज्यादा अच्छा ग्रेन आता है। सब्जी मण्डी अच्छी है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि करीब 8 साल पहले जो सड़कें बनी थीं उनकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है, उनका मैटीरियल वहांका वहां पड़ा है। मेरे

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

रेनवाल रोड से असटेड़ा, वाया मण्डा, भीड़ा का जो मैटीरियल सात साल पहले पड़ा था आज, उसी हालत के अन्दर वहां रोड पर पड़ा है। चौमूं से नांगलबहड़ा का जो मैटीरियल है वह खुर्द-बुर्द हो गया, रोड टूट गयी, पी.डब्ल्यू.डी. कहती है कि कृषि उपज मण्डी के अधीन सड़क का निर्माण हुआ है इसलिए हम नहीं करेंगे। मै मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो सड़कें कृषि उपज मण्डी की हैं, उनकी मरम्मत करवायें, जो मैटीरियल वहां पड़ा है कम से कम उसको तो लगवा दीजिए, नई सड़कें नहीं बनायें तो।

इसी के साथ खाद और बीज जो उपलब्ध कराया जाता है वह फसल के टाइम पर उचित समय पर दिया जाये। मैं पिछले साल का उदाहरण जयपुर जिले का देना चाहूंगा कि जब गेहूं की बिदाई हो रही थी तो जयपुर जिले के अन्दर खाद और बीज किसी भी सहकारी समिति में नहीं था लेकिन प्राइवेट डीलर्स के यहां खाद और बीज उपलब्ध हो रहा था, ब्लैक से किसान ले जा रहे थे और सबको इस बात का ध्यान था, हमने यहां विधान सभा में भी मांग की थी। फिर यह फसल का टाइम है लेकिन अभी तक सहकारी समितियों के अन्दर खाद और बीज नहीं पहुंचा है। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह उनको समय पर ही उपलब्ध करवाया जावे।

लास्ट में, खास तौर से जो बीजों के अन्दर एडल्ट्रेशन किया जाता है, जो फर्जी बीज वितरण किया जाता है इसको, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गम्भीरता से कहना चाहता हूं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्राइवेट डीलर्स इस तरह का काम करें लेकिन इसके साथ-साथ एन.एस.सी. के मार्का का, राजस्थान बीज निगम के मार्का का जयपुर जिले के अन्दर टमाटर का सीड इस साल वितरण किया है। वह सीड सर्टिफाइड सीड होने के नाते किसानों ने अपने चौमूं, जहां से मिला, ले जाकर उसको ग्रोइंग किया, जो पंजाब छुआरे का बीज था जिस टमाटर का नाम पंजाब छुआरा था वह जब उगा तो वह भट्टा उगा। पंजाब छुआरा जो लम्बा टमाटर होता है वह होता है, भट्टा गोल होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस में और एक्सप्लेन करना चाहूंगा और साथ ही कहना चाहूंगा कि टमाटर का सीड कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 लाख रुपये क्विटंल है। पूसा रूबी का भाव कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मैंने अभी तलाश भी किया, 12 लाख रुपये क्विंटल का है और माइको बीज का भाव 15 लाख रुपये क्विटंल का है। पंजाब छुआरा की बजाय जयपुर जिले के किसानों को भट्टा बीज दिया गया। जब टमाटर उगा तब हम को मालूम पड़ा कि यह भट्टा है। इस बाबत मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ किसानों ने तत्कालीन कृषि मंत्री श्री गोविन्द सिंहजी गुर्जर से मिलकर मांग की कि यह फर्जी बीज जिन फर्मों ने दिया है- उन फर्मों के खिलाफ कार्यवाही की जाय, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि गुर्जर साहब ने तुरन्त प्रभाव से इसका इंस्पेक्शन करवाया। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप का खास तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस टमाटर के फर्जी बीज की वजह से अकेले मेरे चौमूं विधान सभा क्षेत्र में एक करोड़ रुपये का किसानों को नुकसान हुआ है। यह लोग कौन हैं ? यह इस विभाग के ही व्यक्ति हैं जिन को ऊंचे आदमियों का प्रोटक्शन प्राप्त है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि तत्कालीन कृषि मन्त्री के आदेश के बाद इंस्पेक्शन हुआ लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। मैं असेम्बली के इस प्लेटफार्म पर यह कहना चाहूंगा कि यह लोग कौन थे। मैं आप की जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी पांच फर्म हैं जिन्होंने यह फर्जी बीज वितरण का काम किया। वह फर्म हैं: शारदा एग्रो, पवन ट्रेडर्स, बालाजी कृषि सेवा केन्द्र, जे.डी. खण्डेलवाल और दूसरी कोई खण्डेलवाल एग्रो। (व्यवधान) आप सुनिये तो सही, इतना महत्वपूर्ण मामला है और उस को आप सिम्पल वे में ट्रीट कर रहे हो।

इन पांच फर्म में पांचवीं फर्म वाले का भाई उप निदेशक कार्यालय में डबल ए.ओ. की पोस्ट पर फूलचन्द अग्रवाल है। वह फूलचन्द अग्रवाल उस व्यक्ति का भाई है जिस को इमरजेंसी के अन्दर जयपुर के मार्केट में गिरफ्तार किया गया था जिस के गले के अन्दर तख्ती लटकायी गयी थी कि मैं तस्कर हूं, जो कई दिनों तक जेल में रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने एक काकस बना रखा है। चांदपोल अनाज मंडी के अन्दर फर्जी कार्यवाही करने का इन्होंने आफिस बना रखा है। दांता हाउस, सामोद हाउस, फुलेरा तहसील के करणसर गांव में इन्होंने इस तरह के कारखाने लगा रखे हैं। यह लोग क्या करते हैं? खाली थैलियां बीज निगम से उठाते हैं, फर्जी सील बनवाते हैं और फिर सारा इस तरह मैनुपुलेशन करके सील लगा कर इन फर्मों के माध्यम से जयपुर जिले के अन्दर वितरित कर देते हैं। मैं कहना चाहूंगा, माननीय कृषि मन्त्रीजी, कि आप के इस विभाग के अन्दर हजारों की तादाद में अफसर हैं, गजेटेड अफसर हैं वह कहां गये ? जब वह सीड बिक रहा था क्या उन्होंने इंस्पेक्शन नहीं किया ? इस फर्म में कई आदमी हैं जो डिप्टी डायरेक्टर और इस तरह रिटायर हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि जब इस तरह के कट मोशन आये कि टमाटर का फर्जी बीज वितरण किया गया तो, अभी की मैं नहीं कहता लेकिन अभी दो घंटे पहले तक इन सारे डीलर्स का कोई न कोई प्रतिनिधि के रूप में इस असेम्बली की परिधि के अन्दर चक्कर काट रहा था। यह लोग इस तरह से मैनुपुलेशन करते हैं। डी ए.पी. का एक कट्टा 192 रुपये में आता है। सुपर फास्फेट का, जो गोलीदार होता है, सेम डी.ए.पी जैसा होता है, 60 रुपये का कट्टा डी.ए.पी. के कट्टे में पैक करके बीज निगम से ली हुई थैलियों में डाल कर उन में सील लगा कर जो मैंने इंगित किया उन में माल तैयार किया मार्केट के अन्दर भेजा जाता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जयपुर जिले के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस साल। मैं आप के माध्यम से सरकार पर यह चार्ज लगाना चाहता हूं कि इंस्पेक्शन होने के बाद इन लोगों के खिलाफ

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

क्यों नहीं हुई ? इसलिए नहीं हुई कि +++ ।

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे इस को। गलत बात है। डोण्ट नोट ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : ×××

श्री अध्यक्ष : यह हमेशा ट्रबल होती है। कोई चार्ज लगायें मुझे लिख कर दें। आल एक्सपंज्ड ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : ×××

श्री अध्यक्ष : यह नहीं लिखेंगे। माननीय सदस्य, बैठिये, गलत बात है। कोई चार्ज लगायें मुझे लिख कर दीजिए। यह बहुत गलत परम्परा है। रोज मेरा दिमाग परेशान रहता है। नो चार्ज ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : जो बात कहनी थी मुझे, मैंने कह दी ।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे दीजिए वहां। यह परम्परा बहुत गलत है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तत्कालीन कृषि मन्त्री ने आदेश दिया, आज तक उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? माननीय कमलाजी से खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने जवाब के अन्दर स्पष्ट करें कि इन तस्करों के खिलाफ इतने रोज के अन्दर चालान पेश करके क्या कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री विजय सिंह । श्री भोलाराम सैनी ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सेन्टेन्स बोल कर बंद कर रहा हूं। मुझे अफसोस इस बात का है कि किसान की बात आती है तो आप घंटी बजाते हैं।

श्री अध्यक्ष : और मुझे अफसोस इस बात का है कि आपको कीचड़ फेंकने में मजा आ रहा है। चिन्ता इस बात की है। आप कह लीजिए एक सेन्टेन्स ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : यह आप की गलती नहीं है। किसान के नाम पर भले ही राजीव गांधी किसान का नाम लेता हो लेकिन किसान की बात आती है वह भी साइलेन्ट होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हुआ मैं राज्य सरकार से इस बात की पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा कि जिन तस्करों ने टमाटर का फर्जी बीज वितरण किया है एन एस.सी. और राजस्थान सीड कार्पोरेशन के मार्के से, उन लोगों की जांच की जाय, उनके चालान किये जायं और किसानों को मुआवजा दिलाया जाय। धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री विजय सिंह। (अनुपस्थित) श्री भोलाराम सैनी। (अनुपस्थित) श्री हरिमोहन शर्मा। (अनुपस्थित) श्री भूदर मल वर्मा। (अनुपस्थित) श्री इन्द्र सिंह पूनिया। (अनुपस्थित) श्री उम्मेदी लाल। (अनुपस्थित) श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी। (अनुपस्थित) श्री मदन महाराज।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री मदन महाराज (ग्रटरू) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राज कृषि से सम्बन्धित मांग संख्या 37 के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है। मैं इस मांग का समर्थन करता हुग्रा ग्रापके माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूंगा। ग्रध्यक्ष महोदय, देश की ग्राजादी के बाद हमारे देश के प्रधान मन्त्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल जी नेहरू ने इस देश की बागडोर सम्भाली। उस वक्त हमारे इस देश की स्थिति, जो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, बड़ी दयनीय थी। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे इस देश के किसानों की स्थिति का जायजा लिया ग्रौर उनका एक ही संकल्प रहा कि देश में हरित क्रान्ति ग्राये, देश का किसान किसी प्रकार से ऊंचा उठे ग्रौर उस की ग्रार्थिक स्थिति मजबूत हो।

ग्रध्यक्ष महोदय, जिस देश में खेती पर ग्राधारित किसान ग्रपनी उन्नति के लिये तरसता था उस जमाने में केवल देशी खाद पर ग्रौर प्रकृति के वर्षा के पानी के ग्राधार पर ग्रपनी खेती करता था। उसमें सुधार हमारी देश की सरकार लायी। कई तरह के ग्राधुनिक साधन उपलब्ध करवाये। इस देश के किसानों को कई प्रकार की ग्राधुनिक खाद उपलब्ध करवायी। ग्राज हमारे किसानों के पास हर प्रकार के साधन हैं, चाहे ट्रैक्टर से खेती करते हों जबकि पिछले जमाने में बैलों से खेती करता था ग्रौर किसान की बहुत कम नफरी में फसल पैदा होती थी ग्रौर ग्राज किसान के एक बीघे में कम से कम 20–20 मन से भी ग्रधिक मात्रा में ग्रनाज पैदा होता है। जहां पूर्व में ग्राम की खेती, चावल की खेती, विभिन्न प्रकार के ग्रनाज की खेती, दाल की खेती ग्रौर इस तरह की कई फसलें जिनमें हमारा देश पीछे था, ग्राज देश उन्नति की ग्रोर बढ़ता जा रहा है।

ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राज हिन्दुस्तान के किसानों को हमारी भारत सरकार ने ग्रौर राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार की ग्राधुनिक सुविधाएं दी हैं चाहे वह राष्ट्रीय दलहन उत्पादन योजना हो, चाहे वह प्रदर्शनी के माध्यम से हो, ग्राज हमारा कृषि विपणन बोर्ड ग्रौर हमारी सरकार गांव-गांव में किसानों को इस बात की चेतना देती है कि किस प्रकार से यूरिया खाद डाली जाय, किस प्रकार से डी.डी.टी. का उपयोग किया जाय, किस प्रकार से खेती की उन्नति की जाय, किस प्रकार से किसान को ग्रागे बढ़ाया जाय। कीटनाशक दवाइयां ग्रौर कई इस प्रकार की चीजें हैं जिनके माध्यम से ग्राज हमारा देश खेती के मामले में ग्रागे बढ़ रहा है ग्रौर किसान की तरक्की हो रही है।

ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि के मामले में जिस प्रकार के फलदार पेड़ों का मामला है, फलदार पेड़ों का विकास ग्रधिक संख्या में किया जाना चाहिये क्योंकि राजस्थान में दूसरी जगहों से फलदार पेड़ उपलब्ध करवाने पड़ते हैं। ग्रगर इस ग्रोर ध्यान दिया जाय तो ज्यादा किसानों का लाभ हो सकता है।

मैं इसी के साथ-साथ ग्रापके माध्यम से कृषि मंत्रीजी का इस ग्रोर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे ग्रटरू विधान सभा क्षेत्र में 3 कृषि उपज मण्डी समितियां हैं, सांगोद कृषि उपज मण्डी समिति, ग्रटरू

(श्री मदन महाराज)

कृषि उपज मण्डी समिति और बारां कृषि उपज मण्डी समिति। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि विपणन बोर्ड का यह दायित्व हो जाता है कि किस प्रकार से गांव में बैठे हुए किसानों को लाभ मिले। मैं थोड़े समय में अपनी बात पूरी कर देना चाहता हूं। कृषि उपज मण्डी समितियां किसानों को लाभ पहुंचाने के लिये बनायी गयी हैं, कृषि विपणन बोर्ड को जो गांव हैं उन गांवों को जोड़ने के लिये मैंने अपने प्रस्ताव भेजे हैं परन्तु आज तक उनकी स्वीकृति नहीं दी गयी है। मैं यह चाहता हूं कि यह स्वीकृतियां शीघ्र दी जायं। क्योंकि मेरे पड़ोसी विधान सभा क्षेत्रों में, जिनको विपक्ष के रूप से देखा जाता है, कृषि विपणन बोर्ड ने यह स्वीकृतियां दी हैं चाहे वह रामगंज मण्डी हो, छबड़ा और छीपाबड़ौद हो। वहां पर कहीं तो 11 रोड्स की स्वीकृति दी गयी हैं, कहीं 9 रोड्स की स्वीकृति दी हैं लेकिन मैंने जितने भी प्रस्ताव दिये हैं उनमें आज तक कृषि विपणन बोर्ड ने एक भी रोड की स्वीकृति नहीं दी है। मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि इन रोड्स की स्वीकृति दी जाय। कृषि उपज मण्डी समिति अटरू में 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है लेकिन कृषि विपणन बोर्ड उसका न तो उपयोग करवा रहा है, न वहां पर टीन शैड बनवा रहा है। मुझे यह बताया गया है कि इसके टेण्डर्स भी हो गये हैं लेकिन सरकारी मशीनरी और ब्यूरोक्रेसी इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रही है। उन्हें जब कोई पत्र लिखे जाते हैं तो वह अधिशासी अभियन्ता को भेज दिये जाते हैं और जब अधिशासी अभियन्ता से सम्पर्क किया जाता है तो वह कहते हैं कि हमने कृषि सचिव को लिख दिया है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह किसानों से सम्बन्धित मामला है और उनके विकास का मामला है अतः इस सम्बन्ध में ज्यादा से ज्यादा रुचि लेकर कामों को कराया जाय। जिस प्रकार से सांगोद कृषि उपज मण्डी समिति है, सांगोद कृषि उपज मण्डी समिति ने आज तक रोड्स के बारे में नहीं सोचा, किसानों के बारे में नहीं सोचा। इसी प्रकार से अटरू कृषि उपज मण्डी समिति है वह भी नहीं सोच रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देकर इस बारे में कार्यवाही करवाये।

आज कृषि से सम्बन्धित जो मांग है, वह अच्छी मांग है मैं उसको पारित करने के लिये अपना समर्थन व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी। (अनुपस्थित) श्री नाथूसिंह। (अनुपस्थित) श्री हरिकुमार औदिच्य। (अनुपस्थित) श्री नवनीतलाल नीनामा।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आज कृषि विभाग की मांग के अवसर पर आपके माध्यम से राजस्थान सरकार और माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश के नेताओं ने आजादी का नारा दिया, देश आजाद हुआ लेकिन आज किसानों को खेती करने की आज दी नहीं दी। आज किसान किस तरह से परेशान है, मैं देश और प्रदेश का उदाहरण न देते हुए मेरे क्षेत्र

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

जिला बांसवाड़ा में किसान किस तरह से परेशान हैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

मान्यवर, मेरे जिला बांसवाड़ा में माही डेम बनाया गया। उस डेम के बनने से वहां पर आज हालत क्या है? परिस्थिति यह है, मैं इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार से मांग करना चाहूंगा कि दक्षिणी राजस्थान में जो फसल बीमा योजना लागू नहीं की है वह लागू की जाय। उसका कारण यह है कि माही डेम की जो नहरें बन गयी हैं उन नहरों से जो जमीन सिंचित होती है उससे वह छोटी पड़ रही है....

श्री अध्यक्ष : नीनामाजी, यह बात आप सिंचाई की मांग के समय में कह देना, सिंचाई की मांग 17 तारीख को है। यह सिंचाई का मामला है।

श्री नवनीतलाल नीनामा : मान्यवर, यह खेती से सम्बन्धित ही मामला है, क्योंकि हमारे यहां पर तीन तरह से खेती होती है- वन विभाग की भूमि, चरागाह की भूमि और राजस्व विभाग की भूमि। उनमें किसान खेती करते हैं और वह नहरें जो बन गयी हैं वह भू राजस्व की, वन विभाग की और कृषि, इन तीनोंमें वह नाजायज रूप से खेती करते हैं....

श्री अध्यक्ष : विभाग अलग-अलग हैं इसलिये सिंचाई मंत्रीजी को 17 तारीख को यह बात कहें। अभी तो समस्याएं हैं वह थोड़ी रख दें।

श्री नवनीतलाल नीनामा : हां, विभाग अलग हैं। यह समस्या कृषि में ही शामिल है क्योंकि नाजायज कब्जे उन जमीनों पर करके वह खेती करते हैं, उसी में खाद-बीज डालता है, किसान को पानी उसी में सप्लाई होता है। इसलिये मैं माननीय कृषि मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि जो जमीन नाजायज कब्जे में हैं, उसी में फसल होती हैं, उसी के लिये लोन लिया जाता है, बीज लिया जाता है सहकारी समितियों से वह नाजायज कब्जे की जमीन में बोया जाता है। वह जमीन सूखी है, उस जमीन को हरित क्रान्ति में लायें। हरित क्रान्ति में लाने के लिये माननीय कृषि मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा। हमारे वहां पर जो नहरें बनीं, मैं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो फसलें बोयी जाती हैं उन नहरों का पानी सीपेज होने से तमाम प्रकार से वे नहरें खत्म हो जाती हैं। अब उन नहरों को कैसे सम्भाला जाय। माही डेम की दायीं मुख्य कैनाल है उस कैनाल का मैंने घूमकर सर्वे किया। सारी फसलें उस पानी में सीपेज से समाप्त हो जाती हैं। किसान अपना खाद और बीज डाल करके फसल बोता है और वह फसल समाप्त हो जाती है। अब उन नहरों का क्या करें हम। जो बढ़िया खेत थे उन खेतों में आज की तारीख में घास खड़ी है और रबी की फसल में भी घास खड़ी रहती है। अब यह, मान्यवर, सिंचाई मंत्री महोदया जी से मैं निवेदन करूंगा कि सिंचाई मंत्री महोदय से संबंधित जो तालाब हैं, यह पानी कृषि मंत्री महोदया जी के साधन से अपने विभाग में आता है। यह विभाग बिल्कुल निकम्मा है और सारी जो हैं वह काम नहीं कर रही हैं इसलिए मेरा यह निवेदन है कि फसल की रक्षा के लिए इन नहरों को ठीक किया जाय। खाद और बीज

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

के फर्जी नाम मांडे जाते हैं। किसान के नाम फर्जी मांडे जाते हैं सहकारी समितियों में। उन फर्जी नामों को मांडकर किसान के नाम वसूलात की जा रही है। खाद बीज की यह हालत है बांसवाड़ा में कि जहां पर किसान अनपढ़ है हस्ताक्षर और अंगूठे कर दिये जाते हैं और उसको वसूलात किसान के पास दो या तीन साल के बाद आती है तब किसान को यह पता लगता है कि उसके नाम सहकारी समितियों से बीज उठाया गया है, खाद उठाया गया है। इस प्रकार की हालत बांसवाड़ा जिला सहकारी समितियों में चल रही है। स्टेटमेंट के अभाव के कारण किसान इस तरह से वहां परेशान है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा दूसरा यह सवाल है कि कृषि विश्वविद्यालय शाखा बोरवट में है। बोरवट गांव में कृषि विश्वविद्यालय की एक शाखा है जहां पर बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनायी गयी है, जहां जमीन भी खेती लायक है। मैं अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य के नाते दौरे पर गया, देखा वहां पर जो कृषि अधिकारियों ने मुझे जानकारी दी, समिति को जानकारी दी, वहां खाद और बीज का उपयोग पाले बनाये जाकर के किया गया है। वहां पर हालत यह है कि आसपास के क्षेत्रीय किसानों से हमने जानकारी ली कि इस कृषि केन्द्र से आपका क्या सम्बन्ध है, तो पड़ोसी किसानों को यह मालूम नहीं कि यह खेती किस तरह से है और क्या है, यह भवन किसका बना रखा है। यह बोरवट गांव बांसवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्र में तीन किलोमीटर की दूरी पर कायम है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वहां हालत यह बना रखी है कि वहां के क्षेत्रीय किसान को यह मालूम नहीं है कि यह कृषि केन्द्र क्यों बना हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : खत्म कीजिए। श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (अनुपस्थित)। श्री परसादी लाल मीणा (अनुपस्थित) श्री डा. जितेन्द्र।

श्री नवनीतलाल नीनामा : और इनके जो पाले बना रखे हैं वहां पर खाद डाला जा करके जो बीज के पौधे बढ़ाये जा रहे हैं। इन पौधों में यह जो पर्चियां लगी हुई हैं, यह अंग्रेजी भाषा में लगी हुई हैं। इन को वहां का किसान समझ नहीं पाता है, वहां का मजदूर समझ नहीं सकता है। मान्यवर अध्यक्ष जी, मैं राजस्थान सरकार से यह मांग कर रहा हूं कि यह अंग्रेजी शब्द जो पाले में लिखे रहते हैं, इनको हिन्दी में कराया जाय। वहां के मजदूर और अन्य व्यक्तियों को हमने पूछा कि इस पाले में क्या है हमें सिखाओ या किसान आये तो सिखाओ कि इस पाले में यूरिया डाला गया या डी.ए.पी. डाला गया? यह डी.ए.पी. डालने से या जो खाद पाले में डाली गयी वह खाद किस तरह से डाली जाती है, उस को कितने दिन में पानी दिया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

श्री नवनीतलाल नीनामा : वहां का मजदूर और क्षेत्रीय किसान समझ नहीं

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

पाता है। अतः, मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो डाक्टर या इरिगेशन अधिकारी हैं और सारी अंग्रेजी भाषा का वातावरण उस खेत में पैदा कर दिया है और किसान अनपढ़ है, इस अंग्रेजी वातावरण को हटाया जाय। भारत का या हिन्दुस्तान का हिन्दी बोलने वाला किसान है या नागरी बोलने वाला किसान है क्षेत्रीय भाषा का उसमें उपयोग किया जाय, यह मेरी मांग है।

श्री अध्यक्ष : डा. जितेन्द्र सिंह।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पंचोलीजी आपको शोभा नहीं देता, आप जिस तरह से ताली बजा रहे हैं वह अच्छा नहीं लगा। एक माननीय सदस्य अपनी कोई बात कह रहा है। ठीक है वे पढ़े लिखे होते तो....

श्री अध्यक्ष : माननीय उजला जी, बैठिये, बैठिये। अच्छे बोले हैं इस बात पर कह रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य को डिस्टर्ब किया है, मैं समझती हूं, अच्छा नहीं किया। (व्यवधान)

श्री नवनीतलाल नीनामा : राजस्थान सरकार से मैं एक सूचना लेना चाहता हूं मेरी भाषा में इसी तरह से ये आंकड़े हैं, ये विभागीय अधिकारियों की मेरे यहां आलमारी भरी हुई है, ये आंकड़े हैं और ये अधिकारी यहां बैठे हुए हैं। खेत में किसान कैसे जाता है कुल्हाड़ी कैसे रखता है, वहां की परिस्थिति क्या है, यह पूछने वाले आप हैं या ये मेरे पास पुस्तकें हैं जो पढ़ लो। मेरा यह कहना है कि आज खेत की हालत क्या है, खेत में वातावरण क्या है। अधिकारियों को यह मालूम नहीं कि फोर्थ क्लास के चपरासी हैं....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आपको काफी समय हो गया। मैं देख रहा हूं।

श्री नवनीतलाल नीनामा : समय तो हो गया, मान्यवर, लेकिन मुझे आपने इस तरह से बैठाया है....

श्री अध्यक्ष : दूसरे भी किसान हैं। डाक्टर जितेन्द्र। ये भी किसान हैं.... (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनको तो चारों तरफ हरित क्रान्ति नजर आ रही है। (व्यवधान)

श्री नवनीतलाल नीनामा : हरित क्रान्ति तो इन्होंने डेयरी बना रखी है जयपुर में दूध की डेयरी। (व्यवधान) इसलिए, मान्यवर अध्यक्ष जी, आपने जो समय बहुत कम दिया है इसके लिए धन्यवाद।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो कृषि के ऊपर मांग की गयी है, आज जो कृषि की स्थिति है, हिन्दुस्तान में जिस वक्त कोई उर्वरक नहीं डाला जाता था जमीनों में, बारिश बहुत होती थी फिर भी आम किसान बहुत खुश था, दुर्भाग्य से आज आबादी का जो भयंकर विस्फोट हुआ उसने जमीनों के इतने टुकड़े कर दिये कि छोटे-छोटे होते-होते स्थिति यह आ गयी कि एक आम किसान के पास चन्द बीघा जमीन रह गयी और

(डा. जितेन्द्र सिंह)

उसने हिन्दुस्तान की सारी कृषि व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। महोदय, सबसे बुरी स्थिति हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान की है। इसमें 60 प्रतिशत मरुस्थल का हिस्सा है, 40 प्रतिशत जमीन उपजाऊ है। महोदय, निश्चित रूप से बड़ी दयनीय स्थिति है राजस्थान की। उस वक्त, आजादी के पहले एक योजना बनायी गयी थी, हिन्दुस्तान में एक हिस्सा ऐसा है जहां बाढ़ आती है, एक हिस्सा राजस्थान का है जहां पर मरुस्थल है। एक हालैण्ड की तरह की योजना बनायी गयी थी-नहरी योजना जिससे राजस्थान को एक व्यवस्थित रूप से नहरों से जोड़ दिया जाय लेकिन ब्रिटिश सियासत ने जाते जाते वे सब मांगें इतिहास के खण्डहरों में फेंक दीं। महोदय, समय बहुत कम है इसलिए मैं संक्षेप में ही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले एक आम किसान को अभी यही पता नहीं है कि क्या तो उसको खाद डालनी चाहिए। अगर उसके पास अपने ओरचार्ड्स हैं, जैसा कि गंगानगर और झालावाड़ में भी इस तरह के बगीचे बना रखे हैं, आम किसानों की बात तो अलग है पढ़े-लिखे किसानों को भी पता नहीं है कि उसमें कौनसा उर्वरक डालना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा कृषि मन्त्री महोदया जी से जो स्वयं एक किसान की बेटी हैं, और उस किसान की जिसने हिन्दुस्तान को आबाद कराने के लिए अपना खून बहाया, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि किसानों को यह पता लगे कि कौनसा उर्वरक चाहिए, कहां चाहिए। अभी तक तो राजस्थान के किसानों की यह हालत है कि वे सिर्फ बकरी की मिंगनियों को खाद समझते हैं। कृषि विभाग को सक्रिय किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में सही व्यवस्था होनी चाहिए। आम किसानों को सभी प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। खाद और बीमारियों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए पंचायत स्तर पर एक सेमिनार बुलाया जाना चाहिए जिसमें कृषि अधिकारियों को आना चाहिए और किसानों को बताना चाहिए। इस संबंध में किसान को कुछ पता नहीं है। आप सही फरमा रहे थे कि यह बिल्डिंग किसकी है, कृषि भवन है इससे आगे उन्हें कुछ पता नहीं है। क्या होता है इस बिल्डिंग के अन्दर। आप सेमिनार करिये चाहे पंचायत स्तर पर करिये।

महोदय, सूक्ष्म में कहना चाहूंगा। आज पानी की बहुत कमी है जिसके लिए भू-संरक्षण द्वारा राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास योजना के तहत छोटे-छोटे जहां पासिबल हो वहां पर बांध बनाइये पानी रुकेगा, पानी का जल स्तर निश्चित रूप से बढ़ेगा। जहां पर नहरें हैं वह तो आबाद हो रहे हैं और जहां पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे मेरा विधान सभा क्षेत्र जो कृषि मन्त्रीजी का स्वयं का गांव भी है, वहां पर पहाड़ी एरिया है, पानी की कहीं व्यवस्था नहीं है, पानी बिल्कुल नीचे चला गया है। ऐसी जगह पर अगर बांध बनाये जायेंगे तो किसानों को निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलेगा।

महोदय, दूसरी बात संक्षेप में कहना चाहूंगा कि जमीन कम रह गई, अगर किसान उसी के अन्दर बाजरा उगाता रहा इससे उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसको बताना पड़ेगा, उसको मिट्टी के नमूने लेने पड़ेंगे, उसको समझाना पड़ेगा कि इस कम जमीन से ज्यादा पैदावार कैसे होगी। उसको

(डा. जितेन्द्र सिंह)

बताना पड़ेगा इसमें सब्जी उगाइये । वरना मैंने देखा है चार-चार बीघा वाला किसान फटे हुए हालात के अन्दर बाजरा उगा रहा है। उसे पता नहीं बाजरे के अलावा और भी उग सकता है क्या। मिट्टी के नमूनों के द्वारा उसको बताना पड़ेगा कि किस उर्वरक की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, माडर्न खेती के अन्दर जो कृषि उपकरणों का उपयोग हुआ है उससे डवलपमेंट हुआ है। वह निश्चित रूप से सिंचाई से सम्बन्धित है। लेकिन अगर हो सके, 95 प्रतिशत जो फसल के अन्दर पानी दिया जाता है वह सब वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है सिर्फ पांच पर्सेन्ट मिलता है खेती को। उसके अन्दर अगर पासिबिल हो, बड़े किसान अगर इसको यूज कर सकें तो स्प्रिन्क्लर्स हैं, ड्रिप इरिगेशन है उसका इस्तेमाल करना चाहिए।

आखिर में आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि किसान हर बार सूली के ऊपर टांक दिया गया है। जब अकाल पड़ा तो किसान बरबाद हो गया क्योंकि उसका पशुधन समाप्त हो गया। लाखों गायों का काफिला मैंने इस अकाल के अन्दर बम्बई और दिल्ली के बाजारों के अन्दर जाते हुए देखा हैं। किसान अकाल में भी मर गया और जब अच्छी फसल हुई तो उन्होंने फतवा देकर फसल सस्ते के अन्दर खरीदने का इन्तजाम कर दिया। वह दोनों तरफ से मारा गया। मेरी गुजारिश है कि किसान के अगर अच्छी फसल पैदा हो तो उसे कृषि उपज मण्डियों के जरिये अच्छे भावों में खरीदवाने के लिए दीजिये ताकि हिन्दुस्तान का किसान खड़ा हो सके। अगर किसान खड़ा होगा तो हर क्षेत्र खड़ा हो जायगा, किसान अगर जमीन पर लेट गया तो सारा देश लेट जायगा। मेरी अन्तिम बार आपसे यही गुजारिश है कि अगर अगर अच्छी फसल होती है तो उसको अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम मांग संख्या 37 जो कृषि से सम्बन्धित है और हमारे सामाजिक जीवन में कृषि और किसान का बहुत महत्व है, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसीलिए आजादी से पहले कांग्रेस के नेताओं ने हिन्दुस्तान के किसानों की खुशहाली की कल्पना की थी और ऐसी योजनाएं रखने की बात कही थी जिसके आधार पर किसान समृद्ध होगा। आजादी के बाद पहली पंचवर्षीय योजना बनी और दूसरी पंचवर्षीय,

(7.23 रात्रि)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

योजना में हरित क्रान्ति को हमारे देश के रहनुमा पण्डित नेहरूजी ने बहुत महत्व दिया। देश में बड़े-बड़े बांध बनाये। देश में वैज्ञानिक ढंग से कृषि का विकास हो इस बात के सतत् प्रयत्न किये गये। इसी के परिणामस्वरूप जहां पांच करोड़ टन अनाज देश में पैदा होता था, मेरा खयाल है आज 16 करोड़ टन अनाज सारे देश में पैदा हो रहा है। हमारे प्रदेश में भी 35.5 लाख टन आजादी से पहले अनाज पैदा होता था, आज यहां 111 लाख टन अनाज या

(श्री रतनलाल ताम्बी)

खाद्यान्न पैदा होना हमारी इन्हीं उपलब्धियों और सपनों को साकार करने की बात जब सामने आती है तो बहुत सारे हमारे विपक्ष के भाई आमतौर से कहा करते हैं कि यह राज किसानों का नहीं है किसानों के लिए नहीं सोचता हैं। लेकिन यह आंकड़े और उपलब्धियां इस बात को प्रमाणित करती हैं कि कांग्रेस सरकार ने किसानों की गरीबी मिटाने के लिए और समृद्धि लाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से इस देश में काम किया है और इसी का परिणाम है कि आज हम निरन्तर इन क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। और यहां, सभापति महोदय, जब मैं कह रहा हूं आपको तो यह विडम्बना है कि किसानों की बात करने वाले हमारे विपक्ष के भाई आज किसानों और कृषि के बारे में जब यहां चर्चा हो रही है तो सब गायब हो गये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: हम बैठे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : इक्के-दुक्के हैं, शहर की बात करते हैं। वह भी आप नाम के हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सबके प्रतिनिधि के रूप में बैठा हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसलिए आज मैं कह सकता हूं....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : रात के 11 बजे, 12 बजे मैं यही बैठा रहूंगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : संवेदना और चिन्ता किसानों के प्रति कांग्रेस को है। आज जब हम इस बात को करना चाहते हैं, दो तीन-चार प्रश्नों पर, मैं ज्यादा बात न कहकर अपनी बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले, आज जितनी जमीन हमारे पास उपलब्ध थी वह हमने किसानों को वितरित कर दी। जनसंख्या का बढ़ता प्रसार हमारे लिए चुनौती बनकर सामने खड़ा है। इसलिए मेरे दो-तीन सुझाव इस प्रकार के हैं, यहां पर कृषि विभाग के अधिकारी भी हैं, सचिवालय के कृषि उत्पादन सचिव महोदय भी हैं और धरती से जुड़ी हुई किसान की बेटी जो आज कृषि मन्त्री के रूप में कमला जी हमारे सामने मौजूद हैं, चार-पांच सुझाव, आज लम्बी भाषणबाजी नहीं करके देना चाहूंगा। उस पर गम्भीरता से चिन्तन करेंगे, यह मैं आशा करके चलना चाहता हूं।

सबसे पहले तो मैं यह चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में आप सर्वेक्षण करवाकर देख लें, एक ओर रेगिस्तान है; पहाड़ है और उसके बाद ऊसर जमीन भी राजस्थान में कम नहीं है। यह कृषि विभाग के सामने चुनौती है कि ऊसर जमीन को हम किस प्रकार उपजाऊ बनावें, किस वैज्ञानिक तौर-तरीके से उसका अनुसंधान करके उसको उत्पादन की ओर हम तैयार कर सकें, यह हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जमीन अब गांवों में उपलब्ध नहीं है। मैं जिस जिले से आता हूं, मैं समझता हूं जितनी कृषि भूमि में वहां खेती होती है उतनी ही जमीन लगभग ऊसर और बेकार सी पड़ी हुई है। इस जमीन को नये तौर-तरीके से आप उपजाऊ बनाइये। आप जिप्सम की बात करेंगे और दूसरी कई चीजें डालने की बात करते हैं, यह इतनी महंगी है कि किसान उसको खरीदकर तैयार

(श्री रतनलाल ताम्बी)

नहीं कर सकता। इसलिए सरकार इस बात का प्रयत्न करे कि इसके लिए उसे अनुदान दें। उसके लिए और तौर-तरीके से उसका मार्ग-दर्शन करे जिसके आधार पर वह जमीन उपजाऊ हो सके। कन्दराओं और कई जगह रेवाइन्स में काफी जमीनें उपलब्ध हैं उनको किस तरह हम ठीक तैयार करके कृषि योग्य हम बना सकें उस पर भी ध्यान जाना चाहिए। सारा राष्ट्र एक है। नदियों में कहीं बाढ़ आ रही है, कई प्रदेश बरबाद होते हैं। इन नदियों को क्रमशः ऐसी जोड़िये, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, सारे हिन्दुस्तान में नदियों का एक ग्रिड बन जाय और सारा का सारा पानी किसान की धरती पर पहुंच जाय। इस बारे में मैं समझता हूं, राजस्थान के सन्दर्भ में सोचा जायगा यह मैं आशा करके चलता हूं।

मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि एक योजना और बनाई जा सकती है जिसके लिए भारत सरकार ने कुछ समय पूर्व संकेत दिया था कि हमारी धरती में पानी बहुत गहरा चला गया। सरफेस पानी की कमी होती चली जा रही है, वह नीचे चला जा रहा है। इसके लिए नलकूप योजना, जिसमें पचास प्रतिशत किसानों को आप कर्जा दे दें, पचास प्रतिशत अनुदान दें और एक ऐसी योजना राजस्थान में लागू करें जिससे नलकूप के आधार पर बहुत सारा पानी जो जमीन की सतह में है वह बाहर आकर किसान की धरती को समृद्धिशाली और शस्य श्यामला बना सके। मैं समझता हूं, कृषि मन्त्री महोदया, इस मामले को बहुत गम्भीरता से लेगी और इसके आधार पर राजस्थान में कुछ शुरूआत करेगी।

एक समस्या डार्क जोन के नाम से सब गांवों में बड़ी गम्भीर बनी हुई है। पता नहीं कैसे सर्वे होता है। आपने सर्वे रिपोर्ट दे दी और सैकड़ों गांवों को डार्क जोन में निकाल दिया। हमारे इलाके में सौ से अधिक गांव डार्क जोन में निकाल दिये और कहते हैं क्योंकि यहां पर पानी उपलब्ध नहीं है, कर्जा नहीं मिलेगा। दूसरी ओर किसान अपने श्रम से उसी जगह कुआ खोदकर सिंचाई करते हैं, फिर आपकी रिपोर्ट सच्ची या गलत। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके सर्वे पुराने किये हुए होंगे उनको वर्ष-वर्ष में स्थिति के अनुसार बराबर सर्वे करके डार्क जोन के नाम से किसानों को कर्जा लेने से आपने रूकावट पैदा कर दी, भूमि विकास बैंक कर्जा नहीं देते हैं, अन्य बैंक कर्जा नहीं देते हैं। मैं समझता हूं डार्क जोन के मामले को किसान विरोधी मानकर इसको....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ठीक करने की व्यवस्था करें। एक मेरा अनुरोध यह था। एक अनुरोध मेरा यह है कि आपका इन ग्रामसेवकों के साथ जो कृषि और किसान से सीधा सम्बन्धित हैं कई बार नीति बदलते हैं कई बार पंचायत के साथ लगा देते हैं कभी हटा देते हैं मैं कहता हूं कि पंचायत का मामला बिल्कुल अलग से है उसकी सर्विसेज अलग से हो। और कृषि विभाग का ग्राम सेवक या कृषि विस्तार कार्यकर्ता है उसको सम्पूर्ण रूप से गांवों और किसानों के बीच में उसके दायित्व निर्धारित करके काम करने का आपको

(श्री रतनलाल ताम्बी)

अवसर देना चाहिये। अभी तो इस विभाग में लम्बी चौड़ी फौज अधिकारियों कर्मचारियों की है। गुणात्मक रूप से अगर आप देखेंगे कि कितना काम किया है तो मैं समझता हूं कि परिणाम कुछ उत्साहजनक नहीं आयेगा। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि इन तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को आप लिमिट करके बकाया अनुसंधान में लगाइये। नये-नये तौर तरीके कैसे हम खेती का विकास कर सकते हैं, नया उत्पादन हमारा किस प्रकार बढ़ सकता है उस दिशा में इनको ट्रेनिंग देकर के जोड़िये। और साथ में मेरा यह भी कहना है कि कृषि विश्वविद्यालय और साथ में कृषि से सम्बन्धित आज कई संस्थान काम कर रहे हैं। इनके अनुसंधान का जो काम है उसकी आवश्यकता आज सबसे बड़ी इसलिये है कि कृषि का उत्पादन हमारा बढ़े और जनसंख्या के साथ-साथ इधर उत्पादन नहीं बढ़ाया तो आने वाला समय हमारे लिये गम्भीर चुनौती का होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय और संस्थान जितने भी हैं उनको अनुसंधान और वैज्ञानिक खेती की तरफ हम बढ़ायें ताकि खाद बीज और उसकी उपलब्धता....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक आध मिनट और कह रहा हूं, साहब।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस वर्ष मुझे कहते हुए अत्यन्त दुःख है। कृषि मंत्री महोदया, आप ने शपथ ली तब हम यह उम्मीद लगाकर बैठे थे कि अब किसान की बेटी राजस्थान में कृषि विभाग संभाल कर कुछ अच्छा काम करके दिखायेगी। पता नहीं आपके सामने क्या चुनौती आई ज्यों ही आप कृषि मंत्री बनीं उसके 15 दिन बाद आपने गांवों में देखा होगा, कहीं खाद उपलब्ध नहीं है। 50-50, 60-60 रुपया ब्लैक देकर के लोग गांव में किसान दौड़ते फिरे, मार्केटिंग सोसाइटीज में खाद नहीं था, बीज नहीं था, और किसान बर्बाद हो गया। और बुरी तरह से इसका दबाव किसान पर पड़ा और इधर भगवान भी पूरी तरह बर्बाद करने पर तुला हुआ है। बरसात नहीं आई, वह बीज खाद बड़ा महंगा लाया वह भी आज समाप्त हो गया। आपने राजस्थान के किसानों को इस बात के लिये कहा था कि हम फसल बीमा योजना लागू कर रहे हैं। आज फसल बर्बाद हो गई, कई जगह बीज समाप्त हो गया कई जगह फसलें खराब हो गई। गांव बीमा योजना, उसके लिये आपने....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

फण्ड्स आबंटन कर रखे हैं। अधिकारियों से हम बात करते हैं इसके लिये कुछ फण्ड्स नहीं, इसलिये मैं समझता हूं कि आपने एक नीति निर्धारण की घोषणा की है इस फसल बीमा योजना की, तो आप उस ओर भी ध्यान देंगे।

एक कृषि उपज मण्डी की बात और कहकर के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। कृषि उपज मण्डी राजस्थान में बनी हुई है। कई वर्षों से आप इसके चुनाव नहीं कराते हैं। पहले यह कहा गया कि पंचायत राज के चुनाव होने के बाद हम कृषि उपज मण्डियां बनायेंगे, चुनाव करवा देंगे, अब क्या बहाना लोगे आप? मैं चाहता हूं कि जनतांत्रिक संस्थाएं हैं इन पर प्रशासक के

(श्री रतनलाल ताम्बी)

आधार पर कोई विकास नहीं हो रहा है, नाम मात्र की सड़कें बन जाती हैं। तनख्वाह चुक जाती है। इसलिये कृषि उपज मंडियों को किसान की उपज से जोड़िये, सड़कें ही उसका परपज नहीं है. इसके अनेक परपज हो सकते हैं। कृषि प्रसार कार्यक्रम को भी उससे जोड़िये, किसानों से उसको जोड़िये, साथ-साथ सक्षम और सक्रिय यह काम कर सकें इस तरह की कृषि उपज मंडियां बनाइये तो मैं समझता हूं इस बारे में एक दल गठित करिये अन्य प्रदेशों में कृषि उपज मंडियां किस प्रकार से चल रही हैं उनकी क्या भूमिका है और राजस्थान में नाम मात्र की संस्थाएं क्यों बनी हुई हैं उस आधार पर आप इस बारे में सोचेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

खत्म ही कर रहा हूं।

एक उदाहरण के तौर पर कृषि उपज मंडियों ने कुछ पुलियायें बनाई कुछ सड़कें बनाई। कुछ साल पहले बनाई, वह टूट गई उसके बाद सार्वजनिक विभाग कहता है कि हम जिम्मेदार नहीं, कृषि विभाग कहता है हम जिम्मेदार नहीं। सपोटरा का मैं उदाहरण दे रहा हूं। सवाई माधोपुर जिले में जिरोती की नदी पर कृषि उपज मंडी गंगापुर सिटी द्वारा पुलिया का तीन साल पहले निर्माण कराया गया वह पुलिया पानी से टूट कर बह गई। उस सारे गांव का आवागमन उसके कारण अवरुद्ध हो गया। मैं समझता हूं कि कृषि विभाग के अधिकारीगण इस मामले को देखेंगे और जो पुलिया आपने अच्छी बनाई थी कई किसानों को उससे सुविधा सुलभ हुई थी। वह समाप्त हो गई। उस बारे में आपका राजस्थान के संदर्भ में भी ध्यान जायेगा। यही बात मैं कहता हुआ सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री उदयराम धाकड़।

श्री उदयराम धाकड़ (बड़ी सादड़ी) : माननीय सभापति महोदय, मैं भी मांग संख्या 37 पर अपने विचार सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

मैं कृषि मंत्री महोदया को यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जिले चित्तौड़ के लिये जो कृषि का अच्छा जिला है मगर वहां कृषि विभाग ने भी की है, वहां पानी की कमी होने के कारण भी, जो भी कम पानी से पैदावार होती है उसकी पैदावार अपने जिले में बढ़ी है। इसके लिये तो कृषि विभाग को धन्यवाद देता हूं। हमारे चित्तौड़ जिले की 5-6 तहसीलों को डार्क जोन में कर दिया है तो वहां के काश्तकार बिल्कुल महरूम हो जायेंगे। उनको यों तो कुएं के पैसे मिलेंगे, पम्प सैट के पैसे मिलेंगे और वह बिल्कुल निराश हो जायेंगे, इसके सर्वे का पता नहीं चलता है। कृषि विभाग काश्तकारों के लिये बनाया गया है तो कृषि विभाग की यह जिम्मेदारी होती है कि काश्तकारों के हित के लिये सर्वे करके उस की जांच करके उन गांवों को डार्क जोन से निकाले। मैं मंत्री महोदया से यह निवेदन करता हूं कि हमारे चित्तौड़ जिले में चार बांध है मगर गए साल वह पानी से नहीं भरे हैं पैदावार बहुत कम हुई और इस साल भी क्या पता। छोटे बांध हैं, गम्भीरी है, बादन है, ओराई है। खाद की समस्या सब ने रखी है खाद की समस्या तो है ही मगर

(श्री उदयराम धाकड़)

इस साल मक्का का बीज 14 रुपये किलो हमारे यहां बिका है 5 किलो की थैली 72 रुपये में बिकी है। जब काश्तकार दो रुपये किलो में मक्की देता है और बीज के लिये मक्की जो विभाग सर्टिफाइड बताता है वह 14 रुपये किलो काश्तकार को मिलती है। यह कहां तक न्यायोचित बात है। तो इतना खर्चा तो सर्टिफाइड बीज में आता नहीं है क्योंकि मैं खुद भी काश्तकार हूं और मेरा खेती का ही धन्धा है। मेरे यहां मक्का होता है, गंवार होती है, मूंगफली होती है उड़द होते है। मिर्ची होती है, अफीम होती है। मगर इतना खर्चा सर्टिफाइड बीज पर आता हैं, काश्तकार इसको लेने में हिचकिचाते हैं। कम से कम एक बीघा जमीन में पांच किलो मक्की डालनी पड़ती है, 70 रुपये का बीज पड़ता है और इस साल बारिश नहीं हुई तो दुबारा भी डालना पड़ा मैंने खुद भी दुबारा मक्की और ज्वार बोया है तो इसलिये मैं मन्त्री महोदया से निवेदन करूंगा कि सर्टिफाइड का प्लांट लगावें यह कृषि के फार्म पर ही लगावें और इसकी जांच करें कि इसके ऊपर इतना खर्चा क्यों आता है। तो इसमें काश्तकारों को सब्सिडी दिलावें और एक यह भी निवेदन करता हूं कि कृषि विभाग में जो कृषि विस्तार कार्यकर्ता हैं, उनको अभी पंचायतों में लगा दिया है। 5 दिन वह पंचायत में रहेंगे और 5 दिन कृषि का काम करेंगे तो यह दोनों तरफ काम नहीं कर रहे हैं न तो कृषि का काम करते हैं न पंचायत का काम करते हैं। इसलिये एक तरफ उनको रख लेना चाहिये।

मेरे क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कृषि मण्डी, पहले, मन्त्री महोदया, जब आप 81 में थी तब आपके द्वारा खुली और उसका कार्य भी चल रहा है तो मैं धन्यवाद दूंगा कि इस साल वह काम भी पूरा होगा और माननीय मन्त्री महोदया, उसका उद्घाटन भी आप ही करेंगी। सभापति महोदय, आपने मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : कृषि मन्त्री माननीय श्रीमती कमला।

मांग संख्या 37 (कृषि) का पारण

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, आज इस मांग के ऊपर माननीय सदस्यों ने काफी समय तक आदियों के तकाजे के बावजूद भी विचार किया और चर्चा की. वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी देश की सार्वभौम स्वतन्त्रता उसका स्वाभिमान उस की स्वतन्त्र नीति निर्धारण के आधार पर उसका अस्तित्व और विश्व पटल पर गौरव और सम्मान के साथ खड़े रहने का किसी भी देश के लिये अगर कोई प्रमुख आधार है तो उसका जमीन के ऊपर जड़ जमाना बहुत जरूरी है और जमीन से मतलब जहां एक ओर अपनी पूरी ताकत से खड़े रहने से तात्पर्य है..उसके साथ जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अगर उनकी पूर्ति वह देश अपनी धरती से नहीं कर पाता है तो उसकी यह आजादी, स्वाभिमान, सम्मान, गौरव कभी भी जिस देश के सामने वह झोली फैलाता रहेगा, उस पर कब्जा कर सकता है, उसको गिरवी रख सकता है। यह साधारण-सी बात दिखती है लेकिन अपने आप में इतनी बड़ी चीज है जितनी कि इन्सान को जिन्दा रहने के लिये सांस की जरूरत है। अगर सांस गिरवी रख देंगे

(श्रीमती कमला)

तो वह इन्सान कब तक जिन्दा रह पायेगा। अगले की मर्जी होगी तब सांस बंद कर देगा और मुर्दा खाने में भेज देगा। इस तरह से जिस राष्ट्र का पेट कहीं गिरवी हो, या जिस की भूख कहीं दूसरों पर निर्भर हो, उसके लिये बहुत मुश्किल है कि वह अपनी नीतियों का निर्धारण अपने ढंग से कर सके, अपने ढंग से जी सके और दुनियां के मंच के ऊपर स्वाभिमान और सम्मान के साथ खड़ा हो कर अपनी बात कह सके। आप और हम कई बार जब बड़े-बड़े जलसे में जाते हैं तो कई उदाहरण सुनने को हमें ऐसे मिलते हैं कि आज के युग में जो स्वतन्त्र राष्ट्र हैं उनमें से बहुत से राष्ट्र अपनी बात कहना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और सचमुच में अपनी स्वतन्त्रता को कायम रखना चाहते हैं लेकिन एक अनाज के जहाज के खातिर उनको अपनी बोली बंद रखनी पड़ती है। इसलिये यह महत्वपूर्ण विषय है जो आज की चर्चा में है। सचमुच में यह हरेक राष्ट्र का जीवन मर्म हैं। हम इस देश के वासी अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस देश ने आजादी के दौरान में जिन नीतियों, सिद्धांतों का निर्माण किया, घोषणा की और जिन्हें आजादी के बाद में अपनाया, उनको उसी भावना और स्पीरिट के साथ लागू करने के लिये हम इसलिये सक्षम हुए कि इस देश के प्रथम प्रधान मन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू, जिनकी अब जन्मशती चल रही है देश की आजादी के तुरन्त बाद सब से पहले इस बात को महसूस किया कि मेरी झोली अमेरिका, कनाड़ा, आस्ट्रेलिया के सामने फैलानी पड़ रही है, जिस दिन यह झोली नीचे झटक दूंगा और जिस दिन मैं अपनी धरती के अन्दर से अनाज पैदा करके अपनी जरूरत को पूरा कर सकेंगे उस दिन में स्वतन्त्र हो पाऊंगा। आज न सिर्फ देश बल्कि राजस्थान तो विशेष तौर से उनको याद कर सकता है। उस नीति के अनुसरण में उन्होंने इस देश की जो मूलभूत आवश्यकताएं थीं, उनको पहचान कर के, उनका आधारभूत ढांचा खड़ा करके आने वाले जमाने के लिये योजनाए सोची जिसका परिणाम यह है कि हम संसार के उन राष्ट्रों में से हैं जो न सिर्फ खेती के मामले में, ज्ञान-विज्ञान के मामले में, बल्कि सीमा सुरक्षा के मामले में, टेक्नालाजी के बारे में, अन्तरिक्ष के मामले में हम उन राष्ट्रों के बराबर खड़े हैं जो बहुत वर्षों पहले आजाद हो चुके थे, जिनके पास दौलत की कमी नहीं है। हम इस बात से अपने आपको बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम यह सोचते हैं कि राजस्थान जैसे प्रदेश को आगे बढ़ने का मौका मिला तो उसको इन नीतियों के कारण आगे बढ़ने का मौका मिला है। राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है। इस देश के एक प्रदेश को छोड़ कर हमारा प्रदेश सीमाओं में बहुत बड़ा है। 3 करोड़ 42 लाख 32 हजार हैक्टेयर क्षेत्र हमारे प्रदेश का है। भगवान की बड़ी अनुकम्पा है कि तमाम तरह के मौसम से, जियाग्राफी से हमारा प्रदेश अनुपूरित है। ऊपर हिमालय का मुकुट है, बीच में गंगा का मैदान है, नीचे समुद्र का लहराता आंचल है लेकिन इसकी धरती के नीचे अमूल्य रत्न है। यहां ठंडा से ठंडा मौसम है तो हमारे राजस्थान में गर्म से गर्म मौसम है। इस तरह का हमारा प्रदेश है। दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा उपजाऊ है। पूर्वी

(श्रीमती कमला)

आंचल जयपुर में मैदान हैं। इसके साथ ही साथ जोधपुर और जैसलमेर में थार का डेजर्ट है। एक तरह से प्रकृति के सभी सृजन का सह-संगम स्थल है। लेकिन इस संगम स्थल का विकास करने में जितनी मेहनत और खर्चा करना पड़ता है उसके अनुपात में प्रकृति हमारे साथ रहम दिल नहीं है। आजादी के बाद हमने अपने प्रदेश में कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिये कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये, कृषि क्षेत्र में जो जमाने के साथ बढ़ती हुई तकनीक थी, उसको ग्रहण कर के अपने आपको विकास में ले जाने की चेष्टा की है। इन चेष्टाओं में एक हमने भूमि सुधार का काम किया है। राजस्थान भूमि सुधार में देश में एक अग्रणी राज्य है। हमने किसानों को जमीन का कब्जा दिया। किसानों के लिये लगान का एक सिस्टम कायम किया। किसान को उसकी उपयोगी वस्तुओं के लिये ऋण उपलब्ध कराये। जो उपकरण खेती के लिये थे, उन उपकरणों को बनाने के लिये फेक्टरीज बनाई। साथ ही साथ उनके लिये खाद के कारखाने लगाये। जहां हमने बड़े-बड़े प्रयत्न किये चाहे चम्बल का बांध हो, चाहे माही का बांध हो, चाहे हमारे छोटे, बड़े बांध हों लेकिन सब से बड़ा पैमाना हमको मिला है पंजाब की नदियों से, चाहे वह भाखरा का सिस्टम हो, चाहे राजस्थान नहर का सिस्टम हो। जो हमारे भूतपूर्व स्व. प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू की देन है। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बंटवारे के समय जो एक सब से बड़ा उपादान इस धरती पर आया वह यह था कि इन नदियों का पानी हम सिर्फ पंजाब में खर्च नहीं कर सकते थे। हमारे प्रदेश की धरती सूखी है और बहुत बड़े पैमाने पर सूखी है। एक एक बूंद पानी के लिये वह तरस रही है। इस राजस्थान की धरती को इन नदियों के पानी की जरूरत है। इसलिये योजना बनाई गई और पंडितजी ने उसको साकार रूप दिया। इस कारण से हमारे प्रदेश के अन्दर हमारी खेती की तरक्की शुरू हुई। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि धीरे-धीरे जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र बीरान पड़ा था, जिसमें खेती नहीं होती थी उसको हमने बढ़ाया। इसके परिणामस्वरूप आज यह स्थिति बनी कि आजादी के वक्त हमारा उत्पादन मात्र 33.86 लाख टन था, वह बढ़ते-बढ़ते, इतने अकाल पड़ते हैं, इतना हमारा बजट उस पर खर्च हो जाता है, किसानों के तैयार हुए काम एक दम बीरान हो जाते हैं, तीसरे, चौथे साल अकाल पड़ता है, करीब हर चौथे साल अकाल पड़ता है, इसके बावजूद हम आज 113 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन तक पहुंच गये हैं। हमारी यह उम्मीद है, अगर भगवान हमारी मदद करता रहा और सूखा न पड़े जैसा कि पिछले साल हुआ, बहुत सारे क्षेत्र में फसल अच्छी हुई लेकिन उन क्षेत्रों के तालाब, बांध नहीं भरे, लेकिन फसलें अच्छी हो गई, जल स्तर नीचे चला गया, आज भी पिछले साल इतनी अच्छी फसल होने के बावजूद पीने के पानी की समस्या है। बहुत बढ़िया वर्षा होती है, रात दिन पानी बरस कर नीचे जाता है तब तालाब, बन्धे भरते हैं और उससे पानी का, जल स्तर बढ़ता है हालांकि पिछले साल फसल अच्छी हुई, खेती अच्छी हुई और इस कारण हमने इस काम में अच्छा अंजाम दिया। इसके साथ-साथ भारत सरकार की तरफ से,

(श्रीमती कमला)

राजस्थान सरकार की तरफ से फसलों के उत्पादन के लिये विशेष कार्यक्रम भी लिये गये हैं। भारत सरकार और राजस्थान सरकार, दोनों मिल कर किसानों को उपकरण, बीज खाद वितरण, नई तकनीक का ज्ञान देने के सम्बन्ध में योजनाएं चला रहे हैं। पिछले तीन, चार साल से 1983-84, 1984-85, 1986-87 से अनाज के उत्पादन के लिये, खाद्यान्न के उत्पादन के लिये भारत सरकार और राज्य सरकार मिल कर इस तरह की योजनाएं चला रही है, जिसमें किसी में शत प्रतिशत भारत सरकार का योगदान है, किसी में 50 प्रतिशत भारत सरकार का योगदान है, किसी में 70 प्रतिशत भारत सरकार का योगदान है। इन विशेष कार्यक्रमों के जरिये से भारत सरकार यह चाहती है कि इस देश के अन्दर जो खाद्यान्न की कमी है, उसकी पूर्ति के लिये हम जल्दी से जल्दी ज्यादा जमीन पर खेती कर सके, इन्टेंसिव कल्टीवेशन कर सकें, ज्यादा उत्पादन हम दे सकें। इस दृष्टि से हमने इस काम को प्रारम्भ किया और पिछले दो तीन सालों से भारत सरकार और राज्य सरकार का चल रहा है उसके परिणामस्वरूप हमें उम्मीद है कि 113 लाख टन पैदा किया है और आगे आने वालों सालों में ज्यादा कर लेंगे। इसके अलावा विभिन्न जिलों का जो विशेष कार्यक्रम है किस क्षेत्र और किन जिलों में करने का हैं, किसी में गेहूं का है, किसी में कपास का है, किसी में कुछ का है। उन सब कार्यक्रमों को हमने हाथ में लिया है। इसी तरह से भारत सरकार ने दलहन के लिये भी विशेष कार्यक्रम तैयार किया है और विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से हम यह उम्मीद करते है कि दलहन हालांकि हमारे यहां उतनी अधिक गति नहीं पा सकी है जितनी कि हम अनाज के मामले में गति दे सके है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले में कुछ इसमें हमने बढ़ोतरी की है जैसा कि आंकड़े प्रगति विवरण में मौजूद है लेकिन उसके लिये भी विशेष कार्यक्रम इसलिये रखा गया है कि आज देश में दलहन और तिलहन की खास तौर से कमी है और दलहन क्योंकि विशेष तौर से प्रोटीन के लिये काम में आती है। जहां तक दालें हैं उनका काफी उपयोग है और आम आदमी भी उनका ही ज्यादा उपयोग करता है इसलिये देश में जब दलहन की कमी होती है और तिलहन की कमी होती है तो इन चीजों के भाव बढ़ते है और आम आदमी की जीविका पर भी इसका असर पड़ता है और देश में स्वावलम्बन पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिये इसके लिये भी विशेष योजनायें इस प्रकार से भारत सरकार, राज्य सरकार की चल रही है और उसमें भी हमें उम्मीद है कि हालांकि इसमें बीज का जहां तक सवाल है चाहे मूंग की बीज हो चाहे मोठ का बीज हो, जैसा कि माननीय सदस्यों ने भी कहा और मैं भी महसूस करती हूं कि उनके बीज एक तो हमें उस प्रकार के नहीं मिल पा रहे है जिनसे अधिक पैदावार की जा सके और एक इनके अन्दर जो बीमारी लगती है उनके कन्ट्रोल का या उनके नियंत्रण की भी बड़ी दिक्कत है। एक तो बहुत बड़ी भारी कीमत इनकी पड़ती है। जो रसायन इनके ऊपर छिड़के जाते है और दूसरे यह है कि जो पहले इस तरह के रसायन है या पेस्टीसाइड्स है, काम में लिये जाते थे उनसे ये रेजिस्टेन्स भी बहुत सारे हो गये है। इसमें

(श्रीमती कमला)

दलहन के अन्दर ये दिक्कतें हैं इनका भी हम किस प्रकार से निराकरण कर सकते हैं, इसकी भी कोशिश की जायगी। इसके अलावा, माननीय भसापति महोदय, तिलहन के क्षेत्र में हमारे प्रदेश ने काफी तरक्की की। आज राष्ट्र में जितनी भी तिलहन पैदा होती है उसका 10 पर्सेन्ट राजस्थान में होता है और विशेष तौर से सरसों का उत्पादन में हम 29 पर्सेन्ट तक भारत को कन्ट्रीब्यूट करते हैं। और सबसे ज्यादा तेजी से इसका उत्पादन इसलिये हो पा रहा है कि सरसों में खर्चा कम होता है, कीमत अच्छी मिलती है। और ऐसा भी नहीं है कि हम इसका नियंत्रण नहीं कर सके। इसलिये यह सरसों के उत्पादन में जहां पहले कभी किसी ने सरसों का उत्पादन देखा भी नहीं होगा उन जिलों के अन्दर भी आज कल हमारे यहां अच्छा सरसों का उत्पादन होता है तो यह भी हमारे प्रदेश की एक अच्छी तरक्की हो रही है। हम समझते हैं इसका और अधिक वैज्ञानिक अन्वेषण हो यूनिवर्सिटीज के और हमारे प्रडाक्टिव सैन्टर्स के माध्यम से तब हम इसको और अधिक बढ़ा पायेंगे। इस तरह से एक जो नया पिछले कुछ सालों से सोयाबीन का हमने किया है, सोयाबीन में हालांकि कुछ ही जिले हैं, कोटा चित्तौड़ और इसके आस पास लेकिन उसके अन्दर भी हमने काफी तरक्की की है और अभी हमको यह उम्मीद है, यह जिस तरह से सरसों और सोयाबीन का अधिक उत्पादन बढ़ रहा है उस दृष्टि से कोआपरेटिव सैक्टर के अन्दर उनकी मिलें लगाने का काम भी हाथ में लिया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा जो हमारे ज्वार का मामला है या हमारे मक्का का मामला है या जो ज्वार का मामला है इसमें हम कोई विशेष प्रगति नहीं कर पाये हैं। लेकिन जितनी हमारी आवश्यकता है उसके अनुपात में हम बराबर आगे से आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं इन आंकड़ों में इसलिये नहीं जाऊंगी कि माननीय सदस्यों को जो प्रगति विवरण दिया है, उसमें सारे आंकड़े लिखे हुए हैं। मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है।

फल विकास के लिये माननीय सदस्यों ने भी काफी कहा और हम भी यह महसूस करते हैं कि राजस्थान में बहुत सारे ऐसे ऐरियाज है जहां पर विभिन्न प्रकार के फलों को हम बड़े पैमाने पर और अच्छे ढंग से तैयार कर सकते है और उनको तैयार करने के बाद में किसान को उसकी अच्छी कीमत दिला सकते है। इस दृष्टि से हमने अलग-अलग ऐरियाज को जोन्स में बांटा हैं बांट करके वहां पर किस प्रकार से हम फलोद्यान के विकास के लिये काम करते है उसकी चेष्टा की है। जैसा कि आप सभी जानते है कि इसमें सबसे पहले पौध की जरूरत है। अच्छी से अच्छी पौध हम उसके लिये तैयार कर सकें और अभी अगर फलों की बहुत हमारे पास उपलब्धता नहीं है तो जिन राज्यों के अन्दर इसकी उपलब्धता है, उसको लाने के लिये किसान को हम मदद कर सके, सब्सीडी दे सके, उसकी चेष्टा करना चाहते है। साथ-साथ में जो फल उद्यान लग रहे है आज उनकी किस्म की सुधार की भी जरूरी है। चाहे कहीं सन्तरा लग रहा है, कहीं बैर लग रहा है, चाहे

(श्रीमती कमला)

कहीं और कुछ लग रहा हो। फलों में केला लग रहा है दूसरी चीजें हैं। जोन वाइज हम उनका विस्तार करेंगे लेकिन उसमें ज्यादा पैदावार ले सके और अच्छी किस्म की पैदावार ले सके इसके लिये हम चेष्टारत है और इसके लिये मैं अभी इतना ही कह सकती हूं कि अभी हार्टीकल्चर डिपार्टमेंट के पास में हालांकि इसके लिये फण्ड की बहुत कमी है। लेकिन हम एक योजना तैयार करना चाहते है जिसमें न सिर्फ फलों के उत्पादन का काम किया जाय लेकिन आप और हम जानते हैं कि जितनी भी क्राप पैदा होती है उनको अगर एज इट इज हम बाजार में लाते हैं तो किसान को कोई कीमत नहीं मिलती है लेकिन वही चीज अगर फिनिशड गुड्स के तौर पर अगर मिलती हैं तो उनकी कीमत में जमीन आसमान का अन्तर होता है। चाहे वह कपास है, चाहे वह सरसों है, चाहे मूंगफली है चाहे वह फल है और चाहे दूसरी चीजें हैं इसलिये सबसे बड़ा प्रोग्राम और कार्यक्रम जो हाथ में हम लेना चाहते हैं वह यह है कि जहां एक ओर हम जो हमारी जमीन खेती के बाहर पड़ी है चाहे क्षारीय जमीन है, चाहे कन्दराओं की जमीन हो, चाहे डेजर्ट की जमीन हो, चाहे पहाड़ की जमीन हो, और चाहे पड़त जमीन हो, उसको रि-क्लेम करने का और उसमें खेती अधिक बढ़ाने का काम करेंगे और इसके साथ में जो आलरेडी खेती के नीचे जमीन हैं, उस जमीन में इन्टेसिव खेती करके आज के युग के आधुनिक अन्वेषण के साथ में उसकी पैदावार की अधिकता को बढ़ायेंगे। उसके साथ साथ में अगर हम सचमुच में प्रांत को लाभ देना चाहते हैं तो हमें एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज के लिये भी एक नेट वर्क अपनी स्टेट के लिये बनाना पड़ेगा और वही सबसे ज्यादा किसान को मदद करने वाली चीज होगी। मैं आज यह कहना चाहती हूं कि बहुत से क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो हम यह सुनते है कि किसान ने जितना कर्जा लिया उसको माफ कर दें और किसान खुशहाल हो जायगा। शायद वे यह नहीं समझते हैं कि कर्जा माफ करने से किसान खुशहाल नहीं होगा। किसान को अगर अपने काम के लिये कर्जा मिलता रहे और अगर उसमें कोई सहूलियत नहीं है तो सहूलियत की जा सकती है लेकिन कर्जा माफ नहीं होगा। जिस जगह किसान का शोषण हो रहा है जिस जगह किसान को अपनी पैदावार का मूल्य नहीं मिल रहा है, उसकी अगर हमने व्यवस्था नहीं की तो मात्र कर्जा माफ करने से किसान की तरक्की नहीं हो सकती है क्योंकि जिस दिन किसान को अपने दलहन के लिये मिल में जा करके दाल तैयार हो करके उसकी कीमत मिलेगी वह कीमत कच्चे मूंग पर जो मिलती है उससे कहीं ज्यादा होगी। सरसों की कच्ची बिक्री होती उसकी आज जो कीमत है सरसों के तेल की अगर उसको वह कीमत मिल सकेगी तो वह कहीं उससे ज्यादा होगी। इसी तरह कपास का इसी तरह कोल्ड स्टोरेज बनावें, फैक्ट्रीज बनावें जिनमें कि अगर इण्डस्ट्रीज में किसान को फिनिशड गुड्स बनावें, फैक्ट्रीज बनावें जिनमें कि अगर इण्डस्ट्रीज में किसान को फिनिशड गुड्स के तौर पर वह उनकी कीमत ले सके यह हमारा भी प्रोग्राम है और जैसा कि आपकी जानकारी में होगा हमारे प्रधान मन्त्री जी पिछले कुछ समय से इस काम के लिये कुछ अलग से

(श्रीमती कमला)

मंत्रालय बनाया है कि हम तमाम देश में इस बात का सर्वे कराये कि किन-किन जोन्स के अन्दर किस-किस प्रकार की पैदावार और फसलें और कृषि उत्पादन किस नेचर का हो रहा है जिससे कि हम जगह-जगह पर एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज दे सके तो हमने उसी के तहत में अपनी स्टेट को भी जोन्स में लगाकर आइडेन्टिफाई करके इस काम को करने का अपने हाथ में लिया है। मैं समझती हूं कि हम इसके माध्यम से किसान को आगे से आगे न केवल उसका बल्कि जो कन्जूमर है उसको भी इसके अन्दर फायदा होगा।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय उर्वरक बीजों के मामले में माननीय सदस्यों ने काफी कुछ शिकायतें की है। कितना वितरण किया, कितना बढ़ा उसके आंकड़ों में न जा करके मैं इन दो शब्दों पर ही यह कहना चाहती हूं कि बीज के मामले में बीज निगम की शिकायत और बीज बांटने वाली एजेन्सी की शिकायत, बीज की प्रमाणिकता की शिकायत, बीज का समय पर न मिलने की शिकायत, बीज का जर्मीनेशन न होने की शिकायत और बीज की जो क्वालिटी है वह सही ढंग से किसान तक न पहुंचने की शिकायत। ये बहुत सारी शिकायतें इस मामले में हैं। मैंने इस बात का संकल्प लिया है कि हम आगे से तीन महीने पहले ही फसल के लिये इस कार्यक्रम को सम्पादित करायेंगे जिससे कि जब बरसात हो रही हो या होने वाली हो उस वक्त में हम पखवाड़े लगायें, उस वक्त में इन बीजों का वितरण करें। किसी तक पहुचे, किसी तक नहीं पहुंचे और जिसके पास पहुंचे वह सही पहुंचा नहीं पहुंचा, कहां वह प्राइवेट ट्रेडर्स के चंगुल में पड़ गया इसकी जांच करने का मौका ही नहीं होता, इससे पहले तो खेती की बुवाई हो जाती है और विभाग का जितना डिस्ट्रिब्यूशन है वह या तो अधूरा रह जाता है या किसान तक पहुंच नहीं पाता। इसलिये खेती की बुवाई के पहले या जैसे खरीफ की फसल है, बरसात से तीन माह पहले हम पूरा प्रोग्राम तय करके उसके साथ में हमको सहकारी विभाग को लेना पड़ेगा। इस बार हमारे सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की हुई कि सहकारी विभाग और सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों ने हड़ताल कर रखी थी। इसलिये लोन डिस्ट्रिब्यूशन के अन्दर भी और बीज और खाद के डिस्ट्रिब्यूशन के अन्दर बहुत तंगी हुई। इसका जो अल्टरनेटिव बनाया, विभाग के अधिकारी अपने स्तर पर इस बात को देखेंगे कि यह बीज और खाद किसानों तक पहुंचे। लेकिन वह कितना पहुंचा पाये हैं, आप लोगों के कहने से कहीं-कहीं से इत्तला मिलती है लेकिन यह पता नहीं लग पाता है कि कितनी प्रामाणिकता से वह पहुंची है। सहकारी क्रय विक्रय समितियां बहुत सारी जो एक्टिव हैं, सक्षम हैं, वायबल हैं उन्होंने तो इस काम को किया, कुछ सी.सी. बैंक्स ने भी अच्छा इस मामले में किसानों को मदद किया लेकिन कई क्रय विक्रय सहकारी समितियां नाम की हैं उन्होंने उसको उठाया ही नहीं। अगर उठा लिया तो आगे तक पहुंचाने में सहकारी सतितियों ने उसमें कोआपरेट नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि चाहे डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, चाहे सहकारी क्रय विक्रय समिति के अधिकारी थे वह कितना पहुंचा पाये हैं और कितना उनके पास रह गया है और

(श्रीमती कमला)

कितना किसान तक पहुंचा है इसका विवरण हालांकि हमारे पास है लेकिन वास्तविकता के आधार पर हम इसको निश्चित नहीं कर पाये। इसलिये इस बार जून में जब पखवाड़ा मनाया उस वक्त तक कई जगह पर बरसात हो चुकी थी और कई जगह बुवाई हो गई थी जिसको हम अगेती बुवाई कहते हैं तो आगे से हमने इस बात का निर्णय किया है कि हम इस काम को तीन महीना यानि एक क्वार्टर पहले ही निर्धारण कर देंगे जिससे कि इसकी स्थिति सुधरी रहे।

श्री मानिकचन्द सुराना : अभी भी, माननीय मंत्रीजी, कई जगह बारिश हुई नहीं है, बहुत जगह बारिश अब होनी है....

श्रीमती कमला : उनका तो तकाजा कर रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराना : इस खरीफ में उनको बीज और खाद मिलेगा या नहीं, पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, क्या उम्मीद है आपकी ? जो अभी आपने कहा कि वह विभागीय अधिकारियों के माध्यम से पहुंचेगा, यह बीकानेर जिला जहां कृषि अधिकारी है नहीं, आपने अभी कुछ दिन पहले ही जवाब दिया कि वहां सहायक कृषि अधिकारी है, मैं खास तौर से आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि वहां सिंचित क्षेत्रों में न बीज है, न खाद है। इसलिये आप विशेष व्यवस्था इसके लिये करें।

श्रीमती कमला : जिला कृषि अधिकारी नहीं है लेकिन सहायक कृषि अधिकारी हैं, यह मैंने जवाब दिया।

श्री मानिकचन्द सुराना : हां, वह जवाब आपने दिया लेकिन खाद बीज वहां नहीं है। कुछ अधिकारी हैं वह होंगे, उसकी व्यवस्था क्या है यह बताइये।

श्रीमती कमला : आपने खाद बीज का नहीं पूछा।

श्री मानिकचन्द सुराना : यह रतनलालजी ताम्बी ने शिकायत की है, मैं शिकायत कर रहा हूं, अनेक माननीय सदस्य यदि शादी में चले भी गये हैं, स्थिति यही है। आप प्रयत्न करें कि वह खाद और बीज वहां पहुंचे।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता, दूसरे माननीय सदस्यों का आक्रोश सही है क्योंकि मैंने इस मामले में कई जगह पता किया तो स्थितियां सही नहीं पाई गई। इसलिये मैंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जोनवाइज उन इलाकों में भेजा और उनसे यह मालूम कराया कि आपने जिला स्तर तक तो उनको भेज दिया लेकिन जिला स्तर के आगे वह खाद बीज कहां पहुंचा इसकी सूचना कुछ जिलों से आई है, कुछ जिलों से नहीं आई है। मैं इस बात की व्यवस्था करूंगी और विभाग के अधिकारियों को पाबन्द करूंगी कि वह जहां तक हो सके स्वयं वरिष्ठ अधिकारी अलग-अलग इलाकों में जाते रहें और उसकी व्यवस्था करें और जहां कहीं से शिकायत आई है उसका तत्परता से भी मैंने निराकरण करने की कोशिश की है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा माननीय सदस्यों ने इस बात का भी कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम

(श्रीमती कमला)

से आपने जितने अनुदानित आइटम थे वह न देकर कुछ प्राइवेट ट्रेडर्स के माध्यम से इन आइटम्स को दिया। मैंने सबसे पहले इसी बात की जानकारी की और पता यह लगा कि इस साल इस पद्धति से बीज को दिया गया कि जो सहकारी समिति या जो प्राइवेट ट्रेडर एक पर्टीकूलर अमाउंट तक के बीज बांट सके उसको हम यह काम देंगे। तो सहकारी समिति ने कइयो ने उस बांड को लिखने से मना कर दिया क्योंकि उनकी असमर्थता थी पैसे के कारण से। वह रोटेशन से काम करते हैं। एक बार एक लाट ले गये उसको बेच दिया, फिर दूसरा लाट ले गये उसको बेच दिया लेकिन अबकी जो इन्होंने व्यवस्था की वह इसलिये की कि पिछले सालों के यह अनुभव रहे कि जो बीज खाद ले जाते है, आम तौर पर उतना वितरण नहीं हो पाता और उसको विभाग को वापस लौटाते हैं फिर उसका पैसा लौटाने की व्यवस्था चलती रहती है। उस मसले को हल करने के लिये उन्होंने इस व्यवस्था को इस साल अपनाया था। लेकिन मैं समझती हूं कि इस व्यवस्था में कुछ तरमीम करनी जरूरी होगी कि जहां पर सक्षम सहकारी समितियां हैं हम उनको देंगे और जहां पर सहकारी समितियां सक्षमता के साथ यह काम नहीं कर सकतीं वहीं पर सिर्फ प्राइवेट ट्रेडर्स को देंगे और उनकी देखरेख के लिये, नियंत्रण के लिये हम उचित व्यवस्था कर सकें जिससे कि सब स्टेण्डर्ड चीजें या तो अडलट्रेटेड चीजे हैं या कम कीमत करके जो जर्मीनेट ही नहीं हो इस तरह की देते हैं तो किसान को भी नुकसान होता है और डिपार्टमेंट की भी बदनामी होती है तो इस बात के ऊपर सबसे ज्यादा विचार करके कि हम बीज और खाद की व्यवस्था उसके ऊपर नियंत्रण और किस प्रकार से किसान को जो सब्सिडी दी जाती है वह सारा विभाग के अधिकारियों के मार्फत नहीं बल्कि जहां सोसायटीज काम कर सकती हैं उनके मार्फत हम दिलायें तो सचमुच में जो शिकायतें हैं कि या तो सब्सीडी अधिकारी की जेब में चली जाती है या किसी और के नाम से लिख करके किसी और के पास पहुंच जाती है, इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं हो इसकी रोकथाम के लिये हम काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा कई कार्यक्रम हैं विभाग के, चाहे वह शुष्क खेती का है, चाहे जलग्रहण क्षेत्र को बढ़ाने का है, चाहे और कोई प्रकार के कार्यक्रम हैं जो आपके प्रगति विवरण में दिये गये हैं। उनमें सबसे बड़ी चीज यह है........

एक माननीय सदस्य : फसल बीमा के बारे में बतायें।

श्रीमती कमला : हां, बता रही हूं। तो यह जो योजनाएं हैं इनके बारे में मैं ज्यादा न कह करके जो माननीय सदस्यों ने मुद्दे उठाये हैं उनके बारे में कहना चाहती हूं। एक तो मुद्दा उठाया कि इस विभाग को आपको तकनीकी विभाग घोषित करना चाहिये। एक माननीय सदस्य ने कहा कि कृषि को उद्योग घोषित करना चाहिये और एक यह कि तकनीकी डाइरेक्टर यहां पर होना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, किसी विभाग को तकनीकी घोषित करने का न तो कोई प्रावधान है, न उसकी जरूरत पड़ती है। इसलिये यह तो कुछ वहम की सी चीज है कि उसको बाकायदा आर्डर

(श्रीमती कमला)

करके तकनीकी विभाग घोषित किया जाय। लेकिन इस विभाग को दरअसल में एक विशेषज्ञ का विभाग माना जाकर इसमें एक तकनीकी डाइरेक्टर ही लगे, इस बात के लिये मैं भी बहुत सहमत हूं और बहुत इसकी पक्षधर हूं और इसको करने के लिये भी मैंने पिछले वक्त में भी काफी चेष्टा की थी लेकिन इस बार आकर के देखा तो मुझे पता लगा कि वह जो समस्या थी वह इतने वर्षों के बाद में भी वहीं की वहीं है। यानि इस विभाग के अधिकारियों की जो डी. पी. सी. है, वह कई वर्षों से नहीं हुई और कई काम्पलीकेशन उसमें हुए। डिप्टी डायरेक्टर तक की डी.पी.सी विभाग की, की जा चुकी जोइन्ट डायरेक्टर तक की डी.पी.सी. होने के लिये मैं पूरी तौर से तकाजा कर रही हूं और जैसे ही जोइन्ट डायरेक्टर की डी. पी. सी. के मामला का फैसला हो जायगा, एडीशनल डायरेक्टर का उसमें से अपने आप ही हल निकल आता है और उसमें तकनीकी डायरेक्टर को हम रख सकेंगे। अभी जो पांच दिन के लिये रखा और दुबारा नहीं रखा उसका कारण यही हुआ कि उनको रखा तो उसमें कई अधिकारी रिट में चले गये। रिट में जाने के कारण वह मसला ऐसा पड़ गया कि आज अगर मैं यह मन भी करती हूं, जैसा कि मैंने एक बार किया मुझे लगा देना चाहिये क्योंकि आपकी डी. पी. सी. बहुत समय लेगी। लेकिन लगा यह कि जैसे ही करूंगी उनमें से जितने भी हैं वह सब के सब रिट के अन्दर जायेंगे और नतीजा यह होगा जैसे वह पांच दिन बाद रिटायर होकर हट गये और वापस नहीं लगा पाये उसी तरह की स्थिति होगी। लेकिन मेरा खुद का बहुत मन है और मेरी खुद की यह मान्यता है कि जब तक यहां पर विशेषज्ञ तकनीकी डायरेक्टर नहीं लगेगा, इस कृषि के मामले को हम आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो सकते। क्योंकि जो हमारे दूसरे अधिकारी हैं वह प्रशासनिक तौर से बहुत कुशल हो सकते हैं, बहुत मेहनती भी हो सकते हैं लेकिन जहां पकड़ होती है चीज की उस पकड़ को हम नहीं बैठा सके तो फिर वह इन कामों को आगे बढ़ाने में उतने सार्थक सिद्ध नहीं हो सकते जितना कि होना चाहिये। इसके अलावा माननीय सदस्यों ने कहा कि कृषि उद्योग निगम को जो काम करना चाहिए वह तो करता नहीं है और दूसरे ही काम कर रहे हैं। यह कृषि उद्योग निगम हमारे विभाग का दरअसल बहुत बड़ा नासूर जैसी चीज हो गई है और हमने कई सरकारी विभागों से बात भी की कि आप इनको काम दीजिए। इनके पास इतना सारा स्टाफ है, मशीनें हैं, जिससे कम से कम घाटा में तो नहीं जाय लेकिन निरन्तर कोशिशों के बावजूद भी जब अभी इसका सारा परीक्षण और विश्लेषण किया तो नतीजा यह निकला कि इस बीच में उन्होंने अपना जो मुख्य काम था कुछ ऐसे काम भी शुरू कर दिये जो सहकारी समितियों को करने चाहिए या कृषि विभाग को करने चाहिए। तो इसका मैंने पूरा विवरण तैयार कराया है कि किस तरह से इसको हम सक्षम बनायें और ऐसा नहीं होता है तो कड़ा दिल करके निर्णय लेना चाहिए कि हम इसको बन्द करें और इसके अधिकारियों, कर्मचारियों को किसी और जगह भेजें और इसका जो काम और मशीनें आज हैं यह हम किसी दूसरे विभाग को दें, तो इसके लिए हम तत्परता से काम करना चाहते हैं।

(श्रीमती कमला)

इसके साथ माननीय सदस्यों ने प्लेज लोन की भी बात कही कि किसान को यह लोन मिलना चाहिये। दरअसल में शोषण को बंद करने का दूसरा अगर कोई रास्ता है तो वह यही है। किसान के लिए आज हमने मंडियां बनाई और वहां उसकी बहुत सारी तकलीफें दूर भी हुई है और जो बिना बोली के उसका सामान ले लेते थे उसके मुकाबले में बोली से उसको कुछ फर्क भी पड़ा है लेकिन शोषण उसमें भी समाप्त नहीं होता। वह सुविधा है वह शोषण से मुक्ति का रास्ता नहीं है। शोषण से मुक्ति का रास्ता यही है कि किसान जब पैदावार लेकर आये तो वह क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में या अपने गांव के गोदामों में अपनी फसल को रखें और उस फसल के पेटे बैंकों से क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से, सी. सी. बैंक के माध्यम से उसको 60-70% प्लेज लोन मिले और जब उसको लगे कि आज मेरी सही कीमत मिलेगी उस दिन वह अपनी फसल को बेचने के लिए इजाजत दे कि फसल बेची जाय। आज जो शोषण हो रहा है वह उस स्टेज पर हो रहा है कि वह सीधा खलिहान से उठा करके बाजार में किसी व्यापारी के सुपुर्द कर देता है और उसका मार्जिन व्यापारी खाता है किसान के पास नहीं पहुंच पाता। इसलिए नाबार्ड ने 60 प्रतिशत तक की व्यवस्था इस मामले में की है लेकिन उसका लाभ हम क्यों नहीं ले पा रहे, इसलिए कि यह सी. सी. बैंक्स को अपेक्स बैंक रिकमण्ड करेगा और अपेक्स बैंक को नाबार्ड यह पैसा देगा, उसके लिए पहले से हमारी सोसाइटीज को प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि हमारे पास में उतना गोदाम की क्षमता है और इतना क्विन्टल किसान आज अनाज लाकर के यहां प्लेज करेगा उस प्लेज के मुताबिक हम को 5-4 महीने पहले योजना बना कर सी. सी. बैंक को देनी पड़ेगी और सी सी. बैंक उसको फारवर्ड करके उन किसानों के लिए प्लेज लोन लाकर देगा यह जिस दिन कारगर ढग से कार्यक्रम शुरू होगा उस दिन किसान का जो आज मंडियों और बाजारों में शोषण हो रहा है वह खत्म होने की सूरत तैयार होगी उसके आसार बनेंगे इसलिए हम इस बात को आपके माध्यम से गांवों, किसानों, सोसाइटीज और बैंकों तक पहुंचाना चाहते हैं जो इसका लाभ लेने के लिए आने वाली फसल की कम से कम अभी से तैयारी अगर करें तो किसानों को बहुत ज्यादा लाभ दे सकते हैं।

फसल बीमा के लिए कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया। यह हमने एक बार शुरू किया था। उसको लागू करने के बाद किसानों को, हालांकि मैंने उसको आधे मन से लागू किया था लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि तहसील को यूनिट बना दिया इस कारण पूरे किसानों को फायदा नहीं पड़ता क्योंकि पूरी तहसील का कितना परसेंटेज खराबा होता है जबकि हम अकाल घोषित करते हैं तो हर एक खेत का खराबा लेते हैं तो आप खेत का खराबा नहीं लें तो गांव का खराबा तो कम से कम उसके अन्दर आये लेकिन वह उसके अन्दर नहीं था फिर भी जो तहसील के लेवल का उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया उसमें भी किसानों को जो राहत मिली उसमें जैसा अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि पिछला भुगतान भी बाकी पड़ा है। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहती हूं कि पिछला तमाम

(श्रीमती कमला)

भुगतान किसानों को कर दिया गया है और किसी भी क्षेत्र के किसान का फसल बीमा का पैसा देना अब बाकी नहीं है आने वाले समय में हम इस योजना को फिर लागू करें इस संबंध में मैंने काफी कुछ देखा है। कई योजनाएं जो भारत सरकार की या इंश्योरेंस कंपनीज की हमारे पास आई उन तमाम इंश्योरेंस के सिस्टम का हमने अध्ययन किया उसमें किसान को तो बहुत कम लाभ है लेकिन सरकार का उस पर खर्चा करने का बहुत बड़ा पैमाना है। इसलिए किसान को अगर पूरा लाभ भी मिलता हो और फिर सरकार उसमें खर्चा करने के लिए मजबूर है तो एक बात देखने की है लेकिन किसान को उसमें पूरा लाभ नहीं मिल रहा है तो इसलिए हमने सोचा है कि उन तमाम जितनी योजनाएं हैं उनका विश्लेषण करके उनमें जो बेस्ट पाइंट्स हैं उनको लेकर भारत सरकार को लिखें कि इस प्रकार की योजना तैयार की जानी चाहिए क्योंकि जहां अच्छी तरह से फसलें होती है उनका बीमा करने में तो किसी को एतराज नहीं। एतराज तो उस एरिया का है जहां आम तौर पर फसलों का नुकसान होता है और किसान को तकलीफ होती है उनको कोई भी टेक अप करने के लिए तैयार नहीं होता इसलिए उपलब्ध जितनी भी योजनाएं हैं उनका सार और बेस्ट पाइंट्स निकाल कर राजस्थान सरकार उनका उपयोग करके उनको लाभ दे सकती है और उस योजना को पुन: लागू कर सकती है इसके बारे में विचार किया जा रहा है। मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

मंडियों और विपणन बोर्ड के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर मंडियों का एक बहुत बड़ा फैडरेशन बना हुआ है और उनका प्रयत्न चल रहा है कि पूरे देश की मंडियों और बोर्डों के कायदे कानून और वर्किंग कुछ युनिफार्म किया जाय और ज्यादा से ज्यादा किसान इसके अन्दर अपना अन्न रख सकें इसकी चेष्टा की जाय उसके तहत हमारे यहां भी बोर्ड का और मंडी का जो काम है वह अपने आप में....

श्री सी. पी. जोशी : मंत्री महोदया, आज शादियां अधिक है और माननीय सदस्यों को उनमें जाना है।

श्रीमती कमला : अच्छा में संक्षिप्त कर रही हूं। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि मंडियों के पास जो धन या उनकी आमदनी हैं उनके नीचे कई मंडियों के नीचे 2–3 पंचायत समितियां लगी हुई है, ज्यादा भी लगी हुई है। मैंने इस बात का मंडियों के सचिव और प्रशासकों को बुला कर अभी तय किया है कि उनके नीचे जितनी पंचायत समितियां लगी हैं और उनकी जितनी आमदनी है उसका अनुपातिक ढंग से हम सड़कों के लिए उसकी स्वीकृति देंगे और जो अधूरी सड़कें हैं उनको प्राथमिकता देंगे और प्लान रोड्स को दूसरी प्राथमिकता देंगे और जो विशेष तौर पर किन्हीं क्षेत्रों के लिए ज्यादा आवश्यक हैं उनको भी उसी हिसाब से मंजूरी करके उनको आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे।

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक तो कहा कि विश्वविद्यालय की शिक्षा इस खेती के लिए आधार है, इसको कोई ना नहीं कर सकता कि जिस प्रकार की शिक्षा का स्वरुप और जिस प्रकार की उपादेयता और जिस प्रकार भावी विकास के

(श्रीमती कमला)

साथ उसका जोड़ बैठेगा उसी तरह की हम प्रगति कर पाएंगे और मैं इतना ही निवेदन कर सकती हूं कि इस संबंध में जो आज के प्रगतिशील या अच्छी कारगर यूनिवर्सिटीज हैं उनके कार्यकलापों को देख करके हम इसमें क्या जोड़ सकते हैं और परिवर्तन कर सकते हैं या सुधार कर सकते हैं उसकी हम चेष्टा करेंगे।

दूसरी आपने जो सलेक्शन कमेटी की और उसके गठन की जो बात बताई है और मुझे याद दिलाया है। मैं आपको यही निवेदन कर सकती हूं कि जो और यूनिवर्सिटीज है उनके पैटर्न पर और हमारी जो आवश्यकता है उसके पेटर्न पर इसको हम बैठ करके देखेंगे और उसमें कितना सुधार किया जा सकता है उस संबंध में हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे।

कृषि के बाबत आपने बात कही, हालांकि एक तरह के व्यक्तिगत आरोप लगाये हैं लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि हम आज के दिन इस स्थिति में नहीं हैं कि हम अपने किन्हीं व्यक्तियों के बारे में कुछ कह कर किन्हीं यूनिवर्सिटी की जो एक नई आधारशिला रखी है उसका बनाना चाहते हैं उसको सारी जगह पर हम यह कायम करें कि यूनिवर्सिटी का शुरूआत ही गलत हुआ। हालांकि आपने कहा कि उन्होंने जो, जिस जगह आये हैं वह गलत तरीके से आये हैं। वह डीन सलेक्शन होकर के आये और उसके बाद राजस्थान सरकार ने और गवर्नर वगैरा जो सलेक्शन का तरीका है उस तरीके से बी. सी. होकर आये उन्होंने क्या मैनुपुलेशन किया क्या नहीं किया तो मैनुपुलेशन मानने वाले कितने कमजोर थे या वह कितने ताकतवर थे इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन इतना ही कह सकती हूं कि आपने सलेक्शन या ट्रांसफर या पोस्टिंग के अन्दर कोई जो आपने गलतियां हुई बता रहे हैं। मैं उनको देखूंगी और कोई ऐसी गलतियां हैं जो दरअसल में देख कर यों लगे कि यह तो बिल्कुल ही गलत तरीके से हुई है और इसमें तो बेसिक क्वालीफिकेशन ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है और जो एक्सपरटीज होनी चाहिए वही नहीं है और फिर भी ले लिया है तो इस तरह की चीजें....

श्री सी. पी. जोशी : मेरा एक प्रश्न यह था कि डायरेक्टर (रिसर्च), डायरेक्टर (एक्सटेन्शन) और सब्जेक्ट का प्रोफेसर सलेक्शन कमेटी में नहीं बैठे और सलेक्शन ठीक हो रहे हैं...

श्रीमती कमला : देखिये, दो बातें हैं....

श्री सी. पी. जोशी : आप एक्ट को उठा कर देख लें। एक्ट के अन्दर प्रोवीजो कर रखा है उसमें डायरेक्टर नहीं बैठता है। वह क्यों नहीं बैठता है? वह सलेक्शन करवायेगा ना वाइस चान्सलर। आप कम से कम यह तो एश्योर करें कि जब तक यह इन्क्लूड नहीं होगा तब तक सलेक्शन नहीं होंगे।

श्रीमती कमला : सुनिये। दो बातें हैं। एक तो यह है कि जो आज गठन है उसमें ये लोग नहीं है इसलिए ये होने चाहिये। दूसरा, यह है कि जिनको सलेक्ट किया गया है वह उस पोस्ट के लिए रिक्वीजिट क्वालीफिकेशन एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज

(श्रीमती कमला)

चाहिये वह है कि नहीं है। ये दोनों चीजें अलग-अलग हैं क्योंकि उस व्यक्ति का तो कसूर नहीं है कि अगर कोई एक्सपर्ट नहीं बैठा आपके इस विषय विशेष का लेकिन वह पूरी क्वालीफिकेशन फूलफिल करता है और सलेक्ट हो गया तो वह उसका तो कसूर नहीं है कि हम उसको रोके।

श्री सी. पी. जोशी : सलेक्शन किया है उसकी जांच करवा लें और फदर सलेक्शन नहीं हो जब तक यह नहीं हो। यह चीज कर लीजिये आप।

श्रीमती कमला : वह तो मैंने आपसे कहा है कि आपका जो कहना है उसके मुताबिक यह देखूंगी कि जो सलेक्शन पर आपने एतराज किया है या आपको इससे अहसास हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं उसको जरूरी तौर पर देखूंगी और आपको बताऊंगी।

श्री सी. पी. जोशी : जब तक एक्ट में अमेण्डमेण्ट नहीं हो, मेडम, यह सलेक्शन रोके।

श्री मानिक चन्द सुराना : सलेक्शन कमेटी के बिना सलेक्शन ही किस बात का।

श्रीमती कमला : सलेक्शन कमेटी ने ही किया है लेकिन इनका कहना है कि सलेक्शन कमेटी जो है वह गलत बनी हुई है।

श्री मानिक चन्द सुराना : रिक्विजिट पर्सोनल ही नहीं थे। जो रिक्विजिट पर्सोनल उसमें होने चाहिये वह पर्सोनल ही नहीं थे।

श्रीमती कमला : ऐसा है, देखिये, आप समझ नहीं रहे हैं वह क्या कह रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं समझ रहा हूं....

श्रीमती कमला : क्या कह रहे हैं आप नहीं समझ रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह बीकानेर का ही मामला है।

श्रीमती कमला : जो इसका एक्ट बना है उस एक्ट के तहत में जो प्रावधान है उसी के अनुसार यह किये गये हैं लेकिन इनका यह कहना है कि उसमें संशोधन होना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं है, यह कह रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराना : उन्होंने यह भी कहा है कि उसमें जो व्यक्ति सलेक्शन के लिए बैठने चाहिये वे व्यक्ति उसमें थे ही नहीं।

श्रीमती कमला : नहीं, ऐसा कह रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : मैडम, इसमें दो हैं। एक नम्बर, जो एक्ट आज एग्जिस्ट कर रहा है जिसके तहत सलेक्शन किये हैं उसकी जांच करवा लें और उस एक्ट में जो खामी है कि सबजेक्ट का प्रोफेसर हो....

श्रीमती कमला : हां वह तो ठीक है, वह तो मैंने आपसे कहा कि उसको भी देखेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : तो आप यह तो कह दें कि जब तक सलेक्शन नहीं होंगे, यह तो कहें आप। जब तक एक्ट में आप यह चैक नहीं कर लें तब तक सलेक्शन नहीं करेंगे कम से कम यह तो हम को एश्योर करें आप।

श्रीमती कमला : यह तो मैं अभी नहीं कह सकती कि एक्ट में संशोधन कितना वांछित है और कितना करना है लेकिन मैं यह कह सकती हूं कि जो सलेक्शन किये गये हैं अगर गलत किये गये हैं तो उसके बारे में मैं आपको जांच करके जरुर बताऊंगी और उसका क्या निराकरण हो सकता है आज सलेक्शन होने के बाद में यह मैं कह नहीं सकती ।

श्री सी पी. जोशी : आप यह कहना चाहते हो कि आज के दिन तक उस सलेक्शन कमेटी में सब्जेक्ट का प्रोफेसर, डायरेक्टर (एक्सटेन्शन), डायरेक्टर (रिसर्च) उसके बैठने का प्रोवीजो ही नहीं है । कम से कम आप इसको तो....

श्रीमती कमला : ऐसा है, यह गलती हमारा जो एक्ट बना है उसके तहत हुई है न कि वी. सी. से की है ।

श्री सी. पी. जोशी : मैं कब बना कर रहा हूं । यह अलग इश्यू है । मैडम, आप इस इश्यू को अलग कर दो ।

श्रीमती कमला : वी. सी. का इसमें कहीं इन्वोल्वमेण्ट इसलिए नहीं है कि उसने तो विधेयक के मुताबिक, उस एक्ट के मुताबिक कार्यवाही लेकिन उस एक्ट में गलती है या कमी खामी है उसको तो हम अब करेंगे जैसा मैंने आपसे कहा है ।

श्री सी. पी. जोशी : मैडम, यह इश्यू एक अलग है, मैं तो दूसरा इश्यू कह रहा हूं । जब तक यह नहीं करें, आप देख भी लें कि भई, सलेक्शन कमेटी में चेन्ज करना चाहिये तब तक सलेक्शन नहीं हो यह तो आप कम से कम रोकें ।

श्रीमती कमला : वह तो मैं कहूंगी जब जबकि जो सलेक्शन्स हुए हैं उनमें इस मौजूदा प्रावधान के तहत में अगर कोई बहुत आब्वियस गलतियां हो गई हैं तो मैं जरुर उसके बारे में आपसे कहूंगी ।

श्री सी. पी. जोशी : आपके कहने का मतलब यह है कि सलेक्शन कमेटी में बिना प्रोफेसर के, बिना डायरेक्टर के, बिना रिसर्च के सलेक्शन होना चाहिए ।

श्रीमती कमला : ऐसा है एक्सपर्टस अगर वहां बैठे हैं तो यह जरुरी नहीं है कि कोई एक प्रोफेसर ही वहां पर हो । एक्सपर्ट एज एक्सपर्ट । तो इसलिए यह कहना....

श्री सी. पी जोशी : Madam, what do you want to say to me ? आज एक यूनिवर्सिटी चल रही है उसके सब्जेक्ट केमेस्ट्री का प्रोफेसर है वह, प्रोफेसर उसमें नहीं बैठें और एक एक्सपर्ट प्रोफेसर आयेगा तब वो पूरी हो जायेगी ।

श्रीमती कमला : नहीं, उसी सब्जेक्ट का तो एक्सपर्ट होगा ना ।

श्री सी. पी. जोशी : वह तो एक अलग इश्यू है । एक्सपर्ट भी होना चाहिए लेकिन उस डिपार्टमेण्ट का प्रोफेसर, डायरेक्टर (एक्सटेन्शन), डायरेक्टर (रिसर्च) जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है वह तो बैठे नहीं उसमें ...

श्रीमती कमला : मैं आपका बेसिक जो सवाल है उसको मान रही हूं कि उसमें यह नहीं है इसलिए उसमें सारी गलतियां हो सकती है ।

श्री सी. पी जोशी : तब तक तो आप

(श्री सी. पी. जोशी)

सलेक्शन रोकिये। जो ओरिजन एक्ट है राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 1962 जिसमें उदयपुर में यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की उस यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर (एक्सटेन्शन), डायरेक्टर (रिसर्च), सब्जेक्ट के प्रोफेसर....

श्रीमती कमला : मैं 10 दिन के अन्दर अन्दर वह देख लूंगी कि जो इन्होंने सलेक्शन्स किये हैं उसमें इस कमी के कारण से अगर इतनी बहुत ओब्विअस गलतियां हुई है जिनको कि नहीं होना चाहिये था तो हम जल्दी से जल्दी इसको मान लेंगे।

दूसरा, माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस यूनिवर्सिटी का एक साउथ कैम्पस उदयपुर में करने के लिए जोशीजी ने कोई स्टेटमेण्ट दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि उन्होंने स्टेटमेण्ट दिया और उसके बाद में जब यह एक्ट आया उसके बनने के समय में यह सोचा गया कि राज्य हित में यह जरूर है कि हम एक कम्पोजिट यूनिवर्सिटी बनाये न कि उसको साउथ, नोर्थ, ईस्ट, वेस्ट के कैम्पस बना करके उसको और भी कमजोर करें।....

श्री सी. पी. जोशी : विधान सभा में जो बजट भाषण दिया, स्टेटमेण्ट नहीं दिया है। विधान सभा में 1987 में जो बजट भाषण दिया है....

श्रीमती कमला : हां, विधान सभा ही हुई ना।

श्री सी. पी. जोशी : उसके 25 पर कहा है।

श्रीमती कमला : वो ही मैं कह रही हूं आपको।

श्री सी. पी. जोशी : Budget is not a statement, Madam, But Budget is a decision of the Cabinet. Council of Ministers are part and parcel of it. You cannot shirk the responsibility. You were a Minister at that time.

श्रीमती कमला : मैं कह रही हूं, मैं मना थोड़ी कर रही हूं, मैं मना नहीं कर रही हूं कि उन्होंने नहीं कहा।

श्री सी. पी. जोशी : और आपने अंत में यह कहा है कि, don't say it is a statement, it is not a statement. बजट भाषण में।

श्रीमती कमला : आप करेक्ट कर लीजिये कि बजट भाषण में उन्होंने यह कहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जोशीजी अभी यह बीमार थी। जब आप बोल रहे थे तब यह बीमार थी। शायद उनको याद है या नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या बैठें।

श्रीमती कमला : सुनिये। लेकिन उसी के सन्दर्भ में यह भी निवेदन करना चाहती हूं और इसी दृष्टि से करना चाहती हूं कि आप और हम सब इस राजस्थान के हित चिन्तक हैं और इसकी तरक्की का जिम्मा बहुत कुछ आप और हम सब लोगों के ऊपर है। 40 वर्ष में हम एक यूनिवर्सिटी

(श्रीमती कमला)

अपने स्टेट के अन्दर कम्पोजिट रूप से, स्वतन्त्र रूप से नहीं खोल पाये उसका कितना घाटा हमको पड़ा। कभी हमने कह दिया हम रखेंगे, कभी हमने कह दिया नहीं रखेंगे और इसके अन्दर 40 वर्ष इस राज्य के निकल गये और अब जब हमने एक स्वतन्त्र और कम्पोजिट यूनिवर्सिटी बना करके कायम की है तो हम सबका यह फर्ज बनता है हमको उस यूनिवर्सिटी को जितनी ताकत दे सकते हैं, उसको जितना जल्दी स्थापित कर सकते हैं, जितना जल्दी उसकी एक्टिविटी शुरू करवा सकते है उतना हमको कोशिश करनी चाहिये। अगर हमने पहले दिन यह कोशिश कर ली कि इसका एक हिस्सा तो साउथ में बना दो, एक हिस्सा नार्थ में बना दो, एक हिस्सा वेस्ट में बना दो, एक हिस्सा ईस्ट में बना दो तो यूनिवर्सिटी क्या रहेगी। इसलिए उदयपुर परिसर एज सच रहेगा उसका इन्फ्रास्ट्रेक्चर बिल्कुल कम नहीं होगी, उसकी भावी योजनाएं बिल्कुल कम नहीं होगी और उसको इतनी ही तरजीह दी जाती रहेगी जितना कि वहां पर विश्वविद्यालय के नाम से कभी बीच बीच में दी जाती रही हो। लेकिन बीकानेर यूनिवर्सिटी को हम अपंग करके, उसके टुकड़े करके और कैम्पसेज अलग-अलग बना करके अगर यह काम करें जोन के हिसाब से या एरिया के हिसाब से तो मैं समझती हूं वह हमारे लिए बहुत घातक होगा और वह किसी तरह से....

श्री सी. पी. जोशी : आपकी भावना से मैं सहमत हूं। आप तो यह कह दीजिये कि प्रो. वाइस चांसलर की पोस्ट हो जायेगी, यह वाइस चांसलर (वी.सी.) उदयपुर नहीं रहे।....

श्रीमती कमला : प्रो. वाइस चांसलर और साउथ कैम्पस यूनिवर्सिटी को कम्पोजिट रूप से तोड़ने की बात बनती है। वह हमें नहीं करनी चाहिये और मैं आपसे भी निवेदन करूंगी जोशीजी कि आप एक बहुत आगे तक....

श्री सी. पी. जोशी : एक सैकण्ड, मेरी बात सुन लें आप। मेरा यह इन्ट्रेस्ट कतई नहीं है, आपकी भावना से मैं सहमत हूं, कम्पोजिट यूनिवर्सिटी बननी चाहिये लेकिन एक यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर का फुल टाइम नहीं देकर के 20 दिन उदयपुर में रहे। इसका क्या मतलब हुआ। (व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : आप किसी को बोलने नहीं देते हैं।

श्रीमती कमला : उदयपुर कैम्पस करने में कोई दिक्कत नहीं लेकिन साउथ कैम्पस और प्रो. वाइस चांसलर लगाने का मतलब यह है कि जो यूनिवर्सिटी हमने स्थापित की है उसका अंग वहां पर रहेगा, वहां पर खर्चा उसका होगा तो यही यूनिवर्सिटी अपने आप में इण्डिपेण्डेण्ट कम्पोजिट यूनिवर्सिटी डवलप नहीं होगी।

श्री सी.पी. जोशी : No. No. There will be only one Vice-Chancellor at Bikaner. प्रो. वाइस चांसलर उदयपुर बैठा करेगा और....नीड्स को कैटर करेगा। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : इसलिए राजस्थान के हित में हम सभी का यह फर्ज बनता है

(श्रीमती कमला)

कि जहां-जहां पर भी आज हमारे कैम्पस हैं.......

श्रीमती उजला अरोड़ा : बैठ कर बात क्यों नहीं कर लेते आपस में।

श्रीमती कमला : सुनिये, जहां-जहां भी आज हमारे कैम्पस हैं, जहां पर हमारे सेन्टर्स हैं....(व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : सभापतिजी को नींद आ गई क्या ? (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपस में बैठकर बात कर लो।

श्री लालचन्द डूडी : फिर ये क्या कर रहे हैं। कल क्या कर रहे थे, परसों क्या कर रहे थे और आज क्या कर रहे हैं।

श्रीमती कमला : उजलाजी जरा बिराजे आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो बैठ जाती हूं पर यह बात क्या आप आपस में बैठकर....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपके समझ में नहीं आया तो मैं क्या कर सकती हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : घर में ही नहीं कर सकते क्या ? यहां पर कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप बैठकर कभी अपने विधायकों से बात नहीं करती क्या ? कैबिनेट में बात आती है उन सब बात के लिए मैम्बर्स को तैयार कीजिये। आप चाहे तो जिलेबाइज करना। हमको तो छोड़ रखा है पर इन लोगों के साथ तो बैठो। यहां कहने की जरूरत ही नहीं हो।

श्रीमती कमला : आप बिराजिये। आपके समझ में नहीं आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सन्दर्भ में एक बात और कहना चाहती हूं कि यूनिवर्सिटी के जितने रिसर्च सेन्टर्स हैं और जितने काम्प्लेक्सेज बने हुए हैं, उन काम्प्लेक्सेज को कितना हम इन्फ्रास्ट्रेक्चर दे और कितना कितना रिसर्च के और साधन उनको जुटाएं जिससे कि यूनिवर्सिटी सचमुच में हमारे खेती के विकास में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सहयोग कर सके। इसको तो हम देखेंगे ही लेकिन आज दिन तक हमारी यह भी कमी रही है कि डिपार्टमेन्ट ने यूनिवर्सिटी से या जैसे काजरी जैसी संस्था है उनसे अपना डिमाण्ड कभी इस तकाजे के साथ नहीं भेजा कि हमको अपने स्टेट के किसानों के लिए इन-इन क्षेत्र में इस-इस चीज की आवश्यकता है। वह इतने बड़े पीरियड में इसी तरह से हमको निकाल कर दे और तैयार करके दे तो मैं यह चाहती हूं कि हम आने वाले समय में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट और काजरी जैसी संस्था, हमारे रिसर्च सेन्टर्स बैठकर यह तय करेंगे कि हम अपने स्टेट के लिए प्राथमिकता के आधार पर किन-किन विषयों को सलेक्ट करके और कैसे, किस गति के साथ मैं टाइम बाउण्ड प्रोग्राम से उस काम को कर सकें। इसको करने की चेष्टा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, अन्त में (व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय मंत्री महोदया, कृपया समाप्त करें। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपकी क्या बात रह गयी ? आप तो बोले नहीं शायद। अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि कई माननीय सदस्यों ने यह डार्क जोन वाले

(श्रीमती कमला)

मामले में काफी भ्रान्ति कर रखी है.... (व्यवधान) सिर्फ आखरी बात है, माननीया उजलाजी, बस आखिरी बात कहकर मैं समाप्त करूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे कटौती प्रस्तावों का जवाब आयेगा न।

श्रीमती कमला : दिये हैं, तो सुनें तो सही कटौती प्रस्तावों का।

श्री सभापति : भेज देंगी, भेज देंगी। आपके जवाब आ जायेंगे।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्यों द्वारा डार्क जोन के बारे में भी काफी कहा गया और आज भी काफी चर्चा हुयी। डार्क जोन वहां पर डिपार्टमेंट डिक्लेयर करता है, अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड, जहां पर उनको यह पता लग जाता है कि जितना ग्राउण्ड वाटर है, उससे ज्यादा एक्सप्लायट होने लग गया है। इसलिये जब एक सीमा से ज्यादा एक्सप्लाईटेशन शुरू हो जाता है, उस वक्त उस एरिया को डार्क जोन डिक्लेयर घोषित कर देते हैं। लेकिन उस डिक्लेरेशन में काफी कुछ गलतियां भी होती हैं, उसको री-एग्जामिन कराया भी गया, री-सर्वे भी कई जगह कराया गया, वापस उन्होंने उसको दुरुस्त भी किया है, लेकिन डार्क जोन का यह मतलब नहीं है कि पानी नहीं है, पानी मौजूद है. लेकिन जितना पानी निकाला जाना चाहिये और जितने कुएं आज बन चुके हैं, उससे ज्यादा नहीं बनने चाहिये, वरना उन कुओं में भी दो घंटे से ज्यादा पानी नहीं चल सकेगा, इसलिये उसको डिक्लेयर करते हैं और उसके आधार पर जो अपने पी. एल. डी. बीज. और एस. एल. डी. बीज. हैं, यह लोन देना बन्द कर देती हैं, बाकी प्राइवेट आदमी फिर भी अपने पैसों से बना लेता है, तो डार्क जोन का उसके ऊपर तो कुछ भी असर नहीं हुआ, लेकिन जिसको लोन लेकर बनाना है, उसके ऊपर असर हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहती हूं कि जो आपने कटमोशंस दिये हैं, उनको ब्योरेवार जवाब तैयार करके मैं आपको अवश्य भेजूंगी और उनके ऊपर कार्यवाही भी करूंगी, निवेदन करती हूं कि मांग को पारित करें।

श्री लालचन्द डूडी : सभापति जी, मुझे दो-तीन सवाल इसी स्टेटमेंट के बाद पूछने हैं। पहला तो इनपुट्स की जिस तरह से कीमत बढ़ रही है, जिस तरह से किसान घाटे में जा रहा है, जैसा अभी बताया था, टमाटर का बीज आज 15 हजार रुपये क्विंटल मिल रहा है, इसी तरह से दूसरी चीजों के बीज जैसे नरमे का बीज, इसके माइको का कोई 12 हजार रुपये क्विंटल मिल रहा है, इस तरह की जो कीमतें बढ़ रही हैं, इनको रोकने के लिये कुछ व्यवस्था कीजिये-एक। दूसरा, डिपार्टमेंट भी बैठा है, मंत्री जी हैं, एक ऐसी लटें चली है, जिसने मूंगफली की खेती को खतम कर दिया, चने को भी बड़ा भारी नुकसान पहुंचा रही है, और बाजरा आदि की जड़ों में उसका प्रभाव है, उसके ऊपर विशेष रूप से रिसर्च की जाये और उस बीमारी की रोकथाम करेंगे। तीसरा जो मैं कह रहा था यह मण्डी समिति का कानून का सीधा उद्देश्य था कि जिस तरह से लगातार किसानों का व्यापारियों द्वारा शोषण हो रहा है उस

(श्री लालचन्द डूडी)

शोषण को रोकने के लिये यह कानून बनाया जा रहा है। आज उस उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत बात हो रही है, आज न तो कोई किसान इतना भोला रह गया है कि उसको कोई व्यापारी लूट ले, न कोई और रह गया है, अब इस कानून के जरिये सरकार किसानों को लूट रही है, किसान का पैसा कृषि उपज मण्डी समिति के हिसाब से आ रहा है, और उसके लिये शहरों के अन्दर, जयपुर के अन्दर बिल्डिंग्स बन रही हैं, अफसर उसके मौज कर रहे हैं, और जो उस पैसे से या कर्जा लेकर दुकानें जो बन रही हैं, उनमें से किसानों को कुछ नहीं, व्यापारियों को वह दुकानें अलॉट हो रही हैं और उनके ऊपर परिवार भी व्यापारी अपने रखते हैं, नीचे चलाते हैं। तो पैसा किसान का और इस्तेमाल कहीं और दूसरी जगह हो रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान दिया जावे। चौथा-हॉर्टीकल्चर के बारे में जो बात थी, उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि बागवानी के लिये सिंचाई विभाग द्वारा एक्स्ट्रा पानी दिलाये जाने की व्यवस्था की जावे। और पांचवां यह एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन वाला तो आपने बता ही दिया, इस सफेद हाथी को तो आप जितना जल्दी खत्म कर दें, उतना ही सब का फायदा होगा। उसकी ओर भी आप देखें-तो इन चीजों के बारे में आप थोड़ा सा....।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, बीज और पेस्ट की जो बात आपने कही वह दरअसल प्राथमिक चिन्ता की बात है कि बीजों का प्रामाणिक होना, मंहगा होना, समय पर उपलब्ध होना-यह हमारी खेती के आधार हैं। और, अगर यही नहीं है तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते. इसलिये जो आपने नोटिस में लाया है, उस चीज को हम देखेंगे, क्योंकि बीजों का दूसरे स्टेट से भी ताल्लुक है, उसके नियंत्रण का, उसको हम किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं और किस तरह से यह जो आपने व्हाइटग्रब की बात कही है, यह पहले से ही नोटिस में है नई चीज नहीं है, लेकिन इसको इफेक्टिवली कण्ट्रोल करने के लिये अभी तक कुछ कारगर कदम नहीं उठ पाये हैं. उसको करने की हम चेष्टा करेंगे। इस स्टेट के अन्दर मूंगफली की पैदावार बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ सकती थी, अगर हम इसको कण्ट्रोल कर पाते, तो इसकी भी चेष्टा करेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक बात पूछना चाहती हूं कि जयपुर में जब कृषि उपज मण्डी बनी, तब यहां पर कुछ गौण मण्डियां बनाने की बात आयी थी, किसानों ने यहां आन्दोलन भी किया था, तो मेरा आपसे निवेदन है कि गौण मण्डियां बनाने की जो बात थी, जयपुर में फल सब्जी मंडी और कृषि उपज मण्डी की बात, इनके बारे में आपने कोई निर्णय लिया अथवा नहीं लिया ? नहीं लिया, तो कब तक ले लेंगी ? छः गौण मंडी बनने की बात थी।

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, जयपुर और जो राजस्थान के बड़े-बड़े शहर हैं, उनमें से जिधर से भी सब्जी, अनाज आता है, उन दोनों तीनों दिशाओं में हम सब्जी-अनाज मण्डियां बनायें, और उन्हीं के क्षेत्र में कुछ एरिया हम सब्जी मण्डियों के लिये भी रखें, इस बात की हमने योजना बनायी है, जयपुर के लिये और साथ में यह भी बनाया कि बड़े-बड़े शहरों में जो नई

(श्रीमती कमला)

बस्तियां बस रही हैं, चाहे वह जयपुर में जैसे जवाहर नगर है, मालवीय नगर है या हमारे दूसरे नगर हैं, उनका आदमी सूरजपोल मण्डी से सामान ले जाने के लिये सक्षम नहीं हो सकता-इसलिये हमने इन एरियाज में भी जे. डी. ए. और हाउसिंग बोर्ड को लिखने का तय किया है कि वह हमें स्थान दें जिससे कि इन बस्तियों के अन्दर भी हम गौण मण्डियां कायम कर सकें, ताकि लोगों को लोकली यह सब सामान उपलब्ध हो सकें।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : चांदपोल अनाज मण्डी के बारे में आपको क्या कहना है माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 54,95,52,000/- तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 13 जुलाई, 1989 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही रात्रि 8.38 मिनिट पर गुरूवार, दिनांक 13 जुलाई, 1989 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

शुद्धि - पत्र

क्र.सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	78	14	तोषावडा	तोसावडा
2.	311	फुटनोट	माननीय उपाध्यक्ष	माननीय अध्यक्ष